



**श्रम सांख्यिकी लघु पुस्तिका**  
**2017**

**Pocket Book of Labour Statistics**  
**2017**

भारत सरकार  
Government of India  
श्रम और रोजगार मंत्रालय  
Ministry of Labour & Employment  
श्रम ब्यूरो  
Labour Bureau  
शिमला  
Shimla



*श्रम सांख्यिकी लघु पुस्तिका*  
2017

**Pocket Book of Labour Statistics**  
2017

भारत सरकार  
Government of India  
श्रम और रोजगार मंत्रालय  
Ministry of Labour & Employment  
श्रम ब्यूरो  
Labour Bureau  
शिमला  
Shimla

## प्रस्तावना

श्रम सांख्यिकी लघु पुस्तिका 2017 संस्करण संक्षिप्त रूप में श्रम के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में क्रमिक सांख्यिकी प्रस्तुत करता है, इनमें नियोजन, मजदूरी एवं उपाजन, मूल्य, औद्योगिक विवाद, दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति और सामाजिक सुरक्षा इत्यादि सम्मिलित हैं। कुछ देशों के संकेतसूचक, भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय सहित राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण श्रम कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है। सारणियों के अन्त में विभिन्न सारणियों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां भी दी गई हैं। आशा की जाती है कि श्रम मामलों में रुचि रखने वाले पणधारियों के लिए यह प्रकाशन लाभदायक सिद्ध होगा। जहां तक संभव हो सका है, नवीनतम सुलभ सूचना प्रस्तुत करने हेतु प्रत्येक प्रयास किया गया है।

श्रम ब्यूरो, इस प्रकाशन को प्रकाशित करने हेतु श्रम और रोजगार मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न अभिकरणों और विभागों तथा भारत सरकार के अन्य संगठनों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए कृतज्ञ है। इस प्रकाशन को तैयार करने में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने योगदान दिया है, वे मेरी प्रशंसा के पात्र हैं। उनके नाम अनुबंध-ख में दिये गये हैं। इस प्रकाशन की साफ्ट कापी श्रम ब्यूरो की वेबसाईट [www.labourbureaunew.gov.in](http://www.labourbureaunew.gov.in) पर भी उपलब्ध है।

इस प्रकाशन के सारांश और गुणवत्ता में और अधिक सुधार हेतु सुझाव आमंत्रित हैं।

श्रम ब्यूरो, शिमला  
दिनांक: अप्रैल, 2019

अमर सिंह  
महानिदेशक

## PREFACE

Pocket Book of Labour Statistics 2017 presents in concise form, the serial statistics in respect of a number of important aspects of labour, covering information on employment, wages and earnings, prices, industrial disputes, accidents, safety and absenteeism and social security etc. Key Indicators of some countries, ILO Conventions ratified by India alongwith brief account of the important labour activities, both at National and International levels, have also been added. Explanatory notes on various tables have been given at the end of the tables. It is hoped that this publication would be useful for stakeholders in labour matters. All out efforts have been made to present the latest available information.

Labour Bureau is grateful to the various agencies and departments of the Ministry of Labour & Employment and other organizations of the Government of India for extending their cooperation in bringing out this publication. Officers/Officials involved to bring out this publication deserve my appreciation. Their name is mentioned in **Annexure-B**. Soft copy of this publication has also placed on the website of Labour Bureau i.e. [www.labourbureaunew.gov.in](http://www.labourbureaunew.gov.in)

Suggestions for further improvements in contents and quality of this publication are welcome.

Labour Bureau, Shimla  
Dated: April, 2019

**Amar Singh**  
**Director General**

विषय सूची CONTENTS

| सारणी Table |   | पृष्ठ Page |
|-------------|---|------------|
|             | <b>भाग I PART I</b>   | 1          |
|             | <b>1 नियोजन Employment</b>  |            |
| 1.1         | (क) कारखानों में उद्योग समूह अनुसार नियोजन<br>(a) Employment in Factories by Industry Groups  | 2          |
|             | (ख) राज्यवार पंजीकृत कारखानों, चालू कारखानों, विवरणियां भेजने वाले कारखानों और नियोजित कर्मकारों की संख्या (अनुमानित)<br>(b) State-wise Number of Registered Factories, Working Factories, Factories submitting returns and Workers Employed (Estimated)                | 7          |
|             | (ग) विवरणियां भेजने वाले कारखानों में औसत दैनिक नियोजन (अयु एवं लिंग अनुसार)<br>(c) Average Daily Employment in Factories submitting Returns (By Age and Sex)   | 10         |
| 1.2         | मुख्य बागानों में नियोजित कर्मकारों की औसत संख्या<br>Average Number of Workers Employed in Major Plantations  | 13         |
| 1.3         | विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत नियोजन<br>Employment covered under various Acts.  | 15         |
| 1.4         | यू पी एस विधि पर आधारित 15 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के लिये श्रम शक्ति भागीदारी दर, कर्मकार जनसंख्या अनुपात एवं बेरोजगारी दर<br>Labour Force Participation Rate, Worker Population Ratio and Unemployment Rate based on UPS approach for persons aged 15 years and above | 17         |
| 1.5         | क्षेत्रवार नियोजन में बदलाव<br>Sector wise change of employment   | 20         |
|             | <b>2 मजदूरी एवं उपार्जन Wages and Earnings</b>  |            |
| 2.1         | विनिर्माणकारी उद्योगों में नियोजित कर्मकारों का औसत वार्षिक उपार्जन<br>Average Annual Earnings of Workers Employed in Manufacturing Industries  | 22         |
| 2.2         | विनिर्माणकारी उद्योगों में नियोजित कर्मकारों का औसत वार्षिक उपार्जन (उद्योगानुसार)<br>Average Annual Earnings of Workers Employed in Manufacturing Industries (By Industry)   | 23         |

विषय सूची CONTENTS

| सारणी Table |   | पृष्ठ Page |
|-------------|---|------------|
| 2.3         | अकुशल श्रमिकों हेतु प्रति दिवस न्यूनतम एवं अधिकतम मजदूरी<br>Minimum and Maximum Wages per day for Unskilled Workers   | 25         |
| 2.4         | कृषि एवं गैर-कृषि व्यवसायों में अखिल भारत औसत दैनिक मजदूरी दरें (रुपये में)<br>All India Average Daily Wage Rate for Agricultural and Non-Agricultural occupations ( in Rs.)  | 29         |
|             | <b>3 मुख्य Prices</b>   |            |
| 3.1         | (क) औद्योगिक श्रमिकों के लिए वार्षिक औसत एवं माहवार अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2001=100<br>(a) Annual Average and Month wise All-India CPI Nos. for Industrial Workers on Base 2001=100                 | 33         |
|             | (ख) औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 2001=100 (केन्द्रवार वार्षिक औसत)<br>(b) Consumer Price Index Numbers (General) for Industrial Workers on Base 2001=100 (Centre-wise Annual Average) | 35         |
| 3.2         | कृषि तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1986-87=100 (जुलाई से जून)<br>Average CPI Numbers for Agricultural and Rural Labourers on base 1986-87=100 (July to June)                         | 39         |
|             | <b>4 व्यवसाय संघ Trade Unions</b>   |            |
| 4.1         | व्यवसाय संघों एवं उनकी सदस्यता में वृद्धि<br>Growth of Trade Unions and their Membership  | 41         |
| 4.2         | विवरणियां भेजने वाले व्यवसाय संघों एवं उनकी सदस्यता (उद्योगानुसार)<br>Number and Membership of Trade Unions submitting returns (By Industry)  | 42         |
|             | <b>5 औद्योगिक विवाद Industrial Disputes</b>   |            |
| 5.1         | औद्योगिक विवादों के कारण कार्य स्थगन<br>Industrial Disputes resulting in Work Stoppages   | 44         |
| 5.2         | (क) विवादों के परिणामस्वरूप कार्य स्थगन के कारण मानव दिनों की हानि ( उद्योगानुसार )<br>(a) Mandays Lost in Disputes resulting in Work Stoppages (By Industry)   | 45         |

विषय सूची CONTENTS

| सारणी Table   | पृष्ठ Page |
|---|------------|
| (स) विवादों के परिणामस्वरूप कार्य स्थगन के कारण मानव दिनों की हानि (राज्यानुसार)  | 48         |
| (b) Mandays Lost in Disputes resulting in Work Stoppages (By States)  |            |
| 5.3 विवादों का कारणानुसार प्रतिशत वितरण<br>Percentage Distribution of Disputes by Causes  | 51         |
| 5.4 विवादों का अवधि के अनुसार प्रतिशत विवरण<br>Percentage Distribution of Disputes by Duration  | 53         |
| 5.5 परिधि क्षेत्र अनुसार विवाद<br>Disputes by Sphere  | 54         |
| 5.6 क्षेत्र अनुसार विवाद<br>Disputes by Sectors   | 55         |
| 5.7 हड़ताल, तालाबन्दी एवं घेराव अनुसार विवाद<br>Disputes by Strikes, Lockouts and Gheraos   | 56         |
| 5.8 कुल स्थाई बन्दीओं तथा उनसे प्रभावित कर्मकारों की संख्या (राज्यानुसार)<br>Number of Permanent Closures and Workers Affected (by States)                              | 57         |
| 5.9 छंटनीओं की संख्या तथा उनसे प्रभावित कर्मकार (राज्यानुसार)<br>Number of Retrenchments and Workers Retrenched thereby (by States)                                     | 59         |
| 5.10 ईकाईयों में प्रभावित कामबन्दी, प्रभावित कर्मकार तथा मानव दिनों की हानि (राज्यवार)<br>No. of Units affecting Lay-off, Workers Laid-off and Mandays Lost (by States) | 61         |
| <b>6 दुर्घटनाएँ, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति Absenteeism</b>   |            |
| 6.1 (क) कारखानों में औद्योगिक क्षतियाँ, उनकी आपात एवं आवृत्ति दर (राज्यानुसार)<br>(a) Industrial Injuries in Factories, their Incidence and Frequency Rates (By States) | 63         |
| (ख) महत्वपूर्ण उद्योगों के अनुसार औद्योगिक क्षतियाँ उनकी आपात एवं आवृत्ति दर (समूहानुसार)   | 66         |

विषय सूची CONTENTS

| सारणी Table |   | पृष्ठ Page |
|-------------|---|------------|
|             | (b) Industrial Injuries, their Incidence and Frequency Rates by Important Industries (by group)   |            |
| 6.2         | राज्य/संघ क्षेत्रवार प्रत्यक्ष रूप में नियोजित नियमित श्रमिकों की अनुपस्थिती की दरें<br>State/UT wise Absenteeism Rates amongst Directly Employed Regular Workers   | 70         |
|             | <b>7 सामाजिक सुरक्षा Social Security</b>  |            |
| 7.1         | कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अन्तर्गत क्षतिपूरित क्षतियों की संख्या एवं क्षतिपूर्ति के लिए दी गई धन राशि<br>Number of Compensated Injuries and Amount of Compensation Paid under the Employees' Compensation Act, 1923 | 78         |
| 7.2         | मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत दिए गए मातृत्व लाभ<br>Maternity Benefits paid under the Maternity Benefit Act, 1961  | 79         |
|             | <b>8 अन्तर्राष्ट्रीय तुलना International Comparison</b>   |            |
| 8.1         | भिन्न-भिन्न देशों में चयनित मुख्य उद्योग समूहों में नियोजन<br>Employment in Selected Major Groups of Industries in Different Countries  | 81         |
| 8.2         | चुने हुए देशों में विनिर्माण में कर्मचारियों का औसत माहवार अभिलिखित उपार्जन<br>Mean Nominal monthly Earning of Employees in Manufacturing in Selected Countries   | 84         |
| 8.3         | चुने हुए देशों में औद्योगिक विवाद<br>Industrial Disputes in Selected Countries  | 85         |
| 8.4         | चुने हुए देशों में व्यवसायिक घातक क्षति, प्रति 1,00,000 नियोजित कर्मकार<br>Fatal Occupational Injuries in Selected Countries per 1,00,000 workers employed  | 87         |
| 8.5         | राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- पूर्व वर्ष से प्रतिशत बदलाव<br>National Consumer Prices Index – Percentage change from previous year  | 89         |
|             | <b>9 भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय<br/>9 ILO Conventions Ratified by India</b>   | 91         |



| सारणी Table  | पृष्ठ Page |
|--|------------|
| <b>10 वर्तमान श्रम गतिविधियां</b><br><b>10 Current Labour Activities</b>   | 98         |
| <b>भाग II PART II</b>  |            |
| <b>1 जनसंख्या एवं श्रम शक्ति</b> <b>Population and Labour Force</b>  | 140        |
| 1.1 जनसंख्या का वितरण<br>Distribution of Population  | 141        |
| 1.2 कर्मी एवं गैर-कर्मी जनसंख्या का वितरण<br>Distribution of Working and non-Working Population  | 144        |
| 1.3 जनसंख्या का श्रम शक्ति की स्थिति के अनुसार प्रतिशत वितरण<br>Percentage distribution of population by Labour Force status                               | 147        |
| <b>2 नियोजन Employment</b>   |            |
| 2.1 (क) सार्वजनिक क्षेत्र में अनुमानित नियोजन (शाखानुसार)<br>(a) Estimated Employment in Public Sector (by Branches)                                       | 151        |
| (ख) संगठित क्षेत्र में नियोजन (मुख्य उद्योगानुसार)<br>(b) Employment in Organised Sector (by Major Industries)   | 152        |
| 2.2 (क) खानों में खनिजानुसार नियोजन (नियोजित कर्मकारों की औसत दैनिक संख्या)<br>(a) Employment in Mines By Minerals (Average Daily No. of Workers Employed) | 154        |
| (ख) खानों में राज्यानुसार कर्मकारों की औसत दैनिक संख्या (वर्गानुसार)<br>(b) State-wise Average Daily No. of Workers Employed in Mines (By Category)        | 155        |
| 2.3 रेलवे, डाक, दूर संचार, बीमा तथा बैंकों में नियोजन<br>Employment in Railways, Posts, Telecommunications, Insurance and Banks                            | 159        |
| 2.4 अनुमानित नियोजन सूचकांक<br>Index Numbers of Estimated Employment   | 161        |

| सारणी Table |   | पृष्ठ Page |
|-------------|---|------------|
|             | <b>3 रोजगार सेवाएं एवं प्रशिक्षण Employment Services and Training</b>   |            |
| 3.1         | रोजगार कार्यालय एवं उनके कार्यकलाप<br>Employment Exchanges and their Activities   | 162        |
| 3.2         | रोजगार कार्यालयों की चालू पंजी में व्यावसायिक मुख्य समूहानुसार आवेदक<br>Job Seekers on Live Register of Employment Exchanges<br>classified by Broad Occupational Groups   | 164        |
| 3.3         | रोजगार कार्यालयों की चालू पंजी में शिक्षित आवेदकों की संख्या<br>Number of Educated Applicants on Live Register of<br>Employment Exchanges   | 166        |
| 3.4         | रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक के अधीन प्रशिक्षण कार्यकलाप<br>Training Activities under the DGE&T   | 167        |
| 3.5         | कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षण<br>कार्यक्रम<br>Training Programmes Conducted by the DGFASLI  | 169        |
| 3.6         | दत्तोपन्त ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं<br>व्यवसाय संघों तथा अन्य संस्थानों हेतु सहायता अनुदान<br>Training Programmes conducted by Dattopant Thengadi<br>National Board for Workers Education and Development<br>(erstwhile CBWE) and Grants in aid to Trade Unions and other<br>Institutions | 171        |
|             | <b>4 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति Accidents, Safety and Absenteeism</b>   |            |
| 4.1         | रेलवे की औद्योगिक क्षतियों की संख्या एवं आपात दर<br>Number of Industrial Injuries and Incidence Rates in Railways   | 179        |
| 4.2         | खनिज वर्गानुसार खानों में औद्योगिक क्षतियां (खनिज श्रेणी अनुसार)<br>Industrial Injuries in Mines (by Class of Minerals)   | 180        |
| 4.3         | बंदरगाहों में रिपोर्ट-योग्य दुर्घटनाएं<br>Reportable Accidents in Ports   | 185        |
| 4.4         | जलयानों पर रिपोर्ट-योग्य दुर्घटनाएं तथा आवृत्ति दर<br>Reportable Accidents on Board Ships and Frequency Rate  | 186        |

| सारणी Table |   | पृष्ठ Page   |
|-------------|---|--|
|             | <b>5 सामाजिक सुरक्षा Social Security</b>  |  |
| 5.1         | (क) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के कार्य - सम्मिलित कारखानों एवं कर्मचारियों की संख्या<br>a) Working of the Employees State Insurance Act- Number of Factories and Employees covered<br>(ख) कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय एवं उपस्थिति<br>b) ESI Dispensaries and Attendance<br>(ग) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/उपगृहों/अन्य अस्पतालों में उपलब्ध शैयाओं की संख्या<br>c) Number of Beds available in ESI Hospitals/ Annexes/ other Hospitals<br>(घ) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमारी एवं प्रसूति लाभ<br>d) Sickness and Maternity benefits under the ESI Scheme<br>(ङ) कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के अन्तर्गत अंगहानि एवं आश्रितों को लाभ<br>e) Disablement and dependants benefits under the ESI scheme<br>(च) कर्मचारी राज्य बीमा निगम की आय एवं व्यय<br>f) Income and Expenditure of the ESI | 187<br><br>188<br><br>189<br><br>190<br><br>191<br><br>192 |
| 5.2         | (क) कर्मचारी भविष्य-निधि योजना के कार्य<br>(a) Working of the Employees Provident Fund Scheme<br>(ख) कर्मचारी भविष्य-निधि योजना के अंशदाता एवं क्षेत्रवार परिधि<br>(b) Region-wise coverage and subscribers of the Employees' Provident Fund Scheme<br>(ग) कर्मचारी भविष्य-निधि योजना के अन्तर्गत प्राप्त अंशदान<br>(c) Contributions received under Employees' Provident Fund Scheme<br>(घ) निधि निवेश और कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों को अनुमत ब्याज<br>(d) Investment of Funds and Interest allowed to the Employees' Provident Fund Members<br>(ङ) कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋण एवं अग्रिम राशियों सहित धन-वापसी<br>(e) Refunds including Loans and Advances granted under the Employees' Provident Fund Scheme  | 193<br><br>194<br><br>197<br><br>198<br><br>199            |

विषय सूची CONTENTS

| सारणी Table   | पृष्ठ Page |
|---|------------|
| च) राज्यवार कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋण एवं अग्रिम राशियों सहित धन वापसी<br>(f) State-wise Refunds including Loans and Advances granted under the Employees' Provident Fund Scheme | 200        |
| छ) राज्यवार कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत निर्णित दावे और भुगतान की गई धनराशि<br>(g) State-wise Claims settled and amount paid under the Employees' Provident Fund Scheme                        | 202        |
| (ज) कर्मचारी-भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत प्रदान किया गया वापस न किये जाने वाला अग्रिम धन<br>(h) Non-Refundable Advances granted under the Employees' Provident Fund Scheme                              | 204        |
| (झ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अन्तर्गत आय और व्यय<br>(i) Income and Expenditure under the Employees' Provident Fund Organisation  | 206        |
| 5.3 अन्नक खान श्रमिक कल्याण निधि के कार्य<br>Working of the Mica Mines Labour Welfare Fund  | 207        |
| 5.4 खनिज लोहा, मैंगनीज एवं क्रोम खान श्रमिक कल्याण निधि के कार्य<br>Working of Iron, Manganese and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund   | 208        |
| 5.5 चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि के कार्य<br>Working of Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund  | 210        |
| 5.6 बीड़ी कर्मकार श्रम कल्याण निधि के कार्य<br>Working of Beedi Workers' Labour Welfare Fund  | 211        |
| 5.7 सिनेमा कर्मकार श्रम कल्याण निधि के कार्य<br>Working of the Cine Workers Labour Welfare Fund   | 212        |
| 5.8 (क) कोयला खान भविष्य-निधि के कार्य<br>(a) Working of Coal Mines Provident Fund  | 213        |
| (ख) कोयला खान भविष्य-निधि के कार्य ( राज्यानुसार वितरण )<br>(b) Working of Coal Mines Provident Fund (State wise distribution)  | 214        |

विषय सूची CONTENTS

| सारणी Table   | पृष्ठ Page |
|---|------------|
| (ग) कोयला खान भविष्य-निधि के अन्तर्गत प्रदान किये गए ऋण और अग्रिम धन<br>(c) Loans and Advances granted under Coal Mines Provident Fund Scheme | 215        |
| (घ) कोयला खान भविष्य-निधि योजना के अन्तर्गत धन वापसी के दावे<br>(d) Claims for Refunds under the Coal Mines Provident Fund Scheme             | 216        |
| (ङ) कोयला खान भविष्य-निधि योजना के अन्तर्गत आय एवं व्यय<br>(e) Income and Expenditure under the Coal Mines Provident Fund Scheme              | 217        |
| (च) पारिवारिक पेंशन निधि लाभ<br>(f) Family Pension Fund benefits  | 218        |
| व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-I) Explanatory Notes (Part I)  | 219        |
| व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग -II) Explanatory Notes Part II   | 230        |
| अनुबन्ध-क Annexure-A  | 243        |
| अनुबन्ध-ख Annexure-B  | 266        |

अ० एवं नि० द्वीप समूह  
अ० प्र०  
भ० सं० नि० लि०  
द० ठे० रा० श्र० शि० वि० बो०  
मू० श्र० आ० (के०)  
को० खा० भ० नि० आ०  
के० सां० का०  
द० एवं न० हवेली  
म० नि० रो०  
म० नि० प्र०  
म० नि० का० स० से० एवं श्र० सं०  
म० नि० श्र० क०  
म० नि० खा० सु०  
क० भ० नि० सं०  
क० रा० बी० नि०  
भा० स० बी० (सा० क्षेत्र) सं०  
हि० प्र०  
अ० श्र० स०  
अ० श्र० सं०  
ज० एवं क०  
जी० बी० नि०  
म० प्र०  
म० टे० नि० लि०  
रा० प्र० स० का०  
क० औ० व० न०  
रा० औ० व०  
भा० रि० बै०  
उ० प्र०

#### संक्षेपण

अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह  
आन्ध्र प्रदेश  
भारत संचार निगम लिमिटेड  
दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रम शिक्षा और विकास बोर्ड  
मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय)  
कोयला खान भविष्य-निधि आयुक्त  
केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय  
दादर एवं नगर हवेली  
महानिदेशक रोजगार  
महानिदेशक प्रशिक्षण  
महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान  
महानिदेशक, श्रम कल्याण  
महानिदेशक, खान सुरक्षा  
कर्मचारी भविष्य-निधि संगठन  
कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
भारतीय सामान्य बीमा (सार्वजनिक क्षेत्र) संघ  
हिमाचल प्रदेश  
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन  
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन  
जम्मू एवं कश्मीर  
जीवन बीमा निगम  
मध्य प्रदेश  
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड  
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय  
कहीं और वर्गीकृत नहीं  
राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण  
भारतीय रिजर्व बैंक  
उत्तर प्रदेश

## ABBREVIATIONS

|               |   |
|---------------|---|
| A & N Islands | Andaman and Nicobar Islands   |
| AP            | Andhra Pradesh  |
| BSNL          | Bharat Sanchar Nigam Limited  |
| DTNBWED       | Dattopant Thengadi National Board for Workers Education & Development |
| CLC(C)        | Chief Labour Commissioner (Central)                                   |
| CMPPFC        | Coal Mines Provident Fund Commissioner                                |
| CSO           | Central Statistical Office  |
| D & N Haveli  | Dadar & Nagar Haveli  |
| DGE           | Director General Employment   |
| DGT           | Director General Training   |
| DGFASLI       | Director General Factory Advice Service and Labour Institute          |
| DGLW          | Director General Labour Welfare                                       |
| DGMS          | Director General Mines Safety   |
| EPFO          | Employees Provident Fund Organisation                                 |
| ESIC          | Employees' State Insurance Corporation                                |
| GIPSAI        | General Insurance (Public Sector) Association of India                |
| HP            | Himachal Pradesh  |
| ILC           | International Labour Conference                                       |
| ILO           | International Labour Organisation                                     |
| LIC           | Life Insurance Corporation  |
| MP            | Madhya Pradesh  |
| MTNL          | Mahanagar Telephone Nigam Limited                                     |
| NSSO          | National Sample Survey Office   |
| NEC           | Not elsewhere classified  |
| NIC           | National Industrial Classification                                    |
| RBI           | Reserve Bank of India   |
| U P           | Uttar Pradesh   |

लघु पुस्तिका की सारणियों में प्रयुक्त संकेत  
SYMBOLS USED IN THE TABLES OF THE POCKET  
BOOK

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| -  | शून्य या नगण्य<br>Nil or negligible |
| .. | अनुपलब्ध<br>Not available           |
| *  | अनन्तिम<br>Provisional              |
| @  | 500 से कम<br>Less than 500          |
| £  | संशोधित<br>Revised                  |

---

पूर्ण करने की प्रक्रिया के कारण सम्भवतः सारणियों के आंकड़ों के योगफल न मिलते हों।

The totals of the figures in the tables may not necessarily tally due to rounding off

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण संकेतांक 2008 का विवरण अनुबन्ध में दिया गया है।

The description of the NIC Code 2008 is given in Annexure



भाग - I  
PART - I

## 1 नियोजन

## 1 EMPLOYMENT

## 1.1 (क) कारखानों में उद्योग समूह अनुसार नियोजन

## 1.1(a) Employment in Factories by Industry Groups

अनुमानित औसत दैनिक नियोजित कर्मकार

Estimated Average Daily Number of Workers Employed

(राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2008/National Industrial Classification 2008)

| कोड Code | 2013   | 2014   | कोड Code | 2013   | 2014   |
|----------|--------|--------|----------|--------|--------|
| 1        | 2      | 3      | 1        | 2      | 3      |
| 01       | 68807  | 94845  | 102      | 8015   | 13647  |
| 011      | 803    | 2024   | 103      | 22401  | 34911  |
| 012      | 547    | 453    | 104      | 66179  | 85563  |
| 014      | 679    | 840    | 105      | 40209  | 65151  |
| 015      | ..     | 26     | 106      | 209737 | 272520 |
| 016      | 66778  | 91502  | 107      | 157470 | 290690 |
| 02       | 311    | 371    | 108      | 9421   | 14826  |
| 021      | 14     | 34     | 11       | 50372  | 77649  |
| 023      | 277    | 337    | 110      | 50372  | 77649  |
| 024      | 20     | ..     | 12       | 23106  | 29560  |
| 05       | 3771   | 4730   | 120      | 23106  | 29560  |
| 051      | 3771   | 4718   | 13       | 261104 | 542386 |
| 052      | ..     | 12     | 131      | 203798 | 382308 |
| 06       | 100    | 218    | 139      | 57306  | 160078 |
| 061      | 100    | 218    | 14       | 94648  | 137351 |
| 07       | 1290   | 1588   | 141      | 89602  | 127876 |
| 071      | 1120   | 1220   | 142      | 1085   | 3217   |
| 072      | 170    | 368    | 143      | 3961   | 6258   |
| 08       | 11440  | 13432  | 15       | 41623  | 60357  |
| 081      | 10488  | 11738  | 151      | 13487  | 21430  |
| 089      | 952    | 1694   | 152      | 28035  | 38927  |
| 09       | 30     | 1195   | 16       | 72893  | 110781 |
| 091      | 30     | 75     | 161      | 39764  | 65716  |
| 099      | ..     | 1120   | 162      | 33129  | 45066  |
| 10       | 515737 | 786556 | 17       | 58891  | 119852 |
| 101      | 2305   | 9248   | 170      | 58782  | 119852 |

## 1 नियोजन

## 1 EMPLOYMENT

सारणी 1.1 (क)  
Table 1.1(a)

| 1   | 2      | 3      | 1   | 2      | 3      |
|-----|--------|--------|-----|--------|--------|
| 18  | 43266  | 86094  | 265 | 11132  | 24711  |
| 181 | 43252  | 85978  | 266 | 20197  | 17885  |
| 182 | 14     | 116    | 267 | 3338   | 5753   |
| 19  | 71119  | 95345  | 268 | 868    | 2441   |
| 191 | 38058  | 35141  | 27  | 104316 | 222307 |
| 192 | 33001  | 60204  | 271 | 33422  | 70588  |
| 20  | 143380 | 301733 | 272 | 5840   | 18166  |
| 201 | 72426  | 131377 | 273 | 33239  | 52970  |
| 202 | 69117  | 164800 | 274 | 6305   | 17826  |
| 203 | 1827   | 5546   | 275 | 11848  | 32875  |
| 21  | 112532 | 275514 | 279 | 13662  | 29882  |
| 210 | 112532 | 275514 | 28  | 165953 | 317259 |
| 22  | 126102 | 301139 | 281 | 106269 | 197191 |
| 221 | 42287  | 83314  | 282 | 59619  | 120068 |
| 222 | 83815  | 217825 | 29  | 85737  | 228620 |
| 23  | 499276 | 587171 | 291 | 34397  | 54838  |
| 231 | 20120  | 38433  | 292 | 8895   | 14581  |
| 239 | 479066 | 548738 | 293 | 42445  | 159201 |
| 24  | 443022 | 595582 | 30  | 74089  | 136331 |
| 241 | 294287 | 383090 | 301 | 18498  | 36554  |
| 242 | 53270  | 67703  | 302 | 25153  | 26646  |
| 243 | 95440  | 144789 | 303 | 2460   | 2514   |
| 25  | 226055 | 488624 | 304 | 14901  | 25966  |
| 251 | 63672  | 124068 | 309 | 13077  | 44651  |
| 252 | 6815   | 9202   | 31  | 16050  | 24249  |
| 259 | 155546 | 355354 | 310 | 15963  | 24249  |
| 26  | 61254  | 113572 | 32  | 29439  | 107505 |
| 261 | 12642  | 35883  | 321 | 12238  | 57768  |
| 262 | 3991   | 8972   | 322 | -      | 86     |
| 263 | 7065   | 10140  | 323 | 99     | 435    |
| 264 | 1291   | 7787   | 324 | 6809   | 7316   |

## 1 नियोजन

## 1 EMPLOYMENT

सारणी 1.1 (क)  
Table 1.1(a)

| 1   | 2      | 3      | 1   | 2     | 3      |
|-----|--------|--------|-----|-------|--------|
| 325 | 2344   | 11023  | 451 | 1850  | 10252  |
| 329 | 7949   | 30877  | 452 | 74349 | 148070 |
| 33  | 15209  | 51699  | 453 | 2526  | 3891   |
| 331 | 15157  | 51329  | 454 | 5809  | 7458   |
| 332 | 52     | 370    | 46  | 2161  | 9498   |
| 35  | 102435 | 167601 | 461 | 100   | 1494   |
| 351 | 94598  | 156084 | 462 | ..    | 129    |
| 352 | 2676   | 5933   | 463 | 371   | 592    |
| 353 | 5161   | 5584   | 464 | 276   | 1053   |
| 36  | 5857   | 10655  | 465 | ..    | 518    |
| 360 | 5808   | 10655  | 466 | 1262  | 5560   |
| 37  | 886    | 2261   | 469 | 152   | 152    |
| 370 | 886    | 2261   | 47  | 256   | 16796  |
| 38  | 5431   | 6458   | 471 | ..    | 128    |
| 381 | 91     | 202    | 472 | ..    | 140    |
| 382 | 799    | 988    | 473 | 256   | 15733  |
| 383 | 4541   | 5268   | 474 | ..    | 250    |
| 39  | ..     | 1090   | 475 | ..    | 270    |
| 390 | ..     | 1090   | 476 | ..    | 60     |
| 41  | 33     | 1833   | 477 | ..    | 215    |
| 410 | 33     | 1833   | 49  | 725   | 837    |
| 42  | 516    | 581    | 491 | 62    | 63     |
| 421 | 382    | 358    | 492 | 96    | 44     |
| 422 | 100    | 155    | 493 | 567   | 730    |
| 429 | 34     | 68     | 50  | 246   | 850    |
| 43  | 450    | 1506   | 502 | 232   | 850    |
| 431 | 56     | 91     | 51  | 15    | 1354   |
| 432 | 103    | 343    | 511 | ..    | 398    |
| 433 | 46     | 241    | 512 | 15    | 956    |
| 439 | 245    | 831    | 52  | 21240 | 34284  |
| 45  | 84534  | 169671 | 521 | 21189 | 28737  |

## 1 नियोजन

## 1 EMPLOYMENT

सारणी 1.1 (क)  
Table 1.1(a)

| 1   | 2    | 3    | 1   | 2    | 3    |
|-----|------|------|-----|------|------|
| 522 | 51   | 5547 | 712 | 88   | 978  |
| 55  | 1299 | 1275 | 72  | 4078 | 7663 |
| 551 | 1299 | 1275 | 721 | 3973 | 6707 |
| 56  | 76   | 144  | 722 | 105  | 956  |
| 561 | 36   | 36   | 73  | 52   | 52   |
| 562 | 40   | 108  | 731 | 52   | 52   |
| 58  | 1197 | 3460 | 74  | 113  | 443  |
| 581 | 1099 | 3447 | 741 | 8    | 8    |
| 582 | 98   | 13   | 742 | 58   | 435  |
| 59  | 884  | 836  | 749 | 47   | ..   |
| 591 | 636  | 795  | 75  | 10   | 10   |
| 592 | 248  | 41   | 750 | 10   | 10   |
| 60  | ..   | 50   | 77  | ..   | 11   |
| 601 | ..   | 50   | 773 | ..   | 11   |
| 61  | ..   | 251  | 80  | ..   | 20   |
| 611 | ..   | 16   | 801 | ..   | 20   |
| 612 | ..   | 185  | 81  | ..   | 185  |
| 619 | ..   | 50   | 813 | ..   | 185  |
| 62  | 307  | 832  | 82  | 1098 | 2603 |
| 620 | 307  | 832  | 829 | 1098 | 2603 |
| 63  | 200  | 160  | 84  | ..   | 317  |
| 631 | 100  | 160  | 841 | ..   | 259  |
| 66  | ..   | 27   | 842 | ..   | 58   |
| 661 | ..   | 27   | 85  | ..   | 71   |
| 69  | 70   | 67   | 852 | ..   | 71   |
| 692 | 70   | 67   | 853 | ..   | -    |
| 70  | ..   | 173  | 86  | 81   | 349  |
| 701 | ..   | 123  | 861 | 24   | 24   |
| 702 | ..   | 50   | 862 | 12   | 50   |
| 71  | 88   | 1212 | 869 | 45   | 275  |
| 711 | ..   | 234  | 87  | 9    | 61   |

## 1 नियोजन

## 1 EMPLOYMENT

सारणी 1.1 (क)  
Table 1.1(a)

| 1                | 2              | 3              |
|------------------|----------------|----------------|
| 872              | 9              | 11             |
| 879              |                | 50             |
| 90               | 20             | 58             |
| 900              | 20             | 58             |
| 92               | 3              | ..             |
| 920              | 3              | ..             |
| 93               | 688            | 1031           |
| 931              |                | 1031           |
| 932              | 688            | ..             |
| 95               | 2253           | 5339           |
| 951              | 113            | 1413           |
| 952              | 2140           | 3926           |
| 96               | 824            | 1361           |
| 960              | 750            | 1287           |
| 98               | ..             | 54             |
| 982              | ..             | 54             |
| 99               | 80             | 22             |
| 990              | 80             | 22             |
| <b>योग Total</b> | <b>3659137</b> | <b>6367027</b> |

स्रोत : श्रम ब्यूरो (कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघीय क्षेत्रों से प्राप्त विवरणियाँ)

Source: Labour Bureau(Returns received from different States / UTs under Factories Act, 1948)

टिप्पण: 1. योग उद्योग संकेतांक के दो अंक स्तर पर आधारित हैं।

Note:1. The totals are based on 2 digit level of industry codes

2. उद्योग संकेतों का विवरण कृपया अनुबन्ध-क में देखें।

2. For details of Industry Codes please see Annexure-A

3. आंकड़े राज्यों/संघीय क्षेत्रों से प्राप्त विवरणियों पर आधारित हैं।

3. Data based on the returns received from States/U.Ts

1.1(ख) राज्यवार पंजीकृत कारखानों, चालू कारखानों, विवरणियां भेजने वाले कारखानों और नियोजित कर्मकारों की संख्या

1.1(b) State-wise Number of Registered Factories, Working Factories, Factories submitting returns and Workers Employed (अनुमानित) (Estimated)

| राज्य/<br>संघ<br>राज्य<br>क्षेत्र | कारखानों की संख्या<br>Number of Factories               |   |  |  | State/Union<br>Territory |
|-----------------------------------|---|---|--|--|--------------------------|
|                                   | पंजीकृत<br>कारखाने<br>Regis-<br>tered<br>Facto-<br>ries | चालू<br>कारखाने<br>Working<br>Factories | विवरणियां<br>भेजने<br>वाले<br>Sub-<br>mitting<br>returns | नियोजित<br>कर्मकार<br>Workers<br>employ-<br>yed<br>(000's) |                          |
| 1                                 | 2   | 3                                       | 4  | 5  | 1                        |
| <b>2013</b>                       |   |   |  |  |                          |
| आंध्र प्रदेश                      | 26494   | 21129                                   | 7393   | 345  | Andhra Pradesh           |
| असम                               | 5233  | 4093                                    | 358  | 39   | Assam                    |
| बिहार                             | 9548  | 9318                                    | 123  | 16   | Bihar                    |
| चण्डीगढ़                          | 425   | 425                                     | 158  | 8  | Chandigarh               |
| छत्तीसगढ़                         | 3437  | 3437                                    | 360  | 115  | Chhattisgarh             |
| गोवा                              | 705   | 704                                     | 583  | 65   | Goa                      |
| हरियाणा                           | 11271   | 11271                                   | 1034   | 204  | Haryana                  |
| झारखण्ड                           | 6651  | 5674                                    | 73   | 39   | Jharkhand                |
| मेघालय                            | 152   | 152                                     | 24   | 3  | Meghalaya                |

## 1 नियोजन

## 1 EMPLOYMENT

सारणी 1.1 (ख)  
Table 1.1(b)

| 1          | 2             | 3            | 4            | 5           | 1            |
|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| पुडुचेरी   | 2902          | 2035         | 254          | 27          | Puducherry   |
| राजस्थान   | 12932         | 12932        | 1892         | 167         | Rajasthan    |
| तेलंगाना   | 19649         | 14790        | 5008         | 267         | Telangana    |
| त्रिपुरा   | 1533          | 1533         | 404          | 16          | Tripura      |
| <b>योग</b> | <b>100932</b> | <b>87493</b> | <b>17664</b> | <b>1312</b> | <b>Total</b> |

**2014**

|               |       |       |       |      |                  |
|---------------|-------|-------|-------|------|------------------|
| आंध्र प्रदेश  | 26936 | 21145 | 7775  | 353  | Andhra Pradesh   |
| असम           | 5537  | 4412  | 435   | 45   | Assam            |
| बिहार         | 10055 | 9825  | 60    | 5    | Bihar            |
| छत्तीसगढ़     | 3699  | 3699  | 340   | 129  | Chhattisgarh     |
| गोवा          | 734   | 733   | 553   | 65   | Goa              |
| हरियाणा       | 11332 | 11332 | 958   | 186  | Haryana          |
| हिमाचल प्रदेश | 4850  | 4846  | 1574  | 147  | Himachal Pradesh |
| झारखण्ड       | 6857  | 5680  | 53    | 51   | Jharkhand        |
| महाराष्ट्र    | 38984 | 36878 | 19644 | 1401 | Maharashtra      |



## 1 नियोजन

## 1 EMPLOYMENT

सारणी 1.1 (ख)  
Table 1.1(b)

| 1                                | 2             | 3             | 4            | 5           | 1                                |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------------------------------|
| मेघालय                           | 160           | 160           | 20           | 3           | Meghalaya                        |
| नागालैंड                         | 698           | 698           | 4            | 1           | Nagaland                         |
| पुडुचेरी                         | 2950          | 1982          | 193          | 25          | Puducherry                       |
| राजस्थान                         | 13268         | 12906         | 1891         | 167         | Rajasthan                        |
| तेलंगाना                         | 18915         | 14901         | 5197         | 299         | Telangana                        |
| त्रिपुरा                         | 1581          | 1581          | 315          | 11          | Tripura                          |
| अ० नि० द्वीप समूह                | 52            | 52            | 36           | 5           | A & N Islands                    |
| चण्डीगढ़                         | 425           | 425           | 101          | 5           | Chandigarh                       |
| दादर एवं नगर हवेली व दमन एवं दीव | 6059          | 4716          | 378          | 127         | D & Nagar Haveli and Daman & Diu |
| <b>योग</b>                       | <b>153092</b> | <b>135971</b> | <b>39527</b> | <b>3026</b> | <b>Total</b>                     |

स्रोत : श्रम ब्यूरो (कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघीय क्षेत्रों से प्राप्त विवरणियाँ)  
Source: Labour Bureau (Returns received from different States / UTs under Factories Act, 1948)

टिप्पण: 1. चार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों यथा अरुणाचल प्रदेश, लक्षदीप, मिजोरम एवं सिक्किम में कारखाना अधिनियम, 1948 लागू नहीं है।

Note : 1. The Factory Act 1948, is not implemented in four States/Union Territories namely Arunachal Pradesh, Lakshadweep, Mizoram & Sikkim .

2. शेष रह गए राज्यों/संघीय क्षेत्रों से आंकड़ें प्राप्त नहीं हुए हैं।

2. Data not received from rest of the States /Union Territories

## 1 नियोजन

## 1 EMPLOYMENT

1.1(ग) विवरणियां भेजने वाले कारखानों में औसत दैनिक नियोजन  
आयु एवं लिंग अनुसार

**1.1(c) Average Daily Employment in Factories Submitting  
Returns By Age and Sex**

| राज्य/ संघ<br>राज्य क्षेत्र | औसत दैनिक नियोजन<br>Average Daily Employment |                  |                     |                  |                  |                   |              | States / Union<br>Territory |
|-----------------------------|--|------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|
|                             | वयस्क<br>Adult                               |                  | किशोर<br>Adolescent |                  | बालक<br>Children |                   |              |                             |
|                             | पुरुष<br>Male                                | स्त्री<br>Female | पुरुष<br>Male       | स्त्री<br>Female | लड़के<br>Boys    | लड़कियां<br>Girls | योग<br>Total |                             |
| 1                           | 2  | 3                | 4                   | 5                | 6                | 7                 | 8            | 1                           |

**2013**

|              |        |       |    |    |   |   |   |        |                |
|--------------|--------|-------|----|----|---|---|---|--------|----------------|
| आंध्र प्रदेश | 286951 | 58280 | -  | -  | - | - | - | 345231 | Andhra Pradesh |
| असम          | 34665  | 4636  | 66 | 79 | - | - | - | 39446  | Assam          |
| बिहार        | 15470  | 306   | -  | -  | - | - | - | 15776  | Bihar          |
| चण्डीगढ़     | 7064   | 450   | -  | -  | - | - | - | 7514   | Chandigarh     |
| छत्तीसगढ़    | 112457 | 2938  | -  | -  | - | - | - | 115395 | Chhattisgarh   |
| गोवा         | 53928  | 11135 | -  | -  | - | - | - | 65063  | Goa            |
| हरियाणा      | 191125 | 12771 | -  | -  | - | - | - | 203896 | Haryana        |
| झारखण्ड      | 37208  | 1576  | -  | -  | - | - | - | 38784  | Jharkhand      |
| मेघालय       | 3032   | 419   | -  | -  | - | - | - | 3451   | Meghalaya      |
| पुडुचेरी     | 21605  | 5487  | -  | -  | - | - | - | 27092  | Puducherry     |
| राजस्थान     | 160404 | 6949  | -  | -  | - | - | - | 167353 | Rajasthan      |
| तेलंगाना     | 234147 | 32896 | -  | -  | - | - | - | 267043 | Telangana      |

## 1 नियोजन

## 1 EMPLOYMENT

सारणी 1.1 (ग)  
Table 1.1(c)

| 1        | 2       | 3      | 4  | 5  | 6 | 7 | 8       | 1       |
|----------|---------|--------|----|----|---|---|---------|---------|
| त्रिपुरा | 12714   | 3668   | -  | -  | - | - | 16382   | Tripura |
| योग      | 1170770 | 141511 | 66 | 79 | - | - | 1312426 | Total   |

**2014**

|               |         |       |      |    |   |   |         |                  |
|---------------|---------|-------|------|----|---|---|---------|------------------|
| आंध्र प्रदेश  | 292300  | 60973 | -    | -  | - | - | 353273  | Andhra Pradesh   |
| असम           | 40425   | 4448  | 76   | 89 | - | - | 45038   | Assam            |
| बिहार         | 5386    | 37    | -    | -  | - | - | 5423    | Bihar            |
| छत्तीसगढ़     | 126134  | 3075  | -    | -  | - | - | 129209  | Chhattisgarh     |
| गोवा          | 53812   | 11518 | -    | -  | - | - | 65330   | Goa              |
| हरियाणा       | 173625  | 12057 | -    | -  | - | - | 185682  | Haryana          |
| हिमाचल प्रदेश | 136381  | 10466 | -    | -  | - | - | 146847  | Himachal Pradesh |
| झारखण्ड       | 49298   | 1904  | -    | -  | - | - | 51202   | Jharkhand        |
| महाराष्ट्र    | 1301775 | 97719 | 1684 | 75 | - | - | 1401253 | Maharashtra      |
| मेघालय        | 2951    | 537   | -    | -  | - | - | 3488    | Meghalaya        |
| नागालैंड      | 620     | 150   | -    | -  | - | - | 770     | Nagaland         |
| पुडुचेरी      | 20020   | 4824  | -    | -  | - | - | 24844   | Puducherry       |
| राजस्थान      | 160382  | 6968  | -    | -  | - | - | 167350  | Rajasthan        |

## 1 नियोजन

## 1 EMPLOYMENT

सारणी 1.1 (ग)  
Table 1.1(c)

| 1   | 2       | 3      | 4    | 5   | 6 | 7 | 8       | 1   |
|---|---------|--------|------|-----|---|---|---------|---|
| तेलंगाना                                  | 261506  | 37228  | -    | -   | - | - | 298734  | Telangana                                 |
| त्रिपुरा                                  | 8444    | 2871   | -    | -   | - | - | 11315   | Tripura                                   |
| अ० नि०<br>द्वीप समूह                      | 4314    | 260    | -    | -   | - | - | 4574    | A & N<br>Islands                          |
| चण्डीगढ़                                  | 4539    | 317    | -    | -   | - | - | 4856    | Chandigarh                                |
| दादर एवं<br>नगर हवेली<br>व दमन<br>एवं दीव | 84862   | 41798  | -    | -   | - | - | 126600  | D & Nagar<br>Haveli and<br>Daman &<br>Diu |
| योग                                       | 2726774 | 297150 | 1760 | 164 | - | - | 3025848 | Total                                     |

स्रोत : श्रम ब्यूरो (कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघीय क्षेत्रों से प्राप्त विवरणियाँ)  
Source: Labour Bureau (Returns received from different States / U.Ts under  
Factories Act, 1948)

टिप्पण: 1 चार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों यथा अरुणाचल प्रदेश, लक्षदीप, मिजोरम एवं सिक्किम में कारखाना अधिनियम, 1948 लागू नहीं है।  
Note: 1 The Factory Act 1948, is not implemented in four States/Union Territories namely Arunachal Pradesh, Lakshadweep, Mizoram and Sikkim.  
2 शेष रह गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आंकड़ें प्राप्त नहीं हुए हैं।  
2 Data not received from rest of the States /Union Territories.

## 1.2 मुख्य बागानों में नियोजित कर्मचारों की औसत संख्या

Table 1.2 Average Number of Workers Employed in Major Plantations ('000 में) (in 000's)

| वर्ष / राज्य | चाय<br>Tea | कॉफी<br>Coffee | रबड़<br>Rubber | Year/State |
|--------------|------------|----------------|----------------|------------|
| 1            | 2          | 3              | 4              | 1          |
| 2007         | 610        | 19             | 18             | 2007       |
| 2008         | 714        | 22             | 17             | 2008       |
| 2009         | 720        | 20             | 20             | 2009       |
| 2010         | 630        | 13             | 15             | 2010       |
| 2011         | 697        | 17             | 18             | 2011       |
| 2012         | 634        | 16             | 16             | 2012       |
| 2013         | 846        | 17             | 15             | 2013       |
| 2014         | 719        | 13             | 16             | 2014       |
| 2015         | 711        | 13             | 15             | 2015       |

**2014**

|                       |       |     |     |                  |
|-----------------------|-------|-----|-----|------------------|
| असम                   | 532.8 | -   | -   | Assam            |
| हिमाचल प्रदेश         | 0.1   | -   | -   | Himachal Pradesh |
| कर्नाटक               | 0.9   | 7.1 | 1.4 | Karnataka        |
| केरल                  | 24.4  | 0.6 | 9.1 | Kerala           |
| तमिल नाडु             | 39.8  | 5.5 | 2.9 | Tamil Nadu       |
| त्रिपुरा              | 7.6   | -   | 2.2 | Tripura          |
| उत्तराखण्ड            | 1.8   | -   | -   | Uttarakhand      |
| पश्चिम बंगाल          | 111.2 | -   | -   | West Bengal      |
| अ० एवं नि० द्वीप समूह | -     | -   | 0.4 | A & N Islands    |

सारणी 1.2  
Table 1.2

| 1                     | 2     | 3   | 4   | 1                |
|-----------------------|-------|-----|-----|------------------|
| <b>2015</b>           |       |     |     |                  |
| असम                   | 542.2 | -   | -   | Assam            |
| हिमाचल प्रदेश         | 0.1   | -   | -   | Himachal Pradesh |
| कर्नाटक               | 0.8   | 6.6 | 1.4 | Karnataka        |
| केरल                  | 17.5  | 0.9 | 8.2 | Kerala           |
| तमिल नाडु             | 40.1  | 5.8 | 2.9 | Tamil Nadu       |
| तेलंगाना              | -     | -   | -   | Telangana        |
| त्रिपुरा              | 8.5   | -   | 2.3 | Tripura          |
| उत्तराखण्ड            | 2.1   | -   | -   | Uttarakhand      |
| पश्चिम बंगाल          | 99.8  | -   | -   | West Bengal      |
| अ० एवं नि० द्वीप समूह | -     | -   | 0.4 | A & N Islands    |

स्रोत: श्रम ब्यूरो (बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों से प्राप्त विवरणियाँ)

Source : Labour Bureau (Returns received from different States/ UTs under Plantations Labour Act, 1951)

## 1.3 विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत नियोजन

Table 1.3 Employment covered under various Acts

| अधिनियम का नाम                            | इकाइयों की संख्या<br>No. of units | विवरणियां भेजने वाली इकाइयां<br>Units submitting returns | औसत नियोजन<br>Average employment | Name of the Act                                   |
|---|-----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| 1   | 2                                 | 3  | 4                                | 1   |
| <b>2014</b>                               |                                   |  |                                  |   |
| बागान श्रम अधिनियम 1951                   | 3811                              | 1816   | 755839                           | Plantations Labour Act, 1951                      |
| मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961               | 149231                            | 27560  | 799142                           | Maternity Benefit Act, 1961                       |
| मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961          | 132407                            | 25250  | 782862                           | Motor Transport Workers Act, 1961                 |
| कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923         | 75491                             | 11237  | 4156885                          | Employee's Compensation Act, 1923                 |
| औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम 1946 | 75743                             | 26766  | 4554179                          | Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 |
| दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम    | ..                                | 7896718  | 17084166                         | Shops & Commercial Establishments Act             |

## 1 नियोजन

## 1 EMPLOYMENT

सारणी 1.3

Table 1.3

| 1  | 2      | 3       | 4        | 1   |
|--|--------|---------|----------|---|
| <b>2015</b>                                |        |         |          |   |
| बागान श्रम अधिनियम 1951                    | 3814   | 1765    | 745057   | Plantations Labour Act, 1951                      |
| मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961                | 88310  | 26558   | 969259   | Maternity Benefit Act, 1961                       |
| मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961           | 121370 | 20643   | 712720   | Motor Transport Workers Act, 1961                 |
| कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923          | 70694  | 7998    | 4118630  | Employee's Compensation Act, 1923                 |
| औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946 | 90842  | 27786   | 4620267  | Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 |
| दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम     | ..     | 8054121 | 21985708 | Shops & Commercial Establishments Act             |

स्रोत: श्रम ब्यूरो (विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत राज्यों/संघ क्षेत्रों से प्राप्त विवरणियां)  
Source : Labour Bureau (Returns received under different Acts from States/ UTs )

टिप्पणी : आंकड़े केवल उन राज्यों/संघ क्षेत्रों से संबन्धित हैं जिन्होंने विवरणियां भेजी हैं।  
Note : Data relate to only those States/UTs which have submitted the returns.



## 1 नियोजन

## 1 EMPLOYMENT

1.4-यू पी एस विधि पर आधारित 15 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के लिये श्रम शक्ति भागीदारी दर, कर्मकार जनसंख्या अनुपात एवं बेरोजगारी दर (प्रतिशत प्रति 1000 व्यक्ति)

1.4- Labour Force Participation Rate, Worker Population Ratio and Unemployment Rate based on UPS approach for persons aged 15 years and above ( percent per 1000 persons)

| रोजगार बेरोजगार सर्वेक्षण Employment Unemployment Survey                    |  |                                       |                                       |   |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
|   | दूसरा दौर<br>Second Round<br>(2011-12) | तीसरा दौर<br>Third Round<br>(2012-13) | चौथा दौर<br>Fourth Round<br>(2013-14) | पांचवां दौर<br>Fifth Round<br>(2015-16) |
| 1   | 2                                      | 3                                     | 4                                     | 5                                       |
| श्रम शक्ति भागीदारी दर Labour Force Participation Rate<br>(ग्रामीण) (Rural) |  |                                       |                                       |   |
| पु M  | 78.8                                   | 78.0                                  | 74.7                                  | 77.3                                    |
| म F   | 28.0                                   | 24.8                                  | 29.1                                  | 26.7                                    |
| कि T  | -                                      | -                                     | -                                     | 51.1                                    |
| च P   | 54.8                                   | 52.8                                  | 54.7                                  | 53.0                                    |
| (शहरी) (Urban)  |  |                                       |                                       |   |
| पु M  | 73.3                                   | 73.0                                  | 73.8                                  | 69.1                                    |
| म F   | 17.9                                   | 16.9                                  | 18.5                                  | 16.2                                    |
| कि T  | -                                      | -                                     | -                                     | 41.2                                    |
| च P   | 47.2                                   | 46.1                                  | 47.2                                  | 43.5                                    |
| (ग्रामीण + शहरी) (Rural + Urban)  |  |                                       |                                       |   |
| पु M  | 77.4                                   | 76.6                                  | 74.4                                  | 75.0                                    |
| म F   | 25.4                                   | 22.6                                  | 25.8                                  | 23.7                                    |
| कि T  | -                                      | -                                     | -                                     | 48.0                                    |
| च P   | 52.9                                   | 50.9                                  | 52.5                                  | 50.3                                    |

सारणी 1.4  
TABLE 1.4

| 1   | 2    | 3    | 4    | 5    |
|---|------|------|------|------|
| कर्मकार जनसंख्या अनुपात<br>Worker Population Ratio<br>(ग्रामीण) (Rural) |      |      |      |      |
| पु M  | 76.6 | 74.9 | 71.6 | 74.1 |
| म F   | 26.5 | 23.4 | 27.2 | 24.6 |
| कि T  | -    | -    | -    | 50.0 |
| व P   | 52.9 | 50.5 | 52.1 | 50.4 |
| (शहरी Urban)  |      |      |      |      |
| पु M  | 70.9 | 69.9 | 70.9 | 66.8 |
| म F   | 15.7 | 14.7 | 16.2 | 14.3 |
| कि T  | -    | -    | -    | 36.9 |
| व P   | 44.9 | 43.5 | 44.6 | 41.4 |
| (ग्रामीण + शहरी Rural + Urban)  |      |      |      |      |
| पु M  | 75.1 | 73.5 | 71.4 | 72.1 |
| म F   | 23.6 | 20.9 | 23.8 | 21.7 |
| कि T  | -    | -    | -    | 45.9 |
| व P   | 50.8 | 48.5 | 49.9 | 47.8 |

सारणी 1.4  
TABLE 1.4

| 1  | 2    | 3    | 4    | 5    |
|--|------|------|------|------|
| बेरोजगारी दर<br>Unemployment Rate<br>(ग्रामीण) (Rural) |      |      |      |      |
| पु M   | 2.7  | 4.0  | 4.2  | 4.2  |
| म F  | 5.6  | 5.8  | 6.4  | 7.8  |
| कि T   | -    | -    | -    | 2.1  |
| व P  | 3.4  | 4.4  | 4.7  | 5.1  |
| शहरी Urban   |      |      |      |      |
| पु M   | 3.4  | 4.2  | 3.9  | 3.3  |
| म F  | 12.5 | 12.8 | 12.4 | 12.1 |
| कि T   | -    | -    | -    | 10.3 |
| व P  | 5.0  | 5.7  | 5.5  | 4.9  |
| (ग्रामीण + शहरी Rural + Urban)                         |      |      |      |      |
| पु M   | 2.9  | 4.0  | 4.1  | 4.0  |
| म F  | 6.9  | 7.2  | 7.7  | 8.7  |
| कि T   | -    | -    | -    | 4.3  |
| व P  | 3.8  | 4.7  | 4.9  | 5.0  |

स्रोत : श्रम ब्यूरो (रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण)

Source : Labour Bureau (Employment - Unemployment Survey)

पु = पुरुष  
M = Male

म = महिला  
F = Female

कि = किन्नर  
T = Transgender

व = व्यक्ति  
P = Person

## 1 नियोजन

## 1 EMPLOYMENT

सारणी 1.5-क्षेत्रवार नियोजन में बदलाव  
{स्तर अनुमान(पहला दौर)एवं नियोजन में बदलाव अनुमान(दूसरे से सातवें दौर)}  
TABLE 1.5- Sector wise change of employment  
{Level Estimates(1<sup>st</sup> round)} and change estimates of  
employment (2<sup>nd</sup> to 7<sup>th</sup> round)}  
( लाखों में )(in lakhs)

| क्षेत्र<br>Sector                                  | अनुमानित स्तर<br>Level estimates |                           | अनुमान में बदलाव<br>Change Estimates |                            |   |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|
|  | 1-4-2016 को                      | 1-7-2016 over<br>1-4-2016 | 1-10-2016 over<br>1-7-2016           | 1-1-2017 over<br>1-10-2016 |   |
|  | 1                                | 2                         | 3                                    | 4                          | 5 |
| बिनिर्माण<br>Manufacturing                         | 101.17                           | -0.12                     | 0.24                                 | 0.83                       |   |
| निर्माण<br>Construction                            | 3.67                             | -0.23                     | -0.01                                | -0.01                      |   |
| व्यापार<br>Trade                                   | 14.45                            | 0.26                      | -0.07                                | 0.07                       |   |
| परिवहन<br>Transport                                | 5.8                              | 0.17                      | 0.00                                 | 0.01                       |   |
| आवास एवं रेस्तरां<br>Accommodation &<br>Restaurant | 7.74                             | 0.01                      | -0.08                                | 0.00                       |   |
| आई टी/बी पी ओ<br>IT/BPO                            | 10.36                            | -0.16                     | 0.26                                 | 0.12                       |   |
| शिक्षा<br>Education                                | 49.98                            | 0.51                      | -0.02                                | 0.18                       |   |
| स्वास्थ्य<br>Health                                | 12.05                            | 0.33                      | 0.00                                 | 0.02                       |   |
| <b>जोड़ Total</b>                                  | <b>205.22</b>                    | <b>0.77</b>               | <b>0.32</b>                          | <b>1.22</b>                |   |

## 1 नियोजन

## 1 EMPLOYMENT

सारणी 1.5

TABLE 1.5

| क्षेत्र<br>Sector                                  | अनुमानित स्तर<br>Level estimates |                           | अनुमान में बदलाव<br>Change Estimates |                            |   |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|
|  | 1-4-2016 को                      | 1-4-2017 over<br>1-1-2017 | 1-7-2017 over<br>1-4-2017            | 1-10-2017 over<br>1-7-2017 |   |
|  | 1                                | 2                         | 6                                    | 7                          | 8 |
| बिनिर्माण<br>Manufacturing                         | 101.17                           | 1.02                      | -0.87                                | 0.89                       |   |
| निर्माण<br>Construction                            | 3.67                             | 0.02                      | 0.10                                 | -0.22                      |   |
| व्यापार<br>Trade                                   | 14.45                            | 0.29                      | 0.07                                 | 0.14                       |   |
| परिवहन<br>Transport                                | 5.8                              | 0.03                      | -0.03                                | 0.20                       |   |
| आवास एवं रेस्तरां<br>Accommodation &<br>Restaurant | 7.74                             | 0.03                      | 0.05                                 | 0.02                       |   |
| आई टी/बी पी ओ<br>IT/BPO                            | 10.36                            | 0.13                      | 0.02                                 | 0.01                       |   |
| शिक्षा<br>Education                                | 49.98                            | 0.02                      | 0.99                                 | 0.21                       |   |
| स्वास्थ्य<br>Health                                | 12.05                            | 0.31                      | 0.31                                 | 0.11                       |   |
| <b>जोड़ Total</b>                                  | <b>205.22</b>                    | <b>1.85</b>               | <b>0.64</b>                          | <b>1.36</b>                |   |

स्रोत : श्रम ब्यूरो (त्वरित रोजगार सर्वेक्षण)

Source : Labour Bureau (Quick Employment Survey)

2.1 विनिर्माणकारी उद्योगों में नियोजित कर्मकारों का औसत वार्षिक उपाजन  
2.1 Average Annual Earnings of Workers Employed in Manufacturing Industries

|  | 2013   | 2014   |   |
|--|--------|--------|---|
| कर्मचारियों की संख्या<br>(000 में)         | 482    | 624    | Number of employees<br>(in 000's)           |
| कुल मजदूरी बिल<br>(रुपये लाख में)          | 469313 | 667167 | Total Wage Bill<br>(Rs in lakh)             |
| प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक<br>उपाजन (रुपये) | 97281  | 106853 | Per Capita Average Annual<br>Earnings (Rs.) |

स्रोत : श्रम ब्यूरो (मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणियाँ)  
Source Labour Bureau (Annual Return under the Payment of wages Act, 1936)

1 केन्द्रीय श्रमआयुक्त कार्यालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चण्डीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दिल्ली, लक्षद्वीप व पुडुचेरी से वर्ष 2013 के लिए प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

1 The returns were not received from Central Labour Commissioner, Arunachal Pradesh, Assam, Chhattisgarh, Gujarat, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland, Punjab, Sikkim, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal, Chandigarh, D&N Haveli, Delhi, Lakshadweep and Pudducherry for the year 2013

2 केन्द्रीय श्रम आयुक्त, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर एवं नगर हवेली, दिल्ली, लक्षद्वीप व पुडुचेरी से वर्ष 2014 के लिए प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

2 The returns were not received from Central Labour Commissioner, Arunachal Pradesh, Gujarat, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland, Punjab, Sikkim, Uttarakhand, Uttar Pradesh, West Bengal, , D&N Haveli, Delhi, Lakshadweep and Puducherry for the year 2014

2.2 विनिर्माणकारी उद्योगों में नियोजित कर्मकारों का औसत वार्षिक  
उपार्जन (उद्योगानुसार)2.2 Average Annual Earnings of Workers Employed in  
Manufacturing Industries (By Industry)

(रुपयों में) (in rupees)

| रा०औ०व० 2008 NIC-2008 |        |        |
|-----------------------|--------|--------|
| कोड सं०<br>Code No.   | 2013   | 2014   |
| 1                     | 2      | 3      |
| 10                    | 90320  | 115460 |
| 11                    | 85031  | 104228 |
| 12                    | 64755  | 105904 |
| 13                    | 71109  | 86736  |
| 14                    | 90433  | 110899 |
| 15                    | 81875  | 104740 |
| 16                    | 86353  | 110554 |
| 17                    | 183249 | 108501 |
| 18                    | 101906 | 94436  |
| 19                    | 71773  | 107040 |
| 20                    | 88757  | 105414 |
| 21                    | 102429 | 92149  |
| 22                    | 107719 | 101082 |

## 2 मजदूरी एवं उपार्जन

## 2 WAGES AND EARNINGS

सारणी 2.2  
Table 2.2

| 1  | 2            | 3             |
|--|--------------|---------------|
| 23   | 117841       | 107489        |
| 24   | 96455        | 101746        |
| 25   | 100352       | 118191        |
| 26   | 91931        | 96557         |
| 27   | 104157       | 104548        |
| 28   | 106119       | 135773        |
| 29   | 109897       | 117954        |
| 30   | 148563       | 138925        |
| 31   | 100643       | 102703        |
| 32   | 80274        | 82829         |
| <b>समस्त उद्योग</b><br><b>All Industries</b> | <b>97281</b> | <b>106853</b> |

स्रोत : श्रम ब्यूरो (मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणियाँ)  
*Source Labour Bureau (Annual Return under the Payment of wages Act, 1936)*  
 टिप्पण: मजदूरी की अधिकतम सीमा रु 10000 से रु 18000 प्रति माह 11 सितम्बर, 2012 से बढ़ा दी गई थी।  
 Note : Wage ceiling was enhanced from Rs 10000/- to Rs 18000 p.m. from 11<sup>th</sup> September, 2012.  
 उद्योग संकेतों का विवरण कृपया अनुबन्ध-क में देखें।  
 For details of Industry Codes please see Annexure-A.



**2.3 अकुशल श्रमिकों हेतु प्रति दिवस न्यूनतम एवं अधिकतम मजदूरी**  
(31 दिसम्बर को)

**2.3 Minimum and Maximum Wages per day for unskilled workers (as on 31<sup>st</sup> December)**

| केन्द्रीय सरकार/राज्य क्षेत्र | अनुसूचित संख्या जिन हेतु मजदूरी निर्धारित / संशोधित की गई | रोजगारों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित / संशोधित की गई | न्यूनतम एवं अधिकतम मजदूरी प्रति दिन (रुपयों में)<br>Minimum and Maximum Wages Per day (in Rs.)<br>MIN MAX |   | Central Government/ State/ Union Territory |
|-------------------------------|---|--|---|---|--|
| 1                             | 2   | 3  | 4   | 1 |  |

**2013**

|                       |     |        |        |                   |
|-----------------------|-----|--------|--------|-------------------|
| मु०श्र०आ० (केन्द्रीय) | 45  | 165.26 | 377.00 | CLC (Central)     |
| आन्ध्र प्रदेश         | 73  | 69.27  | 335.31 | Andhra Pradesh    |
| अरुणाचल प्रदेश        | 30  | 80.00  | 80.00  | Arunachal Pradesh |
| असम                   | 105 | 72.00  | 160.00 | Assam             |
| बिहार                 | 88  | 163.00 | 176.00 | Bihar             |
| छत्तीसगढ़             | 46  | 198.57 | 200.07 | Chhattisgarh      |
| गोवा                  | 21  | 150.00 | 150.00 | Goa               |
| गुजरात                | 54  | 100.00 | 248.00 | Gujarat           |
| हरियाणा               | 50  | 205.44 | 205.44 | Haryana           |
| हिमाचल प्रदेश         | 12  | 150.00 | 150.00 | Himachal Pradesh  |
| जम्मू एवं कश्मीर      | 28  | 150.00 | 150.00 | Jammu & Kashmir   |
| झारखण्ड               | 88  | 167.17 | 167.17 | Jharkhand         |
| कर्नाटक               | 79  | 196.65 | 314.93 | Karnataka         |

सारणी 2.3  
Table 2.3

| 1                   | 2  | 3      | 4      | 1              |
|---------------------|----|--------|--------|----------------|
| केरल                | 73 | 150.00 | 532.50 | Kerala         |
| मध्य प्रदेश         | 38 | 148.00 | 212.00 | Madhya Pradesh |
| महाराष्ट्र          | 67 | 100.00 | 368.00 | Maharashtra    |
| मेघालय              | 28 | 100.00 | 100.00 | Meghalaya      |
| मणिपुर              | 15 | 122.10 | 122.10 | Manipur        |
| मिजोरम              | 1  | 220.00 | 220.00 | Mizoram        |
| नागालैंड            | 54 | 115.00 | 115.00 | Nagaland       |
| ओड़िशा              | 84 | 126.00 | 150.00 | Odisha         |
| पंजाब               | 71 | 240.64 | 250.64 | Punjab         |
| राजस्थान            | 62 | 120.54 | 222.39 | Rajasthan      |
| सिक्किम             | 26 | 200.00 | 200.00 | Sikkim         |
| तमिलनाडू            | 73 | 85.00  | 389.85 | Tamil Nadu     |
| त्रिपुरा +          | 22 | 61.39  | 218.65 | Tripura+       |
| उत्तराखण्ड          | 58 | 144.05 | 231.35 | Uttarakhand    |
| उत्तर प्रदेश        | 64 | 142.00 | 241.36 | Uttar Pradesh  |
| पश्चिम बंगाल        | 56 | 131.46 | 220.73 | West Bengal    |
| अ एवं नि द्वीव समूह | 7  | 241.00 | 271.00 | A & N Islands  |
| चण्डीगढ़            | 44 | 282.76 | 282.76 | Chandigarh     |
| दादर एवं नगर हवेली  | 56 | 196.20 | 196.20 | D & N Haveli   |
| दमन एवं दीव         | 72 | 196.20 | 196.20 | Daman & Diu    |
| दिल्ली              | 29 | 311.00 | 311.00 | Delhi          |
| लक्षदीप             | 9  | 254.80 | 254.80 | Lakshadweep    |
| पुदुचेरी            | 26 | 55.00  | 205.00 | Puducherry     |

सारणी 2.3  
Table 2.3

| 1                     | 2   | 3      | 4      | 1                 |
|-----------------------|-----|--------|--------|-------------------|
| <b>2014</b>           |     |        |        |                   |
| मु०श्र०आ० (केन्द्रीय) | 45  | 176.73 | 377.00 | CLC (Central)     |
| आन्ध्र प्रदेश         | 73  | 69.27  | 354.81 | Andhra Pradesh    |
| अरुणाचल प्रदेश        | 30  | 150.00 | 150.00 | Arunachal Pradesh |
| असम                   | 102 | 75.00  | 163.47 | Assam             |
| बिहार                 | 88  | 170.00 | 186.00 | Bihar             |
| छत्तीसगढ़             | 46  | 213.69 | 222.69 | Chhattisgarh      |
| गोवा                  | 21  | 215.00 | 215.00 | Goa               |
| गुजरात                | 56  | 100.00 | 276.00 | Gujarat           |
| हरियाणा               | 50  | 216.90 | 216.90 | Haryana           |
| हिमाचल प्रदेश         | 12  | 170.00 | 170.00 | Himachal Pradesh  |
| जम्मू एवं कश्मीर      | 28  | 150.00 | 150.00 | Jammu & Kashmir   |
| झारखण्ड               | 88  | 178.67 | 178.67 | Jharkhand         |
| कर्नाटक               | 80  | 213.00 | 336.44 | Karnataka         |
| केरल                  | 73  | 150.00 | 547.80 | Kerala            |
| मध्य प्रदेश           | 64  | 187.00 | 253.00 | Madhya Pradesh    |
| महाराष्ट्र            | 67  | 120.00 | 439.35 | Maharashtra       |
| मेघालय                | 28  | 160.00 | 160.00 | Meghalaya         |
| मणिपुर                | 15  | 122.10 | 122.10 | Manipur           |
| मिजोरम                | 1   | 220.00 | 220.00 | Mizoram           |
| नागालैंड              | 54  | 115.00 | 135.00 | Nagaland          |
| ओडिशा                 | 88  | 126.00 | 150.00 | Odisha            |
| पंजाब                 | 71  | 256.52 | 266.52 | Punjab            |
| राजस्थान              | 62  | 189.00 | 232.84 | Rajasthan         |

सारणी 2.3  
Table 2.3

| 1                   | 2  | 3      | 4      | 1             |
|---------------------|----|--------|--------|---------------|
| सिक्किम             | 26 | 220.00 | 220.00 | Sikkim        |
| तमिलनाडू            | 73 | 85.00  | 389.85 | Tamil Nadu    |
| त्रिपुरा +          | 24 | 71.98  | 271.86 | Tripura+      |
| तेलंगाना            | 73 | 69.27  | 380.49 | Telangana     |
| उत्तराखण्ड          | 58 | 151.80 | 268.00 | Uttarakhand   |
| उत्तर प्रदेश        | 64 | 142.00 | 246.75 | Uttar Pradesh |
| पश्चिम बंगाल        | 61 | 162.88 | 257.00 | West Bengal   |
| अ एवं नि द्वीव समूह | 7  | 261.00 | 291.00 | A & N Islands |
| चण्डीगढ़            | 44 | 209.80 | 305.38 | Chandigarh    |
| दादर एवं नगर हवेली  | 56 | 209.80 | 209.80 | D & N Haveli  |
| दमन एवं दीव         | 72 | 209.80 | 209.80 | Daman & Diu   |
| दिल्ली              | 29 | 332.00 | 332.00 | Delhi         |
| लक्षदीप             | 9  | 255.20 | 255.20 | Lakshadweep   |
| पुडुचेरी            | 29 | 55.00  | 205.00 | Puducherry    |

स्रोत : श्रम ब्यूरो (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणियाँ)  
 Source : Labour Bureau (Annual Return under the Minimum wages Act, 1948)  
 + = खाद्य पदार्थ सहायकी दरों पर  
 + = Plus food items at subsidized rates

2.4 कृषि एवं गैर कृषि व्यवसायों में अखिल भारत औसत दैनिक मजदूरी दरें  
2.4 All India Average Daily Wage Rate for Agricultural and Non-Agricultural Occupations (रुपये में) (in Rs.)

| Sl. No | कृषि व्यवसाय<br>Agricultural Occupations  | 2016         |                | 2017         |                |
|--------|---|--------------|----------------|--------------|----------------|
|        |   | पुरुष<br>Man | महिला<br>Woman | पुरुष<br>Man | महिला<br>Woman |
| 1      | जुताई (हल/कुदाल)<br>Ploughing/Tilling workers   | 287.37       | 193.10         | 305.02       | 222.15         |
| 2      | बुआई (रोपण/प्रतिरोपण निराई इत्यादि)<br>Sowing (including Planting/Transplanting/ Weeding) workers                                   | 253.25       | 209.24         | 268.80       | 222.33         |
| 3      | कटाई/औराई/तितुण आदि<br>Harvesting/ Winnowing/ Threshing workers   | 251.41       | 211.36         | 267.54       | 226.58         |
| 4      | चुनना/चयन करना (चाय, कपास, तंबाकू तथा अन्य नगदी फसलें)<br>Picking Workers (including tea, cotton, tobacco & other commercial crops) | 227.58       | 193.04         | 239.43       | 201.44         |
| 5      | बागवानी (नर्सरी उत्पादक)<br>Horticulture Workers (including nursery growers)  | 248.35       | 187.51         | 262.16       | 204.39         |
| 6      | अन्तर्देशी मछुआरे<br>Fishermen- Inland  | 317.82       |                | + 352.72     | +              |

सारणी 2.4  
Table 2.4

|  |  |        |          |        |        |
|--|--|--------|----------|--------|--------|
| 7  | समुद्रतटीय/समुद्री मछुआरे<br>Fisherman-Coastal/ DeepSea  | 282.96 | + 327.53 | +      |        |
| 8  | लकड़हारा, लकड़ी चिराई व<br>कटाई इत्यादि<br>Loggers and wood cutters  | 331.62 | 166.36   | 346.58 | 186.38 |
| 9  | पशुपालन (मुर्गी व दुग्ध<br>पालन, चरवाहा आदि)<br>Animal Husbandry workers<br>(including Poultry, dairy &<br>Herdsman)   | 204.60 | 161.60   | 218.30 | 166.87 |
| 10   | पैकिंग/बंधाई कर्मकार<br>Packaging Labourers  | 236.20 | 188.69   | 241.46 | 197.85 |
| 11   | सामान्य कृषि श्रमिक (सिंचाई<br>कर्मी आदि)<br>General agriculture<br>Labourers (including<br>Watering/ Irrigation etc.) | 248.32 | 191.58   | 264.05 | 205.32 |
| 12   | पौध संरक्षक (कीटनाशक,<br>बिजोपचार आदि)<br>Plant protection workers<br>(applying Pesticides,<br>treating seeds etc.)    | 300.12 | 196.83   | 315.86 | 196.74 |
| <b>गैर-कृषि व्यवसाय Non-Agricultural Occupations</b> |  |        |          |        |        |
| 1  | बढ़ई<br>Carpenter  | 380.36 | ..       | 400.88 | ..     |

सारणी 2.4  
Table 2.4

|    |   |        |          |        |        |
|----|---|--------|----------|--------|--------|
| 2  | लोहार<br>Blacksmith   | 313.69 | 254.00   | 331.59 | +      |
| 3  | राज मिस्त्री<br>Mason   | 422.20 | 284.28   | 443.75 | 285.00 |
| 4  | बुनकर/जुलाहे<br>Weavers   | 271.28 | 223.47   | 284.55 | 230.01 |
| 5  | बीडी कर्मकार<br>Beedi Makers  | 181.29 | 134.79   | 194.53 | 141.03 |
| 6  | बांस/बैत टोकरी कर्मकार<br>Bamboo, cane basket<br>weavers  | 234.91 | 194.28   | 244.82 | 194.63 |
| 7  | हस्तशिल्प कर्मकार<br>Handicraft workers   | 342.29 | 183.07   | 367.44 | 200.16 |
| 8  | नलसाज<br>Plumbers   | 405.04 | ..       | 426.72 | ..     |
| 9  | बिजली मिस्त्री<br>Electricians  | 390.65 | ..       | 406.78 | ..     |
| 10 | निर्माण कार्य ( ईमारत, सडक,<br>बांध, औद्योगिक एवं परियोजना<br>तथा कुआं खनन आदि)<br>Construction workers (for<br>roads, dams, industrial &<br>project construction work<br>and well diggers) | 299.67 | 216.46.. | 316.32 | 227.33 |

सारणी 2.4  
Table 2.4

|    |   |        |        |        |        |
|----|---|--------|--------|--------|--------|
| 11 | हल्के मोटर वाहन/ट्रैक्टर चालक<br>LMV & Tractor drivers  | 322.68 | ..     | 336.50 | ..     |
| 12 | गैर कृषि श्रमिक ( पल्लेदार, भार वाहक आदि)<br>Non-agricultural labourers<br>(including porters, loaders) | 257.95 | 191.43 | 271.17 | 205.90 |
| 13 | सफाई कर्मी<br>Sweeping/cleaning workers   | 212.97 | 208.89 | 221.42 | 210.27 |

स्रोत: श्रम ब्यूरो (कृषि एवं गैर-कृषि व्यवसायों के लिए औसत दैनिक मजदूरी दरों की विवरणियाँ)

Source: Labour Bureau (Returns of Average Daily Wage Rates for Agricultural and Non-Agricultural occupations)

+ उद्धरणों की संख्या पांच से कम होने के कारण औसत नहीं निकाली गई  
+ Number of quotations are less than five hence averages not worked out.



3.1 (क) औद्योगिक श्रमिकों के लिए वार्षिक औसत एवं माहवार अखिल  
भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2001=100

3.1 (a) Annual Average and month-wise All-India Consumer  
Price Index Numbers for Industrial Workers on Base 2001=100

| वर्ष/माह | सामान्य सूचकांक<br>General Index |      | खाद्य सूचकांक<br>Food Index |      | Year/Month |
|----------|----------------------------------|------|-----------------------------|------|------------|
|          | 2016                             | 2017 | 2016                        | 2017 |            |
| 1        | 2                                | 3    | 4                           | 5    | 1          |
| जनवरी    | 269                              | 274  | 297                         | 298  | January    |
| फरवरी    | 267                              | 274  | 292                         | 297  | February   |
| मार्च    | 268                              | 275  | 293                         | 298  | March      |
| अप्रैल   | 271                              | 277  | 299                         | 301  | April      |
| मई       | 275                              | 278  | 307                         | 302  | May        |
| जून      | 277                              | 280  | 312                         | 308  | June       |
| जुलाई    | 280                              | 285  | 316                         | 315  | July       |
| अगस्त    | 278                              | 285  | 310                         | 315  | August     |
| सितम्बर  | 277                              | 285  | 308                         | 312  | September  |

सारणी 3.1 (क)  
Table 3.1 (a)

| 1                      | 2          | 3          | 4          | 5          | 1                       |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| अक्तूबर                | 278        | 287        | 310        | 317        | October                 |
| नवम्बर                 | 277        | 288        | 307        | 319        | November                |
| दिसम्बर                | 275        | 286        | 301        | 314        | December                |
| <b>( वार्षिक औसत )</b> | <b>274</b> | <b>281</b> | <b>304</b> | <b>308</b> | <b>(Annual Average)</b> |

स्रोत : श्रम ब्यूरो (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अन्तर्गत वार्षिक विवरणियाँ)

Source : Labour Bureau (Annual Return under the Consumer price Index)

टिप्पण :

Note :

i) औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार 2001=100 की नई श्रृंखला जनवरी, 2006 से अवमुक्त की गई है।

i) New series of Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers on base 2001=100 has been released w.e.f. January, 2006.

ii) 2001 एवं 1982 श्रृंखला के मध्य सामान्य सूचकांक और खाद्य सूचकांक के योजक घटक क्रमशः 4.63 और 4.58 हैं।

ii) The linking factors between 2001 and 1982 series are 4.63 and 4.58 for General Index and Food Index respectively.

3.1 (ख) औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार  
2001=100 ( केन्द्रवार वार्षिक औसत)

3.1 (b) Consumer Price Index Numbers(General) for Industrial  
Workers on Base 2001=100 (Centre-wise Annual Average)

| केन्द्र           | 1982=100<br>शृंखला के<br>साथ योजक<br>घटक<br>Linking<br>Factor with<br>1982=100<br>series | 2016 | 2017 | Centre                 |
|-------------------|--|------|------|------------------------|
| 1                 | 2  | 3    | 4    | 1                      |
| गुन्टूर           | 4.57   | 270  | 275  | Guntur                 |
| विजयवाडा          | +  | 267  | 275  | Vijaywada              |
| विशाखापत्तनम      | 4.64   | 275  | 279  | Vishakhapatnam         |
| डुमडुमा तिनसुकिया | 4.04   | 246  | 259  | Doom Dooma<br>Tinsukia |
| गुवाहाटी          | 4.80   | 242  | 247  | Guwahati               |
| लबाक सिल्चर       | 3.65   | 257  | 258  | Labac Silcher          |
| मरियानी जोरहाट    | 4.01   | 241  | 243  | Mariani Jorhat         |
| रंगापारा तेजपुर   | 4.17   | 238  | 241  | Rangapara Tejpur       |
| मुंगेर जमालपुर    | 4.30   | 297  | 298  | Mungher Jamalpur       |
| चण्डीगढ़          | 5.26   | 269  | 278  | Chandigarh             |
| भिलाई             | 4.20   | 306  | 310  | Bhilai                 |
| दिल्ली            | 5.60   | 246  | 257  | Delhi                  |
| गोवा              | 5.59   | 289  | 295  | Goa                    |
| अहमदाबाद          | 4.62   | 261  | 266  | Ahmedabad              |

सारणी 3.1 (ख)  
Table 3.1(b)

| 1             | 2    | 3   | 4   | 1                |
|---------------|------|-----|-----|------------------|
| भावनगर        | 4.76 | 257 | 265 | Bhavnagar        |
| राजकोट        | 4.38 | 269 | 270 | Rajkot           |
| सूरत          | 4.54 | 248 | 258 | Surat            |
| वडोदरा        | 4.39 | 261 | 261 | Vadodara         |
| फरीदाबाद      | 4.79 | 253 | 257 | Faridabad        |
| यमुनानगर      | 4.34 | 265 | 273 | Yamunanagar      |
| हिमाचल प्रदेश | 4.53 | 242 | 254 | Himachal Pradesh |
| श्रीनगर       | 5.62 | 247 | 261 | Srinagar         |
| बोकारो        | +    | 276 | 276 | Bokaro           |
| गिरिडीह       | +    | 295 | 301 | Giridih          |
| जमशेदपुर      | 4.23 | 314 | 327 | Jamshedpur       |
| झरिया         | 3.72 | 304 | 306 | Jharia           |
| कोडरमा        | 3.89 | 319 | 321 | Kodarma          |
| रांची हाटिया  | 4.20 | 305 | 317 | Ranchi Hatia     |
| बेलगाम        | 5.02 | 279 | 290 | Belgaum          |
| बेंगलुरु      | 4.51 | 278 | 287 | Bengaluru        |
| हुबली धारवाड़ | 4.71 | 293 | 299 | Hubli Dharwar    |
| मरकारा        | 4.47 | 282 | 296 | Mercara          |
| मैसूर         | +    | 280 | 295 | Mysore           |
| एरनाकुलम      | 4.52 | 268 | 289 | Ernakulam        |
| मुण्डाकयाम    | 4.37 | 280 | 299 | Mundakkayam      |
| क्विलोन       | 4.61 | 297 | 323 | Quilon           |
| भोपाल         | 4.83 | 271 | 276 | Bhopal           |
| छिंदवाडा      | 4.03 | 281 | 286 | Chhindwara       |

सारणी 3.1 (ख)  
Table 3.1(b)

| 1             | 2    | 3   | 4   | 1              |
|---------------|------|-----|-----|----------------|
| इन्दौर        | 4.73 | 252 | 257 | Indore         |
| जबलपुर        | 4.53 | 274 | 279 | Jabalpur       |
| मुम्बई        | 5.18 | 287 | 289 | Mumbai         |
| नागपुर        | 4.68 | 306 | 312 | Nagpur         |
| नासिक         | 4.94 | 285 | 291 | Nasik          |
| पुणे          | 4.96 | 277 | 275 | Pune           |
| शोलापुर       | 4.73 | 293 | 294 | Sholapur       |
| अंगुल तलछर    | +    | 284 | 297 | Angul Talcher  |
| राउरकेला      | 4.03 | 289 | 296 | Rourkela       |
| पुडुचेरी      | 4.88 | 286 | 299 | Puducherry     |
| अमृतसर        | 4.09 | 271 | 281 | Amritsar       |
| जालंधर        | +    | 270 | 281 | Jalandhar      |
| लुधियाना      | 4.12 | 273 | 275 | Ludhiana       |
| अजमेर         | 4.78 | 256 | 260 | Ajmer          |
| भीलवाड़ा      | 4.62 | 269 | 274 | Bhilwara       |
| जयपुर         | 4.25 | 257 | 268 | Jaipur         |
| चेन्नई        | 4.95 | 255 | 261 | Chennai        |
| कोयम्बटूर     | 4.49 | 250 | 265 | Coimbatore     |
| कुनूर         | 4.58 | 272 | 281 | Coonoor        |
| मदुराई        | 4.51 | 265 | 277 | Madurai        |
| सेलम          | 4.45 | 268 | 270 | Salem          |
| तिरुचिरापल्ली | 5.01 | 266 | 285 | Tiruchirapally |
| गोदावरीखानी   | +    | 287 | 293 | Godavarikhani  |
| हैदराबाद      | 4.79 | 240 | 246 | Hyderabad      |

सारणी 3.1 (ख)  
Table 3.1(b)

| 1          | 2    | 3   | 4   | 1          |
|------------|------|-----|-----|------------|
| वारंगल     | 4.75 | 287 | 287 | Warangal   |
| त्रिपुरा   | 4.17 | 244 | 256 | Tripura    |
| आगरा       | 4.36 | 291 | 303 | Agra       |
| गाजियाबाद  | 4.78 | 270 | 277 | Ghaziabad  |
| कानपुर     | 4.50 | 285 | 287 | Kanpur     |
| लखनऊ       | +    | 274 | 275 | Lucknow    |
| वाराणसी    | 4.96 | 278 | 279 | Varanasi   |
| आसनसोल     | 4.37 | 303 | 304 | Asansol    |
| दार्जिलिंग | 3.80 | 253 | 260 | Darjeeling |
| दुर्गापुर  | 5.13 | 298 | 306 | Durgapur   |
| हल्दिया    | 5.64 | 302 | 310 | Haldia     |
| हावड़ा     | 5.42 | 258 | 267 | Howrah     |
| जलपाईगुड़ी | 3.96 | 266 | 272 | Jalpaiguri |
| कोलकाता    | 5.12 | 261 | 266 | Kolkata    |
| रानीगंज    | 4.02 | 253 | 251 | Raniganj   |
| सिलीगुड़ी  | +    | 252 | 261 | Siliguri   |

स्रोत : श्रम ब्यूरो (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अन्तर्गत वार्षिक विवरणियाँ)

Source : Labour Bureau (Annual Return under the Consumer price Index)

+ = आधार 2001 = 100 पर नई शृंखला में नए केन्द्र शामिल किए गए हैं।

+ = New centres included in the new series on base 2001=100

3.2 कृषि तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  
आधार वर्ष 1986-87=100 (जुलाई से जून)

3.2 Average Consumer Price Index Numbers for  
Agricultural and Rural Labourers on  
Base 1986-87=100 (July to June)

| राज्य            | कृषि श्रमिक<br>Agricultural<br>Labourers |               | ग्रामीण श्रमिक<br>Rural<br>Labourers |               | State            |
|------------------|--|---------------|--------------------------------------|---------------|------------------|
|                  | 2015-<br>2016                            | 2016-<br>2017 | 2015-<br>2016                        | 2016-<br>2017 |                  |
| 1                | 2  | 3             | 4                                    | 5             | 1                |
| आन्ध्र प्रदेश    | 930                                      | 958           | 927                                  | 954           | Andhra Pradesh   |
| असम              | 803                                      | 810           | 813                                  | 821           | Assam            |
| बिहार            | 726                                      | 728           | 732                                  | 731           | Bihar            |
| गुजरात           | 876                                      | 900           | 877                                  | 900           | Gujarat          |
| हरियाणा          | 931                                      | 974           | 930                                  | 970           | Haryana          |
| हिमाचल प्रदेश    | 690                                      | 720           | 728                                  | 765           | Himachal Pradesh |
| जम्मू एवं कश्मीर | 791                                      | 818           | 788                                  | 819           | Jammu & Kashmir  |
| कर्नाटक          | 949                                      | 1019          | 946                                  | 1013          | Karnataka        |
| केरल             | 877                                      | 931           | 896                                  | 939           | Kerala           |
| मध्य प्रदेश      | 771                                      | 794           | 794                                  | 817           | Madhya Pradesh   |
| महाराष्ट्र       | 912                                      | 952           | 906                                  | 946           | Maharashtra      |
| मणिपुर           | 811                                      | 836           | 814                                  | 839           | Manipur          |

सारणी 3.2  
Table 3.2

| 1                | 2          | 3          | 4          | 5          | 1                |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| मेघालय           | 831        | 855        | 832        | 856        | Meghalaya        |
| ओडिशा            | 741        | 744        | 742        | 746        | Odisha           |
| पंजाब            | 894        | 942        | 894        | 940        | Punjab           |
| राजस्थान         | 915        | 960        | 898        | 948        | Rajasthan        |
| तमिलनाडु         | 901        | 955        | 893        | 947        | Tamil Nadu       |
| त्रिपुरा         | 764        | 768        | 760        | 766        | Tripura          |
| उत्तर प्रदेश     | 817        | 808        | 812        | 807        | Uttar Pradesh    |
| पश्चिम बंगाल     | 760        | 778        | 774        | 791        | West Bengal      |
| <b>अखिल भारत</b> | <b>847</b> | <b>873</b> | <b>852</b> | <b>879</b> | <b>All India</b> |

स्रोत : श्रम ब्यूरो (औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अन्तर्गत वार्षिक विवरणियाँ)  
Source : Labour Bureau (Annual Return under the Average Consumer price Index)



4.1 व्यवसाय संघों एवं उनकी सदस्यता में वृद्धि  
4.1 Growth of Trade Unions and their Membership

|   | 2014  | 2015         |                                     |
|---|---|--------------|-------------------------------------|
| <b>पंजीकृत श्रमिक संघों की संख्या</b>               | <b>Number of registered Trade Unions</b>              |              |                                     |
| (क) नियोजन कर्ता संघ                                | +   | +            | a)Employers' Unions                 |
| (ख) कर्मकार व्यवसाय संघ                             | 12486   | 12420        | b)Workers' Trade Unions             |
| <b>योग</b>  | <b>12486</b>  | <b>12420</b> | <b>Total</b>                        |
| <b>विवरणियां भेजने वाले संघों की संख्या</b>         | <b>Number of unions submitting returns</b>            |              |                                     |
| (क) नियोजन कर्ता संघ                                | +   | +            | (a)Employers' Unions                |
| (ख) कर्मकार व्यवसाय संघ                             | 4359  | 4300         | (b)Workers' Unions                  |
| <b>योग</b>  | <b>4359</b>   | <b>4300</b>  | <b>Total</b>                        |
| <b>विवरणियां भेजने वाले संघों की सदस्यता (०००')</b> | <b>Membership of Unions submitting returns ('000)</b> |              |                                     |
| (क) नियोजन कर्ता संघ                                | +   | +            | (a)Employers' Unions                |
| (ख) कर्मकार व्यवसाय संघ                             | 7885  | 8096         | (b)Workers' Unions                  |
| <b>योग</b>  | <b>7885</b>   | <b>8096</b>  | <b>Total</b>                        |
| <b>प्रति संघ औसत सदस्यता</b>                        | <b>1809</b>   | <b>1883</b>  | <b>Average Membership per Union</b> |

स्रोत : श्रम ब्यूरो (श्रमिक व्यवसाय संघ 1926 के अन्तर्गत प्राप्त वार्षिक विवरणियां)  
Source : Labour Bureau (Annual Returns received under the Trade Unions Act, 1926)

+प्रतिवेदन नहीं किया + Not Reported  
आंकड़ें केवल विवरणियां भेजने वाले राज्यों/संघ शासित प्रदेशों पर आधारित हैं।।  
Figures based on responding States/UTs only.

## 4 व्यवसाय संघ

## 4 TRADE UNIONS

4.2 विवरणियां भेजने वाले व्यवसाय संघों एवं उनकी सदस्यता  
(उद्योगानुसार)4.2 Number and Membership of Trade Unions Submitting  
Returns (By Industry)

| रा० औ०<br>व० 2008 | कर्मकार संघ<br>Workers' Union |      |  |      | समस्त संघ<br>All Unions |      |  |      | NIC<br>2008 |
|-------------------|-------------------------------|------|--|------|-------------------------|------|--|------|-------------|
|                   | संख्या<br>Number              |      | सदस्यता<br>( <sup>000</sup> में)<br>Membership (in<br>000's) |      | संख्या<br>Number        |      | सदस्यता<br>( <sup>000</sup> में)<br>Membership<br>(in 000's) |      |             |
|                   | 2014                          | 2015 | 2014   | 2015 | 2014                    | 2015 | 2014   | 2015 |             |
| 1                 | 2                             | 3    | 4  | 5    | 6                       | 7    | 8  | 9    | 1           |
| क                 | 205                           | 171  | 2074   | 968  | 205                     | 171  | 2074   | 968  | A           |
| ख                 | 74                            | 103  | 83   | 174  | 74                      | 103  | 83   | 174  | B           |
| ग                 | 1646                          | 1446 | 1296   | 1102 | 1646                    | 1446 | 1296   | 1102 | C           |
| घ                 | 74                            | 93   | 86   | 100  | 74                      | 93   | 86   | 100  | D           |
| ङ                 | 86                            | 81   | 30   | 234  | 86                      | 81   | 30   | 234  | E           |
| च                 | 269                           | 381  | 1167   | 1412 | 269                     | 381  | 1167   | 1412 | F           |
| छ                 | 186                           | 194  | 218  | 251  | 186                     | 194  | 218  | 251  | G           |
| ज                 | 568                           | 592  | 955  | 1038 | 568                     | 592  | 955  | 1038 | H           |

सारणी 4.2  
Table 4.2

| 1   | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 1     |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| झ   | 82   | 85   | 56   | 26   | 82   | 85   | 56   | 26   | I     |
| ञ   | 94   | 79   | 81   | 74   | 94   | 79   | 81   | 74   | J     |
| ट   | 217  | 174  | 169  | 102  | 217  | 174  | 169  | 102  | K     |
| ठ   | -    | 3    | -    | 5    | -    | 3    | -    | 5    | L     |
| ड   | 39   | 37   | 106  | 33   | 39   | 37   | 106  | 33   | M     |
| ढ   | 47   | 76   | 50   | 354  | 47   | 76   | 50   | 354  | N     |
| ण   | 161  | 89   | 102  | 81   | 161  | 89   | 102  | 81   | O     |
| त   | 61   | 59   | 23   | 109  | 61   | 59   | 23   | 109  | P     |
| थ   | 87   | 83   | 144  | 295  | 87   | 83   | 144  | 295  | Q     |
| द   | 38   | 53   | 34   | 39   | 38   | 53   | 34   | 39   | R     |
| ध   | 192  | 305  | 397  | 1093 | 192  | 305  | 397  | 1093 | S     |
| न   | 186  | 152  | 25   | 34   | 186  | 152  | 25   | 34   | T     |
| प   | 47   | 44   | 789  | 572  | 47   | 44   | 789  | 572  | U     |
| योग | 4359 | 4300 | 7885 | 8096 | 4359 | 4300 | 7885 | 8096 | Total |

स्रोत : श्रम ब्यूरो (श्रमिक व्यवसाय संघ 1926 के अन्तर्गत प्राप्त वार्षिक विवरणियाँ)  
Source : Labour Bureau (Annual Returns received under the Trade Unions Act, 1926)

उद्योग संकेतों का विवरण कृपया अनुबन्ध-क में देखें।  
For details of Industry Codes please see Annexure-A.

## 5.1 औद्योगिक विवादों के कारण कार्य स्थगन

## 5.1 Industrial Disputes Resulting in Work Stoppages

|  | 2015*          | 2016*          |  |
|--|----------------|----------------|--|
| विवादों की संख्या                      | 141            | 130            | No. of Disputes                            |
| अन्तर्गत कर्मकारों की संख्या('000 में) | 751            | 668            | No. of Workers Involved<br>( '000's)       |
| श्रम-दिनों की हानि ('000 में)          | 4015           | 4620           | Mandays Lost<br>( '000's)                  |
| मजदूरी की हानि (रुपये करोड़ में)       | 114.90<br>(74) | 221.39<br>(97) | Wages Lost<br>( Rs. in crore)              |
| उत्पादन हानि (रुपये करोड़ में)         | 364.23<br>(39) | 445.62<br>(36) | Value of Production Loss<br>(Rs. In crore) |

स्रोत : श्रम ब्यूरो (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्राप्त विवरणियाँ)  
Source: Labour Bureau(Returns received under Industrial Disputes Act, 1947)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े सूचना से संबंधित मामलों की संख्या दर्शाते हैं।

Note : Figures in brackets indicate the number of cases to which the information relates.

5.2 (क) विवादों के परिणामस्वरूप कार्य स्थगन के कारण मानव दिनों की हानि  
( उद्योगानुसार ) ( '000 में )5.2(a) Mandays Lost in disputes resulting in work stoppages  
(By Industry) (in 000's)

|                                    | 2015*  | 2016*   | 2015*   | 2016*   |                           |
|------------------------------------|--|---|---|---|---------------------------|
| उद्योग संकेतांक<br>रा औ सं<br>2008 | औद्योगिक विवादों के कारण<br>Due to industrial disputes | औद्योगिक विवादों के अतिरिक्त अन्य कारण<br>Due to reasons other than industrial disputes | औद्योगिक विवादों के अतिरिक्त अन्य कारण<br>Due to reasons other than industrial disputes | औद्योगिक विवादों के अतिरिक्त अन्य कारण<br>Due to reasons other than industrial disputes | Industry Code<br>NIC 2008 |
| 1                                  | 2  | 3   | 4   | 5   | 1                         |
| क                                  | 111  | 6   | 138   | 174   | A                         |
| 01                                 | 111  | 6   | 110   | 146   | 01                        |
| 02                                 | -  | -   | 28  | 28  | 02                        |
| ख                                  | 346  | 52  | -   | -   | B                         |
| 05                                 | 313  | 25  | -   | -   | 05                        |
| 06                                 | 13   | -   | -   | -   | 06                        |
| 07                                 | 19   | @   | -   | -   | 07                        |
| 08                                 | 1  | 26  | -   | -   | 08                        |
| 09                                 | -  | -   | -   | -   | 09                        |
| ग                                  | 2970   | 3854  | 2133  | 3406  | C                         |
| 10                                 | 28   | 64  | 177   | 156   | 10                        |
| 11                                 | -  | -   | 22  | 2   | 11                        |
| 12                                 | -  | -   | 1   | -   | 12                        |
| 13                                 | 1762   | 2991  | 1824  | 2561  | 13                        |
| 14                                 | 110  | 75  | 45  | -   | 14                        |
| 15                                 | -  | 18  | -   | -   | 15                        |
| 16                                 | 71   | -   | -   | -   | 16                        |

सारणी 5.2 (क)  
Table 5.2 (a)

| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 1  |
|----|-----|-----|----|-----|----|
| 17 | 126 | 127 | 5  | 2   | 17 |
| 18 | 17  | -   | -  | -   | 18 |
| 19 | -   | 2   | -  | -   | 19 |
| 20 | 60  | 7   | -  | -   | 20 |
| 21 | 7   | 8   | -  | -   | 21 |
| 22 | 13  | 32  | -  | 4   | 22 |
| 23 | 308 | 193 | -  | -   | 23 |
| 24 | 175 | 250 | 28 | 632 | 24 |
| 25 | 34  | 40  | -  | 1   | 25 |
| 26 | 165 | 4   | -  | -   | 26 |
| 27 | 54  | 18  | 32 | 47  | 27 |
| 28 | 21  | 4   | -  | -   | 28 |
| 29 | 8   | 14  | -  | -   | 29 |
| 30 | 3   | 1   | -  | -   | 30 |
| 31 | -   | -   | -  | -   | 31 |
| 32 | 11  | 5   | -  | -   | 32 |
| 33 | -   | -   | -  | -   | 33 |
| घ  | 108 | 40  | -  | -   | D  |
| 35 | 108 | 40  | -  | -   | 35 |
| ङ  | -   | -   | -  | -   | E  |
| च  | 3   | -   | -  | -   | F  |
| छ  | 9   | 77  | 12 | 12  | G  |

सारणी 5.2 (क)  
Table 5.2 (a)

| 1          | 2           | 3           | 4           | 5           | 1            |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| ज          | 77          | 12          | -           | -           | H            |
| झ          | -           | -           | -           | -           | I            |
| ञ          | 53          | 15          | -           | -           | J            |
| ट          | 295         | 503         | -           | -           | K            |
| ठ          | -           | -           | -           | -           | L            |
| ड          | 1           | -           | -           | -           | M            |
| ढ          | -           | 14          | -           | -           | N            |
| ण          | 42          | 47          | -           | -           | O            |
| त          | -           | -           | -           | -           | P            |
| थ          | -           | -           | -           | -           | Q            |
| द          | -           | -           | -           | -           | R            |
| ध          | -           | -           | -           | -           | S            |
| <b>योग</b> | <b>4015</b> | <b>4620</b> | <b>2283</b> | <b>3589</b> | <b>Total</b> |

स्रोत : श्रम ब्यूरो (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्राप्त विवरणियाँ)  
Source: Labour Bureau (Returns received under Industrial Disputes Act, 1947)

टिप्पणी : राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के संकेतों के वर्णन अनुबंध-क में देखें  
Note : Description of NIC Codes may be seen at Annexure-A.

## 5.2 (ख) विवादों के परिणामस्वरूप कार्य स्थगन के कारण मानव दिनों की हानि

5.2(b) Mandays lost in Disputes resulting in work-stoppages  
(राज्यानुसार) (By States) (000 में) (in '000)

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | औद्योगिक विवादों के कारण<br>Due to industrial disputes |       | औद्योगिक विवादों के अतिरिक्त अन्य कारण<br>Due to reasons other than industrial disputes |       | State/Union Territory |
|-------------------------|--|-------|---|-------|-----------------------|
| 1                       | 2  | 3     | 4   | 5     | 1                     |
|                         | 2015*  | 2016* | 2015*   | 2016* |                       |
| आन्ध्र प्रदेश           | 1865   | 2439  | 1784  | 2481  | Andhra Pradesh        |
| अरुणाचल प्रदेश          | -  | -     | -   | -     | Arunachal Pradesh     |
| असम                     | 92   | 41    | -   | -     | Assam                 |
| बिहार                   | 71   | 22    | 72  | -     | Bihar                 |
| छत्तीसगढ़               | 66   | 45    | -   | -     | Chhattisgarh          |
| दिल्ली                  | -  | -     | -   | -     | Delhi                 |
| गोवा                    | -  | 1     | -   | -     | Goa                   |
| गुजरात                  | 46   | 133   | -   | -     | Gujarat               |
| हरियाणा                 | 94   | 78    | -   | -     | Haryana               |
| हिमाचल प्रदेश           | 152  | 50    | -   | -     | Himachal Pradesh      |
| जम्मू व कश्मीर          | -  | -     | -   | -     | Jammu & Kashmir       |



सारणी 5.2 (ख)  
Table 5.2(b)

| 1            | 2   | 3   | 4   | 5   | 1              |
|--------------|-----|-----|-----|-----|----------------|
| झारखण्ड      | -   | -   | -   | -   | Jharkhand      |
| कर्नाटक      | 19  | 73  | -   | -   | Karnataka      |
| केरल         | 616 | 459 | 184 | 232 | Kerala         |
| मध्य प्रदेश  | 224 | 130 | 45  | 2   | Madhya Pradesh |
| महाराष्ट्र   | 206 | 8   | -   | -   | Maharashtra    |
| मणिपुर       | -   | -   | -   | -   | Manipur        |
| मेघालय       | -   | -   | -   | -   | Meghalaya      |
| मिजोरम       | #   | #   | #   | #   | Mizoram        |
| नागालैंड     | -   | -   | -   | -   | Nagaland       |
| ओडिशा        | 15  | -   | 188 | 872 | Odisha         |
| पंजाब        | -   | 32  | -   | -   | Punjab         |
| राजस्थान     | 78  | 101 | -   | -   | Rajasthan      |
| सिक्किम      | #   | #   | -   | #   | Sikkim         |
| तमिलनाडु     | 103 | 51  | 10  | 2   | Tamil Nadu     |
| तेलंगाना     | 106 | 71  | -   | -   | Telangana      |
| त्रिपुरा     | -   | -   | -   | -   | Tripura        |
| उत्तराखण्ड   | 21  | 45  | -   | -   | Uttarakhand    |
| उत्तर प्रदेश | 174 | 834 | -   | -   | Uttar Pradesh  |
| पश्चिम बंगाल | 67  | 6   | -   | -   | West Bengal    |

सारणी 5.2 (ख)  
Table 5.2(b)

| 1                                    | 2    | 3    | 4    | 5    | 1             |
|--------------------------------------|------|------|------|------|---------------|
| अण्डमान एवं<br>निकोबार द्वीप<br>समूह | -    | -    | -    | -    | A & N Islands |
| चण्डीगढ़                             | -    | -    | -    | -    | Chandigarh    |
| दादर एवं नगर<br>हवेली                | -    | -    | -    | -    | D & N Haveli  |
| दमन एवं दीव                          | -    | -    | -    | -    | Daman & Diu   |
| लक्षदीप                              | -    | -    | -    | -    | Lakshadweep   |
| पुडुचेरी                             | @    | -    | -    | -    | Puducherry    |
| योग                                  | 4015 | 4620 | 2283 | 3589 | Total         |

स्रोत : श्रम ब्यूरो (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्राप्त विवरणियाँ)  
Source: Labour Bureau (Returns received under Industrial Disputes Act, 1947)

# औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 अभी लागू होना है।  
# Industrial Disputes Act, 1947 is yet to be implemented.

5.3 - विवादों का कारणानुसार प्रतिशत वितरण  
5.3 Percentage Distribution of Disputes by Causes

| कारण समूह  | 2015* | 2016* | Cause Group                                      |
|--|-------|-------|--|
| 1  | 2     | 3     | 1  |
| मजदूरी एवं भत्ते   | 29.8  | 13.1  | Wages & Allowances                               |
| कार्मिक  | 8.5   | 11.5  | Personnel  |
| छंटनी  | 0.7   | 1.5   | Retrenchment                                     |
| काम-बन्दी  | 0.7   | 0.8   | Lay-Off  |
| अनुशासनहीनता   | 7.1   | 10.0  | Indiscipline                                     |
| हिंसा  | 0.7   | 1.5   | Violence   |
| छुट्टी एवं कार्य के घंटे/पारी में कार्य                  | 0.7   | -     | Leave and Hours of Work/Shift Working            |
| बोनस   | 7.8   | 1.5   | Bonus  |
| घेराव  | 0.7   | -     | Gherao   |
| अन्तर/अन्तरा संघ प्रतिद्वन्द्विता                        | 1.4   | 0.8   | Inter/Intra Union Rivalry                        |
| श्रम पंचाटों और श्रम समझौतों इत्यादि का लागू न किया जाना | -     | 2.3   | Non-implementation of agreements and awards etc. |
| मांगों का चार्टर   | 22    | 23.8  | Charter of Demands                               |

सारणी 5.3  
Table 5.3

| 1   | 2    | 3    | 1   |
|---|------|------|---|
| कार्य-भार   | -    | -    | Work Load   |
| अतिरिक्त श्रमिक                                       | -    | -    | Surplus Labour  |
| सुविधाओं का उन्नतिकरण                                 | 3.5  | -    | Betterment of Amenities                                   |
| विनिर्माण प्रक्रिया का निलम्बन/ परिवर्तन              | 0.7  | 1.5  | Suspension/change of manufacturing process                |
| स्थायी आदेशों/ नियमावलियों/ सेवा शर्तों/ सुरक्षा उपाय | -    | -    | Standing orders/ rules/service conditions/safety measures |
| सरकारी आर्थिक नीति में बदलाव                          | 3.5  | 19.2 | Change of Govt. economic policy                           |
| अन्य  | 12.1 | 9.2  | Others  |
| ज्ञात नहीं  | -    | 3.1  | Not known   |

स्रोत : श्रम ब्यूरो (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्राप्त विवरणियां)  
Source: Labour Bureau(Returns received under Industrial Disputes Act, 1947)

5.4 - विवादों का अवधि के अनुसार प्रतिशत विवरण  
5.4 Percentage Distribution of Disputes by Duration

| अवधि                 | 2015* | 2016* | Duration                  |
|----------------------|-------|-------|---------------------------|
| 1 दिन या कम          | 21.8  | 48.6  | 1 day or less             |
| 1 से अधिक 5 दिन तक   | 20.2  | 10.5  | More than 1 upto 5 days   |
| 5 से अधिक 10 दिन तक  | 12.1  | 11.4  | More than 5 upto 10 days  |
| 10 से अधिक 20 दिन तक | 16.9  | 9.5   | More than 10 upto 20 days |
| 20 से अधिक 30 दिन तक | 8.1   | 7.6   | More than 20 upto 30 days |
| 30 दिन से अधिक       | 21.0  | 12.4  | More than 30 days         |
| ज्ञात नहीं           | -     | -     | Not Known                 |

स्रोत : श्रम ब्यूरो (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्राप्त विवरणियां)  
Source: Labour Bureau(Returns received under Industrial Disputes Act, 1947)

5.5 परिधि क्षेत्र अनुसार विवाद  
5.5 Disputes by Sphere

| केंद्रीय अधिकार क्षेत्र             | 2015*          | 2016*          | Central Sphere                    |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| विवादों की संख्या                   | 26             | 53             | No. of disputes                   |
| अन्तर्ग्रस्त कर्मकार<br>(*000 में)  | 689            | 623            | Workers involved<br>(in 000's)    |
| श्रम-दिनों की हानि<br>(*000 में)    | 832            | 653            | Mandays lost<br>(in 000's)        |
| मजदूरी की हानि<br>(रुपये करोड़ में) | 85.18<br>(23)  | 208.00<br>(51) | Wages lost<br>(Rs. in crore)      |
| उत्पादन हानि<br>(रुपये करोड़ में)   | 99.29<br>(5)   | 271.04<br>(5)  | Production loss<br>(Rs. in crore) |
| <b>राज्य अधिकार क्षेत्र</b>         |                |                | <b>State Sphere</b>               |
| विवादों की संख्या                   | 115            | 77             | No. of disputes                   |
| अन्तर्ग्रस्त कर्मकार<br>(*000 में)  | 63             | 45             | Workers involved<br>(in 000's)    |
| श्रम-दिनों की हानि<br>(*000 में)    | 3182           | 3967           | Mandays lost<br>(in 000's)        |
| मजदूरी की हानि (रुपये<br>करोड़ में) | 29.72<br>(51)  | 13.39<br>(46)  | Wages lost<br>(Rs. in crore)      |
| उत्पादन हानि<br>(रुपये करोड़ में)   | 264.95<br>(34) | 174.58<br>(31) | Production loss<br>(Rs. in crore) |

स्रोत : श्रम ब्यूरो (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्राप्त विवरणियाँ)  
Source: Labour Bureau (Returns received under Industrial Disputes Act, 1947)

टिप्पणी : कोष्ठक में दिये गए आंकड़े सूचना से संबंधित मामलों की संख्या दर्शाते हैं।  
Note : Figures in brackets indicate number of cases to which the information relates.

5.6 - क्षेत्र अनुसार विवाद  
5.6 Disputes by Sectors

|                                     | 2015*          | 2016*          |                                   |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>सार्वजनिक क्षेत्र</b>            |                |                | <b>Public Sector</b>              |
| विवादों की संख्या                   | 35             | 52             | No. of disputes                   |
| अन्तर्ग्रस्त कर्मकार<br>(‘000 में)  | 643            | 611            | Workers involved<br>(in 000)      |
| श्रम-दिनों की हानि<br>(‘000 में)    | 905            | 686            | Mandays lost<br>(in 000’s)        |
| मजदूरी की हानि<br>(रुपये करोड़ में) | 89.77<br>(27)  | 209.12<br>(50) | Wages lost<br>(Rs. in crore)      |
| उत्पादन हानि<br>(रुपये करोड़ में)   | 99.42<br>(8)   | 271.04<br>(5)  | Production loss<br>(Rs. in crore) |
| <b>निजी क्षेत्र</b>                 |                |                | <b>Private Sector</b>             |
| विवादों की संख्या                   | 106            | 78             | No. of disputes                   |
| अन्तर्ग्रस्त कर्मकार<br>(‘000 में)  | 109            | 57             | Workers involved<br>(in 000’s)    |
| श्रम-दिनों की हानि<br>(‘000 में)    | 3109           | 3933           | Mandays lost<br>(in 000’s)        |
| मजदूरी की हानि<br>(रुपये करोड़ में) | 25.13<br>(47)  | 12.27<br>(47)  | Wages lost<br>(Rs. in crore)      |
| उत्पादन हानि<br>(रुपये करोड़ में)   | 264.81<br>(31) | 174.58<br>(31) | Production loss<br>(Rs. in crore) |

स्रोत : श्रम ब्यूरो (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्राप्त विवरणियाँ)

Source: Labour Bureau (Returns received under Industrial Disputes Act, 1947)  
टिप्पणी : कोष्ठक में दिये गए आंकड़े सूचना से संबंधित मामलों की संख्या दर्शाते हैं।

Note : Figures in brackets indicate number of cases to which the information relates.

5.7 हड़ताल, तालाबन्दी एवं घेराव अनुसार विवाद  
5.7 Disputes by Strikes, Lockouts and Gheraos

|                                  | 2015* | 2016* |                                |
|----------------------------------|-------|-------|--------------------------------|
| <b>हड़तालें</b>                  |       |       | <b>Strikes</b>                 |
| संख्या                           | 112   | 104   | Number                         |
| अन्तर्गत कर्मकार<br>(‘000 में)   | 741   | 654   | Workers involved<br>(in 000’s) |
| श्रम-दिनों की हानि<br>(‘000 में) | 2663  | 1874  | Mandays lost<br>( in 000)      |
| <b>तालाबन्दी</b>                 |       |       | <b>Lockouts</b>                |
| संख्या                           | 29    | 26    | Number                         |
| अन्तर्गत कर्मकार<br>(‘000 में)   | 10    | 14    | Workers involved<br>(in 000’s) |
| श्रम-दिनों की हानि<br>(‘000 में) | 1351  | 2746  | Mandays lost<br>(in 000)       |
| <b>घेराव</b>                     |       |       | <b>Gheraos</b>                 |
| संख्या                           | -     | -     | Number                         |
| अन्तर्गत कर्मकार<br>(‘000 में)   | -     | -     | Workers involved<br>(in 000’s) |
| श्रम-दिनों की हानि<br>(‘000 में) | -     | -     | Mandays lost<br>(in 000’s)     |

स्रोत : श्रम ब्यूरो (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्राप्त विवरणियाँ)  
Source: Labour Bureau(Returns received under Industrial Disputes Act, 1947)



5.8 कुल स्थाई बन्दियों तथा उनसे प्रभावित कर्मकारों की संख्या  
5.8 No. of Permanent Closures and Workers Affected thereby  
(राज्यवार) (By States)

| राज्य/संघ<br>राज्य क्षेत्र | बन्दियों की<br>संख्या |          | प्रभावित कर्मकारों<br>की संख्या |            | State/ Union<br>Territory |
|----------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------|------------|---------------------------|
|                            | No. of<br>Closures    |          | No. of Workers<br>affected      |            |                           |
|                            | क A                   | ख B      | क A                             | ख B        |                           |
| 1                          | 2                     | 3        | 4                               | 5          | 1                         |
| <b>2015*</b>               |                       |          |                                 |            |                           |
| आन्ध्र प्रदेश              | 1                     | -        | 260                             | -          | Andhra Pradesh            |
| छत्तीसगढ़                  | -                     | 1        | -                               | 153        | Chhattisgarh              |
| गोवा                       | 2                     | -        | 44                              | -          | Goa                       |
| हिमाचल प्रदेश              | 1                     | -        | 90                              | -          | Himachal Pradesh          |
| कर्नाटक                    | 1                     | -        | 96                              | -          | Karnataka                 |
| महाराष्ट्र                 | -                     | 1        | -                               | 12         | Maharashtra               |
| ओडिशा                      | 1                     | -        | 36                              | -          | Odisha                    |
| त्रिपुरा                   | 9                     | -        | 687                             | -          | Tripura                   |
| उत्तर प्रदेश               | 4                     | -        | 118                             | -          | Uttar Pradesh             |
| <b>योग</b>                 | <b>19</b>             | <b>2</b> | <b>1331</b>                     | <b>165</b> | <b>Total</b>              |

टिप्पणी: अरुणाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, पश्चिम बंगाल एवं दिल्ली के संबंध में वर्ष 2015 की सूचना अनुपलब्ध है तथा शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सूचना शून्य है।

Note : Information for the year 2015 in respect of Arunachal Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Nagaland, West Bengal and Delhi is not available and remaining States/Union Territories is 'Nil'

सारणी 5.8  
Table 5.8

|               | क A       | ख B      | क A         | ख B      |                  |
|---------------|-----------|----------|-------------|----------|------------------|
| 1             | 2         | 3        | 4           | 5        | 1                |
| <b>2016*</b>  |           |          |             |          |                  |
| हिमाचल प्रदेश | 3         | -        | 204         | -        | Himachal Pradesh |
| ओडिशा         | 2         | -        | 944         | -        | Odisha           |
| त्रिपुरा      | 14        | -        | 566         | -        | Tripura          |
| उत्तर प्रदेश  | 6         | -        | 345         | -        | Uttar Pradesh    |
| उत्तराखण्ड    | 1         | -        | 21          | -        | Uttrakhand       |
| <b>योग</b>    | <b>26</b> | <b>-</b> | <b>2079</b> | <b>-</b> | <b>Total</b>     |

स्रोत : श्रम ब्यूरो (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्राप्त विवरणियाँ)  
Source: Labour Bureau(Returns received under Industrial Disputes Act, 1947)

क राज्य क्षेत्र A State Sphere ख केन्द्रीय क्षेत्र B Central Sphere

टिप्पणी: अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, और पश्चिम बंगाल के संबंध में वर्ष 2016 की सूचना अनुपलब्ध है तथा शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सूचना शून्य है।

Note : Information for the year 2016 in respect of Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Nagaland and West Bengal is not available and remaining States/Union Territories is 'Nil'.

5.9 छंटनीओं की संख्या तथा उनसे प्रभावित कर्मकार (राज्यानुसार)  
**5.9 Number of Retrenchments and Workers Retrenched  
there by (By States)**

| राज्य/संघ<br>राज्य क्षेत्र | छंटनीओं की<br>संख्या<br>No. of<br>Retrenchments |           | प्रभावित<br>कर्मकारों की<br>संख्या<br>No. of<br>Workers<br>affected |            | State/ Union<br>Territory |
|----------------------------|---|-----------|---|------------|---------------------------|
|                            | क A   | ख B       | क A   | ख B        |                           |
| 1                          | 2   | 3         | 4   | 5          | 1                         |
| <b>2015*</b>               |   |           |   |            |                           |
| केरल                       | 1   | -         | 24  | -          | Kerala                    |
| ओडिशा                      | -   | 10        | -   | 422        | Odisha                    |
| राजस्थान                   | -   | 1         | -   | 87         | Rajasthan                 |
|                            | <b>1</b>  | <b>11</b> | <b>24</b>   | <b>509</b> | <b>Total</b>              |

टिप्पणी: अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, पश्चिम बंगाल एवं दिल्ली के संबंध में वर्ष 2015 की सूचना अनुपलब्ध है तथा शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सूचना शून्य है।

Note : Information for the year 2015 in respect of Arunachal Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Nagaland, West Bengal and Delhi is not available and remaining States/Union Territories is 'Nil'

सारणी 5.9  
Table 5.9

|               | क A      | ख B      | क A       | ख B         |                  |
|---------------|----------|----------|-----------|-------------|------------------|
| 1             | 2        | 3        | 4         | 5           | 1                |
| <b>2016*</b>  |          |          |           |             |                  |
| हिमाचल प्रदेश | 1        | -        | 5         | -           | Himachal Pradesh |
| महाराष्ट्र    | -        | 2        | -         | 66          | Maharashtra      |
| ओडिशा         | -        | 1        | -         | 3559        | Odisha           |
| तेलंगाना      | 1        | -        | 15        | -           | Telangana        |
| <b>योग</b>    | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>20</b> | <b>3628</b> | <b>Total</b>     |

स्रोत : श्रम ब्यूरो (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्राप्त विवरणियाँ)  
 Source: Labour Bureau (Returns received under Industrial Disputes Act, 1947)  
 क राज्य क्षेत्र ख केन्द्रीय क्षेत्र  
 A State Sphere B Central Sphere  
 टिप्पणी: अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड एवं पश्चिम बंगाल के संबंध में वर्ष 2016 की सूचना अनुपलब्ध है तथा शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सूचना शून्य है।  
 Note : Information for the year 2016 in respect of Arunachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Nagaland and West Bengal is not available and remaining States/Union Territories is 'Nil'.

**5.10 ईकाईयों में प्रभावित कामबन्दी, प्रभावित कर्मकार तथा मानव दिनों की हानि (राज्यानुसार)**

**5.10 No. of Units affecting Lay-off, Workers Laid-off and Mandays Lost (By States)**

| राज्य/<br>संघ<br>राज्य<br>क्षेत्र | कामबन्दी<br>की संख्या<br>No. of<br>Lay-Offs |          | प्रभावित कर्मकारों<br>की संख्या<br>No. of Workers<br>affected |          | मानव दिनों की<br>हानि की संख्या<br>No. of Mandays<br>lost |          | State/<br>Union<br>Territory |
|-----------------------------------|---|----------|---|----------|---|----------|------------------------------|
|                                   | कA  | ख B      | क A   | ख B      | क A   | ख B      |                              |
| 1                                 | 2   | 3        | 4   | 5        | 6   | 7        | 1                            |
| <b>2015*</b>                      |   |          |   |          |   |          |                              |
| आन्ध्र प्रदेश                     | 1   | -        | 39  | -        | 4134  | -        | Andhra Pradesh               |
| कर्नाटक                           | 23  | -        | 345   | -        | 901   | -        | Karnataka                    |
| केरल                              | 20  | -        | 1689  | -        | 73684   | -        | Kerala                       |
| पुडुचेरी                          | 2   | -        | 910   | -        | 254639  | -        | Puducherry                   |
| तमिलनाडू                          | 1   | -        | 140   | -        | 11480   | -        | Tamilnadu                    |
| तेलंगाणा                          | 1   | -        | 307   | -        | 2456  | -        | Telangana                    |
| उत्तर प्रदेश                      | 3   | -        | 224   | -        | 16170   | -        | Uttar Pradesh                |
| <b>योग</b>                        | <b>51</b>                                   | <b>-</b> | <b>3654</b>   | <b>-</b> | <b>363464</b>   | <b>-</b> | <b>Total</b>                 |

टिप्पणी: अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, पश्चिम बंगाल एवं दिल्ली के संबंध में वर्ष 2015 की सूचना अनुपलब्ध है तथा शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सूचना शून्य है।

Note : Information for the year 2015 in respect of Arunachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Maharashtra, Nagaland, West Bengal and Delhi is not available and remaining States/Union Territories is 'Nil'.

सारणी 5.10  
Table 5.10

|              | 1         | 2 | 3           | 4 | 5             | 6 | 7              | 1 |
|--------------|-----------|---|-------------|---|---------------|---|----------------|---|
| <b>2016*</b> |           |   |             |   |               |   |                |   |
| आंध्र प्रदेश | 1         | - | 39          | - | 12402         | - | Andhra Pradesh |   |
| बिहार        | 2         | - | 53          | - | 1401          | - | Bihar          |   |
| हरियाणा      | 2         | - | 164         | - | 27976         | - | Haryana        |   |
| कर्नाटक      | 4         | - | 41          | - | 146           | - | Karnataka      |   |
| केरल         | 14        | - | 2431        | - | 424650        | - | Kerala         |   |
| पुडुचेरी     | 2         | - | 911         | - | 206995        | - | Puducherry     |   |
| तेलंगाना     | 2         | - | 321         | - | 95720         | - | Telangana      |   |
| उत्तर प्रदेश | 2         | - | 240         | - | 3090          | - | Uttar Pradesh  |   |
| योग          | <b>29</b> | - | <b>4200</b> | - | <b>772380</b> | - | Total          |   |

स्रोत : श्रम ब्यूरो (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्राप्त विवरणियाँ)

Source: Labour Bureau (Returns received under Industrial Disputes Act, 1947)

क राज्य क्षेत्र

ख केन्द्रीय क्षेत्र

A State Sphere

B Central Sphere

टिप्पणी: अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, एवं पश्चिम बंगाल के संबंध में वर्ष 2016 की सूचना अनुपलब्ध है तथा शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सूचना शून्य है।

Note : Information for the year 2016 in respect of Arunachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Nagaland and West Bengal is not available and remaining States/Union Territories is 'Nil'.

6.1 (क) कारखानों में औद्योगिक क्षतियां, उनकी आपात एवं आवृत्ति दर  
(राज्यानुसार)

6.1 (a) Industrial Injuries in Factories, their Incidence and  
Frequency Rates (by States)

| State/<br>UT | क्षतियों की संख्या<br>Number of injuries |                    | आपात दर (प्रति हजार नियोजित कर्मकार)<br>Incidence rate (Per thousand workers employed) |                    | आवृत्ति दर (प्रति एक लाख कार्य दिवस)<br>Frequency rate (per one lakh mandays worked) |                    | राज्य/<br>संघ राज्य क्षेत्र |
|--------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|-----------------------------|
|              | घातक<br>Fatal                            | अघातक<br>Non-Fatal | घातक<br>Fatal  | अघातक<br>Non-Fatal | घातक<br>Fatal  | अघातक<br>Non-Fatal |                             |
| 1            | 2  | 3                  | 4  | 5                  | 6  | 7                  | 1                           |
| <b>2013</b>  |  |                    |  |                    |  |                    |                             |
| आंध्र प्रदेश | 152                                      | 562                | 0.25   | 0.93               | 0.16   | 0.6                | Andhra Pradesh              |
| असम          | 4  | 101                | 0.02   | 0.51               | 0.04   | 0.95               | Assam                       |
| बिहार        | 4  | 156                | 0.02   | 0.83               | 0.08   | 3.3                | Bihar                       |
| चण्डीगढ़     | -  | 2                  | -  | 0.16               | -  | 0.09               | Chandigarh                  |
| छत्तीसगढ़    | 97                                       | 59                 | 0.37   | 0.22               | 0.31   | 0.19               | Chhattisgarh                |
| गोवा         | 10                                       | 45                 | 0.14   | 0.63               | 0.05   | 0.22               | Goa                         |
| हरियाणा      | 41                                       | 37                 | 0.05   | 0.04               | 0.01   | 0.01               | Haryana                     |
| झारखण्ड      | 37                                       | 93                 | 0.14   | 0.36               | 0.3  | 0.75               | Jharkhand                   |
| मेघालय       | -  | 15                 | -  | 1.44               | -  | 1.68               | Meghalaya                   |
| पुडुचेरी     | 3  | 25                 | 0.04   | 0.31               | 0.04   | 0.31               | Puducherry                  |
| राजस्थान     | 55                                       | 706                | 0.11   | 1.42               | 0.11   | 1.41               | Rajasthan                   |

सारणी 6.1 (क)  
Table 6.1 (a)

| 1          | 2          | 3           | 4           | 5           | 6           | 7          | 1            |
|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| तेलंगाना   | 89         | 145         | 0.15        | 0.25        | 0.12        | 0.19       | Telangana    |
| त्रिपुरा   | 2          | 5           | 0.04        | 0.09        | 0.07        | 0.17       | Tripura      |
| <b>योग</b> | <b>494</b> | <b>1951</b> | <b>0.14</b> | <b>0.53</b> | <b>0.08</b> | <b>0.3</b> | <b>Total</b> |

**2014**

|               |     |      |      |      |      |      |                  |
|---------------|-----|------|------|------|------|------|------------------|
| आंध्र प्रदेश  | 78  | 243  | 0.12 | 0.39 | 0.06 | 0.2  | Andhra Pradesh   |
| असम           | 13  | 58   | 0.06 | 0.28 | 0.1  | 0.45 | Assam            |
| बिहार         | 2   | 7    | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.44 | Bihar            |
| छत्तीसगढ़     | 113 | 75   | 0.39 | 0.26 | 0.35 | 0.23 | Chhattisgarh     |
| गोवा          | 5   | 82   | 0.07 | 1.1  | 0.03 | 0.41 | Goa              |
| हरियाणा       | 41  | 37   | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | Haryana          |
| हिमाचल प्रदेश | 11  | 125  | 0.03 | 0.4  | 0.02 | 0.24 | Himachal Pradesh |
| झारखण्ड       | 31  | 96   | 0.12 | 0.37 | 0.17 | 0.53 | Jharkhand        |
| महाराष्ट्र    | 65  | 2271 | 0.03 | 1.1  | 0.02 | 0.53 | Maharashtra      |
| मेघालय        | 2   | 7    | 0.18 | 0.64 | 0.23 | 0.81 | Meghalaya        |
| नागालैंड      | -   | -    | -    | -    | -    | -    | Nagaland         |
| पुडुचेरी      | 6   | 12   | 0.07 | 0.14 | 0.08 | 0.16 | Puducherry       |
| राजस्थान      | 55  | 707  | 0.11 | 1.41 | 0.11 | 1.37 | Rajasthan        |
| तेलंगाना      | 71  | 167  | 0.12 | 0.28 | 0.08 | 0.19 | Telangana        |
| त्रिपुरा      | 2   | 6    | 0.03 | 0.1  | 0.09 | 0.26 | Tripura          |



सारणी 6.1 (क)  
Table 6.1 (a)

| 1  | 2          | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 1                                  |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| अ० एवं<br>नि० द्वीप<br>समूह                  | -          | 55          | -           | 9.37        | -           | 3.92        | A & N<br>Islands                   |
| चण्डीगढ़                                     | -          | -           | -           | -           | -           | -           | Chandigarh                         |
| दादर एवं<br>नगर<br>हवेली व<br>दमन एवं<br>दीव | 20         | 36          | 0.1         | 0.18        | 0.08        | 0.14        | D & N Haveli<br>and Daman &<br>Diu |
| <b>योग</b>                                   | <b>515</b> | <b>3984</b> | <b>0.08</b> | <b>0.63</b> | <b>0.06</b> | <b>0.43</b> | <b>Total</b>                       |

स्रोत : श्रम ब्यूरो (कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघीय क्षेत्रों से प्राप्त विवरणियाँ)  
Source: Labour Bureau (Returns received from different States /U.Ts under  
Factories Act, 1948)

टिप्पण: 1. चार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों यथा अरुणाचल प्रदेश, लक्षदीप, मिजोरम एवं  
सिक्किम में कारखाना अधिनियम, 1948 लागू नहीं है।

- Note : 1. The Factories Act 1948, is not implemented in four States /Union  
Territories viz. Arunachal Pradesh, Lakshadweep, Mizoram and  
Sikkim .  
2. डेटा रह गये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।  
2. Data not received from rest of States / Union Territories.

6 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति 6 ACCIDENTS, SAFETY AND ABSENTEEISM

6.1 (ख) महत्वपूर्ण उद्योगों के अनुसार औद्योगिक क्षतियां उनकी आपात एवं आवृत्ति दर (समूहानुसार)

6.1 (b) Industrial Injuries, their Incidence and Frequency Rates by Important Industries (by groups)

| उद्योग<br>रा० औ०<br>व० 2008<br>Industry<br>NIC<br>2008 | क्षतियों की संख्या<br>Number of<br>injuries |                        | आपात दर<br>(प्रति हजार नियोजित<br>कर्मकार)<br>Incidence rate<br>(per thousand<br>workers employed) |                        | क्षतियों की संख्या<br>(प्रति लाख कर्मकार<br>दिवस)<br>Frequency Rate<br>(per one lakh<br>mandays worked) |                        |
|--|---|------------------------|--|------------------------|---|------------------------|
|  | घातक<br>Fatal                               | अघातक<br>Non-<br>Fatal | घातक<br>Fatal  | अघातक<br>Non-<br>Fatal | घातक<br>Fatal   | अघातक<br>Non-<br>Fatal |
|  | 1   | 2                      | 3  | 4                      | 5   | 6                      |
|  | <b>2013</b>                                 |                        |  |                        |   |                        |
| 01   | -   | 1                      | -  | 0.01                   | -   | 0.03                   |
| 05   | 1   | -                      | 0.27   | -                      | 0.15  | -                      |
| 07   | 1   | 1                      | 0.78   | 0.78                   | 279.33  | 279.33                 |
| 08   | 3   | -                      | 0.26   | -                      | 0.28  | -                      |
| 10   | 38  | 296                    | 0.07   | 0.57                   | 0.09  | 0.7                    |
| 11   | 1   | 15                     | 0.02   | 0.3                    | 0.02  | 0.26                   |
| 12   | 1   | 6                      | 0.04   | 0.26                   | 0.03  | 0.18                   |
| 13   | 66  | 455                    | 0.25   | 1.74                   | 0.3   | 2.06                   |
| 15   | 2   | 6                      | 0.05   | 0.14                   | -   | -                      |
| 16   | 1   | 21                     | 0.01   | 0.29                   | 0.04  | 0.87                   |
| 17   | 14  | 35                     | 0.24   | 0.59                   | 0.18  | 0.44                   |
| 19   | 40  | 21                     | 0.56   | 0.3                    | 0.71  | 0.37                   |

6 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति 6 ACCIDENTS, SAFETY AND ABSENTEEISM

सारणी 6.1 (ख)  
Table 6.1 (b)

| 1         | 2   | 3    | 4     | 5    | 6     | 7    |
|-----------|-----|------|-------|------|-------|------|
| 20        | 36  | 161  | 0.25  | 1.12 | 0.17  | 0.78 |
| 21        | 13  | 21   | 0.12  | 0.19 | 0.06  | 0.1  |
| 22        | 13  | 41   | 0.1   | 0.33 | 0.08  | 0.27 |
| 23        | 48  | 239  | 0.1   | 0.48 | 0.14  | 0.71 |
| 24        | 101 | 173  | 0.23  | 0.39 | 0.19  | 0.33 |
| 25        | 16  | 41   | 0.07  | 0.18 | 0.07  | 0.19 |
| 26        | 1   | 1    | 0.02  | 0.02 | 0.02  | 0.02 |
| 27        | 5   | 28   | 0.05  | 0.27 | 0.03  | 0.19 |
| 28        | 4   | 9    | 0.02  | 0.05 | 0.02  | 0.05 |
| 29        | 7   | 19   | 0.08  | 0.22 | 0.01  | 0.03 |
| 30        | 4   | 80   | 0.05  | 1.08 | 0.04  | 0.85 |
| 31        | 2   | 22   | 0.12  | 1.37 | 0.5   | 5.5  |
| 32        | 10  | 87   | 0.34  | 2.96 | 0.41  | 3.56 |
| 33        | 10  | 100  | 0.66  | 6.58 | 0.38  | 3.78 |
| 35        | 47  | 65   | 0.46  | 0.63 | 0.27  | 0.37 |
| 41        | 2   | -    | 60.61 | -    | 39.94 | -    |
| 45        | 6   | 4    | 0.07  | 0.05 | 0.07  | 0.05 |
| 52        | 1   | 3    | 0.05  | 0.14 | 0.03  | 0.1  |
| योग Total | 494 | 1951 | 0.14  | 0.53 | 0.08  | 0.3  |

6 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति 6 ACCIDENTS, SAFETY AND ABSENTEEISM

सारणी 6.1 (ख)  
Table 6.1 (b)

| 1           | 2   | 3   | 4    | 5    | 6    | 7    |
|-------------|-----|-----|------|------|------|------|
| <b>2014</b> |     |     |      |      |      |      |
| 01          | 3   | 1   | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.02 |
| 05          | 1   | -   | 0.21 | -    | 0.15 | -    |
| 08          | 5   | 1   | 0.37 | 0.07 | 0.37 | 0.07 |
| 10          | 43  | 331 | 0.05 | 0.42 | 0.04 | 0.34 |
| 11          | 2   | 61  | 0.03 | 0.79 | 0.02 | 0.56 |
| 12          | 3   | 8   | 0.1  | 0.27 | 0.08 | 0.23 |
| 13          | 19  | 824 | 0.04 | 1.52 | 0.02 | 0.93 |
| 14          | -   | 1   | -    | 0.01 | -    | -    |
| 15          | 4   | -   | 0.07 | -    | 0.06 | -    |
| 16          | -   | 18  | -    | 0.16 | -    | 0.27 |
| 17          | 10  | 46  | 0.08 | 0.38 | 0.06 | 0.3  |
| 18          | 8   | 15  | 0.09 | 0.17 | 0.07 | 0.14 |
| 19          | 16  | 14  | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.17 |
| 20          | 31  | 306 | 0.1  | 1.01 | 0.06 | 0.57 |
| 21          | 26  | 91  | 0.09 | 0.33 | 0.05 | 0.16 |
| 22          | 19  | 119 | 0.06 | 0.4  | 0.04 | 0.27 |
| 23          | 58  | 121 | 0.1  | 0.21 | 0.11 | 0.23 |
| 24          | 134 | 469 | 0.22 | 0.79 | 0.14 | 0.5  |
| 25          | 14  | 245 | 0.03 | 0.5  | 0.02 | 0.38 |
| 26          | 4   | 3   | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 27          | 10  | 112 | 0.04 | 0.5  | 0.03 | 0.3  |
| 28          | 9   | 284 | 0.03 | 0.9  | 0.02 | 0.53 |
| 29          | 5   | 135 | 0.02 | 0.59 | 0.01 | 0.28 |

6 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति 6 ACCIDENTS, SAFETY AND ABSENTEEISM

सारणी 6.1 (ख)  
Table 6.1 (b)

| 1         | 2          | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 30        | 9          | 224         | 0.07        | 1.64        | 0.03        | 0.87        |
| 31        | 1          | 23          | 0.04        | 0.95        | 0.07        | 1.5         |
| 32        | 23         | 99          | 0.21        | 0.92        | 0.13        | 0.57        |
| 33        | -          | 202         | -           | 3.91        | -           | 2.11        |
| 35        | 40         | 91          | 0.24        | 0.54        | 0.13        | 0.29        |
| 36        | 8          | -           | 0.75        | -           | 0.56        | -           |
| 39        | 2          | 1           | 1.83        | 0.92        | 0.37        | 0.19        |
| 41        | 1          | -           | 0.55        | -           | 0.22        | -           |
| 45        | 7          | 127         | 0.04        | 0.75        | 0.03        | 0.55        |
| 47        | -          | 2           | -           | 0.12        | -           | 0.06        |
| 52        | -          | 9           | -           | 0.26        | -           | 0.23        |
| 72        | -          | 1           | -           | 0.13        | -           | 0.06        |
| योग Total | <b>515</b> | <b>3984</b> | <b>0.08</b> | <b>0.63</b> | <b>0.06</b> | <b>0.43</b> |

स्रोत : श्रम ब्यूरो (कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघीय क्षेत्रों से प्राप्त विवरणियाँ)  
Source: Labour Bureau(Returns received from different States /U.Ts under Factories Act, 1948)

टिप्पणी : 1. घातक और अघातक क्षतियों की दरों के योग से कुल क्षतियों की दर प्राप्त होती है। क्षतियों की संख्या (घातक और अघातक) दुर्घटना की सूचना पर आधारित है, जबकि आपात दर कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत प्राप्त वार्षिक विवरणियों में रिपोर्ट की गई क्षतियों के आधार पर निकाली गई है।

Note : 1. The number of injuries (fatal and non-fatal) have been worked out on the basis of notices of accidents whereas the incidence rate has been worked out on the basis of injuries reported in the annual returns received under the Factories Act, 1948.

उद्योग संकेतों का विवरण कृपया अनुबन्ध-क में देखें।

For details of Industry codes please see Annexure-A.

6.2 राज्य/संघ क्षेत्रों अनुसार प्रत्यक्ष रूप में नियोजित नियमित श्रमिकों की  
अनुपस्थिति की दरें6.2 State/UT wise Absenteeism rates amongst directly employed  
regular workers

| राज्य/<br>संघ राज्य<br>क्षेत्र | प्रत्यक्ष रूप में नियमित<br>कर्मकारों को नियुक्त करने<br>वाले कारखानों की संख्या<br>No. of factories reporting<br>directly employed<br>regular workers | अनुपस्थिति सूचित<br>करने वाले कारखानों<br>की प्रतिशतता<br>Percentage of<br>factories reporting<br>absenteeism | कार्य हेतु अनुसूचित<br>मानव दिवस<br>(000' में )<br>Mandays<br>scheduled to<br>work (in 000's) | State/<br>Union<br>Territory |
|--------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| 1                              | 2  | 3   | 4   | 1                            |
| <b>2012</b>                    |  |   |   |                              |
| जम्मू एवं कश्मीर               | 718  | 99.44   | 2930  | J & K                        |
| हिमाचल प्रदेश                  | 2323   | 99.91   | 21876   | H. P.                        |
| पंजाब                          | 8148   | 99.39   | 41826   | Punjab                       |
| चण्डीगढ़                       | 261  | 100   | 1262  | Chandigarh                   |
| उत्तराखण्ड                     | 1910   | 94  | 7389  | Uttarakhand                  |
| हरियाणा                        | 4291   | 98.99   | 29569   | Haryana                      |
| दिल्ली                         | 2679   | 99.81   | 10456   | Delhi                        |
| राजस्थान                       | 6013   | 93.31   | 468539  | Rajasthan                    |
| उत्तर प्रदेश                   | 10037  | 98.09   | 48343   | U. P.                        |
| बिहार                          | 1158   | 96.93   | 2839  | Bihar                        |
| सिक्किम                        | 53   | 100   | 1010  | Sikkim                       |
| नागालैंड                       | 67   | 47.76   | 433   | Nagaland                     |
| मणिपुर                         | 22   | 100   | 46  | Manipur                      |
| त्रिपुरा                       | 73   | 91.78   | 556   | Tripura                      |
| मेघालय                         | 83   | 100   | 78  | Meghalaya                    |
| असम                            | 1666   | 81.05   | 12060   | Assam                        |

सारणी 6.2  
Table 6.2

| 1                     | 2      | 3     | 4       | 1             |
|-----------------------|--------|-------|---------|---------------|
| पश्चिम बंगाल          | 5794   | 98.24 | 61611   | West Bengal   |
| झारखण्ड               | 1237   | 94.51 | 10729   | Jharkhand     |
| ओडिशा                 | 1620   | 95.62 | 10666   | Odisha        |
| छत्तीसगढ़             | 1966   | 98.44 | 19262   | Chhattisgarh  |
| मध्य प्रदेश           | 3022   | 99.31 | 21068   | M. P.         |
| गुजरात                | 15507  | 99.61 | 150106  | Gujarat       |
| दमन एवं दीव           | 1255   | 100   | 10454   | Daman & Diu   |
| दादर एवं नगर हवेली    | 912    | 100   | 10619   | D & N Haveli  |
| महाराष्ट्र            | 18212  | 98.52 | 134208  | Maharashtra   |
| आंध्र प्रदेश          | 7938   | 95.86 | 43111   | A. P.         |
| कर्नाटक               | 8445   | 98.93 | 107372  | Karnataka     |
| गोवा                  | 454    | 99.56 | 2523    | Goa           |
| केरल                  | 5703   | 98.92 | 51083   | Kerala        |
| तमिल नाडु             | 22226  | 99.33 | 193500  | Tamil Nadu    |
| पुडुचेरी              | 535    | 95.89 | 5230    | Puducherry    |
| अ० एवं नि० द्वीप समूह | 12     | 100   | 7       | A & N Islands |
| तेलंगाना              | 6872   | 91.62 | 47685   | Telangana     |
| अखिल भारत             | 141213 | 97.84 | 1528446 | All India     |
| सार्वजनिक             | 3129   | 97.8  | 106649  | Public        |
| निजी                  | 138083 | 97.84 | 1421798 | Private       |

सारणी 6.2  
Table 6.2

| राज्य/<br>संघ राज्य<br>क्षेत्र | अनुपस्थिति के कारण<br>मानव दिवसों की हानि<br>(000' में )<br>Mandays lost due to<br>absence (in 000's) | वर्ष के दौरान<br>अनुपस्थिति की<br>प्रतिशतता<br>Percentage of<br>Absenteeism during<br>the year |       | State/Union<br>Territory |
|--------------------------------|---|--|-------|--------------------------|
|                                |   | 2012   | 2011  |                          |
|                                |   | 1  | 5     |                          |
| जम्मू एवं कश्मीर               | 184   | 5.92   | 5.71  | J & K                    |
| हिमाचल प्रदेश                  | 3786  | 14.75  | 9.72  | H. P.                    |
| पंजाब                          | 5289  | 11.23  | 9.98  | Punjab                   |
| चण्डीगढ़                       | 120   | 8.72   | 5.67  | Chandigarh               |
| उत्तराखण्ड                     | 1689  | 18.61  | 8.39  | Uttarakhand              |
| हरियाणा                        | 3282  | 9.99   | 10.95 | Haryana                  |
| दिल्ली                         | 1251  | 10.68  | 14.42 | Delhi                    |
| राजस्थान                       | 7045  | 1.48   | 9.14  | Rajasthan                |
| उत्तर प्रदेश                   | 5334  | 9.94   | 9.21  | U. P.                    |
| बिहार                          | 289   | 9.25   | 5.25  | Bihar                    |
| सिक्किम                        | 10  | 0.95   | 1.96  | Sikkim                   |
| नागालैंड                       | 0   | 0.04   | 0.55  | Nagaland                 |
| मणिपुर                         | 3   | 5.20   | 5.80  | Manipur                  |
| त्रिपुरा                       | 24  | 4.10   | 0.87  | Tripura                  |
| मेघालय                         | 22  | 21.78  | 2.67  | Meghalaya                |
| असम                            | 506   | 4.03   | 5.30  | Assam                    |



सारणी 6.2  
Table 6.2

| 1                     | 5      | 6     | 7     | 1             |
|-----------------------|--------|-------|-------|---------------|
| पश्चिम बंगाल          | 6457   | 9.49  | 8.43  | West Bengal   |
| झारखण्ड               | 990    | 8.45  | 7.30  | Jharkhand     |
| ओडिशा                 | 727    | 6.38  | 9.40  | Odisha        |
| छत्तीसगढ़             | 1122   | 5.51  | 5.23  | Chhattisgarh  |
| मध्य प्रदेश           | 2397   | 10.21 | 6.65  | M. P.         |
| गुजरात                | 16470  | 9.89  | 8.05  | Gujarat       |
| दमन एवं दीव           | 2019   | 16.18 | 10.32 | Daman & Diu   |
| दादर एवं नगर हवेली    | 1360   | 11.36 | 8.48  | D & N Haveli  |
| महाराष्ट्र            | 16740  | 11.09 | 11.07 | Maharashtra   |
| आंध्र प्रदेश          | 2665   | 5.82  | 5.64  | A. P.         |
| कर्नाटक               | 10406  | 8.84  | 9.76  | Karnataka     |
| गोवा                  | 642    | 20.28 | 10.05 | Goa           |
| केरल                  | 8914   | 14.86 | 12.02 | Kerala        |
| तमिल नाडु             | 15118  | 7.25  | 7.06  | Tamil Nadu    |
| पुडुचेरी              | 401    | 7.11  | 38.68 | Puducherry    |
| अ० एवं नि० द्वीप समूह | 13     | 63.79 | 9.88  | A & N Islands |
| तेलंगाना              | 2823   | 5.59  | ..    | Telangana     |
| अखिल भारत             | 118097 | 7.17  | 8.90  | All India     |
| सार्वजनिक             | 10386  | 8.87  | 8.10  | Public        |
| निजी                  | 107712 | 7.04  | 8.95  | Private       |

सारणी 6.2  
Table 6.2

| राज्य/<br>संघ राज्य<br>क्षेत्र | प्रत्यक्ष रूप में नियमित<br>कर्मकारों को नियुक्त करने<br>वाले कारखानों की संख्या<br>No. of factories repor-<br>ting directly employed<br>regular workers | अनुपस्थिति सूचित<br>करने वाले कारखानों<br>की प्रतिशतता<br>Percentage of<br>factories reporting<br>absenteeism | कार्य हेतु अनुसूचित<br>मानव दिवस<br>(000' में )<br>Mandays<br>scheduled to<br>work (in 000's) | State/<br>Union<br>Territory |
|--------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| 1                              | 2  | 3   | 4   | 1                            |
| <b>2013</b>                    |  |   |   |                              |
| जम्मू एवं कश्मीर               | 774  | 99.74   | 5182  | J & K                        |
| हिमाचल प्रदेश                  | 2307   | 99.91   | 15415   | H. P.                        |
| पंजाब                          | 8189   | 98.84   | 47754   | Punjab                       |
| चण्डीगढ़                       | 231  | 100.00  | 922   | Chandigarh                   |
| उत्तराखण्ड                     | 2162   | 90.31   | 10006   | Uttarakhand                  |
| हरियाणा                        | 4553   | 99.55   | 28578   | Haryana                      |
| दिल्ली                         | 2809   | 99.82   | 4899  | Delhi                        |
| राजस्थान                       | 6314   | 99.41   | 27877   | Rajasthan                    |
| उत्तर प्रदेश                   | 10825  | 98.87   | 55129   | U. P.                        |
| बिहार                          | 1179   | 99.66   | 1865  | Bihar                        |
| सिक्किम                        | 58   | 100.00  | 1295  | Sikkim                       |
| नागालैंड                       | 95   | 66.32   | 296   | Nagaland                     |
| मणिपुर                         | 32   | 100.00  | 52  | Manipur                      |
| त्रिपुरा                       | 80   | 100.00  | 134   | Tripura                      |
| मेघालय                         | 84   | 100.00  | 36  | Meghalaya                    |
| असम                            | 1913   | 76.15   | 7079  | Assam                        |

सारणी 6.2  
Table 6.2

| 1                     | 2      | 3      | 4       | 1            |
|-----------------------|--------|--------|---------|--------------|
| पश्चिम बंगाल          | 6495   | 95.18  | 57346   | West Bengal  |
| झारखण्ड               | 1510   | 98.87  | 12657   | Jharkhand    |
| ओडिशा                 | 1536   | 94.30  | 7082    | Odisha       |
| छत्तीसगढ़             | 2067   | 97.42  | 18629   | Chhattisgarh |
| मध्य प्रदेश           | 2991   | 98.58  | 28487   | M. P.        |
| गुजरात                | 15818  | 99.40  | 125566  | Gujarat      |
| दमन एवं दीव           | 1222   | 100.00 | 5589    | Daman & Diu  |
| दादर एवं नगर हवेली    | 855    | 100.00 | 7078    | D & N Haveli |
| महाराष्ट्र            | 19309  | 98.92  | 124965  | Maharashtra  |
| आंध्र प्रदेश          | 7883   | 93.75  | 53451   | A. P.        |
| कर्नाटक               | 9021   | 98.63  | 102764  | Karnataka    |
| गोवा                  | 496    | 100.00 | 4774    | Goa          |
| केरल                  | 5034   | 99.02  | 51331   | Kerala       |
| तमिल नाडु             | 22881  | 98.96  | 193981  | Tamil Nadu   |
| पुडुचेरी              | 636    | 97.14  | 5817    | Puducherry   |
| अ० एवं नि० द्वीप समूह | 13     | 100.00 | 0       | A& N Islands |
| तेलंगाना              | 6917   | 97.46  | 102331  | Telangana    |
| अखिल भारत             | 146288 | 98.02  | 1108367 | All India    |
| सार्वजनिक             | 2919   | 98.44  | 106971  | Public       |
| निजी                  | 143369 | 98.01  | 1001396 | Private      |

सारणी 6.2  
Table 6.2

| राज्य/<br>संघ राज्य<br>क्षेत्र | अनुपस्थिति के कारण<br>मानव दिवसों की हानि<br>(000' में )<br>Mandays lost due to<br>absence (in 000's) | वर्ष के दौरान<br>अनुपस्थिति की<br>प्रतिशतता<br>Percentage of<br>Absenteeism during<br>the year |       | State/Union<br>Territory |
|--------------------------------|---|--|-------|--------------------------|
|                                |   | 2013   | 2012  |                          |
|                                |   | 1  | 5     |                          |
| जम्मू एवं कश्मीर               | 274   | 5.02   | 5.92  | J & K                    |
| हिमाचल प्रदेश                  | 4565  | 22.85  | 14.75 | H. P.                    |
| पंजाब                          | 5771  | 10.78  | 11.23 | Punjab                   |
| चण्डीगढ़                       | 110   | 10.67  | 8.72  | Chandigarh               |
| उत्तराखण्ड                     | 2528  | 20.17  | 18.61 | Uttarakhand              |
| हरियाणा                        | 3501  | 10.91  | 9.99  | Haryana                  |
| दिल्ली                         | 2275  | 31.71  | 10.68 | Delhi                    |
| राजस्थान                       | 7340  | 20.84  | 1.48  | Rajasthan                |
| उत्तर प्रदेश                   | 5437  | 8.98   | 9.94  | U. P.                    |
| बिहार                          | 283   | 13.18  | 9.25  | Bihar                    |
| सिक्किम                        | 18  | 1.35   | 0.95  | Sikkim                   |
| नागालैंड                       | 0   | 0.11   | 0.04  | Nagaland                 |
| मणिपुर                         | 4   | 7.12   | 5.20  | Manipur                  |
| त्रिपुरा                       | 7   | 5.22   | 4.10  | Tripura                  |
| मेघालय                         | 15  | 29.28  | 21.78 | Meghalaya                |
| असम                            | 331   | 4.46   | 4.03  | Assam                    |

सारणी 6.2  
Table 6.2

| 1                     | 5      | 6      | 7     | 1             |
|-----------------------|--------|--------|-------|---------------|
| पश्चिम बंगाल          | 9508   | 14.22  | 9.49  | West Bengal   |
| झारखण्ड               | 1473   | 10.42  | 8.45  | Jharkhand     |
| ओडिशा                 | 902    | 11.30  | 6.38  | Odisha        |
| छत्तीसगढ़             | 936    | 4.78   | 5.51  | Chhattisgarh  |
| मध्य प्रदेश           | 2899   | 9.24   | 10.21 | M. P.         |
| गुजरात                | 15895  | 11.24  | 9.89  | Gujarat       |
| दमन एवं दीव           | 1114   | 16.62  | 16.18 | Daman & Diu   |
| दादर एवं नगर हवेली    | 1388   | 16.39  | 11.36 | D & N Haveli  |
| महाराष्ट्र            | 16459  | 11.64  | 11.09 | Maharashtra   |
| आंध्र प्रदेश          | 3040   | 5.38   | 5.82  | A. P.         |
| कर्नाटक               | 9904   | 8.79   | 8.84  | Karnataka     |
| गोवा                  | 724    | 13.17  | 20.28 | Goa           |
| केरल                  | 7645   | 12.96  | 14.86 | Kerala        |
| तमिल नाडु             | 13927  | 6.70   | 7.25  | Tamil Nadu    |
| पुडुचेरी              | 365    | 5.91   | 7.11  | Puducherry    |
| अ० एवं नि० द्वीप समूह | 10     | 100.00 | 63.79 | A & N Islands |
| तेलंगाना              | 2992   | 2.84   | 5.59  | Telangana     |
| अखिल भारत             | 121642 | 9.89   | 7.17  | All India     |
| सार्वजनिक             | 11726  | 9.88   | 8.87  | Public        |
| निजी                  | 109916 | 9.89   | 7.04  | Private       |

स्रोत : श्रम ब्यूरो (औद्योगिक वार्षिक सर्वेक्षण के अन्तर्गत विवरणियाँ)

Source : Labour Bureau (Returns under the Annual Survey of Industry)

## 7 सामाजिक सुरक्षा

## 7 SOCIAL SECURITY

7.1 कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति क्षतियों की संख्या एवं क्षतिपूर्ति के लिए दी गई धन राशि

7.1 Number of Compensated Injuries and Amount of Compensation paid under the Employees' Compensation Act, 1923

| 1  | 2               | 3               | 1  |
|--|-----------------|-----------------|--|
|  | 2014            | 2015            |  |
| <b>क्षतिपूर्ति क्षतियों की संख्या</b>                    |                 |                 | <b>Number of compensated injuries</b>            |
| क) मृत्यु  | 2542            | 2302            | a) Death   |
| ख) स्थायी विकलांगता                                      | 1801            | 1981            | b) Permanent disablement                         |
| ग) अस्थायी विकलांगता                                     | 3244            | 1697            | c) Temporary disablement                         |
| कुल  | <b>7587</b>     | <b>5980</b>     | Total  |
| <b>क्षतिपूर्ति के लिये दी गई धन राशि (रुपये लाख में)</b> |                 |                 | <b>Amount of compensation paid (Rs. In lakh)</b> |
| क) मृत्यु  | 10647.05        | 12815.80        | a) Death   |
| ख) स्थायी विकलांगता                                      | 3619.49         | 4394.34         | b) Permanent disablement                         |
| ग) अस्थायी विकलांगता                                     | 1132.38         | 564.24          | c) Temporary disablement                         |
| कुल  | <b>15398.92</b> | <b>17774.38</b> | Total  |

स्रोत : श्रम ब्यूरो (कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणियाँ)  
Source : Labour Bureau (Annual Returns under Employees' Compensation Act, 1923.)

आंकड़े केवल उत्तर देने वाले राज्यों से संबन्धित हैं। तालिका में व्यवसायिक बिमारी के आंकड़ें शामिल नहीं हैं।

The data relate to the responding States only. Data relating to occupational Disease not included in table.

7.2 मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत दिए गए मातृत्व लाभ  
7.2 Maternity Benefits paid under the Maternity  
Benefit Act, 1961

|                               | 2014    | 2015    |                           |
|-------------------------------|---------|---------|---------------------------|
| 1                             | 2       | 3       | 1                         |
| <b>कारखाने</b>                |         |         | <b>Factories</b>          |
| (क) नियोजित महिलाओं की संख्या | 445002  | 384683  | a) No. of women employed  |
| (ख) दावे (संख्या)             | 4110    | 4611    | b) Claims (number)        |
| (ग) प्रदत्त                   |         |         | c) Paid :                 |
| (i) संख्या                    | 3905    | 3781    | i) Number                 |
| (ii) धन राशी (रुपये लाख में)  | 3040.28 | 3228.17 | ii) Amount (Rs. In Lakhs) |
| <b>बागान</b>                  |         |         | <b>Plantations</b>        |
| (क) नियोजित महिलाओं की संख्या | 115647  | 292325  | a) No. of women employed  |
| (ख) दावे (संख्या)             | 27806   | 31757   | b) Claims (number)        |

सारणी 7.2  
Table 7.2

| 1                                | 2       | 3       | 1                           |
|----------------------------------|---------|---------|-----------------------------|
| (ग) प्रदत्त                      |         |         | c) Paid :                   |
| i) संख्या                        | 26761   | 17482   | i) Number                   |
| ii) धन राशी<br>(रुपये लाख में)   | 802.97  | 758.69  | ii) Amount<br>(Rs.in lakhs) |
| <b>अन्य</b>                      |         |         | <b>Others</b>               |
| (क) नियोजित<br>महिलाओं की संख्या | 238493  | 292251  | a) No. of women<br>employed |
| (ख) दावे (संख्या)                | 3119    | 4755    | b) Claims<br>(number)       |
| (ग) प्रदत्त                      |         |         | c) Paid :                   |
| i) संख्या                        | 2116    | 2997    | i) Number                   |
| ii) धन राशी<br>(रुपये लाख में)   | 2220.07 | 2866.25 | ii) Amount<br>(Rs.in lakhs) |

स्रोत : श्रम ब्यूरो (मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणियाँ)  
Source : Labour Bureau (Annual Returns under the Maternity Benefit Act, 1961)

आंकड़ें केवल विवरणियां सम्मिलित करने वाले राज्यों से संबंधित हैं।  
Data relates only to States submitting returns.



8.1 भिन्न-भिन्न देशों में चयनित मुख्य उद्योग समूहों में नियोजन  
(आर्थिक क्रियाशीलता के अनुसार) ('000 में)8.1 Employment in Selected Major Groups of Industries in  
Different Countries (by Economic Activity) (in 000's)

| देश             | खनन और खदान |      | Country         |
|-----------------|-------------|------|-----------------|
|                 | 2016        | 2017 |                 |
| अफ्रीका         |             |      | <b>Africa</b>   |
| मोरिशियस +      | ..          | ..   | Mauritius+      |
| अमेरिका         |             |      | <b>America</b>  |
| कनाडा#          | 264         | ..   | Canada#         |
| संयुक्त राष्ट्र | 643         | 609  | United States   |
| एशिया           |             |      | <b>Asia</b>     |
| भारत            | ..          | ..   | India           |
| जापान+          | 30          | 30   | Japan+          |
| पाकिस्तान+      | 94          | ..   | Pakistan+       |
| श्री लंका       | 60          | 63   | Sri Lanka       |
| यूरोप           |             |      | <b>Europe</b>   |
| फ्रांस+         | 28          | 21   | France+         |
| जर्मनी+         | 85          | 79   | Germany+        |
| इटली+           | 32          | 32   | Italy+          |
| स्लोवाकिया+     | 11          | 13   | Slovakia+       |
| ब्रिटेन+        | 115         | 122  | United Kingdom+ |
| ओशेनिया         |             |      | <b>Oceania</b>  |
| आस्ट्रेलिया+    | 225         | ..   | Australia+      |
| न्यूजीलैंड+     | ..          | ..   | New Zealand+    |

| चिनिमाण         |       |       |                 |
|-----------------|-------|-------|-----------------|
| Manufacturing   |       |       |                 |
| देश             | 2016  | 2017  | Country         |
| <b>अफ्रीका</b>  |       |       | <b>Africa</b>   |
| मोरिशियस+       | 114   | 109   | Mauritius+      |
| <b>अमेरिका</b>  |       |       | <b>America</b>  |
| कनाडा#          | 1742  | 1725  | Canada#         |
| संयुक्त राष्ट्र | 16382 | 16373 | United States   |
| <b>एशिया</b>    |       |       | <b>Asia</b>     |
| भारत            | ..    | ..    | India           |
| जापान+          | 10670 | 10790 | Japan+          |
| पाकिस्तान+      | 9069  | ..    | Pakistan+       |
| श्री लंका       | 1421  | 1581  | Sri Lanka       |
| <b>यूरोप</b>    |       |       | <b>Europe</b>   |
| फ्रांस+         | 3231  | 3291  | France+         |
| जर्मनी+         | 7904  | 7932  | Germany+        |
| इटली+           | 4148  | 4188  | Italy+          |
| स्लोवाकिया+     | 610   | 624   | Slovakia+       |
| ब्रिटेन+        | 2991  | 2919  | United Kingdom+ |
| <b>ओशेनिया</b>  |       |       | <b>Oceania</b>  |
| आस्ट्रेलिया+    | 975   | 888   | Australia+      |
| न्यूजीलैण्ड+    | 243   | 252   | New Zealand+    |

| परिवहन एवं भंडारण Transport and Storage |      |      |                 |
|---|------|------|-----------------|
| देश                                     | 2016 | 2017 | Country         |
| <b>अफ्रीका</b>                          |      |      | <b>Africa</b>   |
| मोरिशियस+                               | 35   | 38   | Mauritius+      |
| <b>अमेरिका</b>                          |      |      | <b>America</b>  |
| कनाडा#                                  | 1105 | ..   | Canada#         |
| संयुक्त राष्ट्र                         | 8659 | 8836 | United States   |
| <b>एशिया</b>                            |      |      | <b>Asia</b>     |
| भारत                                    | ..   | ..   | India           |
| जापान+                                  | 3710 | 3720 | Japan+          |
| पाकिस्तान+                              | 2956 | ..   | Pakistan+       |
| श्री लंका                               | 516  | 513  | Sri Lanka       |
| <b>यूरोप</b>                            |      |      | <b>Europe</b>   |
| फ्रांस+                                 | 1463 | 1452 | France+         |
| जर्मनी+                                 | 2017 | 2083 | Germany+        |
| इटली+                                   | 1085 | 1110 | Italy+          |
| स्लोवाकिया+                             | 164  | 161  | Slovakia+       |
| ब्रिटेन+                                | 1611 | 1572 | United Kingdom+ |
| <b>ओशेनिया</b>                          |      |      | <b>Oceania</b>  |
| ऑस्ट्रेलिया+                            | 623  | ..   | Australia+      |
| न्यूजीलैंड+                             | ..   | ..   | New Zealand+    |

स्रोत : आई एल ओ वेबसाइट (www.ilo.org) on 13 Mar, 2019

Source : ILO website (www.ilo.org) on 13 Mar, 2019

+ अन्तरराष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण संशोधन 4 + ISIC Rev 4

^ परिवहन, भंडारण एवं संचार पर आधारित आंकड़े

^ Transport, Storage and communication

# अन्तरराष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण संशोधन 3 # ISIC Rev 3

## 8 अन्तर्राष्ट्रीय तुलना

## 8 INTERNATIONAL COMPARISON

8.2 चुने हुए देशों में विनिर्माण में कर्मचारियों का औसत माहवार अभिहित  
उपार्जन (स्थानीय मुद्रा) (आर्थिक क्रियाशीलता के अनुसार)8.2 Mean Nominal monthly Earnings of Employees in Manufacturing in  
Selected Countries (local Currency) (by Economic Activity)

| देश              | 2016   | 2017   | Country         |
|------------------|--------|--------|-----------------|
| <b>अफ्रीका</b>   |        |        | <b>Africa</b>   |
| मोरिशियस+        | 14742  | 15646  | Mauritius+      |
| मिस्र+           | 2000   | 2258   | Egypt+          |
| <b>अमेरिका</b>   |        |        | <b>America</b>  |
| कनाडा#           | 1000   | ..     | Canada#         |
| संयुक्त राष्ट्र^ | 1058   | 1085   | United States^  |
| <b>एशिया</b>     |        |        | <b>Asia</b>     |
| भारत             | ..     | ..     | India           |
| जापान+           | 295100 | 294500 | Japan+          |
| श्रीलंका         | 23339  | ..     | Sri Lanka       |
| पाकिस्तान+       | ..     | ..     | Pakistan+       |
| <b>यूरोप</b>     |        |        | <b>Europe</b>   |
| स्लोवाकिया+      | 1074   | 1142   | Slovakia+       |
| फ्रांस           | ..     | ..     | France          |
| ब्रिटेन+         | 2681   | 2712   | United Kingdom+ |
| जर्मनी+          | 4462   | 4552   | Germany+        |
| <b>ओशेनिया</b>   |        |        | <b>Oceania</b>  |
| ऑस्ट्रेलिया      | ..     | ..     | Australia       |
| न्यूजीलैंड+      | 5130   | 5250   | New Zealand+    |

स्रोत : आई एल ओ वेबसाइट (www.ilo.org) on 13 Mar, 2019  
Source : ILO website (www.ilo.org) on 13 Mar, 2019

# अन्तरराष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण संशोधन 3

#ISIC Rev 3

+ अन्तरराष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण संशोधन 4

+ISIC Rev 4

^ कुल कार्यकलाप

^ Aggregate activity

## 8.3 चुने हुए देशों में औद्योगिक विवाद

(आर्थिक क्रियाशीलता के अनुसार)

## 8.3 Industrial Disputes in Selected Countries

(By Economic Activity)

| देश             | विवादों की संख्या |      | अन्तर्ग्रस्त कर्मकार |        | अकार्य दिवस     |         |
|-----------------|-------------------|------|----------------------|--------|-----------------|---------|
| Country         | No. of disputes   |      | Workers involved++   |        | Days not worked |         |
| 1               | 2                 | 3    | 4                    | 5      | 6               | 7       |
|                 | 2016              | 2017 | 2016                 | 2017   | 2016            | 2017    |
| <b>अफ्रीका</b>  |                   |      |                      |        |                 |         |
| <b>Africa</b>   |                   |      |                      |        |                 |         |
| मोरिशियस        | 8                 | ..   | 1                    | ..     | 1764            | ..      |
| Mauritius+      |                   |      |                      |        |                 |         |
| <b>अमेरिका</b>  |                   |      |                      |        |                 |         |
| <b>America</b>  |                   |      |                      |        |                 |         |
| कनाडा           | 189               | 192  | 44391                | 206380 | 631870          | 1200700 |
| Canada+         |                   |      |                      |        |                 |         |
| संयुक्त राष्ट्र | ..                | ..   | ..                   | ..     | ..              | ..      |
| United states+  |                   |      |                      |        |                 |         |
| <b>एशिया</b>    |                   |      |                      |        |                 |         |
| <b>Asia</b>     |                   |      |                      |        |                 |         |
| भारत            | 102               | ..   | 579                  | ..     | 1271552         | ..      |
| India+          |                   |      |                      |        |                 |         |
| जापान           | ..                | ..   | ..                   | ..     | ..              | ..      |
| Japan           |                   |      |                      |        |                 |         |
| मलेशिया         | 0                 | 0    | 0                    | 0      | 0               | 0       |
| Malaysia+       |                   |      |                      |        |                 |         |
| पाकिस्तान       | ..                | ..   | ..                   | ..     | ..              | ..      |
| Pakistan        |                   |      |                      |        |                 |         |
| फिलीपींस        | 15                | 9    | 3                    | 1      | 116637          | 24784   |
| Philippines+    |                   |      |                      |        |                 |         |
| श्रीलंका        | 52                | 35   | 29                   | 11     | ..              | 60079   |
| Sri Lanka+      |                   |      |                      |        |                 |         |
| <b>यूरोप</b>    |                   |      |                      |        |                 |         |
| <b>Europe</b>   |                   |      |                      |        |                 |         |

## 8 अन्तर्राष्ट्रीय तुलना

## 8 INTERNATIONAL COMPARISON

सारणी 8.3

Table 8.3

| 1               | 2   | 3    | 4    | 5   | 6      | 7      |
|-----------------|-----|------|------|-----|--------|--------|
| स्लोवाकिया      | 2   | 2    | 17   | 5   | 15     | 9      |
| Slovakia+       |     |      |      |     |        |        |
| इटली            | ..  | ..   | ..   | ..  | ..     | ..     |
| Italy           |     |      |      |     |        |        |
| स्विट्जरलैण्ड   | 8   | 11   | 2181 | 455 | 1004   | 3578   |
| Switzerland+    |     |      |      |     |        |        |
| ब्रिटेन         | ..  | 79   | ..   | 33  | ..     | 276408 |
| United Kingdom+ |     |      |      |     |        |        |
| जर्मनी          | 718 | 1170 | 215  | 61  | 209435 | 128997 |
| Germany+        |     |      |      |     |        |        |
| <b>ओशनिया</b>   |     |      |      |     |        |        |
| <b>Oceania</b>  |     |      |      |     |        |        |
| आस्ट्रेलिया     | 259 | ..   | 106  | ..  | 124500 | ..     |
| Australia+      |     |      |      |     |        |        |
| न्यूजीलैंड      | ..  | ..   | ..   | ..  | ..     | ..     |
| New Zealand     |     |      |      |     |        |        |

स्रोत : आई एल ओ वेबसाइट (www.ilo.org) on 13 Mar, 2019

Source : ILO website (www.ilo.org) on 13 Mar, 2019

+ अन्तरराष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण संशोधन 4

+ International Standard Industrial Classification Rev 4

++ = हजारों में ++ = thousands

^ अन्तरराष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण संशोधन 3

^ International Standard Industrial Classification Rev 3

## 8.4 चुने हुए देशों में व्यवसायिक घातक क्षति प्रति 1,00,000 नियोजित कर्मकार (प्रतिशत) (आर्थिक क्रियाशीलता के अनुसार)

8.4 Fatal Occupational Injuries in Selected Countries per 1,00,000 workers employed (percentage)  
(By Economic Activity)

| देश             | खनन एवं खदान       |      | Country         |
|-----------------|--------------------|------|-----------------|
|                 | Mining & quarrying |      |                 |
|                 | 2016               | 2017 |                 |
| 1               | 2                  | 3    | 4               |
| मिस्र+          | ..                 | ..   | Egypt+          |
| ट्यूनिशिया      | ..                 | ..   | Tunisia+        |
| कनाडा^          | ..                 | ..   | Canada^         |
| संयुक्त राष्ट्र | 12.7               | ..   | United states   |
| भारत            | ..                 | ..   | India           |
| जापान+          | 35                 | 43   | Japan+          |
| श्री लंका       | 7.3                | 8.1  | Sri Lanka       |
| पाकिस्तान       | ..                 | ..   | Pakistan        |
| फिलीपींस        | ..                 | ..   | Philippines     |
| इटली            | ..                 | ..   | Italy           |
| पोलैंड+         | ..                 | ..   | Poland+         |
| स्लोवाकिया+     | 0                  | ..   | Slovakia+       |
| ब्रिटेन+        | ..                 | ..   | United Kingdom+ |
| ऑस्ट्रेलिया^    | ..                 | 1.6  | Australia^      |

|                          | विनिर्माण <b>Manufacturing</b> |      |                        |
|--------------------------|--------------------------------|------|------------------------|
|                          | 2016                           | 2017 |                        |
| 1                        | 2                              | 3    | 4                      |
| मिस्र+                   | ..                             | ..   | Egypt+                 |
| ट्यूनिशिया               | ..                             | ..   | Tunisia                |
| कनाडा <sup>^</sup>       | ..                             | ..   | Canada <sup>^</sup>    |
| संयुक्त राष्ट्र          | 2.4                            | ..   | United states          |
| भारत                     | ..                             | ..   | India                  |
| जापान+                   | 1                              | 1    | Japan+                 |
| श्री लंका                | 1.6                            | 1.7  | Sri Lanka              |
| पाकिस्तान                | ..                             | ..   | Pakistan               |
| फिलीपींस                 | ..                             | ..   | Philippines            |
| इटली                     | ..                             | ..   | Italy                  |
| पोलैंड+                  | ..                             | ..   | Poland+                |
| स्लोवाकिया+              | 1                              | ..   | Slovakia+              |
| ब्रिटेन+                 | ..                             | ..   | United Kingdom+        |
| ऑस्ट्रेलिया <sup>^</sup> | ..                             | 0.7  | Australia <sup>^</sup> |

स्रोत : आई एल ओ वेबसाइट (www.ilo.org) on 13 Mar, 2019

Source : ILO website (www.ilo.org) on 13 Mar, 2019

+ अन्तरराष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण संशोधन 4

+ International Standard Industrial Classification Rev 4

<sup>^</sup> अन्तरराष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण संशोधन 3

<sup>^</sup> International Standard Industrial Classification Rev 3



8.5 राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- पूर्व वर्ष से प्रतिशत बदलाव  
(सामान्य) (वार्षिक)8.5 National Consumer Prices Index- Percentage change from  
previous year  
(General) (Annual)

| देश                | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | Country          |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| 1                  | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 1                |
| <b>अफ्रीका</b>     |       |       |       |       |       | <b>Africa</b>    |
| घाना               | 11.67 | 15.49 | 17.15 | 17.45 | 12.37 | Ghana            |
| मिस्र              | 9.42  | 10.14 | 10.36 | 13.81 | 29.50 | Egypt            |
| मोरिशियस           | 3.54  | 3.22  | 1.29  | 0.98  | 3.67  | Mauritius        |
| <b>अमेरिका</b>     |       |       |       |       |       | <b>America</b>   |
| अर्जेंटीना         | ..    | ..    | ..    | ..    | ..    | Argentina        |
| कनाडा              | 0.94  | 1.91  | 1.13  | 1.43  | 1.6   | Canada           |
| संयुक्त<br>राष्ट्र | 1.46  | 1.62  | 0.12  | 1.26  | 2.13  | United<br>States |
| <b>एशिया</b>       |       |       |       |       |       | <b>Asia</b>      |
| भारत               | 10.91 | 6.35  | 5.87  | 4.94  | 2.49  | India            |
| जापान              | 0.35  | 2.76  | 0.79  | -0.12 | 0.47  | Japan            |
| मलेशिया            | 2.11  | 3.14  | 2.1   | 2.09  | 3.87  | Malaysia         |
| पाकिस्तान          | 7.69  | 7.19  | 2.53  | 3.77  | 4.09  | Pakistan         |
| फिलीपाइन्स         | 2.58  | 3.6   | 0.67  | 1.25  | 2.85  | Philippines      |
| श्रीलंका           | 6.91  | 3.18  | 3.77  | 3.96  | 7.7   | Sri Lanka        |
| <b>यूरोप</b>       |       |       |       |       |       | <b>Europe</b>    |
| स्लोवाकिया         | 1.4   | -0.08 | -0.33 | -0.52 | 1.31  | Slovakia         |
| फ्रांस             | 0.86  | 0.51  | 0.04  | 0.18  | 1.03  | France           |

| 1              | 2     | 3     | 4     | 5     | 6    | 1              |
|----------------|-------|-------|-------|-------|------|----------------|
| जर्मनी         | 1.5   | 0.91  | 0.23  | 0.48  | 1.74 | Germany        |
| इटली           | 1.22  | 0.24  | 0.04  | -0.09 | 1.23 | Italy          |
| पोलैंड         | 0.99  | 0.05  | -0.87 | -0.66 | 2.08 | Poland         |
| स्विटजरलैंड    | -0.22 | -0.01 | -1.14 | -0.43 | 0.53 | Switzerland    |
| ब्रिटेन        | 2.29  | 1.45  | 0.37  | 1.01  | 2.56 | United Kingdom |
| <b>ओशेनिया</b> |       |       |       |       |      | <b>Oceania</b> |
| आस्ट्रेलिया    | 2.45  | 2.49  | 1.51  | 1.28  | 1.95 | Australia      |
| न्यूजीलैंड     | 1.13  | 1.23  | 0.29  | 0.65  | 1.85 | New Zealand    |

स्रोत : आई एल ओ वेबसाइट (www.ilo.org) on 13 Mar, 2019  
 Source : ILO website (www.ilo.org) on 13 Mar, 2019

**9 भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय**  
**9 INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION**  
**CONVENTIONS RATIFIED BY INDIA**

| क्र०<br>सं०<br>Sl.<br>No | अभिसमय शीर्षक एवं संख्या<br>No. & Title of Convention   | अनुसमर्थन के पंजियन<br>की तिथि<br>Date of Registration<br>of Ratification |
|--------------------------|---|---|
| 1                        | 2   | 3   |
| 1                        | सं० 1 कार्य के घंटे (उद्योग) अभिसमय, 1919<br>No. 1 Hours of Work (Industry) Convention,<br>1919                                     | 14-07-1921  |
| 2+                       | सं० 2, बेरोजगारी अभिसमय, 1919<br>No. 2, Unemployment Convention, 1919   | 14-07-1921  |
| 3                        | सं० 4 रात्रि-कार्य (महिलाएं) अभिसमय, 1919<br>No. 4, Night Work (Women) Convention, 1919   | 14-07-1921  |
| 4                        | सं० 5 न्यूनतम आयु (उद्योग) अभिसमय, 1919<br>No. 5 Minimum Age (Industry) Convention, 1919  | 09-09-1955  |
| 5                        | सं० 6 तरुण व्यक्तियों का रात्रि-कार्य (उद्योग) अभिसमय,<br>1919<br>No. 6, Night Work of Young Persons (Industry)<br>Convention, 1919 | 14-07-1921  |
| 6                        | सं० 11 संघ बनाने का अधिकार (कृषि), अभिसमय, 1921<br>No. 11 Right of Association (Agriculture)<br>Convention, 1921                    | 11-05-1923  |
| 7                        | सं० 14 साप्ताहिक विश्राम (उद्योग) अभिसमय, 1921<br>No. 14, Weekly Rest (Industry) Convention, 1921                                   | 11-05-1923  |

**9 भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय**  
**9 INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION**  
**CONVENTIONS RATIFIED BY INDIA**

| 1  | 2   | 3          |
|----|---|------------|
| 8  | सं० 15 न्यूनतम आयु (ट्रिमर्स एवं स्टोकर्स) अभिसमय, 1921<br>No. 15, Minimum Age (Trimmers and Stokers) Convention, 1921                | 20-11-1922 |
| 9  | सं० 16 तरुण व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच (समुद्र) अभिसमय, 1921<br>No. 16, Medical Examination of Young Persons (Sea) Convention, 1921 | 20-11-1922 |
| 10 | सं० 18 कर्मकार क्षतिपूर्ति (व्यावसायिक रोग) अभिसमय, 1925<br>No. 18, Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention, 1925   | 30-09-1927 |
| 11 | सं० 19 व्यवहार की समानता (दुर्घटना क्षतिपूर्ति) अभिसमय, 1925<br>No. 19, Equality of Treatment (Accident Compensation), 1925           | 30-09-1927 |
| 12 | सं० 21 प्रवासी निरीक्षण अभिसमय, 1926<br>No. 21, Inspection of Emigrants Convention, 1926  | 14-01-1928 |
| 13 | सं० 22 नाविकों के अनुबन्ध संबंधी अन्तर्नियम अभिसमय, 1926<br>No. 22, Seamen's Articles of Agreement Convention, 1926                   | 31-10-1932 |
| 14 | सं० 26 न्यूनतम मजदूरी नियतन तन्त्र अभिसमय, 1928<br>No. 26, Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928                             | 10-01-1955 |

**9 भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय**  
**9 INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION**  
**CONVENTIONS RATIFIED BY INDIA**

| 1        | 2  | 3          |
|----------|--|------------|
| 15       | सं० 27 भार अंकित करना (जलयानों द्वारा वाहित पैकेज )<br>अभिसमय, 1929<br>No. 27, Marking of Weight (Packages<br>Transported by Vessels) Convention, 1929         | 07-09-1931 |
| 16       | सं० 29 श्रम बेगार अभिसमय, 1930<br>No. 29, Forced Labour Convention, 1930   | 30-11-1954 |
| 17       | सं० 32 दुर्घटनाओं से संरक्षण (गोदी मजदूर) अभिसमय,<br>(संशोधित), 1932<br>No. 32, Protection Against Accidents (Dockers)<br>Convention (Revised), 1932           | 10-02-1947 |
| 18<br>++ | सं० 41 रात्रि कार्य (महिलाएं) अभिसमय, (संशोधित),<br>1934<br>No. 41, Night Work (Women) Convention<br>(Revised), 1934   | 22-11-1935 |
| 19       | सं० 42 कर्मकार क्षतिपूर्ति (व्यावसायिक रोग) अभिसमय,<br>(संशोधित), 1934<br>No. 42, Workmen's Compensation (Occupational<br>Diseases) Convention (Revised), 1934 | 13-01-1964 |
| 20       | सं० 45 सतह के नीचे कार्य (महिलाएं) अभिसमय, 1935<br>No. 45, Underground Work (Women)<br>Convention, 1935  | 25-03-1938 |
| 21       | सं० 80 निर्णायक अन्तर्नियम संशोधन अभिसमय, 1946<br>No. 80 Final Articles Revision Convention, 1946  | 17-11-1947 |
| 22&      | सं० 81 श्रम निरीक्षण अभिसमय, 1947<br>No. 81, Labour Inspection Convention, 1947  | 07-04-1949 |
| 23       | सं० 88 रोजगार सेवा अभिसमय, 1948<br>No. 88, Employment Service Convention, 1948   | 24-06-1959 |

**9 भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय**  
**9 INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION**  
**CONVENTIONS RATIFIED BY INDIA**

| 1  | 2  | 3          |
|----|--|------------|
| 24 | सं० 89 रात्रि कार्य (महिलाएं) अभिसमय, (संशोधित), 1948<br>No. 89, Night Work (Women) Convention (Revised), 1948                                       | 27-02-1950 |
| 25 | सं० 90 तरुण व्यक्तियों का रात्रि कार्य (उद्योग) अभिसमय, (संशोधित), 1948<br>No. 90, Night Work of Young Persons (Industry) Convention (Revised), 1948 | 27-02-1950 |
| 26 | सं० 100 समान पारिश्रमिक अभिसमय, 1951<br>No. 100, Equal Remuneration Convention, 1951   | 25-09-1958 |
| 27 | सं० 105 श्रम बेगार उन्मूलन, 1957<br>No.105 Abolition of Forced Labour, 1957  | 18-05-2000 |
| 28 | सं० 107 देशी एवं जनजातीय जनसंख्या, अभिसमय, 1957<br>No. 107 Indigenous and Tribal Population Convention, 1957   | 29-09-1958 |
| 29 | सं० 108 समुद्रयात्री (नाविक) पहचान दस्तावेज अभिसमय, 1958<br>No. 108 Seafarers Identify Document Convention 1958                                      | 17-01-2005 |
| 30 | सं० 111 भेदभाव (रोजगार एवं व्यवसाय) अभिसमय, 1958<br>No. 111, Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958                             | 03-06-1960 |
| 31 | सं० 115 विकिरण संरक्षण अभिसमय, 1960<br>No. 115, Radiation Protection Convention, 1960  | 17-11-1975 |

**9 भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय**  
**9 INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION**  
**CONVENTIONS RATIFIED BY INDIA**

| 1    | 2   | 3          |
|------|---|------------|
| 32   | सं० 116 निर्णायक अन्तर्निर्णय संशोधन अभिसमय, 1961<br>No. 116 Final Articles Revision Convention,<br>1961  | 21-06-1962 |
| 33#  | सं० 118 व्यवहार की समानता (सामाजिक सुरक्षा)<br>अभिसमय, 1962<br>No. 118, Equality of Treatment (Social Security)<br>Convention, 1962                             | 19-08-1964 |
| 34   | सं० 122 रोजगार नीति अभिसमय, 1964<br>No. 122, Employment Policy Convention, 1964   | 17-11-1998 |
| 35SS | सं० 123 न्यूनतम आयु (सतह के नीचे कार्य) अभिसमय,<br>1965<br>No. 123, Minimum Age (Under-ground Work)<br>Convention, 1965   | 20-03-1975 |
| 36   | सं० 136 बेन्जीन अभिसमय, 1971<br>No. 136, Benzene Convention, 1971   | 11-06-1991 |
| 37   | सं० 141 ग्रामीण कर्मकार संगठन, अभिसमय, 1975<br>No. 141, Rural Workers' Organisation<br>Convention, 1975   | 18-08-1977 |
| 38   | सं० 144 त्रिपक्षीय परामर्श (अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मानक)<br>अभिसमय, 1976<br>No. 144, Tripartite Consultation (International<br>Labour Standards) Convention, 1976 | 27-02-1978 |
| 39   | सं० 147 व्यापारी पोत परिवहन (न्यूनतम मानक)<br>अभिसमय, 1976<br>No. 147 Merchant Shipping (Minimum Standard)<br>Convention, 1976                                  | 26-09-1996 |

**9 भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय**  
**9 INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION**  
**CONVENTIONS RATIFIED BY INDIA**

| 1           | 2  | 3          |
|-------------|--|------------|
| 40**        | सं० 160 श्रम सांख्यिकी अभिसमय, 1985<br>No. 160, Labour Statistics Convention, 1985   | 01-04-1992 |
| 41          | सं० 174 बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम<br>No. 174 Prevention of Major Industrial Accidents   | 06-06-2008 |
| 42          | सं० 142 मानव संसाधन विकास<br>No. 142 Human Resources Development   | 25-03-2009 |
| 43          | सं० 127 अधिकतम भार<br>No. 127 Maximum Weight   | 26-03-2010 |
| 44          | सं० 185 समुद्री यात्रा (नाविक) पहचान दस्तावेज अभिसमय<br>(संशोधित) 2003<br>No 185 Seafarers' Identity Documents Convention<br>(Revised), 2003   | 09-10-2015 |
| 45 %        | समुद्री श्रम अभिसमय, 2006 (एम एल सी 2006)<br>Martime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006)   | 09-10-2015 |
| 46          | सं० 138 न्यूनतम आयु अभिसमय 1973<br>(निर्धारित न्यूनतम आयु: 14 वर्ष)<br>No. 138 Minimum Age Convention 1973<br>(Minimum age specified 14 years) | 13-06-2017 |
| 46          | सं० 182 बाल श्रम अभिसमय के निकृष्ट रूप 1999<br>(निर्धारित न्यूनतम आयु: 14 वर्ष)<br>No. 182 Worst Forms of Child Labour Convention<br>1999      | 13-06-2017 |
| प्रोटोकॉल 1 | रात्रि कार्य (महिला) अभिसमय (संशोधित) 1948 के<br>लिये 1990 का प्रोटोकॉल पी 89  | 21-11-2003 |
| Protocol 1  | P 89 Protocol of 1990 to the Night Work<br>(Women) Convention (Revised), 1948  |            |



+ बाद में समाप्त कर दिया गया। अभिसमय के तहत बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को प्रत्येक तिमाही में आन्तरिक तौर पर प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसे व्यवहार्य नहीं समझा जाता।

+ Later denounced. The convention requires, internal furnishing of Statistics concerning unemployment every three months which is considered not practicable.

++ अभिसमय, संख्या 89 के अनुसमर्थन के फलस्वरूप परिवर्तन समाप्त

++ Convention denounced as a result of ratification of Convention No. 89

& भाग II को छोड़कर

& Excluding Part II

# शाखाएं (ग) तथा (घ), तथा शाखाएं (क) से (ग) तथा (झ)

# Branches (c) and (g) and branches (a) to (c) and (i)

\$\$ प्रारम्भ में न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित की गई थी लेकिन 1989 में इसे 18 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था।

\$\$ Minimum age initially specified was 16 years but raised to 18 years in 1989

\*\* भाग II का नियम 8

\*\* Article 8 of Part II

% मानक ए 4.5 (2) एवं (10) के अनुसार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा की निम्नलिखित शाखाएँ चिन्हित की हैं: मातृत्व लाभ, असमान्यता लाभ, उत्तरजीविता लाभ

% In accordance with Standard A4.5(2) and (10), the Government has specified the following branches of social security : maternity benefit; invalidity benefit and survivors' benefit.

---

वर्ष 2017 के दौरान महत्वपूर्ण श्रम कार्यकलापों का अध्याय-वार व्योरा इस प्रकार है।  
The Chapter presents in brief the important labour activities during the year 2017.

**1 सम्मेलन/बैठकें**

**1 Conferences/meetings**

**1.1 अन्तरराष्ट्रीय**

**1.1 International**

**अन्तरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 106वां अधिवेशन तथा शासी निकाय, अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन का 330वां अधिवेशन**

**106th Session of the International Labour Conference & 330th Session of the Governing Body, ILO**

अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के 330वें अधिवेशन के साथ अन्तरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 106वें अधिवेशन का 4 जून से 17 जून, 2017 के दौरान जेनेवा में आयोजन किया गया।

The 106<sup>th</sup> Session of the International Labour Conference (ILC) along with 330th Session of Governing Body of ILO was held from 4<sup>th</sup> June to 17th June, 2017 in Geneva.

**सम्मेलन की कार्यसूची तथा सम्मेलन द्वारा कार्यसूची में रखी गई मदें**

**Agenda of the Conference and Items placed on the agenda by the Conference**

**स्थायी मदें** i) शासी निकाय के अध्यक्ष तथा महानिदेशक की रिपोर्टें ii) वर्ष 2018-19 के लिए कार्यक्रम एवं बजट प्रस्ताव तथा अन्य प्रश्न iii) अभिसमयों तथा सिफारिशों के कार्यान्वयन पर सूचना तथा रिपोर्टें

**Standing Items** i) Reports of the Chairperson of the Governing Body and of the Director General ii) Programme and budget proposals for 2018-19 and other questions iii) Information and reports on the application of Conventions and Recommendations.

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां  
10 Current Labour Activities

सम्मेलन अथवा शासी निकाय द्वारा कार्यसूची में रखी गईं मर्दे i) श्रम प्रवासन (सामान्य चर्चा) ii) शान्ति तथा लचीलेपन हेतु रोजगार तथा समुचित कार्य : रोजगार (युद्ध से शान्ति की ओर पारगमन) सिफारिश, 1944 (सं. 71)(मानक स्थापना द्वितीय चर्चा) में संशोधन iii) आई एल ओ घोषणा-पत्र(1998) तथा निष्पक्ष वैश्वीकरण हेतु सामाजिक न्याय पर आई एल ओ घोषणा-पत्र (2008) पर अनुवर्ती कार्रवाई के तहत मौलिक सिद्धांत तथा कार्य के अधिकार के सामरिक उद्देश्य पर पुनरावर्ती चर्चा iv) अभिसमय सं. 4, 15, 28, 41, 60 और 67 का अभिनिषेध

**Items placed on the agenda by the Conference or the Governing Body**  
i) Labour Migration (general discussion) ii) Employment and decent work for peace and resilience : Revision of the Employment (Transition from War to Peace) Recommendation, 1944 (No. 71) (Standard setting second discussion) iii) A recurrent discussion on the strategic objective of fundamental principles and rights at work, under the follow-up to the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, 2008 iv) Abrogation of Conventions No. 4, 15, 28, 41, 60 and 67.

**अन्तरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 106वें अधिवेशन के दौरान साइड-लाइन बैठकें :** नाम मन्त्रियों की बैठक, एसपाग मंत्रियों की बैठक, जी-20 बैठक, द्विपक्षीय बैठक सचिवीय(श्रम एवं रोजगार) बैठक

**Side-line Meetings during 106th session of ILC:** NAM Ministerial Meeting , ASPAG Ministerial Meeting , G20 Meeting, Bilateral Meeting, Meeting of Secretary (L&E) :

**अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का 329वां अधिवेशन:** अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का 329 वां अधिवेशन 09 मार्च से 24 मार्च 2017, तक जेनेवा में आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधि मण्डल द्वारा शासी निकाय सत्र में भाग लिया गया।

**329<sup>th</sup> Session of the Governing Body of ILO** 329th Session of the Governing Body of the International Labour Organisation was held on 9th March to 24th March 2017 in Geneva. The Indian delegation participated in the Governing Body Session.

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां  
10 Current Labour Activities

**शासी निकाय, अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन का 330वां अधिवेशन:** अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का 330वां अधिवेशन जेनेवा में 17 जून, 2017 को आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा शासी निकाय में भाग लिया गया।

**330<sup>th</sup> Session of the Governing body, ILO:** 330<sup>th</sup> Session of the Governing Body of the International Labour Organisation was held on 17<sup>th</sup> June 2017 in Geneva. The Indian delegation participated in the Governing Body.

**शासी निकाय का 331वां अधिवेशन:** अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का 331वां अधिवेशन जेनेवा में 26 अक्टूबर से 9 नवम्बर, 2017 तक आयोजित किया गया। अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा जेनेवा में भारतीय स्थायी मिशन के अधिकारियों सहित शासी निकाय की बैठक में भाग लिया गया। संयुक्त सचिव एवं महानिदेशक, श्रम कल्याण तथा सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्य थे।

**331<sup>st</sup> Session of the Governing Body:** 331<sup>st</sup> Session of the Governing Body (GB) of the International Labour Organisation was held from 26 October - 9 November, 2017 in Geneva. The Indian delegation, led by Additional Secretary & Financial Adviser, participated in the Governing Body meeting along with officers from Permanent Mission of India in Geneva. Joint Secretary & Director General, Labour Welfare and Assistant Director, Ministry of Labour and Employment were the other members of the delegation.

**जर्मनी की अध्यक्षता में 18-19 मई, 2017 को न्यूनाहर, जर्मनी में जी20 श्रम एवं रोजगार तथा रोजगार मंत्रियों की बैठक 2017:** माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), श्रम एवं रोजगार सचिव, संयुक्त सचिव तथा डी जी, एल डब्ल्यू तथा सीनियर फेलो, वीवीजीएनएलआई तथा निजी सचिव, एमओएस(स्वतंत्र प्रभार) द्वारा बैद न्यूनाहर, जर्मनी में 18-19 मई, 2017 के दौरान आयोजित जी20 श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया गया। भारत द्वारा निम्नलिखित कार्यसूची

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां  
10 Current Labour Activities

मर्दों पर अंतःक्षेप किया गया: कार्य भविष्य निर्धारण, महिलाओं की रोजगार गुणवत्ता में सुधार द्वारा श्रम बल सहभागिता तथा वेतन में स्त्री-पुरुष अन्तर को कम करना, नियमित प्रवासियों तथा मान्यताप्राप्त शरणार्थियों के निष्पक्ष तथा प्रभावकारी श्रम बाजार समाकलन को प्रोत्साहन, युवा रोजगार वर्धन, दीर्घकालिक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए समुचित कार्य प्रोत्साहन जी20 श्रम एवं रोजगार मंत्रियों द्वारा मंत्रालयीय घोषणा के अभिग्रहण के साथ बैठक समाप्त हुई।

**G20 Labour and Employment and Employment Ministers Meeting 2017 under German Presidency, 18-19 May 2017 in Neuenahr, Germany:** Hon'ble Minister of State (IC), Labour and Employment, Secretary (Labour and Employment), JS & DGLW and Senior Fellow, VVG NLI and PS to MOS (IC), participated in the G20 Labour and Employment Ministerial Meeting, held at Bad Neuenahr, Germany during 18-19<sup>th</sup> May, 2017. India made interventions on the following agenda items: Shaping the Future of Work ; Reducing Gender Gaps in Labour Force Participation and Pay by Improving Women's Job Quality; Promoting Fair and Effective Labour Market Integration of Regular Migrants and Recognised Refugees; Boosting Youth Employment and Fostering decent work for sustainable global supply chains. The meeting ended with the adoption of Ministerial Declaration by G20 Labour and Employment Ministers.

**एचआईवी/एड्स पर संचालन समिति की बैठक:** विश्व में एचआईवी/एड्स पर राष्ट्रीय नीति पर संचालन समिति की 5वीं बैठक दिनांक 04.10.17 को नई दिल्ली में संयुक्त सचिव (एमजी), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अध्यक्षता में कार्यसूची मर्दों पर चर्चा करने तथा पिछली संचालन समिति की बैठक के उपरांत की गई कार्रवाई की स्थिति/अद्यतनीकरण की समीक्षा करने के लिए आयोजित की गई। टीबी को भी चर्चा हेतु इस संगोष्ठी में सम्मिलित किए जाने संबंधी इस बैठक में निर्णय लिया गया था। केन्द्रीय टीबी प्रभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड तथा भारत में एचआईवी पीड़ित व्यक्तियों के गठबंधन (एनसीपीआई+) से प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए संचालन समिति के पुनर्गठन पर भी समिति ने सहमति

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां  
10 Current Labour Activities

जताई थी। श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन श्रम अभिसमयों में आगे और समर्थन की सम्भावनाओं को तलाशने हेतु तथा भारत के लिए समुचित कार्य राष्ट्रीय कार्यक्रम के विकास हेतु अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ नज़दीकी तालमेल से कार्य किया जा रहा है।

**Steering Committee Meeting on HIV/AIDS:** The Fifth Meeting of the Steering Committee on 'National Policy on HIV/AIDS in the World of Work' was held on 4<sup>th</sup> October 2017 at New Delhi, under the Chairmanship of Joint Secretary (MG), Ministry of Labour and Employment to discuss the agenda points and to review the status/updates on action arising out of previous Steering Committee Meeting. In this meeting, it was decided to include TB for discussion in this forum. The Committee also agreed to the reconstitution of Steering Committee by including representatives from Central TB Division, Ministry of Health and Family Welfare, Coal India Limited and National Coalition of People living with HIV in India (NCPI+).

**तकनीकी सहयोग कार्यक्रम:** रोज़गार, संगठनात्मक सुरक्षा व स्वास्थ्य, कार्य दशाओं में सुधार, तकनीकी सुविधाओं के आधुनिकीकरण के क्षेत्र में और कौशल विकास, प्रबंध परामर्श विकास, सामाजिक सुरक्षा और श्रम संबंधी अन्य मामलों पर विभिन्न तकनीकी कार्यक्रमों में भारत व अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन बहुत महत्वपूर्ण व उपयोगी आदान-प्रदान करते हैं। वी.वी.गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, केन्द्रीय श्रम संस्थान (मुंबई), क्षेत्रीय श्रम संस्थान (कोलकाता, कानपुर और चेन्नई), रोज़गार महानिदेशालय के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रीय अकादमी तथा देश के विभिन्न अन्य अग्रणी संस्थानों सहित भारत में श्रम व रोज़गार मंत्रालय के तहत कई संस्थानों में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का भी अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा उपयोग किया जाता है।

**Technical Co-Operation Programmes:** India and ILO share a very significant and fruitful cooperation in various technical programmes in the areas of employment, occupational safety & health, improvement of working conditions, upgradation of technical facilities and skills

## 10 वर्तमान श्रम गतिविधियां 10 Current Labour Activities

development, management consultation development, social security, skill development and other labour related issues. ILO also utilizes the training facilities available in a number of institutions under the Ministry of Labour & Employment in India including V. V. Giri National Labour Institute, Central Labour Institute (Mumbai), Regional Labour Institutes (Kolkata, Kanpur & Chennai), Vocational Training Institutes under the Directorate General of Employment, Pandit Deen Dayal Upadhyaya National Academy of Social Security and various other premier institutes of the country.

**उच्च-स्तरीय अन्तरराष्ट्रीय बैठकें:** कुछ मुख्य अन्तरराष्ट्रीय बैठकें जिनमें भारत द्वारा सक्रिय रूप से भाग लिया गया निम्नवत हैं:

**High-Level International Meeting:** Some of the prominent International meetings where India participated actively include:

- महा निदेशक, डीजी फासली तथा अवर सचिव द्वारा निर्माण कार्यस्थल सुरक्षा पर यूएसटीडीए प्रतिकूल व्यापार मिशन में भाग लिया गया जिसका आयोजन 2-8 अप्रैल, 2017 के दौरान वाशिंगटन डीसी, शिकागो इलिनॉयस तथा सीटल वाशिंगटन, यूएसए में किया गया था।
- Director General, DGFASLI and Under Secretary attended USTDA Reverse Trade Mission on Construction workplace Safety during 2-8<sup>th</sup> April, 2017 in Washington DC, Chicago Illinois and Seattle, Washington, USA.
- उप महा निदेशक(ई) द्वारा दक्षिण अफ्रीका में 06.04.2017 से 07.04.2017 तक युवा रोजगार प्रशिक्षुता तथा कार्य आधारित प्रशिक्षण के मार्ग पर ओईसीडी संयुक्त सम्मेलन में भाग लिया गया था।
- DDG (E) had attended OECD Joint Conference on Pathways to Youth Employment Apprenticeships and Work based Training from 06.04.2017 to 07.04.2017 at South Africa.
- संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां  
10 Current Labour Activities

सदस्य, वी. वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा 19-20 अप्रैल, 2017 को प्रथम ब्रिक्स रोजगार कार्य दल में भाग लिया गया।

- JS, MOL&E, Director, MOL&E and Fellow, VV Giri NLI attended 'First BRICS Employment Working Group (EWG)' on 19-20 April, 2017 in Yuxi, China
- निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 24-28 अप्रैल, 2017 को जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्वास्थ्य सेवाओं में रोजगार तथा कार्य दशाओं में सुधार पर आयोजित अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन की त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया गया।
- Director, MoLE had attended ILO's Tripartite Meeting on Improving Employment and Working Condition in Health Services at Geneva, Switzerland on 24-28, April, 2017.
- तत्कालीन श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा श्रम एवं रोजगार सचिव, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, तत्कालीन श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव तथा वरिष्ठ साथी, वी. वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा 16-19 मई, 2017 को बैद न्यूनाहर, जर्मनी में आयोजित जी20 रोजगार कार्य दल बैठक तथा जी20 श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक की चौथी बैठक में भाग लिया गया।
- A high level Indian delegation led by the then Minister of State for Labour and Employment (Independent Charge) along with Secretary (L & E), Joint Secretary, MOLE, Private Secretary to the then Minister of State for Labour and Employment (Independent Charge) Sr. Fellow, VVG NLI attended the Fourth meeting of G20 Employment Working Group meeting and G 20 Labour & Employments Ministers' Meeting during 16-19 May, 2017 in Bad Neuenahr, Germany.
- अवर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 22-26 मई, 2017 को तुरिन, इटली में "बेगार तथा मानव अवैध व्यापार मामलों की पहचान तथा जाँच" पर आईटीसी-आईएलओ प्रशिक्षण में भाग लिया गया।



10 वर्तमान श्रम गतिविधियां  
10 Current Labour Activities

- Under Secretary, MoLE had attended ITC-ILO Training on “Identifying and Investigating cases of forced labour and human trafficking” on 22-26, May, 2017 in Turin, Italy.
- तत्कालीन श्रम एवं रोज़गार राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा 4 जून से 17 जून, 2017 तक जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में आयोजित अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के 330वें अधिवेशन तथा अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अन्तरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 106वें अधिवेशन में भाग लिया गया।
- A high level delegation led by the then Hon'ble Minister of State for Labour and Employment (Independent Charge) attended the 106th Session of International Labour Conference of ILO and 330th Session of Governing Body of ILO held at Geneva, Switzerland from 4th June to 17th June, 2017.
- तत्कालीन श्रम एवं रोज़गार राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा श्रम एवं रोज़गार सचिव, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, निदेशक, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, तत्कालीन श्रम एवं रोज़गार राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) का ओएसडी तथा वरिष्ठ सहकर्मी, वी. वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा द्वितीय 25-27 जुलाई, 2017 के दौरान चोंगकिंग, चीन में आयोजित ब्रिक्स रोज़गार कार्य दल बैठक तथा ब्रिक्स श्रम एवं रोज़गार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया गया।
- A high level delegation led by the then Hon'ble Minister of State for Labour & Employment (Independent Charge) along with Secretary (L&E), Joint Secretary, MoLE, Director, MoLE, OSD to the then Minister of State for Labour and Employment (Independent Charge) and Sr. Fellow, VVG NLI attended Second BRICS Employment Working Group (EWG) Meeting and BRICS Labour & Employment Ministers' Meeting from 25-27, July, 2017 in Chongqing, China.

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां  
10 Current Labour Activities

- उप महा निदेशक, महा निदेशक, डी जी फासली एवं उप निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ 6 सितम्बर, 2017 को सिंगापुर में आयोजित जी20 रोजगार कार्य दल तथा ओएसएच नेटवर्क परामर्श बैठक में भाग लिया गया।
- Dy. Director General, DG FASLI along with Dy. Director, MOLE attended the G20 EWG and OSH Network Consultative meeting on 6th September, 2017 in Singapore.
- अवर सचिव, महानिदेशक एल डब्ल्यू द्वारा 11-15 सितम्बर, 2017 को तुरिन, इटली में औपचारिक अर्थ-व्यवस्था की ओर पारगमन पर वैश्विक ज्ञान साझा करने संबंधी मंच पर अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यक्रम में भाग लिया गया।
- Under Secretary, DGLW had attended ILO Programme on Global knowledge sharing forum on transition to formal economy from 11-15, September, 2017 in Turin, Italy.
- उप निदेशक, महानिदेशक, श्रम ब्यूरो द्वारा थाईलैंड में 11.09.2017 से 15.09.2017 तक समुचित कार्य को प्रोत्साहन देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य सांख्यिकी पर एशिया प्रशान्त देशों की क्षेत्रीय क्षमता निर्माण कार्यशाला में भाग लिया गया।
- Deputy Director, DG Labour Bureau had attended Regional Capacity Building workshop of Asia Pacific Countries on Work Statistics in Rural Areas for Promotion of Decent Work from 11.09.2017 to 15.09.2017 at Thailand.
- उप निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में 18 सितम्बर से 22 सितम्बर, 2017 तक प्रवासी मछुआरों से संबंधित मामलों पर अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन की त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया गया।
- Dy. Director, MOLE had attended ILO's Tripartite Meeting on Issues relating to Migrant Fishers on 18th September to 22nd September, 2017 in Geneva, Switzerland.

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां  
10 Current Labour Activities

- उप निदेशक, जीई द्वारा जापान में 19.09.2017 से 21.09.2017 तक श्रम बाजार सूचना पर डब्ल्यू. ए. पी. ई. एस. विशेषज्ञों की बैठक में भाग लिया गया।
- DD GE had attended WAPES Experts Meeting on Labour Market Information from 19.09.2017 to 21.09.2017 in Japan.
- आर.एल.सी.(सी) तथा अवर सचिव द्वारा जेनेवा, स्विटजरलैंड में 25.09.2017 से 29.09.2017 तक अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन की मानक समीक्षा तंत्र पर कार्य दल की तीसरी बैठक में भाग लिया गया।
- RLC (C) and Under Secretary, attended the ILO's third meeting of the Working Group on Standard Review Mechanism from 25.09.2017 to 29.09.2017 at Geneva, Switzerland
- सहकर्मी, वी.वी.जी. एन.एल.आई. द्वारा जेनेवा, स्विटजरलैंड में 02.10.2017 से 03.10.2017 तक अनौपचारिक अर्थ-व्यवस्था सांख्यिकी पर यूनाईटेड नेशन्स दिल्ली समूह की 12वीं बैठक में भाग लिया गया।
- Fellow, VVG NLI had attended the twelfth meeting of the United Nations Delhi Group on Informal Economy Statistics from 02.10.2017 to 03.10.2017 at Geneva, Switzerland.
- वरिष्ठ सहकर्मी द्वारा लेबनान में 04.10.2017 से 05.10.2017 तक अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के एशिया तथा अफ्रीका से मिडल ईस्ट तक श्रम प्रवासन पर अन्तरराष्ट्रीय परामर्श में भाग लिया गया।
- Sr. Fellow had attended ILO International Consultation on Labour Migration from Asia and Africa to Middle East from 04.10.2017 to 05.10.2017 in Lebanon.
- निदेशक द्वारा तुरिन, इटली में 2-13 अक्टूबर, 2017 को "व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रणाली तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम" पर अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यक्रम में भाग लिया गया।
- Director had attended ILO Programme on 'National Programme and

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां  
10 Current Labour Activities

Systems of Occupation Safety and Health' from 2nd - 13th October, 2017 at Turin, Italy.

- उप निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा बैंगकॉक, थाईलैंड में 10-11 अक्टूबर, 2017 को 'एशिया में वस्त्र क्षेत्र आपूर्ति श्रृंखला में समुचित कार्य को प्रोत्साहन' पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्वीडन बहु पणधारी क्षेत्रीय बैठक में भाग लिया गया।
- Dy. Director, MOLE had attended ILO Sweden Multi Stakeholder Regional Meeting on 'Promoting Decent Work in Garment Sector Supply Chains in Asia' on 10th - 11th October, 2017 in Bangkok, Thailand.
- संयुक्त सचिव तथा निदेशक द्वारा वाशिंगटन डी.सी., यू.एस.ए. में 12.10.2017 को बाल देखभाल संबंधी उपक्रम करने पर पेनल चर्चा में भाग लिया गया।
- Joint Secretary and Director attended the Panel discussion on Tackling Childcare on 12.10.2017 at Washington DC, USA.
- अवर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा निदेशक, खान सुरक्षा द्वारा जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में 16-20 अक्टूबर, 2017 को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ऑपनकास्ट माइन्स में सुरक्षा तथा स्वास्थ्य पर विशेषज्ञों की बैठक में भाग लिया गया।
- Under Secretary, MOLE and Director, Mines Safety attended ILO's meeting of Experts on Safety and health in Opencast mines on 16th - 20th October, 2017 in Geneva, Switzerland.
- उप निदेशक तथा कन्याण प्रबन्धक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा चीबा, जापान में 16 से 20 अक्टूबर, 2017 को अनौपचारिकता पर एशिया तथा प्रशान्त पाठ्यक्रम हेतु यू.एन. ईएससीएपी सांख्यिकीय संस्थान में भाग लिया गया।
- Deputy Director and Welfare Administrator, MOLE attended UN ESCAP Statistical institute for Asia and the Pacific's course on informality from 16th to 20th October 2017 in Chiba, Japan

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां  
10 Current Labour Activities

- महानिदेशक, वी.वी.गिरी, एन.एल.आई, तथा उप सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा सहकर्मी, वी.वी.गिरी, एन.एल.आई द्वारा तुरिन, इटली में 26-27 अक्टूबर, 2017 को अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अन्तरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र की बोर्ड बैठक के 80वें अधिवेशन में भाग लिया गया।
- DG, V. V. Giri, NLI, Deputy Secretary, MoLE and Fellow, V. V. Giri, NLI attended 80th Session of the Board meeting of International Training Centre of ILO on 26th - 27th October, 2017 in Turin, Italy.
- ए.एस तथा एफ.ए.(श्रम एवं रोजगार), संयुक्त सचिव, डीजीएलडब्ल्यू तथा सहायक निदेशक द्वारा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में 30 अक्टूबर से 9 नवंबर, 2017 तक अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के 331वें अधिवेशन में भाग लिया गया।
- AS & FA (L&E), Jt. Secretary, DGLW and Asstt. Director attended 331st Session of Governing Body of ILO on 30th October, 2017 to 9th November, 2017 in Geneva, Switzerland.
- निदेशक, श्रम ब्यूरो द्वारा इटली में 30.10.2017 से 10.11.2017 तक श्रम बाजार सांख्यिकी तथा विश्लेषण शोध संस्थान पर आईटीसी आईएलओ प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया गया।
- Director, Labour Bureau had attended the ITC ILO training programme on Academy on Labour Market Statistics and Analysis from 30.10.2017 to 10.11.2017 at Italy.
- सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 6-8 नवंबर, 2017 को बैंगकॉक, थाईलैंड में सुरक्षित, व्यवस्थित तथा नियमित प्रवासन पर वैश्विक समझौते पर एशिया प्रशांत क्षेत्रीय प्रारंभिक बैठक में भाग लिया गया।
- Assistant Director, MoLE had attended Asia Pacific Regional Preparatory Meeting for the Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration at Bangkok, Thailand on 6th -8th, November, 2017.

10 वर्तमान श्रम गतिविधियाँ  
10 Current Labour Activities

- माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव तथा श्रीमती अनीता त्रिपाठी द्वारा ब्यूनोस एयरस, अर्जेन्टीना में 14-16 नवंबर, 2017 को बाल श्रम स्थायी उन्मूलन पर IV वैश्विक सम्मेलन में भाग लिया गया।
- Hon'ble Minister of State for Labour & Employment (Independent Charge), Private Secretary to MoS(IC) for L&E and Smt. Anita Tripathi attended IV Global Conference on the Sustained Eradication of Child Labour on 14th -16th November, 2017 in Buenos Aires, Argentina.
- उप सचिव द्वारा तुरिन, इटली में 20.11.2017 से 24.11.2017 तक 'रोजगार तथा समेकित विकास पर समष्टि आर्थिक नीतियाँ,' पर अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया गया।
- Deputy Secretary had attended ILO training programme on 'Macroeconomic Policies jobs and Inclusive Growth' from 20.11.2017 to 24.11.2017 at Turin, Italy.
- सी सी ए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा यू.के. में 20.11.2017 से 24.11.2017 तक अन्तरराष्ट्रीय संसदीय अध्ययन केन्द्र, लंदन द्वारा आयोजित रणनीतिक, सार्वजनिक प्रशासनिक व्यावसायिक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में भाग लिया गया।
- CCA, MoLE had attended Professional Certificate Course in Strategic Public Administrative by International Center for Parliamentary studies London from 20.11.2017 to 24.11.2017 at UK
- दो अवर सचिवों द्वारा तुरिन, इटली में 04.12.2017 से 15.12.2017 तक 'लघु तथा मध्यम उद्यमों में व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सुधार' पर अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया गया।
- Two Under Secretaries attended ILO training Programme on 'Improving Occupation Safety and Health in Small and Micro Enterprises' from 04.12.2017 to 15.12.2017 at Turin, Italy.

## 10 वर्तमान श्रम गतिविधियां 10 Current Labour Activities

कुछ प्रतिष्ठित अन्तरराष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों से मिलने भारत आए इस प्रकार हैं:

Some of the prominent International Delegations visited India to meet officials of Ministry of Labour and Employment are :

- उप महानिदेशक(नीति), अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन, जेनेवा द्वारा 24-26 जुलाई, 2017 को भारत में अपने दौरे के दौरान 24.07.2017 को माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) के साथ शिष्टाचार मुलाकात की गई। उनके द्वारा बाल श्रम पर अभिसमय (सं. 138 तथा 182) के अभिसमर्थन पर भारत की सराहना की गई तथा भविष्य पर अपने विचारों का आदान-प्रदान किया।
- Dy. Director General (Policy), ILO, Geneva had a courtesy visit with Hon'ble Minister of State (Independent Charge) for Labour & Employment on 24.07.2017 during her tour to India from 24-26 July 2017. She complimented India on ratification of Convention (No. 138 &182) of ILO on Child Labour, and exchanged her views on future of work.
- उप महानिदेशक, ईपीडब्ल्यूपी, लोक निर्माण मंत्रालय, दक्षिण अफ्रीका द्वारा अध्ययन दल के साथ 22.09.2017 को श्रम एवं रोजगार अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में मंत्रालय के अधिकारियों के साथ लोक कल्याण कार्यक्रमों का कर्मचारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ पर बैठक में भाग लिया गया।
- DDG, EPWP, Ministry of Public Works, South Africa along with a study team had a meeting officials of the Ministry headed by Additional Secretary (L&E) on 22.09.2017 on social security benefits to workers of public welfare programmes.

### 2 सामाजिक सुरक्षा

### 2 Social Security

भारतीय सामाजिक सुरक्षा योजना की परिधि में संगठित श्रम बल का केवल एक हिस्सा आता है जिसे संगठन के भीतर प्रत्यक्ष एवं नियमित नियोक्ता कर्मचारी

## 10 वर्तमान श्रम गतिविधियां 10 Current Labour Activities

संबंध रखने वाले श्रमिकों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। भारत में सामाजिक सुरक्षा कानून अपनी शक्ति एवं उत्साह भारत के संविधान में दिए गए राज्य योजना के निदेशक सिद्धांतों से प्राप्त करते हैं। ये या तो अकेले नियोक्ता के खर्च पर या नियोक्ता तथा कर्मचारी के संयुक्त अंश के आधार पर सामाजिक सुरक्षा लाभ की अनिवार्य रूप से व्यवस्था करते हैं। कर्मचारियों को उपलब्ध अधिकारों के संरक्षण तथा अनुपालन का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से नियोक्ता का होता है।

The social security schemes in India cover only a small segment of the organized work-force, which may be defined as workers who are having a direct regular employer-employee relationship within an organization. The social security legislations in India derives their strength and spirit from the Directive Principles of the State Policy as contained in the Constitution of India. These provide for mandatory social security benefits either solely at the cost of the employers or on the basis of joint contribution of the employers and the employees. While protective entitlements accrue to the employees, the responsibilities for compliance largely rest with the employers.

### 2.1 कर्मचारी प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1923

#### 2.1 The Employee's Compensation Act, 1923

कर्मचारी प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1923 को पहले कर्मकार प्रतिपूर्ति अधिनियम के रूप में जाना जाता था जोकि एक पुराना लेकिन महत्वपूर्ण अधिनियम है क्योंकि यह इस देश के कर्मकारों के लिए एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजना को लागू करता है। यह कर्मचारी को तथा कर्मचारी की मृत्यु के मामले में उसके आश्रितों को रोजगार के दौरान चोट के लिए उसके नियोक्ता के खर्च से प्रतिपूर्ति उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नियोक्ताओं पर नियोजन के दौरान होने वाली घटनाओं के लिए कामगारों को भुगतान करने हेतु बाध्य करना है। यदि कर्मचारी को नियोजन के दौरान व्यावसायिक बीमारी लग जाती है तो इसे भी अधिनियम के तहत दुर्घटना के कारण होने वाली चोट के रूप में माना जाता है। मृत्यु के मामले में प्रतिकर दर को 1,20,000/- रु तथा चोट के कारण होने वाली



## 10 वर्तमान श्रम गतिविधियां 10 Current Labour Activities

विकलांगता के मामले में 1,40,000/- रु. तक बढ़ा दिया गया है। दाह संस्कार व्यय की राशि को 5000/रु. तक बढ़ा दिया गया है। प्रतिकर गणना हेतु मजदूरी सीमा 31.05.2010 से 8,000/रु. प्रति माह है। अधिनियम में 18.01.2010 से संशोधन के माध्यम से एक उपधारा का समावेश कर दिया गया है ताकि सरकार द्वारा सरकारी गज़ट में अधिसूचना द्वारा प्रतिकर, संस्कार व्यय तथा मजदूरी सीमा को बढ़ाया जा सके। संदर्भ तिथि से तीन माह के भीतर इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिकर से संबंधित मामलों को निपटाने हेतु तथा निर्णयों की सूचना देने हेतु आयुक्त के लिए एक नई धारा 25 ए को जोड़ दिया गया है। कर्मचारी प्रतिकर(संशोधन) अधिनियम, 2017 के अनुसार धारा 17 ए को जोड़ दिया गया है। अब "इस अधिनियम के तहत प्रत्येक नियोक्ता कर्मचारी की नियुक्ति के समय लिखित या इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से हिंदी अथवा अंग्रेजी में या नियोजन के क्षेत्र की सरकारी भाषा में जो भी कर्मचारी द्वारा समझी जा सके, प्रतिकर के उसके अधिकारों के बारे में कर्मचारी को सूचित करेगा"। पुनः धारा 18 ए के तहत अधिनियम के उल्लंघन के लिए आर्थिक दंड को वर्तमान में 5000/रु. से बढ़ाकर 50,000/रु. कर दिया गया है जिसे 1 लाख रु. तक बढ़ाया जा सकता है। धारा 30 के अनुसार अपील करने के लिए विवाद की राशि को 300/रु. से 10,000/रु. या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित इससे अधिक राशि तक संशोधित कर दिया गया है ताकि मुकदमेबाजी को कम किया जा सके।

The Employees' Compensation Act, 1923, earlier known as "Workmen's Compensation Act" is an old but an important enactment, as it introduced a kind of social security scheme for the workers of this country. It enables an employee, and in case of death of an employee, his dependents, to get, at the cost of his employer compensation for employment injury. The object of the Act is to provide for the payment of compensation by employers to their employees for injury caused to them by accident while in employment. If an employee contracts an occupational disease while in employment, it is also treated under the Act as injury caused by accident. The compensation has been enhanced to Rs. 1,20,000/- in case of death and Rs. 1,40,000/- in case of disablement resulting from injury. The amount of funeral expenses has been enhanced to Rs.5,000/-. Wage ceiling for calculation of compensation is Rs.8,000/-

## 10 वर्तमान श्रम गतिविधियां 10 Current Labour Activities

p.m. w.e.f. 31.5.2010. Through the amendment carried out in the Act w.e.f. 18.01.2010, a clause has been inserted in the Act to enable the Government to raise the compensation, funeral expenses and wage limit by notification in the official Gazette. A new Section 25A has been added for the Commissioner to dispose of the matter relating to compensation under this Act within a period of three months from the date of reference and intimate the decision. As per the Employee's Compensation (Amendment) Act, 2017, Section 17A has been added. Now, "Every employer shall immediately at the time of employment of an employee, inform the employee of his rights to compensation under this Act, in writing as well as through electronic means, in English or Hindi or in the official language of the area of employment, as may be understood by the employee." Further, under Section 18A, penalty for contravention of Act has been increased from present Rs.5,000/- to Rs.50,000/- which may extend to one lakh rupees. As per Section 30, the amount of dispute has been revised to go for an appeal from Rs.300/- to Rs.10,000/- or such higher amount notified by the Central Government, so as to reduce litigation.

### 2.2 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

#### 2.2 The Employees State Insurance Act, 1948

यह अधिनियम 10 अथवा इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कारखानों पर लागू होता है। इस अधिनियम के प्रावधानों को क्षेत्र-वार चरणों में लागू किया जा रहा है। इस अधिनियम में समाहित प्रावधान के अनुसार "सक्षम सरकार" इस अधिनियमों के प्रावधानों को स्थापनाओं की अन्य श्रेणियों जैसे औद्योगिक, वाणिज्य, कृषि अथवा अन्य तक भी विस्तार कर सकती है। इन प्रावधानों के उपबंधों के तहत राज्य सरकारों ने इनका विस्तार दुकानों, होटलों, रेस्तरांओं, सिनेमा जिसमें प्रीव्यू थियेटर शामिल हैं, सड़क मोटर परिवहन उपक्रम, अखबार स्थापनाएँ, शैक्षणिक तथा चिकित्सा संस्थानों जिनमें 10 अथवा इससे अधिक व्यक्ति नियोजित हों, तक कर दिया है। 21,000 रु मासिक आय प्राप्त कर रहे कारखानों तथा स्थापनाओं के कामगार इस अधिनियम के अधीन आते हैं। पहले 25,000 रु मासिक प्राप्त कर रहे स्थायी विकलांगता वाले व्यक्ति इस स्कीम के तहत आते थे लेकिन अब

10 वर्तमान श्रम गतिविधियाँ  
10 Current Labour Activities

स्थायी विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए ईएसआई स्कीम के तहत कवरेज हेतु कोई मासिक मजदूरी सीमा नहीं है। ईएसआई स्कीम अब 33 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जाती है।

The Employees' State Insurance Act, 1948 applies to factories employing 10 or more persons. The provisions of the Act are being brought into force area-wise in stages. The Act contains an enabling provision under which the "appropriate government" is empowered to extend the provisions of the Act to other classes of establishments' industrial, commercial agricultural or otherwise. Under these provisions, the State Governments have extended the provisions of the Acts of shops, hotels, restaurants, cinemas including preview theatres, road motor transport undertaking, newspaper establishments, educational and medical institutions employing 10 or more employees. Employees of factories and establishments covered under the Act drawing monthly wages up to Rs. 21,000 per month are covered under the Scheme. Earlier, persons with permanent disabilities earning up to Rs.25,000/- per month were covered under ESI Scheme but now, there is no monthly wage ceiling for coverage under ESI Scheme for persons with permanent disabilities. The ESI Scheme is now operated in 33 States/Union Territories.

**प्रशासन:** इस स्कीम को एक सांविधिक निकाय नामतः कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से लागू किया जाता है जिसमें कर्मचारियों, नियोक्ताओं, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, चिकित्सा व्यवसाय तथा संसद का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शामिल होते हैं। संघ का श्रम एवं रोजगार मन्त्री इसका अध्यक्ष होता है। एक स्थाई समिति, जिसका गठन निगम के सदस्यों में से ही किया जाता है, जो स्कीम के संचालन हेतु कार्यकारी निकाय के रूप में काम करती है जिसका अध्यक्ष सचिव, श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय, भारत सरकार होता है।

**Administration:** The ESI Scheme is administered by a statutory body called the Employees' State Insurance Corporation (ESIC), which has members representing Employers, Employees, Central

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां  
10 Current Labour Activities

and State Governments, Medical Profession and the Parliament. The Union Minister for Labour & Employment is the Chairman. A Standing Committee, constituted from among the members of the Corporation, acts as the executive body for administration of the Scheme and is chaired by the Secretary, Ministry of Labour & Employment.

**स्कीम को धन उपलब्ध करवाना तथा कार्यान्वयन:** ईएसआई स्कीम को मुख्यतः नियोक्ताओं तथा कामगारों से प्राप्त अंशदान से चलाया जाता है। नियोक्ताओं तथा कामगारों के अंशदान के भाग की दर क्रमशः 4.75% तथा 1.75% है। दिनांक-06.10.2016 से नए कार्यान्वित क्षेत्रों के लिए प्रथम 24 माह के लिए अंशदान दर 4% (1%कर्मचारी अंश तथा 3 % नियोक्ता अंश) है।

**Funding and Operation of the Scheme:** The ESI Scheme is mainly financed by contributions from the employers and employees. The rates of the employers' and the employees' share of contribution are 4.75% and 1.75%, respectively. For the newly implemented areas w.e.f. 06.10.2016, the rate of contribution is 4% (1% being employee's share & 3% Employer's share) for the first 24 months.

**ईएसआई स्कीम के तहत स्वास्थ्य एवं नकद लाभ:** चिकित्सा देखभाल के साथ-ही, ईएसआई स्कीम के तहत लाभार्थियों को कुछ नकद लाभ भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। इनका भुगतान अस्थाई अस्वस्थता अथवा स्थाई अपंगता के कारण शारीरिक क्षति जिसके परिणामस्वरूप उपाजन क्षमता समाप्त हो जाती है, बीमाकृत महिलाओं के संबंध में प्रसूति इत्यादि की स्थिति में किया जाता है। बीमा प्राप्त व्यक्तियों के आश्रितों जिनकी मृत्यु व्यावसायिक बीमारी अथवा नियोजन के दौरान दुर्घटना के कारण होती है, को मासिक भुगतान किया जाता है जिसे आश्रित लाभ कहा जाता है। ईएसआई स्कीम के तहत दिए जाने वाले नकद लाभों की सूची इस प्रकार है:-  
**अस्वस्थता लाभ:** अस्वस्थता लाभ, विस्तृत अस्वस्थता लाभ, विस्तारित अस्वस्थता लाभ, **अपंगता लाभ:** अस्थाई अपंगता लाभ, स्थाई अपंगता लाभ, **आश्रित लाभ:**

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां  
10 Current Labour Activities

मातृत्व लाभ, चिकित्सा लाभ, अन्य लाभ: प्रसूति लाभ, दाह-संस्कार प्रभार, व्यावसायिक पुनर्वास, शारीरिक पुनर्वास, बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ते के तहत कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, सेवा निवृत्त (IP) तथा उसके परिवार को चिकित्सा सुविधा।

**Health & Cash Benefits under ESI Scheme:** Besides from medical care, the beneficiaries under ESI Scheme are also provided an array of cash benefits. It is payable in times of physical distress due to sickness, temporary or permanent disablement resulting in loss of earning capacity, confinement in respect of insured women etc. Dependents of insured persons who die of employment injury caused by accident or occupational disease are entitled to monthly payments called the dependent benefits. The list of Cash Benefits provided under the ESI Scheme are as following: **Sickness benefit:** Sickness Benefit ; Enhanced Sickness Benefit; Extended Sickness Benefit; **Disablement benefit:** Temporary Disablement Benefit and Permanent Disablement Benefit **Dependant's Benefit, Maternity Benefit, Medical Benefit Other Benefit:** Confinement Expenses, Funeral Expenses, Vocational Rehabilitation, Physical Rehabilitation, Unemployment Allowances (RGSKY), Skill Upgradation Training under RGSKY and medical facilities to retired IP and his spouse.

**चिकित्सा देखभाल** इस स्कीम के तहत बीमा प्राप्त व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों को प्राईमरी हेल्थ केयर से बेहतर स्वास्थ्य उपचार तक पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएँ दी जाती हैं।

**Medical Care** The Scheme provides reasonable medical facilities from primary health care to super speciality treatment in respect of the insured persons and their family members.

**2.3 कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952**

**2.3 Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952**

## 10 वर्तमान श्रम गतिविधियाँ 10 Current Labour Activities

कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 कारखानों तथा अन्य संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि पेंशन फण्ड तथा लिंकड इंश्योरेंस बीमा फण्ड प्रारम्भ करने के उद्देश्य से अधिनियमित कल्याण कानून है। इस अधिनियम का उद्देश्य औद्योगिक कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को जब वे विपत्ति में होते हैं तथा/या परिवार तथा सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के अयोग्य होते हैं तथा बुढ़ापे में उन्हें सुरक्षा देने हेतु विकलांगता, कमाने वाले की अकाल मृत्यु की स्थिति में तथा कुछ अन्य आकस्मिक घटनाओं के समय सामाजिक सुरक्षा तथा समय पर वित्तीय सहयोग देना है। इस समय अधिनियम के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से निम्नलिखित 3 योजनाएं लागू हैं: कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952; कर्मचारी जमा संबंधित बीमा योजना, 1976 तथा कर्मचारी पेंशन योजना, 1955।

The Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 is a welfare legislation enacted for the purpose of instituting provident funds, pension fund and deposit linked insurance fund for employees working in factories and other establishments. The Act aims at providing social security and timely monetary assistance to industrial employees and their families when they are in distress and/or unable to meet family and social obligations and to protect them in old age, disablement, early death of the bread winner and in some other contingencies. Presently, the following three Schemes are in operation under the Act through the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO): Employees' Provident Funds Scheme, 1952, Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, Employees' Pension Scheme, 1995.

**स्थापनाओं की कवरेज तथा सदस्य** यह अधिनियम वर्तमान में अधिनियम की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट अथवा किसी गतिविधि हेतु केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में यथाअधिसूचित तथा 20 अथवा इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले 197 विनिर्दिष्ट उद्योगों/स्थापनाओं के वर्गों पर लागू होता है। अनिवार्य

10 वर्तमान श्रम गतिविधियाँ  
10 Current Labour Activities

कवरेज के प्रावधान के अलावा इस अधिनियम की धारा 1(4) के अन्तर्गत स्वैच्छिक कवरेज का भी प्रावधान है।

**Coverage of establishments and members** Presently, the Act is applicable to 197 specified industries/classes of establishments as is specified in Schedule I of the Act or any activity notified by the Central Government in the Official Gazette and employing twenty or more persons. Apart from the provision for compulsory coverage, provision also exists under section 1(4) of the Act for voluntary coverage.

**सदस्यों को प्राप्त सेवा** कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का सदस्य नौकरी छोड़ने पर उसके खाते में जमा राशि को ब्याज सहित प्राप्त करने का हकदार होता है। स्कीम के अन्तर्गत भविष्य निधि खाते से कुछ आकस्मिक जरूरतों जैसे कि बीमारी, अशक्तता आदि को पूरा करने के लिए तथा इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की सामाजिक दायित्वों जैसे कि स्वयं की शादी, बच्चों की शादी अथवा बच्चों की उच्च शिक्षा और मकान निर्माण आदि को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने हेतु भी आंशिक निकासी की जा सकती है।

**Service to Members** A member of the Employees Provident Fund Scheme is entitled to withdraw the amount lying in his account together with interest on quitting service. The scheme also provides for partial withdrawals from the Provident Fund Account to meet contingencies like illness, invalidation and also to provide financial assistance to discharge their social responsibilities like marriage of self, children or higher education of children and construction of dwelling house.

**कर्मचारी डिपोजिट-लिंकड बीमा स्कीम, 1976 (ईडीएलआई):** यह स्कीम 1 अगस्त, 1976 से सभी कारखानों/स्थापनाओं पर लागू है। वे सभी कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम के सदस्य हैं, उनको इस स्कीम का सदस्य बनना वाछनीय है। कर्मचारियों को अपने वेतन का 0.5 प्रतिशत हिस्सा अर्थात् मूल मजदूरी, महंगाई

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां  
10 Current Labour Activities

भत्ता जिसमें खाद्य छूट तथा प्रतिधारित भत्ता यदि कोई है, बीमा निधि में अंशदान के रूप में जमा करना वांछनीय होता है। इस स्कीम के पैरा 22 के अधीन लाभ के तहत एक कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में यह 20% तक बढ़ जाता है जो इसमें दिए गए लाभों से अतिरिक्त होता है।

**Employees deposit linked insurance scheme, 1976:** Employees deposit-linked insurance scheme, 1976 (EDLI) is applicable to all factories / establishments with effect from 1st August, 1976. All the employees, who are members of the employees' provident fund scheme, are required to become members of this scheme. Employers are required to pay contributions to the insurance fund at the rate of 0.5 per cent of pay i.e., basic wages, dearness allowance including cash value of food concession and retaining allowance, if any. The benefit under para 22 of this scheme on the death of an employee has been further increased by 20% in addition to the benefits already provided therein.

**कर्मचारी पेंशन योजना, 1995:** 16.11.1995 से कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 लागू कर दी गई है।

**Employees' pension scheme, 1995** The Employees' Pension Scheme, 1995 has been introduced w.e.f. 16-11-1995.

**स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले लाभ:** कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अन्तर्गत सदस्यों तथा उनके परिवारों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं। मासिक सदस्य पेंशन, अपंगता पेंशन, विधवा/विधुर पेंशन, बालक पेंशन, अनाथ पेंशन, विकलांग बालक/अनाथ पेंशन, मनोनीत पेंशन, आश्रित अभिभावकों को पेंशन, निकासी लाभ।

**Benefits under the scheme** The Employees' Pension Scheme, 1995 provides the following benefits to the members and their families:  
Monthly member pension ; Disablement pension ; Widow/ widower pension ; Children pension ; Orphan pension ; Disabled Children/Orphan Pension ; Nominee pension ; Pension to dependent



10 वर्तमान श्रम गतिविधियां  
10 Current Labour Activities

parents ; Withdrawal benefit.

**पेंशन निधि में योगदान** इसका वित्तीय प्रबंध नियोजता के हिस्से से भविष्य निधि अंशदान के 8.33 प्रतिशत की दर पर नियोजता से योगदान लेकर किया जाता है तथा केन्द्रीय सरकार भी कर्मचारियों की मज़दूरी का 1.16 प्रतिशत योगदान देती है

**Contribution to Pension Fund** The Scheme is financed by transferring 8.33% of the Provident Fund contributions from employers' share and by contribution @ 1.16% of basic wages of employees by the Central Government.

**2.4 प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961**

**2.4 The Maternity Benefit Act, 1961**

प्रसूति प्रसुविधा लाभ 1961 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत शामिल महिलाओं को छोड़कर 10 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कारखानों, खननों, सर्कस उद्योग, बागान इकाइयों तथा दुकानों या संस्थानों में महिलाओं के रोजगार को जन्म से पहले तथा बाद में निश्चित अवधि के लिए नियंत्रित करता है तथा प्रसूति और अन्य प्रसुविधाओं का प्रावधान करता है। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। यह अधिनियम महिला श्रमिकों को गर्भावस्था की अवधि के दौरान रोजगार से बाहर होने के कारण निश्चित शर्तें पूरा करने पर प्रसूति अवकाश तथा कई मौद्रिक लाभों के भुगतान की व्यवस्था भी करता है। अशिष्ट कदाचार को छोड़कर गर्भावस्था के कारण महिला श्रमिक की अनुपस्थिति के दौरान उसकी सेवाएं समाप्त नहीं की जा सकती। प्रसूति प्रसुविधा(संशोधित) अधिनियम, 2017 की धारा 5 में संशोधन के अनुसार महिला दो जीवित बालकों तक के लिए अधिकांशतः 26 सप्ताहों के लिए प्रसूति प्रसुविधा ले सकती है। गोद लेने वाली/कमिशनिंग महिलाओं के लिए तथा दो जीवित बच्चों से अधिक के लिए, 12 सप्ताह का प्रदत्त प्रसूति अवकाश भी उपलब्ध है। 19.12.2011 से इस अधिनियम के तहत 3500 रु का चिकित्सा बोनस दिया जा रहा है। प्रसूति प्रसुविधा(संशोधित) अधिनियम, 2017 द्वारा नई धारा-11ए के समावेश के पश्चात क्रेश सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है जिसके अनुसार प्रत्येक संस्थान जिसके 50 या उससे अधिक

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां  
10 Current Labour Activities

कर्मचारी हैं, में निर्धारित दूरी पर अलग से या उसके साथ ही सामान्य सुविधाओं के साथ क्रेश की सुविधा होगी।

The Maternity Benefit Act, 1961 regulates the employment of women in factories, mines, the circus industry, plantation units and shops or establishments employing 10 or more persons except the employees covered under the Employees State Insurance (ESI) Act, 1948 for certain period before and after birth and provides for maternity and other benefits. It extends to the whole of India. It also provides for maternity leave and payment of certain monetary benefits to women workers subject to fulfillment of certain conditions during the period when they are out of employment on account of pregnancy. The services of a woman worker cannot be terminated during the period of her absence on account of pregnancy except for gross misconduct. As per amendment of Section 5 of the Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017, maximum period for which a woman can get paid maternity benefit is twenty-six weeks upto two surviving children. For adopting / commissioning mothers and for more than two surviving children, 12 weeks of paid maternity leave is also available. A medical bonus of Rs.3,500/- is being provided from 19.12.2011 under the Act. The crèche facility has also been provided by the Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017 after insertion of new Section-11A, according to which every establishment having fifty or more employees shall have the facility of crèche within such distance, as may be prescribed, either separately or along with common facilities.

**2.5 उपदान भुगतान अधिनियम, 1972**

**2.5 The Payment of Gratuity Act, 1972**

उद्देश्य उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 कारखानों, खानों, तेल क्षेत्रों, बागानों, बन्दरगाहों, रेलवे कम्पनियों, मोटर परिवहन उपक्रमों एवं दुकानों या अन्य संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए कर्मचारी की कम से कम पाँच वर्ष की निरंतर सेवा पर सेवानिवृत्ति अथवा उसकी सेवामुक्ति अथवा त्यागपत्र अथवा दुर्घटना अथवा बीमारी के कारण उसकी मृत्यु अथवा निशक्त होने पर उसका नियोजन समाप्त किए जाने पर

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां  
10 Current Labour Activities

उपदान के आवश्यक भुगतान की योजना की व्यवस्था करता है। बशर्ते कि पाँच वर्ष की नियमित सेवा का पूर्ण होना वहाँ वांछनीय नहीं होगा जहाँ किन्हीं कर्मचारियों का नियोजन मृत्यु अथवा निशक्ता के कारण समाप्त हो जाता है। उपदान के भुगतान का दायित्व इस अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के तहत नियोक्ता का होगा।

**Objective:** The Payment of Gratuity Act, 1972 provides for a scheme of compulsory payment of gratuity to employees engaged in factories, mines, oil-fields, plantations, ports, railway companies, motor transport undertakings, shops or other establishments on the termination of his employment after he has rendered continuous service for not less than five years on his superannuation, or on his retirement or resignation, or on his death or disablement due to accident or disease. Provided that the completion of continuous service of five years shall not be necessary where the termination of the employment of any employees is due to death or disablement. Payment of Gratuity is an employer's liability under the extant provisions of the PG Act.

**कवरेज:** प्रत्येक कारखाना, खनन, ऑयल फ़िल्ड, बागान, बंदरगाह तथा रेलवे कंपनी ; प्रत्येक दुकान अथवा स्थापना जो एक राज्य में दुकान अथवा स्थापना से संबंधित कुछ समय के लिए लागू किसी कानून की परिभाषा के अधीन आती हो तथा जहाँ 10 अथवा 10 से अधिक व्यक्ति पूर्ववर्ती 12 माह के दौरान नियोजित थे अथवा हैं; इस प्रकार की कोई अन्य स्थापना अथवा स्थापना की श्रेणी जहाँ 10 अथवा दस से अधिक व्यक्ति पूर्ववर्ती 12 माह के दौरान नियोजित थे अथवा हैं जैसा कि केन्द्रीय सरकार इसकी ओर से अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे; कोई भी दुकान अथवा स्थापना एक बार कवर होने के उपरांत, ऐसा होते हुए भी कि उसमें काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या दस से कम हो जाए, तो भी कवर ही माना जाएगा।

**Coverage :** Every factory, mine, oil-field, plantation, port and railway company; Every shop or establishment within the meaning of any law for the time being in force in relation to shops and establishments in a State, in which ten or more persons are employed or were employed on any day of the preceding twelve months, Such other establishments or class of

## 10 वर्तमान श्रम गतिविधियाँ

### 10 Current Labour Activities

establishments in which ten or more employees are employed or were employed on any day of the preceding twelve months as the Central government may, by notification, specify in this behalf. A shop or establishment once covered shall continue to be covered notwithstanding that the number of persons employed therein at any time falls below ten.

**पात्रता:** प्रशिक्षु को छोड़कर प्रत्येक कर्मचारी, चाहे उसकी मजदूरी कुछ भी हो, पाँच वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक नियमित सेवा करने के उपरांत उपदान हेतु पात्र होगा। उपदान का भुगतान उसकी सेवा पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति पर सेवामुक्ति अथवा त्यागपत्र दुर्घटना अथवा बीमारी के कारण निशक्तता अथवा मृत्यु, होना है। सेवा समाप्त होने में छंटनी भी शामिल है। तथापि, पाँच वर्षों की निरंतर सेवा की शर्त वहाँ पर लागू नहीं होती जहाँ सेवाएँ निशक्तता अथवा मृत्यु के कारण समाप्त हो जाती हैं। कर्मचारी की मृत्यु होने पर उपदान का भुगतान उसके मनोनीत सदस्य को किया जाता है, और अगर इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है तो उसके उत्तराधिकारियों को दिया जाता है।

**Entitlement** Every employee, other than apprentice irrespective of his wages is entitled to receive gratuity after he has rendered continuous service for five years or more. Gratuity is payable at the time of termination of his service either (i) on superannuation or (ii) on retirement or resignation or (iii) on death or disablement due to accident or disease. Termination of services includes retrenchment. However, the condition of five years' continuous service is not necessary if services are terminated due to death or disablement. In case of death of the employee, the gratuity payable to him is to be paid to his nominee, and if no nomination has been made, then to his heirs.

**संचालन** इस अधिनियम को केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारों के द्वारा लागू किया जाता है। धारा 3 उपयुक्त सरकार को प्राधिकृत करती है कि वो किसी अधिकारी को इस अधिनियम के संचालन हेतु नियंत्रण अधिकारी के रूप में नियुक्त करे। खनन, बड़े बंदरगाहों, ऑयल फील्ड, रेलवे कंपनियों तथा स्थापनाएँ जिनका स्वामित्व अथवा नियंत्रण केन्द्र सरकार का है और स्थापना जिनकी शाखा एक से अधिक राज्यों में है,

## 10 वर्तमान श्रम गतिविधियां 10 Current Labour Activities

का नियंत्रण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। शेष कारखानों और/तथा स्थापनाओं का नियंत्रण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय/राज्य सरकारें विभिन्न क्षेत्रों के लिए, यह सुनिश्चित करने हेतु कि अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना हो, नियंत्रण प्राधिकारियों तथा निरीक्षकों की नियुक्ति करती हैं। केन्द्र/राज्य सरकारें इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नियम भी बनाती हैं।

**Administration** The Act is enforced both by the Central and State Governments. Section 3 authorizes the appropriate government to appoint any officer as a controlling authority for the administration of the Act. Mines, major ports, oilfields, railway companies and establishment owned or controlled by the Central Government and establishment having branches in more than one State are controlled by the Central Government. The remaining factories and/ establishments are looked after by the State Governments. The Central/State Governments appoint the Controlling Authorities and Inspectors for different areas, to ensure that the provisions of the Act are complied with. The Central/State Governments also frame rules for administration of the Act.

### 3 वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान

#### 3 V.V. Giri National Labour Institute

जुलाई, 1974 में स्थापित वी.वी.गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय श्रम के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा शिक्षा का शीर्ष संस्थान है। 2017 (अप्रैल से अक्टूबर, 2017) के दौरान संस्थान द्वारा 77 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 09 कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रीय(आईटीईसी/एससीएएपी, भूटान, अफगानिस्तान) स्तर के थे तथा इन सभी कार्यक्रमों में विभिन्न देशों से अन्तरराष्ट्रीय सहभागियों सहित 2431 सहभागियों द्वारा हिस्सा लिया गया।

V.V. Giri National Labour Institute (VVGNI), an autonomous body of the Ministry of Labour and Employment, Government of India set up in July, 1974, is a premier institute of Research, Training and Education in the area of Labour. During the year from April 2017 -

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां  
10 Current Labour Activities

October 2017, the Institute has conducted 77 training programmes including 09 International programmes (ITEC/SCAAP, Bhutan, Afghanistan) and 2431 participants including international participants from different countries have also attended these programmes.

वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान को विदेश मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा आईटीईसी-एससीएपी के तहत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। अप्रैल से अक्टूबर 2017 की अवधि के दौरान संस्थान ने विभिन्न विषयों जैसे कौशल विकास एवं रोजगार सृजन, श्रम तथा नेतृत्व विकास के क्षेत्र में 02 अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा अनुरोध पर श्रम प्रशासन, रोजगार सेवा तथा भूटान राजकीय सरकार के अधिकारियों के लिए कैरियर काउंसलिंग पर एक विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा 'कमजोर राज्यों में महिला सशक्तिकरण की ओर लिंग तथा श्रम'; 'युवा रोजगार:योजना से कार्रवाई तक'; 'उद्यम विकास'; 'प्रवासन तथा रोजगार', 'कौशल तथा रोजगार योग्यता', 'महिला सशक्तिकरण की ओर लिंग तथा श्रम'; 'कार्यान्वयन हेतु डिजाइन: 'रोजगार योजना संस्थान' जैसे विभिन्न विषयों पर आई एल ओ प्रशिक्षण केन्द्र, तुरिन के सहयोग से 6 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों का आयोजन अफगानिस्तान सरकार के अधिकारियों के लिए किया गया। 53 देशों से कुल 241 विदेशी अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।

अप्रैल से अक्टूबर, 2017 तक संस्थान द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए 9 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों को राज्य सरकार के अधिकारियों, केन्द्रीय श्रम संगठन के नेताओं तथा गैर सरकारी संगठनों के लिए आयोजित किया गया। इन कार्यक्रमों में 298 सहभागियों द्वारा भाग लिया गया।

The Institute has been empanelled by Ministry of External Affairs, Government of India for conducting various international training programmes under ITEC/SCAAP. During the period April 2017-October, 2017, the Institute organized 02 International training programmes under ITEC/SCAAP on subjects like Skill Development and

## 10 वर्तमान श्रम गतिविधियां 10 Current Labour Activities

Employment Generation and Enhancing Leadership Skills. In addition to this, on the request, the institute conducted one specialized training programme on Labour Administration, Employment Services and Career Counseling for Officials of Royal Government of Bhutan. Besides this, the institute conducted 06 training programmes in collaboration with ILO International Training Centre, Turin on various subject such as 'Gender and Labour towards Empowering Women in Fragile States'; 'Youth Employment: From Policy to Action'; 'Entrepreneurship Development'; 'Migration and Employment', 'Skills and Employment Ability', 'Gender and Labour Towards Empowering Women'; 'Design to Implementation: Institutions for Employment Policies'. These programmes were conducted for officials of Government of Afghanistan. In all 241 foreign officials from 53 countries participated.

During April, to October, 2017, the Institute organized 09 training programmes for North-East Region. These programmes were designed for State Government Officials, Central Trade Union Leaders and NGOs. 298 participants participated in these programmes.

### 4 श्रम अनुसंधान तथा सांख्यिकी

#### 4 Labour Research and Statistics

अखिल भारतीय स्तर पर श्रम विषयों पर तथ्य तथा आंकड़ों के संग्रहण, समाकलन तथा प्रकाशन से संबंधित मुख्य कार्य श्रम ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है। रोजगार, मजदूरी, उपाजन, औद्योगिक विवाद, अनुपस्थिति, श्रम आवर्त तथा कार्यकारी स्थितियों पर आंकड़ों के संग्रहण, विश्लेषण तथा प्रकाशन के अतिरिक्त श्रम ब्यूरो श्रम के विभिन्न पहलुओं पर सर्वेक्षण तथा स्थितियों पर आंकड़ों के संग्रहण, विश्लेषण तथा प्रकाशन के अतिरिक्त श्रम ब्यूरो श्रम के विभिन्न पहलुओं पर सर्वेक्षण तथा अनुसंधान अध्ययन भी आयोजित करता है। ब्यूरो के नियमित प्रकाशनों में मासिक प्रकाशन जैसे इण्डियन लेबर जरनल तथा वार्षिक प्रकाशन जैसे इण्डियन लेबर ईयर बुक, इण्डियन लेबर स्टैटिस्टिक्स तथा पॉकेट बुक ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स सम्मिलित हैं। ब्यूरो महत्वपूर्ण श्रम कानूनों के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट भी

## 10 वर्तमान श्रम गतिविधियाँ 10 Current Labour Activities

निकालता है। श्रम ब्यूरो के कुछ महत्वपूर्ण जारी परियोजनाओं की निम्नवत चर्चा की गई है:

A major part of work relating to collection, collation and publication of facts and figures on labour matters on All India basis is being carried out by the Labour Bureau. Besides collecting, analyzing and publishing data on employment, wages, earnings, industrial disputes, absenteeism, labour turnover and working conditions, the Labour Bureau also conducts surveys and research studies on various aspects of labour. The regular publications of Bureau include the monthly publication 'Indian Labour Journal' and annual publications 'Indian Labour Year Book', 'Indian Labour Statistics' and 'Pocket Book of Labour Statistics'. The Bureau also brings out annual reports on the working of important Labour Laws. Some of the major continuing projects of the Labour Bureau are discussed below:

### 4.1 औद्योगिक श्रमिकों तथा खेतिहर श्रमिकों/ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

#### 4.1 Consumer Price Index Numbers for IW and AL/RL

औद्योगिक श्रमिकों (चुनिन्दा 78 केन्द्रों तथा अखिल भारत) के लिए आधार 2001=100 पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जनवरी, 2006 से प्रतिमाह संकलित तथा प्रकाशित किए जाते हैं। ब्यूरो 20 राज्यों तथा अखिल भारत के लिए खेतिहर तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए अलग-अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की आधार 1986-87=100 पर दो श्रंखलाएं भी निकाल रहा है। श्रम ब्यूरो की जारी कुछ मुख्य परियोजनाओं पर की गई चर्चा निम्नानुसार है

अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिशों के अनुसार एफआईईएस को आयोजित करने का अन्तराल 10 वर्षों से अधिक का नहीं होना चाहिए। ये सर्वेक्षण मूल्य एवं निर्वाह लागत आंकड़ों पर तकनीकी सलाहकार समिति के मार्गदर्शन के तहत आयोजित किए जाते हैं। तदनुसार श्रम ब्यूरो ने अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिशों का कड़ाई से पालन करते हुए वर्तमान श्रंखला को संभावित आधार



## 10 वर्तमान श्रम गतिविधियां 10 Current Labour Activities

2016=100 के साथ अद्यतन करने हेतु कार्य शुरू कर दिया है। जुलाई, 2017 से जून, 2018 तक राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित किए जाने वाले उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर खेतिहर/ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शृंखला को भी नए आधार 2019 के साथ अद्यतन किया जा रहा है।

Consumer Price Index (CPI) Numbers for Industrial Workers (78 selected centres and All India) on base 2001=100 are being compiled from January, 2006 onwards and published every month. The Bureau is also bringing out two series of CPI Numbers on base 1986-87=100 separately for Agricultural and Rural Labourers for 20 States and All-India

As per the recommendation of the ILO, the Family Income & Expenditure Survey should be conducted at intervals not more than 10 years. These surveys are conducted under the guidance of the TAC on Statistics of Price and Cost of Living Accordingly. Labour Bureau, adhering to the recommendation of ILO, has undertaken the work to update the existing series of CPI-IW to base 2016=100. The CPI-AL/RL series is also being updated with new base 2019 on the basis of results of the Consumer Expenditure Survey conducted by NSSO during July, 2017 to June, 2018.

### 4.2 31 आवश्यक वस्तुओं के लिए खुदरा मूल्य सूचकांक

#### 4.2 Retail Price Indices for 31 Essential Commodities

शहरी क्षेत्रों में 31 चुनिन्दा आवश्यक वस्तुओं के संबंध में खुदरा मूल्य सूचकांकों का प्रतिमाह संकलन किया जाता है तथा इन चुनिन्दा वस्तुओं के मूल्यों में अन्तर की जाँच करने तथा समय पर आवश्यक कार्रवाई करने के उद्देश्य से उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को भेजे जाते हैं। ये सूचकांक शृंखला के तहत औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा एकत्रित मूल्य आंकड़ों से निर्धारित भारों से प्राप्त किए गए भारण आरेखों के आधार पर संकलित किए जाते हैं। नई शृंखला के आधार पर 31 चुनिन्दा मर्दों के संबंध में आधार

## 10 वर्तमान श्रम गतिविधियां 10 Current Labour Activities

2001=100 के साथ खुदरा मूल्य सूचकांक भी जनवरी, 2006 सूचकांक से प्रतिमाह संकलित किया जा रहा है। अक्टूबर, 2017 तक के सूचकांकों को संकलित कर लिया गया है तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय नई दिल्ली को भेज दिए गए हैं।

Retail Price Indices in respect of 31 selected essential commodities in urban areas are also compiled every month and supplied to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution every month with the objective to monitor the movement in prices of these selected commodities and to take timely remedial action. These indices are compiled on the basis of Weighting Diagrams derived from the Weights determined under Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers and Price data collected under these series. Retail Price Indices in respect of 31 selected items on the basis of New Series on base 2001=100 are also being compiled every month with effect from January, 2006 index. The indices up to October, 2017 have been compiled and supplied to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, New Delhi

### 4.3 व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण

#### 4.3 Occupational Wage Survey

व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य मजदूरी तथा उपार्जन में अन्तः उद्योग, अन्तर उद्योग तथा अन्तःक्षेत्रीय विभिन्नताओं से संबंधित अध्ययनों के लिए तथा मजदूरी दर सूचकांक श्रृंखला के आधार के अद्यतन हेतु डेटाबेस उपलब्ध करवाना है। सभी 56 उद्योगों को शामिल करते हुए व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण के सातवें दौर के सर्वेक्षण हेतु प्रस्ताव को मंत्रालय द्वारा फरवरी, 2016 में मंजूरी दी जा चुकी है। फील्ड सर्वेक्षण जुलाई, 2016 में आरंभ किया गया था तथा दिसंबर, 2017 तक सभी 56 उद्योगों में पूरा कर लिया गया है।

The Occupational Wage Surveys, inter-alia, aim to provide data base for studies relating to inter-industry, intra-industry and inter-regional differences in wages and earnings and for updation of the base of Wage Rate Index series. Proposal for conducting the 7th round of Occupational

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां  
10 Current Labour Activities

Wage Survey by covering all the 56 industries was approved by the Ministry during February, 2016. The field survey was launched in July, 2016 and has been completed in all the 56 industries in December, 2017.

**4.4 ग्रामीण श्रमिक अन्वेषण:**

**4.4 Rural Labour Enquiry:**

ग्रामीण श्रम अन्वेषण ग्रामीण श्रमिकों की निर्वाह तथा कार्य दशाओं को सुधारने के उद्देश्य से नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण में अत्यधिक उपयोगी है। इस उद्देश्य हेतु राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा आंकड़ों का संग्रहण पंचवर्षीय आधार पर आयोजित इसके रोजगार तथा बेरोजगारी सर्वेक्षणों के भाग के रूप में किया जाता है। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर रिपोर्टों की तैयारी तथा प्रकाशन का उत्तरदायित्व श्रम ब्यूरो को सौंपा गया है। यह संगठन ग्रामीण श्रम परिवारों के विभिन्न पहलुओं अर्थात् ऋणग्रस्तता, उपभोग व्यय, मजदूरी, उपार्जन, रोजगार एवं बेरोजगारी तथा ग्रामीण श्रम परिवारों की मुख्य विशेषताओं पर रिपोर्ट निकालता है। 66वें (2009-10) दौर के आंकड़ों के आधार पर उल्लिखित सभी 5 ग्रामीण श्रम अन्वेषण रिपोर्टों को जारी कर दिया गया है।

Rural Labour enquiries are of great assistance in designing the policies and programmes with the objective of ameliorating the living and working conditions of rural labour. The data for the purpose is collected by the NSSO as a part of its general Employment & Unemployment Surveys conducted on quinquennial basis. The responsibility of preparation and publication of reports on the findings of the survey is entrusted to Labour Bureau. The Organization brings out five reports on different aspects of Rural Labour Households viz., Indebtedness, Consumption Expenditure, Wages & Earnings, Employment & Unemployment and General Characteristics of Rural Labour Households. All the five above-mentioned RLE Reports based on 66<sup>th</sup> round of NSS (2009-10) have been released.

**4.5 उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के तहत श्रम आंकड़ों का संग्रहण**

**4.5 Collection of Labour Statistics under Annual Survey of Industries**

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां  
10 Current Labour Activities

(ASI):

(i) अनुपस्थिति (ii) श्रम आवर्त (iii) प्रति समय इकाई घटकों द्वारा औसत उपाजन (iv) श्रम लागत तथा (v) नियोजन से संबंधित श्रम आंकड़े विनिर्माण उद्योगों में प्रतिदर्श के साथ गणना आधार पर आयोजित उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण द्वारा एकत्रित किए जा रहे हैं। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (गणना तथा प्रतिदर्श) के तहत रोजगार तथा श्रम लागत पर आंकड़े भाग II (2013-14) तथा "अनुपस्थिति, श्रम आवर्त, रोजगार तथा श्रम लागत" खंड-II (2013-14) पर रिपोर्ट प्रकाशित करने की तैयारी की जा रही है।

Labour Statistics relating to (i) Absenteeism (ii) Labour Turnover (iii) Average earnings by components per unit of time (iv) Labour Cost and (v) Employment are being collected through the Annual Survey of Industries conducted on sample as well as on census basis in manufacturing industries. Under ASI (Census and Sample), the preparation of Reports on "Statistics on Employment and Labour Cost" Vol. I (2013-14) and "Absenteeism, Labour Turnover, Employment and Labour Cost" Vol. II (2013-14) remained in progress.

**4.5 श्रम के विभिन्न समूहों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण:**

इस स्कीम के तहत निम्न प्रकार के सर्वेक्षण आयोजित किए जा रहे हैं:

**4.5 Socio-economic surveys of different segments of labour**

Under this scheme following surveys are being conducted:-

**उद्योगों/नियोजनों के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की कार्यकारी एवं निर्वाह स्थितियों का सर्वेक्षण:** इस सर्वेक्षण का उद्देश्य उद्योगों/नियोजनों के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की स्थितियों में सुधार हेतु उनकी कार्यकारी तथा निर्वाह स्थितियों पर आंकड़े एकत्रित करना है। अब तक 31 सर्वेक्षण आयोजित किए गए हैं तथा सभी पर रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है। 2017 में अंतिम सर्वेक्षण असंगठित क्षेत्र के तैयार वस्त्र उद्योग में आयोजित किया गया है तथा रिपोर्ट मंत्रालय को अनुमोदनार्थ भेज दी गई है।

**न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन पर मूल्यांकन अध्ययन:** इस

## 10 वर्तमान श्रम गतिविधियां 10 Current Labour Activities

सर्वेक्षण का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में विभिन्न सूचीबद्ध नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के क्रियान्वयन की सीमा का मूल्यांकन करना है। अब तक ऐसे 28 अध्ययन आयोजित किए गए हैं तथा सभी रिपोर्टें प्रकाशित की जा चुकी हैं। अंतिम सर्वेक्षण वर्ष 2014-15 में बीड़ी उद्योग में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के घटकों के मूल्यांकन के अन्तर्गत किया गया था। सर्वेक्षण का आयोजन मध्य प्रदेश में दिसम्बर, 2014 के दौरान किया गया था। इसकी रिपोर्ट अगस्त, 2015 में जारी कर दी गई है।

**अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित श्रमिकों की कार्यकारी एवं निर्वाह स्थितियों पर सर्वेक्षण:** श्रम ब्यूरो ने अनुसूचित जाति श्रमिकों तथा अनुसूचित जनजाति श्रमिकों दोनों के लिए 9 सर्वेक्षण आयोजित किए हैं। अंतिम सर्वेक्षण सितम्बर, 2009 माह में उड़ीसा के कालाहांडी, बोलनगिर तथा कोरापूत जिलों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में आयोजित किया गया। इसकी रिपोर्ट को जारी कर दिया गया है। 4 अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत अनुसूचित जाति कामगारों के लिए नवीनतम सर्वेक्षण से संबंधित आरंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है।

**उद्योगों में महिला श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर सर्वेक्षण:** इन सर्वेक्षणों का उद्देश्य महिला श्रमिकों पर आंकड़ों का एकत्रण संगत श्रम कानूनों की तुलना में उन्हें उपलब्ध कार्यकारी, निर्वाह स्थितियों तथा कल्याण सुविधाओं का अध्ययन करने की दृष्टि से करना है। अब तक ऐसे 22 सर्वेक्षण आयोजित किए जा चुके हैं तथा उन पर सभी रिपोर्टें प्रकाशित कर दी गई हैं। अंतिम सर्वेक्षण 2014 के दौरान दीयासलाई उद्योग में आयोजित किया गया था तथा रिपोर्टें प्रकाशित कर दी गई थीं।

**Survey of Working & Living Conditions of Workers in Unorganised Sector of Industries/Employments:** The aim of the survey is to collect data on working and living conditions of workers engaged in the Unorganised Sector of Industries/employment for amelioration of their lot. So far, 31 surveys have been conducted and all the reports have been released. Latest survey in unorganised sector has been conducted in 2017 in the Readymade Garments Industry and the report has been submitted to the Ministry for approval.

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां  
10 Current Labour Activities

**Evaluation Studies on Implementation of the Minimum Wages Act, 1948:** The surveys aim at evaluating the extent to which the Minimum Wages Act, 1948 has been implemented in various scheduled employments in different parts of the country. So far, 28 such studies have been conducted and all the reports released.

The last Survey was conducted in Beedi Industry during the year 2014-15 under the component of Evaluation of the Minimum Wages Act, 1948. The survey was launched in the month of December, 2014 in Madhya Pradesh. The report has been released in the month of August, 2015.

**Survey on the Working and Living Conditions of Labour belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes:** Labour Bureau has conducted 9 surveys each for Scheduled Castes workers and Scheduled Tribes workers. The last ST survey was conducted in Scheduled Tribes Belt of Kalahandi, Bolangir & Koraput districts of Orissa in the month of September, 2009. The report of the same was released. The preliminary work relating to the latest survey for Scheduled Castes Workers engaged in four unclean occupations has been initiated.

**Survey on the Socio-Economic Conditions of Women Workers in Industry:** These surveys aim at collecting data on women workers with a view to study their working and living conditions and welfare facilities available to them vis-à-vis the relevant Labour Laws. So far 22 surveys have been conducted under the segment and all the reports thereon have been released. The last survey was conducted in Match Industry during 2014 and report was released.

4.6 तिमाही रोज़गार सर्वेक्षण (नई शृंखला)

4.6 Quarterly employment survey (New Series)

श्रम ब्यूरो द्वारा लघु अन्तराल पर रोज़गार के आंकड़े एकत्रित करने के संदर्भ में आंकड़ा अन्तराल को समाप्त करने संबंधी समस्या के समाधान हेतु विस्तृत कार्य क्षेत्र तथा कवरेज के साथ वर्ष 2016 में तिमाही रोज़गार सर्वेक्षण (नई शृंखला) आरंभ किया गया। तिमाही रोज़गार सर्वेक्षण (नई शृंखला) का मुख्य उद्देश्य 10 या उससे अधिक कामगारों वाले 8 महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन,

## 10 वर्तमान श्रम गतिविधियां 10 Current Labour Activities

शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं रेस्तरां तथा आईटी/बीपीओ को शामिल करते हुए गैर-खेतिहर अर्थ-व्यवस्था के बड़े भाग के लिए रोजगार आकलन उपलब्ध करवाना है तथा अनुवर्ती तिमाहियों में रोजगार स्थिति में सापेक्ष बदलावों का पता लगाना है। तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (नई शृंखला) के चार दौरों से संबंधित रिपोर्टों को प्रकाशित कर दिया गया है। तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (नई शृंखला) के 5वें तथा 6वें दौरों की रिपोर्टें अनुमोदन हेतु मंत्रालय को प्रस्तुत की गई हैं। तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (नई शृंखला) के 7वें दौर हेतु आंकड़ा संग्रहण, आंकड़ा संवीक्षा तथा आंकड़ा प्रविष्टि को पूरा कर लिया गया है तथा आंकड़ा संसाधन कार्य प्रगति पर हैं।

Labour Bureau initiated QES (New series) in 2016 with extended scope and coverage with an aim to address the issue of bridging the data gap with reference to producing statistics on employment at short interval. The main objective of Quarterly Employment Survey (QES) new series is to provide employment estimates for a sizeable segment of Non-farm economy covering 8 important sectors viz. Manufacturing, Construction, Trade, Transport, Education, Health, Accommodation & Restaurants and IT/BPO having 10 or more workers and measure relative change in employment situation over successive quarters. Till date, reports pertaining to four rounds of QES (New Series) have been released. The reports of the 5<sup>th</sup> and 6<sup>th</sup> rounds of QES (New Series) have been submitted to the Ministry for approval. The work relating to data collection, data scrutiny and data entry for 7<sup>th</sup> round of QES (New Series) has been completed and data processing work is in progress.

### 4.7 वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण

#### 4.7 Annual employment-unemployment survey

देश में रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण परिदृश्य के निर्धारण हेतु आंकड़ा अन्तराल को समाप्त करने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण आयोजित करने का कार्य श्रम ब्यूरो को सौंपा गया है। श्रम ब्यूरो द्वारा अब तक वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2015-16 के लिए पांच वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण आयोजित किए गए हैं तथा सभी पांच सर्वेक्षणों की रिपोर्टें

## 10 वर्तमान श्रम गतिविधियां 10 Current Labour Activities

को प्रकाशित कर दिया गया है। छठे वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण के फील्ड कार्य तथा संवीक्षा कार्य को पूरा कर लिया गया है तथा आंकड़ा प्रमाणीकरण कार्य प्रगति पर है। कार्यबल के दिशा-निर्देशों के अनुसार वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण का स्थान सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण द्वारा ले लिया गया है।

In order to fill the data gap for ascertaining the Employment-Unemployment Scenario in the country, Labour Bureau has been entrusted by the Ministry the task of conducting Annual Employment-Unemployment (EUS) Surveys. Till now, five annual employment-unemployment surveys have been conducted by Labour Bureau for the years 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 & 2015-16 and reports of all five surveys have been released. The field work and scrutiny work of Sixth Annual Employment Unemployment Survey has been completed and data validation work remained in progress. Further, as per guidelines of Task Force, the Annual Employment Unemployment Survey has been replaced by Periodic Labour Force Survey (PLFS) being conducted by Ministry of Statistics & Programme Implementation (MOSPI).

### 4.8 प्रधान मंत्री मुद्रा योजना पर सर्वेक्षण

#### 4.8 SURVEY ON PRIME MINISTER MUDRA YOJNA (PMMY)

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से सृजित रोजगार की सीमा पर आंकलन उपलब्ध न होने के कारण श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा श्रम ब्यूरो को प्राथमिक आधार पर प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए गए। मंत्रालय द्वारा 29 दिसम्बर, 2017 के आदेश द्वारा श्रम एवं रोजगार वरिष्ठ सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अध्यक्षता में मुद्रा, नीति आयोग तथा श्रम ब्यूरो से सदस्यों सहित विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया। मंत्रालय के पूर्वोक्त निर्देश की अनुपालना करते हुए श्रम ब्यूरो द्वारा प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत सृजित रोजगार के आंकलन हेतु सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए प्रारम्भिक कार्य आरम्भ किया गया।

Ministry of Labour & Employment directed Labour Bureau to



10 वर्तमान श्रम गतिविधियां  
10 Current Labour Activities

conduct a survey under the Prime Minister Mudra Yojna (PMMY) on priority basis as there is no estimate available on the extent of employment generated through PMMY. The Ministry constituted an Expert Group under the Chairmanship of Senior Labour and Employment Advisor, MOL&E and Members from MUDRA, NITI Aayog, and Labour Bureau vide its order dated 29th December, 2017. In compliance of aforesaid Ministry's direction, Labour Bureau initiated the preliminaries to launch the survey to estimate the employment created under the Pradhan Mantri Mudra Yojna (PMMY).

**5 श्रम सांख्यिकी में प्रशिक्षण**

**5 Training in Labour Statistics:**

ब्यूरो द्वारा सांख्यिकीय सूचना के प्रवाह में गुणवत्ता तथा समयबद्धता में सुधार के उद्देश्य से श्रम सांख्यिकी में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2017 के दौरान निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए: i) श्रम ब्यूरो, शिमला में 06.09.2017 से 08.09.2017 तक श्रम सांख्यिकी में 55वां केन्द्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों/केन्द्रीय विभागों से 23 प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। ii) आयुध निर्माणी, मेडक के 25 कर्मचारियों के लिए 17.08.2017 को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। iii) आयुध निर्माणी, मेडक के कर्मचारियों के लिए 02.11.2017 एवं 11.11.2017 को दो प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान, मुम्बई के कर्मचारियों के लिए 17.11.2017 को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। iv) अन्तरराष्ट्रीय सांख्यिकीय शिक्षण केन्द्र, कोलकाता से 25 सहभागियों के लिए 21.12.2017 को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

The Bureau imparts training in Labour Statistics with the objective of improving the quality and timeliness in the flow of statistical information. The following training programmes were conducted during 2017. i) The 55<sup>th</sup> Central Training Course in Labour Statistics was held in Labour Bureau, Shimla from 06/09/2017 to 08/09/2017. Twenty three

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां  
10 Current Labour Activities

delegates from various State Governments / Union Territories / Central Departments attended the said training programme. ii) Training programme for 25 employees of Ordinance Factory, Medak was organized on 17/08/2017. iii) Two training programmes for employees of Ordinance Factory, Medak were organized on 02/11/2017 & 11/11/2017 and a training programme for employees of Maharashtra Institute of Labour Studies, Mumbai was organized on 17/11/2017. iv) A Training programme for 25 participants from International Statistical Education Centre (ISEC), Kolkata was organised on 21/12/2017.

वर्ष 2017 के दौरान जारी/अंतिम रूप दिए गए प्रकाशनों की सूची

List Of Publications Released/Finalised During 2017

- 1 इंडियन लेबर जर्नल (मासिक)  
Indian Labour Journal (Monthly)
- 2 वर्ष 2016 के लिए 2001=100 आधार पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वार्षिक रिपोर्ट  
Annual Report on Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers Base 2001=100 for the year 2016.
- 3 वर्ष 2015-16 के लिए 1986-87=100 आधार पर खेतीहर एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वार्षिक रिपोर्ट  
Annual Report on Consumer Price Index Numbers for Agricultural & Rural Labourers Base 1986-87=100 for the year 2015-16.
- 4 वर्ष 2014 के लिए बागान श्रम अधिनियम, 1951 की वार्षिक समीक्षा  
The Annual Review on the Plantation Labour Act, 1951 for the year 2014.
- 5 वर्ष 2014 के लिए औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम 1946 की समीक्षा  
The Review on the Industrial employments Act (Standing orders), Act 1946 for the year 2014.
- 6 मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 की समीक्षा (2014)

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां  
10 Current Labour Activities

- The Review on the Motor Transport Workers' Act, 1961 – 2014.
- 7 वर्ष 2014 के लिए कर्मकार प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1923 की वार्षिक समीक्षा  
The Review on the Employees Compensation Act, 1923 – 2014.
- 8 वर्ष 2014 के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की समीक्षा  
The Review on the Industrial Disputes Act, 1947 for the year 2014.
- 9 वर्ष 2014 के लिए प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 की कार्य-प्रणाली की वार्षिक समीक्षा  
The Review on the Working of the Maternity Benefit Act, 1961 for the year 2014.
- 10 वर्ष 2015-16 के लिए ग्रामीण भारत में मजदूरी दरों संबंधी रिपोर्ट  
The Report on Wage Rates in Rural India for the year 2015-16.
- 11 श्रम सांख्यिकी पॉकेट बुक-2015  
Pocket Book of Labour Statistics 2015.
- 12 इंडियन लेबर स्टैटिस्टिक्स 2015  
Indian Labour Statistics 2015.
- 13 इंडियन लेबर ईयर बुक 2015  
Indian Labour Year Book 2015.

**तदर्थ सर्वेक्षण**

**Adhoc Surveys**

- i) नए त्वरित रोजगार सर्वेक्षण के दूसरे से चौथे दौर तक की रिपोर्ट  
The Report of the 2<sup>nd</sup> to 4<sup>th</sup> Round of Revamped QES.

**भाग - II**  
**PART - II**

1.1 जनसंख्या का वितरण (जनगणना 2011 )  
1.1 Distribution of Population (2011 census)

| जनसंख्या (000 में )<br>Population (in 000's) |              |                  |               |                           |
|--|--------------|------------------|---------------|---------------------------|
| राज्य/संघ राज्य<br>क्षेत्र                   | कुल<br>Total | ग्रामीण<br>Rural | शहरी<br>Urban | State/<br>Union Territory |
| 1  | 2            | 3                | 4             | 1                         |
| भारत   | 1210855      | 833749           | 377106        | <b>INDIA</b>              |
| जम्मू व कश्मीर                               | 12541        | 9108             | 3433          | Jammu & Kashmir           |
| हिमाचल प्रदेश                                | 6865         | 6176             | 689           | Himachal Pradesh          |
| पंजाब  | 27743        | 17344            | 10399         | Punjab                    |
| चण्डीगढ़                                     | 1055         | 29               | 1026          | Chandigarh                |
| उत्तराखण्ड                                   | 10086        | 7037             | 3049          | Uttarakhand               |
| हरियाणा                                      | 25351        | 16509            | 8842          | Haryana                   |
| एन सी टी<br>दिल्ली                           | 16788        | 419              | 16369         | NCT Delhi                 |
| राजस्थान                                     | 68548        | 51500            | 17048         | Rajasthan                 |
| उत्तर प्रदेश                                 | 199812       | 155317           | 44495         | Uttar Pradesh             |
| बिहार  | 104099       | 92341            | 11758         | Bihar                     |
| सिक्किम                                      | 611          | 457              | 154           | Sikkim                    |
| अरुणाचल प्रदेश                               | 1384         | 1066             | 317           | Arunachal Pradesh         |

सारणी 1.1

Table 1.1

| 1                  | 2      | 3     | 4     | 1              |
|--------------------|--------|-------|-------|----------------|
| नागालैंड           | 1979   | 1408  | 571   | Nagaland       |
| मणिपुर             | 2856   | 2022  | 834   | Manipur        |
| मिजोरम             | 1097   | 525   | 572   | Mizoram        |
| त्रिपुरा           | 3674   | 2712  | 961   | Tripura        |
| मेघालय             | 2967   | 2371  | 595   | Meghalaya      |
| असम                | 31206  | 26807 | 4399  | Assam          |
| पश्चिम बंगाल       | 91276  | 62183 | 29093 | West Bengal    |
| झारखण्ड            | 32988  | 25055 | 7933  | Jharkhand      |
| ओड़ीशा             | 41974  | 34971 | 7004  | Odisha         |
| छत्तीसगढ़          | 25545  | 19608 | 5937  | Chhattisgarh   |
| मध्य प्रदेश        | 72627  | 52557 | 20069 | Madhya Pradesh |
| गुजरात             | 60440  | 34695 | 25745 | Gujarat        |
| दमन एवं दीव        | 243    | 60    | 183   | Daman & Diu    |
| दादर एवं नगर हवेली | 344    | 183   | 161   | D & N Haveli   |
| महाराष्ट्र         | 112374 | 61556 | 50818 | Maharashtra    |
| आन्ध्र प्रदेश      | 84581  | 56362 | 28219 | Andhra Pradesh |
| कर्नाटक            | 61095  | 37469 | 23626 | Karnataka      |

सारणी 1.1  
Table 1.1

| 1                       | 2     | 3     | 4     | 1             |
|-------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| गोवा                    | 1459  | 552   | 907   | Goa           |
| लक्षद्वीप               | 64    | 14    | 50    | Lakshadweep   |
| केरल                    | 33406 | 17471 | 15935 | Kerala        |
| तमिलनाडु                | 72147 | 37230 | 34917 | Tamil Nadu    |
| पुडुचेरी                | 1248  | 395   | 853   | Puducherry    |
| अ० एवं नि०द्वीप<br>समूह | 381   | 237   | 143   | A & N Islands |

स्रोत : भारत के महापञ्चिक एवं जनगणना आयुक्त

Source : Registrar General & Census Commissioner of India

1.2 कर्मी एवं गैर-कर्मी जनसंख्या का वितरण (जनगणना 2011 )  
1.2 Distribution of Working and Non-Working Population  
(2011 Census)

(दस लाख में ) ( In millions)

| कर्मकार श्रेणी  | पुरुष<br>Males | महिलाएं<br>Females | योग<br>Total | Workers Category  |
|---|----------------|--------------------|--------------|---|
| 1   | 2              | 3                  | 4            | 1   |
| <b>क-कर्मी<br/>जनसंख्या</b>                               |                |                    |              | <b>A. Working<br/>Population</b>                          |
| कृषक  | 82.76          | 36.05              | 118.81       | Cultivators   |
| कृषि श्रमिक   | 82.74          | 61.59              | 144.33       | Agricultural<br>Labourers                                 |
| पारिवारिक<br>उद्योग<br>कर्मकार                            | 9.78           | 8.56               | 18.34        | Household<br>Industry Workers                             |
| अन्य कर्मकार  | 156.66         | 43.75              | 200.41       | Other Workers   |
| <b>कुल कर्मी<br/>जनसंख्या<br/>(मुख्य एवं<br/>सीमान्त)</b> | 331.94         | 149.95             | 481.89       | <b>Total Working<br/>Population<br/>(Main + Marginal)</b> |
| <b>ख-गैर-कर्मी</b>  | 291.33         | 437.64             | 728.97       | <b>B. Non-Working<br/>Population</b>                      |
| <b>कुल जनसंख्या<br/>(क+ख)</b>                             | 623.27         | 587.59             | 1210.86      | <b>Total Population<br/>(A+B)</b>                         |



सारणी 1.2

Table 1.2

| कर्मकार<br>श्रेणी | कुल जनसंख्या में<br>प्रतिशत वितरण<br>% distribution<br>to total<br>population | कुल पुरुष जनसंख्या<br>में पुरुष कर्मकारों<br>की प्रतिशतता<br>% of male<br>workers to total<br>male population | Working<br>category |
|-------------------|---|---|---------------------|
| 1                 | 5   | 6   | 1                   |

| क-कर्मि जनसंख्या                                      | A- Working<br>Population |              |   |
|---|--------------------------|--------------|---|
| कृषक  | 9.81                     | 13.28        | Cultivators   |
| कृषि श्रमिक   | 11.92                    | 13.27        | Agricultural<br>Labourers                                 |
| पारिवारिक उद्योग<br>कर्मकार                           | 1.52                     | 1.57         | Household<br>Industry Workers                             |
| अन्य कर्मकार  | 16.55                    | 25.14        | Other Workers   |
| <b>कुल कर्मि जनसंख्या<br/>(मुख्य एवं<br/>सीमान्त)</b> | <b>39.80</b>             | <b>53.26</b> | <b>Total Working<br/>Population<br/>(Main + Marginal)</b> |

सारणी 1.2  
Table 1.2

|                         | 1 | 5      | 6      | 1                                    |
|-------------------------|---|--------|--------|--------------------------------------|
| ख-गैर-कर्मि<br>जनसंख्या |   | 60.20  | 46.74  | <b>B- Non Working<br/>Population</b> |
| कुल जनसंख्या<br>(क+ख)   |   | 100.00 | 100.00 | <b>Total Population<br/>(A+B)</b>    |

स्रोत : भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त  
/www.censusindia.gov.in

Source : Registrar General & Census Commissioner of India  
/www.censusindia.gov.in

टिप्पणी : आंकड़ों की परिसीमाओं, परिधि, कार्य प्रणाली एवं अन्य विवरण के लिए बैबसाईट का अवलोकन करें

Note : For limitations of data, coverage, methodology and other details, kindly refer to the website.

पूर्णांक करने के कारण योग सम्भवतः न मिले।

Total may not tally due to rounding off figures.

1.3 जनसंख्या का श्रम शक्ति की स्थिति के अनुसार प्रतिशत वितरण  
(कार्यरत एवं बेरोजगार जनसंख्या में सामान्य मुख्य स्थिति  
एवं वर्तमान साप्ताहिक स्थिति)  
(ग्रामीण एवं शहरी) रा० प० स० के 59 वें से 68 वें दौर तक  
1.3 Percentage distribution of population by Labour Force  
status (employed and unemployed in the population in usual  
principal status and current weekly status) (Rural & Urban)  
59<sup>th</sup> to 68<sup>th</sup> round

| सर्वेक्षण अवधि<br>Survey Period                     | संदर्भ काल<br>Reference<br>Period | (क) ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत<br>(a) Percentage of Rural<br>Population |                          |                             |
|---|-----------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
|   |                                   | श्रम शक्ति<br>Labour<br>Force  | नियोजित<br>Emp-<br>loyed | अनियोजित<br>Unem-<br>ployed |
| 1   | 2                                 | 3  | 4                        | 5                           |
| जनवरी, 03 से दिसम्बर, 03<br>Jan, 2003 to Dec, 2003  | वर्ष<br>Year                      | 44.47  | 43.74                    | 0.73                        |
|   | साप्ताह<br>Week                   | 44.29  | 43.20                    | 1.09                        |
| जनवरी, 04 से जून, 04<br>Jan, 2004 to June,<br>2004+ | वर्ष<br>Year                      | 43.98  | 42.96                    | 1.02                        |
|   | साप्ताह<br>Week                   | 45.07  | 43.00                    | 2.07                        |
| जुलाई, 04 से जून, 05<br>July, 2004 to June, 2005    | वर्ष<br>Year                      | 45.07  | 43.96                    | 1.10                        |
|   | साप्ताह<br>Week                   | 47.04  | 45.19                    | 1.85                        |

सारणी 1.3  
Table 1.3

| 1  | 2               | 3     | 4     | 5    |
|--|-----------------|-------|-------|------|
| जुलाई, 05 से जून, 06<br>July, 2005 to June, 2006 | वर्ष<br>Year    | 43.90 | 42.84 | 1.07 |
|  | साप्ताह<br>Week | 45.71 | 43.88 | 1.83 |
| जुलाई, 07 से जून, 08<br>July, 2007 to June, 2008 | वर्ष<br>Year    | 43.37 | 42.42 | 0.96 |
|  | साप्ताह<br>Week | 44.53 | 42.79 | 1.74 |
| जुलाई, 09 से जून, 10<br>July, 2009 to June, 2010 | वर्ष<br>Year    | 42.19 | 41.32 | 0.87 |
|  | साप्ताह<br>Week | 43.46 | 42.01 | 1.45 |
| जुलाई, 11 से जून, 12<br>July, 2011 to June, 2012 | वर्ष<br>Year    | 40.35 | 39.42 | 0.93 |
|  | साप्ताह<br>Week | 42.04 | 40.62 | 1.42 |

| सर्वेक्षण अवधि<br>Survey Period                  | संदर्भ काल<br>Reference<br>Period | (ख) शहरी जनसंख्या का प्रतिशत<br>(b) Percentage of Urban Population |                          |                                  |
|--|-----------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|
|  |                                   | श्रम शक्ति<br>Labour Force   | नियोजित<br>Emp-<br>loyed | अनि-<br>योजित<br>Unem-<br>ployed |
|  |                                   | 6  | 7                        | 8                                |
| जनवरी 04 से जून, 04<br>Jan, 2004 to June, 2004   | वर्ष<br>Year                      | 38.85  | 36.78                    | 2.07                             |
|  | साप्ताह<br>Week                   | 39.77  | 37.23                    | 2.53                             |
| जुलाई, 04 से जून, 05<br>July, 2004 to June, 2005 | वर्ष<br>Year                      | 40.00  | 37.88                    | 2.12                             |
|  | साप्ताह<br>Week                   | 41.05  | 38.57                    | 2.48                             |
| जुलाई, 05 से जून, 06<br>July, 2005 to June, 2006 | वर्ष<br>Year                      | 38.72  | 36.64                    | 2.08                             |
|  | साप्ताह<br>Week                   | 39.37  | 36.95                    | 2.42                             |
| जुलाई, 07 से जून, 08<br>July, 07 to June, 08     | वर्ष<br>Year                      | 38.99  | 37.24                    | 1.75                             |
|  | साप्ताह<br>Week                   | 39.55  | 37.56                    | 1.99                             |

सारणी 1.3  
Table 1.3

|                          |         |       |       |      |
|--------------------------|---------|-------|-------|------|
| जुलाई, 09 से जून, 10     | वर्ष    | 38.17 | 36.75 | 1.41 |
| July, 2009 to June, 2010 | Year    |       |       |      |
|                          | साप्ताह | 38.79 | 37.14 | 1.65 |
|                          | Week    |       |       |      |
| जुलाई, 11 से जून, 12     | वर्ष    | 38.35 | 36.88 | 1.47 |
| July, 2011 to June, 2012 | Year    |       |       |      |
|                          | साप्ताह | 39.13 | 37.41 | 1.72 |
|                          | Week    |       |       |      |

स्रोत : रा० प्र० स०

Source : N.S.S.O.

टिप्पण: प्रतिशतता की गणना डिनोमिनेटर में 5 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या से की गई है।

Note : Percentages are calculated by taking population for age 5 years and above in the denominator.

वर्ष का संबन्ध सामान्य मुख्य स्थिति एवं सप्ताह का साप्ताहिक स्थिति से है।

Year corresponds to usual principal status and week correspond to current weekly status.

**2.1(क) सार्वजनिक क्षेत्र में अनुमानित नियोजन (शाखानुसार)**  
मार्च के अंत में

**2.1(a) Estimated Employment in Public Sector**  
**(By Branches) at the end of March**  
(लाखों में) (In lakhs)

| शाखा                                   | 2011          | 2012          | Branch                               |
|--|---------------|---------------|--------------------------------------|
| केन्द्रीय सरकार                        | 24.63         | 25.20         | Central Government                   |
| राज्य सरकारें                          | 72.18         | 71.84         | State Governments                    |
| अर्ध- सरकारी<br>(केन्द्रीय +<br>राज्य) | 58.14         | 57.98         | Quasi Government<br>(Central +State) |
| स्थानीय निकाय                          | 20.53         | 21.07         | Local Bodies                         |
| <b>योग</b>                             | <b>175.48</b> | <b>176.09</b> | <b>Total</b>                         |

स्रोत : म० नि० रो० एवं० प्र०  
Source: DGE&T

## 2 नियोजन

## 2 EMPLOYMENT

2.1 (ख) संगठित क्षेत्र में नियोजन (मुख्य उद्योगानुसार) मार्च के अन्त में

## 2.1(b) Employment in Organised Sector (By Major Industries) at the end of March

(लाखों में) (in lakhs)

| उद्योग<br>भाग<br>कोड | 2011                                     |                                   | 2012                                     |                                   | Indus-<br>try sect-<br>ion<br>Code |
|----------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|
|                      | सार्वजनिक<br>क्षेत्र<br>Public<br>Sector | निजी क्षेत्र<br>Private<br>Sector | सार्वजनिक<br>क्षेत्र<br>Public<br>Sector | निजी क्षेत्र<br>Private<br>Sector |                                    |
| 1                    | 2  | 3                                 | 4  | 5                                 | 1                                  |
| क                    | 4.62                                     | 9.16                              | 4.58                                     | 9.21                              | A                                  |
| ख                    | 0.15                                     | 0.02                              | 0.16                                     | 0.03                              | B                                  |
| ग                    | 10.90                                    | 1.32                              | 10.75                                    | 1.38                              | C                                  |
| घ                    | 10.16                                    | 53.97                             | 10.71                                    | 55.26                             | D                                  |
| ङ                    | 8.31                                     | 0.70                              | 8.20                                     | 0.62                              | E                                  |
| च                    | 8.47                                     | 1.02                              | 8.32                                     | 1.18                              | F                                  |
| छ                    | 1.59                                     | 3.38                              | 1.60                                     | 3.75                              | G                                  |
| ज                    | 0.11                                     | 2.08                              | 0.12                                     | 2.24                              | H                                  |
| झ                    | 23.84                                    | 1.89                              | 24.93                                    | 2.14                              | I                                  |
| ञ                    | 10.99                                    | 4.26                              | 10.99                                    | 4.57                              | J                                  |
| ट                    | 2.62                                     | 12.91                             | 2.63                                     | 14.58                             | K                                  |
| ठ                    | 47.51                                    | 0.14                              | 47.56                                    | 0.15                              | L                                  |
| ड                    | 26.54                                    | 18.06                             | 26.26                                    | 18.37                             | M                                  |
| ढ                    | 13.72                                    | 2.79                              | 13.46                                    | 3.12                              | N                                  |
| ण                    | 2.70                                     | 1.44                              | 2.67                                     | 1.74                              | O                                  |



## 2 नियोजन

## 2 EMPLOYMENT

सारणी 2.1 (ख)  
Table 2.1(b)

| 1          | 2             | 3             | 4             | 5             | 1            |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| त          | 0.01          | 0.09          | 0.02          | 0.10          | P            |
| थ          | 0.46          | 0.98          | 0.39          | 0.97          | Q            |
| <b>योग</b> | <b>172.71</b> | <b>114.22</b> | <b>173.32</b> | <b>119.40</b> | <b>Total</b> |

स्रोत : (वार्षिक नियोजन संकलन वर्ष 2011 तथा 2012) मॉनिटोरिंग  
Source : (Annual Employment Review, 2011 & 2012)DGE

टिप्पण :

Note :

- वर्ष 2011 व 2012 के लिए जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर और दमन एवं दीव के संबंध में रा० औ० व० 1998 के अनुसार सूचना योग में शामिल नहीं है अतः उद्योगानुसार आंकड़ें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के साथ आपस में न मिलें।
- Industry wise break up may not tally with the Public and Private Sector due to non inclusion of data as per NIC 1998 in respect of J&K, Manipur & Daman & Diu in 2011 & 2012
- सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दादर एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह प्रोग्राम से बाहर है।
- Excludes Sikkim, Arunachal Pradesh, Dadar & Nagar Haweli and Lakshadweep as these are not yet covered under the programme

2.2 (क) खानों में खनिजानुसार नियोजन  
(नियोजित कर्मकारों की औसत दैनिक संख्या)  
2.2(a) Employment in Mines by Minerals  
(Average Daily No. of Workers Employed)  
( '000 में ) (in 000's )

| खनिज पदार्थ | 2014 | 2015 | Mineral       |
|-------------|------|------|---------------|
| कोयला       | 356  | 340  | Coal          |
| तांबा       | 4    | 3    | Copper        |
| क्रोमाइट    | 11   | 11   | Chromite      |
| हीरा        | -    | -    | Diamond       |
| सोना        | 4    | 4    | Gold          |
| जिप्सम      | -    | -    | Gypsum        |
| खनिज लोहा   | 51   | 52   | Iron Ore      |
| चूना पत्थर  | 33   | 38   | Lime Stone    |
| मैगनेसाइट   | 1    | 2    | Magnesite     |
| खनिज मैगनीज | 19   | 23   | Manganese Ore |
| अभ्रक       | 1    | 1    | Mica          |
| पत्थर       | 7    | 8    | Stone         |
| अन्य        | 52   | 53   | Others        |

2.2(ख) खानों में राज्यानुसार कर्मकारों की औसत दैनिक संख्या  
(वर्गानुसार)

2.2(b) State-wise Average Daily No. of Workers Employed in  
Mines (By Category)

(\*000 में ) (in 000's)

| राज्य/संघ<br>राज्य क्षेत्र | सतह के<br>नीचे<br>Below<br>Ground | खादान<br>कार्य<br>Open<br>Cast | सतह पर<br>Above<br>Ground | State/Union<br>Territory |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1                          | 2                                 | 3                              | 4                         | 1                        |
| <b>2014</b>                |                                   |                                |                           |                          |
| आन्ध्र प्रदेश              | 2.5                               | 16.3                           | 10.7                      | Andhra Pradesh           |
| अरुणाचल प्रदेश             | -                                 | -                              | 0.2                       | Arunachal Pradesh        |
| असम                        | 0.3                               | 1.2                            | 7.2                       | Assam                    |
| बिहार                      | -                                 | 0.5                            | 0.1                       | Bihar                    |
| छत्तीसगढ़                  | 20.3                              | 12.8                           | 12.7                      | Chhattisgarh             |
| गोवा                       | ..                                | 3.2                            | 0.9                       | Goa                      |
| गुजरात                     | ..                                | 5.5                            | 11.9                      | Gujarat                  |
| हरियाणा                    | ..                                | 1.1                            | 0.6                       | Haryana                  |
| हिमाचल प्रदेश              | 2.1                               | 1.5                            | 1.7                       | Himachal Pradesh         |
| जम्मू व कश्मीर             | 0.2                               | 0.048                          | 0.16                      | Jammu & Kashmir          |
| झारखण्ड                    | 39                                | 33                             | 32.1                      | Jharkhand                |
| कर्नाटक                    | 0.5                               | 11.9                           | 7.5                       | Karnataka                |
| केरल                       | -                                 | 2.1                            | 1.1                       | Kerala                   |

## 2 नियोजन

## 2 EMPLOYMENT

सारणी 2.2(ख)  
Table 2.2(b)

| 1                     | 2     | 3     | 4     | 1              |
|-----------------------|-------|-------|-------|----------------|
| मध्य प्रदेश           | 25.1  | 18.5  | 17.5  | Madhya Pradesh |
| महाराष्ट्र            | 9     | 11.7  | 15.5  | Maharashtra    |
| मणिपुर                | ..    | ..    | ..    | Manipur        |
| मेघालय                | ..    | 0.7   | 0.5   | Meghalaya      |
| मिजोरम                | ..    | ..    | ..    | Mizoram        |
| नागालैंड              | ..    | ..    | ..    | Nagaland       |
| ओड़ीसा                | 4     | 22    | 11.4  | Odisha         |
| पंजाब                 | ..    | ..    | ..    | Punjab         |
| राजस्थान              | ..    | 13.5  | 11.3  | Rajasthan      |
| तमिलनाडु              | 0.5   | 17.5  | 8.6   | Tamil Nadu     |
| तेलंगाना              | 39.5  | 16.4  | 9.5   | Telangana      |
| त्रिपुरा              | ..    | ..    | 0.223 | Tripura        |
| उत्तराखण्ड            | 0.269 | 2.4   | 0.755 | Uttrakhand     |
| उत्तर प्रदेश          | ..    | 4.336 | 5.078 | Uttar Pradesh  |
| पश्चिम बंगाल          | 33.14 | 5.3   | 17.8  | West Bengal    |
| अ० एवं नि० द्वीप समूह | ..    | ..    | 0.06  | A & N Islands  |

## 2 नियोजन

## 2. EMPLOYMENT

सारणी 2.2(ख)  
Table 2.2(b)

| 1              | 2     | 3     | 4     | 1                 |
|----------------|-------|-------|-------|-------------------|
| <b>2015</b>    |       |       |       |                   |
| आन्ध्र प्रदेश  | 0.32  | 9.62  | 5.51  | Andhra Pradesh    |
| अरुणाचल प्रदेश | ..    | ..    | 0.23  | Arunachal Pradesh |
| असम            | 0.30  | 0.70  | 10.02 | Assam             |
| बिहार          | 0.04  | 0.31  | 0.15  | Bihar             |
| छत्तीसगढ़      | 0.24  | 16.09 | 12.89 | Chhattisgarh      |
| गोवा           | ..    | 3.22  | 2.23  | Goa               |
| गुजरात         | ..    | 5.87  | 10.86 | Gujarat           |
| हरियाणा        | ..    | 3.85  | 0.64  | Haryana           |
| हिमाचल प्रदेश  | 0.02  | 1.03  | 0.19  | Himachal Pradesh  |
| जम्मू व कश्मीर | 0.20  | 0.13  | 0.09  | Jammu & Kashmir   |
| झारखण्ड        | 36.12 | 34.68 | 36.21 | Jharkhand         |
| कर्नाटक        | 1.76  | 10.43 | 4.84  | Karnataka         |
| केरल           | 0.01  | 1.12  | 0.94  | Kerala            |
| मध्य प्रदेश    | 26.56 | 16.82 | 15.18 | Madhya Pradesh    |
| महाराष्ट्र     | 10.99 | 11.94 | 13.09 | Maharashtra       |
| मणिपुर         | 0.00  | 0.00  | 0.00  | Manipur           |
| मेघालय         | 0.00  | 0.36  | 0.11  | Meghalaya         |
| मिजोरम         | ..    | ..    | ..    | Mizoram           |

2 नलडुऑन

2. EMPLOYMENT

सलरणी 2.2(ख)  
Table 2.2(b)

| 1                             | 2     | 3     | 4     | 1             |
|-------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| नलगलुड                        | ..    | ..    | ..    | Nagaland      |
| ओडुडलसल                       | 4.54  | 32.56 | 28.80 | Odisha        |
| डुऑलड                         | ..    | ..    | ..    | Punjab        |
| रलऑसुथलन                      | 4.63  | 16.26 | 9.48  | Rajasthan     |
| तडुलनलडु                      | 0.02  | 16.94 | 1.87  | Tamil Nadu    |
| तेलुंगलनल                     | 36.80 | 11.54 | 7.77  | Telangana     |
| तुरलडुरल                      | ..    | ..    | 0.31  | Tripura       |
| उतुतरलखणुड                    | 0.07  | 1.39  | 0.48  | Uttrakhand    |
| उतुतर डुरदेश                  | 0.10  | 4.34  | 5.51  | Uttar Pradesh |
| डुडुऑलड डुंगलल                | 30.94 | 6.39  | 16.78 | West Bengal   |
| अ० ँडुं नल० दुडुडुडु<br>सडुुह | ..    | 0.13  | 0.02  | A & N Islands |

सुुत : डु० नल० खल० सुु०  
Source : DGMS

2.3 रेलवे, डाक, दूर संचार, बीमा तथा बैंकों में नियोजन (31 मार्च को)  
**2.3 Employment in Railways, Posts, Telecommunications,  
Insurance and Banks (As on 31<sup>st</sup> March)**  
('000 में) (in 000's)

|                                | 2015     | 2016     | 2017    |                                |
|--------------------------------|----------|----------|---------|--------------------------------|
| रेलवे ++                       | 1326     | 1330£    | 1308    | Railways ++                    |
| डाक                            | 460.46   | 448.84   | 433.42  | Posts                          |
| दूर संचार<br>##                | ..       | ..       |         | Telecommuni-<br>cations ##     |
| बीमा                           |          |          |         | Insurance                      |
| i) जीवन                        | 117.45   | 114.77   | 115.39  | i) Life                        |
| ii) गैर<br>जीवन ^              | 63       | 64       | 61      | ii) Non-Life ^                 |
| i) बैंक<br>#&                  | 1291.54£ | 1300.93£ | 1349.89 | i) Banks#                      |
| ii) भारतीय<br>रिजर्व बैंक<br>& | 16.67    | 15.69    | 14.68   | ii) Reserve Bank<br>of India & |

स्रोत: रेलवे बोर्ड, तार विभाग, दूरसंचार विभाग, जी० बी० नि०,  
भा० स० बी० सा० क्षेत्र सं० एवं भा० रि० बैंक  
Source : Railway Board; Deptt. Of Posts; Deptt. Of Telecommunications;  
LIC, GIPSA & RBI.

++ रेलवे संरक्षण विशेष बल के कर्मचारी भी शामिल हैं।

++ Includes Railways Protection Special Force personnel also

सारणी 2.3  
Table 2.3

## इसमें 2001 से आगे भारतीय संचार निगम लिमिटेड तथा 2000 से आगे एम टी एन एल शामिल है।

## Includes BSNL from 2001 onwards and MTNL from 2000 onwards.

^ आंकड़ें केवल चार सार्वजनिक क्षेत्र गैर जीवन बीमा साधारण बीमा कम्पनियों ( भा० बी० सार्व० क्षेत्र की सहयोगी कम्पनियों) नामतः नेशनल इंशोरेंस कम्पनी लि०, न्यू इंडिया इंशोरेंस कम्पनी लि०, ओरिएण्टल इंशोरेंस कम्पनी लि० और युनाइटेड इंडिया इंशोरेंस कम्पनी लि० से संबंधित हैं।

^ The statistics relate only to four non life general Insurance Companies in public Sector (GIPSA member companies) namely National Insurance Co. Ltd., New India Insurance Co. Ltd., The Oriental Insurance Co. Ltd., and United India Insurance Co. Ltd.

# आंकड़ों में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक, क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक सहित के आंकड़ें शामिल हैं।

# Figures includes data of all Scheduled Commercial Banks including Regional Rural Banks

& वर्ष 2013 से आंकड़ें जून के अन्त से दिये जा रहे हैं।

& from 2013, data are furnished as on end June



## 2 नियोजन

## 2 EMPLOYMENT

## 2.4 अनुमानित नियोजन सूचकांक

## 2.4 Index Numbers of Estimated Employment

| क्षेत्र             | आधार<br>Base | 2015   | 2016   | 2017   | Sector                   |
|---------------------|--------------|--------|--------|--------|--------------------------|
| 1                   | 2            | 3      | 4      | 5      | 1                        |
| दूर संचार           | 1960=100     | ..     | ..     | ..     | Tele communi-<br>cations |
| रेल                 | 1960=100     | 114.9  | 115.3  | 113.0  | Railways                 |
| डाक                 | 1990=100     | 78.7   | 76.7   | 74.1   | Posts                    |
| बैंक <sup>^</sup> % | 1961=100     | 983.7£ | 990.0£ | 1026.1 | Banks <sup>^</sup> %     |
| कारखानें            | 1980=100     | ..     | ..     | ..     | Factories                |
| खाने                | 1970=100     | 95.01  | ..     | ..     | Mines                    |
| कोयला खानें         | 1970=100     | 87.19  | ..     | ..     | Coal Mines               |
| बागान               | 1970=100     | ..     | ..     | ..     | Plantation               |
| i) चाय              |              | 96.56  | ..     | ..     | i) Tea                   |
| ii) काफी            |              | 32.20  | ..     | ..     | ii) Coffee               |
| iii) रबड़           |              | 43.75  | ..     | ..     | iii) Rubber              |

स्रोत : श्रम ब्यूरो, मॉनिटरिंग, रेलवे बोर्ड, डाक विभाग, दूरसंचार विभाग, एवं भारि बैंक  
Source : Labour Bureau; DGMS; Railway Board; Deptt. Of Posts; Deptt. Of  
Telecommunication and RBI

<sup>^</sup> बैंकों में भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रिय ग्रामिण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक शामिल हैं।

<sup>^</sup> Banks include all Scheduled Commercial Banks including Regional Rural Banks and Reserve Bank of India

% श्रृंखलाबद्ध सूचकांक के लिए योजक संबन्धित पद्धती पर आधारित नियोजक सूचकांक

% Employment index based on link relative method for chain indices

3.1 रोजगार कार्यालय एवं उनके कार्यकलाप  
3.1 Employment Exchanges and their Activities

| 1                                   | 2     | 3     | 4       | 1  |
|-------------------------------------|-------|-------|---------|--|
|                                     | 2013  | 2014  | 2015*++ |  |
| रोजगार कार्यालयों की संख्या +       | 956   | 978   | 978     | No. of Employment Exchanges +                            |
| पंजीकरण ('000 में )                 | 5969  | 5957  | 5173    | Registration (in 000's)                                  |
| अधिसूचित रिक्तियां ('000 में )      | 511   | 762   | 566     | Vacancies notified (in 000's)                            |
| नियुक्तियां ('000 में )             | 348   | 338   | 254     | Placements (in 000's)                                    |
| चालू पंजियों में आवेदक ('000 में )+ | 46802 | 48261 | 44852   | Total number of applicants on Live Register (in 000's) + |

सारणी 3.1  
Table 3.1

| 1                                    | 2     | 3    | 4  | 1   |
|--------------------------------------|-------|------|----|---|
| क) अनुसूचित जाति आवेदक ('000 में)    | 7292  | 7644 | .. | a) Scheduled Castes applicants (in 000's) |
| (ख) अनुसूचित जनजाति आवेदक ('000 में) | 2487  | 2517 | .. | b) Scheduled Tribes applicants (in 000's) |
| (ग) अन्य आवेदक ('000 में)            | 33082 | ..   | .. | c) Other applicants (in 000's)            |

स्रोत : मा नि० रो०  
Source : DGE

+ वर्ष के अन्त में  
+ At the end of the year  
++ सितम्बर 2015 तक  
++ till September, 2015

## 3.2 रोजगार कार्यालयों की चालू पंजी में व्यावसायिक मुख्य समूहानुसार आवेदक

3.2 Job Seekers on Live Register of Employment Exchanges  
classified by Broad Occupational Groups

(31 दिसम्बर को) (000 में) (as on 31 December) (in 000's)

| व्यवसायिक समूह<br>एन सी ओ<br>2004                                  | चालू पंजियों में संख्या<br>Number on Live Registers |        |        | Occupational<br>Groups<br>NCO 2004                             |
|--|---|--------|--------|--|
|  | 2012  | 2013   | 2014*  |  |
| 1  | 2   | 3      | 4      | 1  |
| विधायक, वरिष्ठ<br>अधिकारी एवं<br>प्रबंधक                           | 109.6   | 96.0   | 195.8  | Legislators,<br>Senior<br>Officials &<br>Managers              |
| पेशेवर   | 2929.3  | 2592.7 | 2932.7 | Professional,  |
| तकनीकी एवं<br>सम्बंधित पेशेवर                                      | 1831.7  | 1743.7 | 1815.0 | Technicians<br>and Associate<br>Professionals                  |
| लिपिक  | 865.3   | 1520.7 | 2164.7 | Clerks   |
| सेवा संबंधी<br>कर्मकार तथा<br>दुकान एवं<br>बाजार विक्रय<br>कर्मकार | 341.0   | 332.0  | 378.1  | Service<br>workers and<br>shops and<br>market sales<br>workers |
| कुशल कृषक एवं<br>मत्स्य कर्मकार                                    | 137.4   | 70.3   | 105.3  | Skilled<br>Agriculture<br>and Fishery<br>workers               |

सारणी 3.2  
Table 3.2

| 1                                       | 2              | 3              | 4              | 1   |
|---|----------------|----------------|----------------|---|
| शिल्प तथा<br>संबंधित व्यवसाय<br>कर्मकार | 1330.8         | 1369.0         | 1395.2         | Craft and<br>related trade<br>workers               |
| प्लांट एवं<br>मशीन चालक<br>एवं असेम्बलर | 737.5          | 872.0          | 862.3          | Plant and<br>machine<br>operators and<br>assemblers |
| प्रारंभिक व्यवसाय                       | 290.4          | 390.8          | 447.8          | Elementary<br>occupations                           |
| व्यवसाय<br>अवर्गीकृत<br>कर्मकार         | 36217.1        | 37815.0        | 37964.1        | Workers not<br>classified by<br>Occupations         |
| योग                                     | <b>44790.1</b> | <b>46802.5</b> | <b>48261.1</b> | Total   |

स्रोत : मा० नि० रो०  
Source : DGE

3.3 रोजगार कार्यालयों की चालू पंजी में शिक्षित आवेदकों की संख्या  
3.3 No. of Educated Applicants on Live Register of  
Employment Exchanges

(000' में) ( in 000's)

| आवेदक वर्ग  | चालू पंजी में संख्या+<br>Number on Live Register+ |              |              | Category of<br>Applicants |
|---|---|--------------|--------------|---------------------------|
|   | 2012  | 2013         | 2014         |                           |
| दसवीं पास   | 16836   | 18760        | 18054        | 10 <sup>th</sup> passed   |
| उच्चतर<br>माध्यमिक,<br>इटरमीडिएट<br>और<br>अवर<br>स्नातक<br>सहित | 11744   | 12113        | 12713        | 10+2 passed               |
| स्नातक तथा<br>उससे उच्च   | 8918  | 9142         | 9637         | Graduates and<br>above    |
| <b>योग</b>  | <b>37497</b>                                      | <b>40015</b> | <b>40404</b> | <b>Total</b>              |

स्रोत : म० नि० रो०  
Source : DGE

+ वर्ष के अन्त में + at the end of the year

3.4 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक के अधीन प्रशिक्षण कार्यकलाप शिल्पकार प्रशिक्षण योजनाओं के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों में स्थान-क्षमता और शिक्षु अधिनियम, 1961 के अर्न्तगत शिक्षुओं की संख्या

**3.4 Training Activities under the DGE&T**  
**Seating capacity of Industrial Training /Centres under the**  
**Craftsmen Training Schemes and the number of Apprentices**  
**engaged under the Apprentice Act, 1961**

| प्रशिक्षण योजना | संख्या |      | Scheme/Activity |
|-----------------|--------|------|-----------------|
|                 | 2013   | 2014 |                 |
| 1               | 2      | 3    | 1               |

**क शिल्पकार प्रशिक्षण योजना**

**A. Craftsman Training Scheme**

|   |         |    |  |
|---|---------|----|--|
| रा० व्य० प्र० प० से सम्बद्ध प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों की संख्या | 10750   | .. | No. of Training Institutes/Centres affiliated to N.C.V.T |
| सरकारी औ०प्र०सं०  | 2275    | .. | Govt. ITI  |
| निजी औ० प्र० के०  | 8475    | .. | Pvt. ITC   |
| स्थान-क्षमता  | 1523696 | .. | Seating capacity   |

सारणी 3.4  
Table 3.4

| 1   | 2      | 3       | 1  |
|---|--------|---------|--|
| ख शिक्ष अधिनियम, 1961 के अधीन प्रशिक्षण           |        |         |  |
| <b>B. Training under the Apprentices Act 1961</b> |        |         |  |
| प्रतिष्ठानों की संख्या जो शिक्षुओं को रखती है     | 28500  | 28500*  | No. of Establishments engaging Trade apprentices |
| प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षुओं की सीटें        | 359396 | 384000* | No. of Trade Apprenticeship seats located        |

स्रोत : म० नि० प्र०  
Source : DGT

रा०व्य०प्र०प० = राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद  
NCVT = National Council of Vocational Training  
औ० प्र० सं० = औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान  
ITI = Industrial Training Institute  
औ० प्र० के० = औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र  
ITC = Industrial Training Centre



3 रोजगार सेवाएं एवं प्रशिक्षण

3 EMPLOYMENT SERVICES AND TRAINING

3.5 कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

(केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय श्रम संस्थानों और गोदी सुरक्षा निरीक्षणालयों में)

3.5 Training Programmes conducted by DGFASLI  
(Central, Regional Labour Institutes and Dock Safety Inspectorate)

| निम्न द्वारा संचालित कार्यक्रम | प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या<br>No. of Training Programmes | प्रतिनिहित संस्थानों की संख्या<br>No. of Organisations represented | भाग लेने वालों की संख्या<br>No. of Participants | Programmes Conducted by |
|--------------------------------|---|--|---|-------------------------|
| 1                              | 2   | 3  | 4   | 1                       |
| <b>2016</b>                    |   |  |   |                         |
| के०श्र०सं० मुम्बई              | 171   | 383  | 4197  | CLI, Mumbai             |
| के०श्र०सं० कोलकाता             | 18  | 92   | 341   | RLI Kolkata             |
| के०श्र०सं० कानपुर              | 14  | 172  | 359   | RLI Kanpur              |
| के०श्र०सं० चेन्नई              | 26  | 59   | 753   | RLI Chennai             |
| के०श्र०सं०फरिदाबाद             | 14  | 35   | 326   | RLI Faridabad           |
| गोदी सुरक्षा                   | 3   | 11   | 40  | Dock Safety             |

सारणी 3.5  
Table 3.5

| 1                   | 2   | 3   | 4    | 1             |
|---------------------|-----|-----|------|---------------|
| <b>2017</b>         |     |     |      |               |
| के०श्र०सं० मुम्बई   | 195 | 513 | 4917 | CLI, Mumbai   |
| के०श्र०सं० कोलकाता  | 19  | 150 | 424  | RLI Kolkata   |
| के०श्र०सं०, कानपुर  | 27  | 449 | 810  | RLI Kanpur    |
| के०श्र०सं०, चेन्नई  | 21  | 201 | 702  | RLI Chennai   |
| के०श्र०सं० फरिदाबाद | 16  | 142 | 646  | RLI Faridabad |
| गोदी सुरक्षा        | -   | -   | -    | Dock Safety   |

स्रोत : म० वि० का० सं० से० एवं श्र० सं०

Source : DGFASLI

के०श्र०सं० = केन्द्रीय श्रम संस्थान  
के०श्र०सं० = क्षेत्रीय श्रम संस्थानCLI = Central Labour Institute  
RLI = Regional Labour Institute

3 रोजगार सेवाएं एवं प्रशिक्षण

3 EMPLOYMENT SERVICES AND TRAINING

3.6 दत्तोपन्त ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं व्यवसाय संघों तथा अन्य संस्थानों हेतु सहायता अनुदान 31-3-2016 तक

3.6 Training Programmes conducted by Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development (erstwhile CBWE) and Grants in aid to Trade Unions and other Institutions upto 31-3-2016

| योजना/<br>वर्ष  | खोले गये<br>क्षेत्रीय<br>निदेश-<br>शालय<br>Regional<br>Directorates<br>opened | शिक्षा<br>अधि-<br>कारी<br>Education<br>Officers | प्रशि-<br>क्षार्थी<br>Train-<br>ers | व्यक्तित्व<br>विकास<br>कार्यक्रम<br>Person-<br>ality<br>Devel-<br>opment<br>Prog-<br>rammes | Plan/<br>Year   |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|-----------------|
| 1               | 2   | 3   | 4                                   | 5   | 1               |
| सातवीं<br>योजना |   |   |                                     |   | Seventh<br>Plan |
| 1985-90         | 1   | 78  | 6588                                | 19677   | 1985-90         |
| वार्षिक योजनाएं |   |   |                                     |   | Annual Plans    |
| 1990-91         | 1   | 0   | 1209                                | 3957  | 1990-91         |
| 1991-92         | 3   | 24  | 1305                                | 3904  | 1991-92         |
| आठवीं<br>योजना  |   |   |                                     |   | Eighth<br>Plan  |
| 1992-97         | 0   | 75  | 5721                                | 17397   | 1992-97         |

सारणी 3.6

Table 3.6

| 1                  | 2 | 3  | 4    | 5     | 1                 |
|--------------------|---|----|------|-------|-------------------|
| नौवीं<br>योजना     |   |    |      |       | Ninth<br>Plan     |
| 1997-<br>2002      | 1 | 0  | 2737 | 16495 | 1997-<br>2002     |
| दसवीं<br>योजना     |   |    |      |       | Tenth<br>Plan     |
| 2002-07            | 1 | 81 | 1470 | 10606 | 2002-07           |
| ग्यारवीं<br>योजना  |   |    |      |       | Eleventh<br>Plan  |
| 2007-12            | 0 | 0  | 1134 | 7275  | 2007-12           |
| (बाहरवीं<br>योजना) |   |    |      |       | (Twelfth<br>Plan) |
| वार्षिक<br>योजनाएं |   |    |      |       | Annual<br>Plans   |
| 1012-13            | 0 | 0  | 204  | 1158  | 2012-13           |
| 2013-14            | 0 | 0  | 195  | 988   | 2013-14           |
| 2014-15            | 0 | 0  | 185  | 1075  | 2014-15           |
| 2015-16            | 0 | 0  | 83   | 417   | 2015-16           |
| 2016-17            | 0 | 0  | 16   | 468   | 2016-17           |

सारणी 3.6  
Table 3.6

| योजना/<br>वर्ष  | कर्मकार<br>Workers in                            |  |      | ग्रामीण<br>स्वयं<br>सेवक<br>Rural<br>Volun-<br>teers | Plan/Year    |
|-----------------|--|--|------|--|--------------|
|                 | इकाई स्तर<br>कक्षाएं<br>Unit<br>Level<br>Classes | कम अवधि<br>कार्यक्रम<br>Short<br>Term<br>Progra-<br>mmes |      |  |              |
| 1               | 6  | 7  | 8    | 1  |              |
| सातवीं<br>योजना |  |  |      |  | Seventh Plan |
| 1985-90         | 279194   | 170485   | 236  |  | 1985-90      |
| वार्षिक योजनाएं |  |  |      |  | Annual Plans |
| 1990-91         | 52385  | 46041  | 169  |  | 1990-91      |
| 1991-92         | 52424  | 47504  | 124  |  | 1991-92      |
| आठवीं<br>योजना  |  |  |      |  | Eighth Plan  |
| 1992-97         | 230281   | 240562   | 1054 |  | 1992-97      |

सारणी 3.6  
Table 3.6

| 1  | 6      | 7      | 8   | 1                              |
|--|--------|--------|-----|--------------------------------|
| नौवीं<br>योजना                           |        |        |     | Ninth Plan                     |
| 1997-<br>2002                            | 112171 | 706939 | 149 | 1997-2002                      |
| दसवीं<br>योजना                           |        |        |     | Tenth Plan                     |
| 2002-07                                  | 28071  | 336173 | 0   | 2002-07                        |
| ग्यारवीं<br>योजना                        |        |        |     | Eleventh Plan                  |
| 2007-12                                  | 15361  | 281622 | 0   | 2007-12                        |
| (बाहरवीं<br>योजना)<br>वार्षिक<br>योजनाएं |        |        |     | (Twelfth Plan)<br>Annual Plans |
| 2012-13                                  | 2318   | 46542  | 0   | 2012-13                        |
| 2013-14                                  | 1757   | 47169  | 0   | 2013-14                        |
| 2014-15                                  | 2306   | 43437  | 0   | 2014-15                        |
| 2015-16                                  | 1726   | 43607  | 0   | 2015-16                        |
| 2016-17                                  | 1199   | 53860  | 0   | 2016-17                        |

सारणी 3.6  
Table 3.6

| योजना/वर्ष      | कर्मकार<br>Workers in  |   |  | Plan/Year       |
|-----------------|--|---|--|-----------------|
|                 | ग्रामीण<br>जानकारी<br>कैम्प<br>Rural<br>Aware-<br>ness<br>Camp | असंगठित<br>क्षेत्र कैम्प<br>Unorga-<br>nised<br>Sector<br>Camps | कार्यत्मक<br>व्यस्क<br>साक्षरता<br>कक्षाएं<br>Function-<br>al Adult<br>Literacy<br>Classes |                 |
| 1               | 9  | 10  | 11   |                 |
| सातवीं योजना    |  |   |  | Seventh<br>Plan |
| 1985-90         | 451936   | 60027   | 64749  | 1985-90         |
| वार्षिक योजनाएं |  |   |  | Annual Plans    |
| 1990-91         | 139798   | 17138   | 13607  | 1990-91         |
| 1991-92         | 136861   | 18321   | 9972   | 1991-92         |
| आठवीं योजना     |  |   |  | Eighth Plan     |
| 1992-97         | 494239   | 84909   | 40258  | 1992-97         |

सारणी 3.6  
Table 3.6

| 1                     | 9      | 10     | 11   |                   |
|-----------------------|--------|--------|------|-------------------|
| नौवीं योजना           |        |        |      | Ninth Plan        |
| 1997-2002             | 403588 | 187672 | 9310 | 1997-2002         |
| दसवीं योजना           |        |        |      | Tenth Plan        |
| 2002-07               | 516765 | 623111 | 1698 | 2002-07           |
| ग्यारवीं योजना        |        |        |      | Eleventh<br>Plan  |
| 2007-12               | 500276 | 700578 | 343  | 2007-12           |
| (बाह्यवर्षी<br>योजना) |        |        |      | (Twelfth<br>Plan) |
| वार्षिक<br>योजनाएं    |        |        |      | Annual<br>Plans   |
| 2012-13               | 90442  | 281710 | 366  | 2012-13           |
| 2013-14               | 91742  | 285942 | 185  | 2013-14           |
| 2014-15               | 66564  | 237208 | 51   | 2014-15           |
| 2015-16               | 83696  | 337099 | 0    | 2015-16           |
| 2016-17               | 58736  | 217278 | 0    | 2016-17           |



सारणी 3.6  
Table 3.6

| योजना/वर्ष         | व्यवसायिक संघ/ संस्थान जिन्हें अनुदान<br>सहायता दी गई<br>Grants-in-aid to Trade Unions/<br>Institutions      |                                      | Plan/Year    |
|--------------------|--|--------------------------------------|--------------|
|                    | अनुदान प्राप्त संघों<br>/ संस्थानों की<br>संख्या<br>Number of<br>Unions /<br>Institutions<br>receiving grant | दी गई राशी<br>Amount paid<br>(in Rs) |              |
| 1                  | 12   | 13                                   | 1            |
| सातवीं<br>योजना    |  |                                      | Seventh Plan |
| 1985-90            | 1072   | 4158329.00                           | 1985-90      |
| वार्षिक<br>योजनाएं |  |                                      | Annual Plans |
| 1990-91            | 122  | 637841.00                            | 1990-91      |
| 1991-92            | 128  | 535341.40                            | 1991-92      |
| आठवीं<br>योजना     |  |                                      | Eighth Plan  |
| 1992-97            | 469  | 2432077.85                           | 1992-97      |

सारणी 3.6  
Table 3.6

| 1                  | 12  | 13         | 1                 |
|--------------------|-----|------------|-------------------|
| नौवीं योजना        |     |            | Ninth Plan        |
| 1997-2002          | 366 | 2325711.90 | 1997-2002         |
| दसवीं योजना        |     |            | Tenth Plan        |
| 2002-07            | 255 | 3351626.00 | 2002-07           |
| ग्यारवीं योजना     |     |            | Eleventh Plan     |
| 2007-12            | 192 | 5011108.00 | 2007-12           |
| (बाहरवीं<br>योजना) |     |            | (Twelfth<br>Plan) |
| वार्षिक योजनाएं    |     |            | Annual Plans      |
| 2012-13            | 51  | 782928.00  | 2012-13           |
| 2013-14            | 39  | 593961.00  | 2013-14           |
| 2014-15            | 35  | 512325.00  | 2014-15           |
| 2015-16            | 31  | 571120.00  | 2015-16           |
| 2016-17            | 4   | 59310.00   | 2016-17           |

स्रोत : दूरदर्शन प्रशिक्षण विभाग  
Source : DTNBWED

4.1 रेलवे की औद्योगिक क्षतियों की संख्या एवं आपात दर  
4.1 Number of Industrial Injuries and Incidence Rates  
in Railways

|   | 2015 | 2016 | 2017 |   |
|---|------|------|------|---|
| क्षतियों की संख्या                              |      |      |      | <b>No. of Injuries</b>  |
| घातक  | 188  | 89   | 73   | Fatal   |
| अघातक   | 1097 | 1050 | 1052 | Non-Fatal   |
| क्षतियों की<br>आपात दर (प्रति<br>हजार कर्मकार ) |      |      |      | <b>Incidence rates<br/>of Injuries (per<br/>1000 workers)</b> |
| घातक  | 0.14 | 0.07 | 0.06 | Fatal   |
| अघातक   | 0.84 | 0.80 | 0.82 | Non-Fatal   |

स्रोत : रेलवे बोर्ड  
Source : Railway Board

4.2 खानों में औद्योगिक क्षतियां  
4.2 Industrial Injuries in Mines  
(खनिज श्रेणी अनुसार) (By Class of Minerals)

| खनिज                                   | संख्या<br>Number      |  | दर प्रति हजार<br>व्यक्ति नियोजित<br>Rate per 1000<br>persons employed |  | Mineral                            |
|--|-----------------------|--|---|--|------------------------------------|
|  | घातक<br>Fata-<br>lity | गम्भीर<br>क्षति<br>Serio-<br>usly<br>Injured | घातक<br>Fata-<br>lity   | गम्भीर<br>क्षति<br>Serio-<br>usly<br>Injured |                                    |
| 1                                      | 2                     | 3  | 4   | 5  | 1                                  |
| <b>2015</b>                            |                       |  |   |  |                                    |
| कोयला                                  | 55                    | 316  | 0.16  | 0.93   | 1. Coal                            |
| गैर -कोयला                             |                       |  |   |  | 2. Non-Coal                        |
| तेल                                    | 5                     | 25   | 0.18  | 0.88   | Oil                                |
| एस्बेस्टस                              | 4                     | -  | ..  | ..   | Asbestos                           |
| चिनी मिट्टी,<br>मिट्टी, सफेद<br>मिट्टी | -                     | 1  | -   | 0.41   | China Clay,<br>Clay, White<br>Clay |
| तांबा                                  | 1                     | 2  | 0.39  | 0.79   | Copper                             |
| डोलोमाइट                               | -                     | -  | -   | -  | Dolomite                           |
| गैलेना एवं<br>स्फेलेराइट               | 3                     | 4  | 0.59  | 0.79   | Galena &<br>Sphalerite             |
| सोना                                   | 1                     | 4  | 0.28  | 1.11   | Gold                               |

सारणी 4.2  
Table 4.2

| 1                                      | 2   | 3   | 4    | 5    | 1                                  |
|--|-----|-----|------|------|------------------------------------|
| ग्रेनाइट                               | 4   | 1   | 0.30 | 0.07 | Granite                            |
| लोहा                                   | 5   | 9   | 0.10 | 0.17 | Iron                               |
| चूना पत्थर                             | 5   | 1   | 0.13 | 0.03 | Limestone                          |
| मैगनेसाइट                              | 2   | 1   | 0.84 | 0.42 | Magnesite                          |
| मैंगनीज                                | 1   | 1   | 0.04 | 0.04 | Manganese                          |
| मार्बल                                 | 8   | -   | 4.41 | -    | Marble                             |
| सैंड स्टोन                             | 1   | -   | 3.23 | -    | Sand Stone                         |
| सिलिका                                 | 1   | -   | 0.34 | -    | Silica                             |
| सिलिमेनाइट                             | -   | 1   | -    | 0.28 | Sillimanite                        |
| सटीआटाइट                               | -   | -   | -    | -    | Steatite                           |
| पत्थर                                  | 7   | 1   | 0.84 | 0.12 | Stone                              |
| गैर कोयला                              | 48  | 51  | 0.22 | 0.23 | Non-Coal                           |
| कोयला और<br>गैर-कोयला                  | 103 | 367 | 0.18 | 0.65 | Coal & Non-<br>Coal                |
| <b>2016*</b>                           |     |     |      |      |                                    |
| कोयला                                  | 94  | 278 | 0.28 | 0.75 | Coal                               |
| गैर -कोयला                             |     |     |      |      | Non-Coal                           |
| तेल                                    | 9   | 8   | 0.32 | 0.28 | Oil                                |
| एस्बैस्टस                              | 1   | -   | ..   | ..   | Asbestos                           |
| चिनी मिट्टी,<br>मिट्टी, सफेद<br>मिट्टी | -   | -   | -    | ..   | China Clay,<br>Clay, White<br>Clay |
| तांबा                                  | 1   | 2   | 0.39 | 0.79 | Copper                             |
| डोलोमाइट                               | 4   | 1   | 1.29 | 0.32 | Dolomite                           |

सारणी 4.2  
Table 4.2

| 1                        | 2   | 3   | 4    | 5    | 1                      |
|--------------------------|-----|-----|------|------|------------------------|
| गैलेना एवं<br>स्फैलेराइट | 1   | 3   | 0.20 | 0.59 | Galena &<br>Sphalerite |
| सोना                     | -   | 1   | ..   | 0.28 | Gold                   |
| ग्रेनाइट                 | 7   | 1   | 0.52 | 0.07 | Granite                |
| लोहा                     | 3   | 9   | 0.06 | 0.17 | Iron                   |
| चूना पत्थर               | 4   | 3   | 0.11 | 0.08 | Limestone              |
| मैगनेसाइट                | -   | -   | -    | -    | Magnesite              |
| मैंगनीज                  | 2   | 5   | 0.09 | 0.22 | Manganese              |
| मारबल                    | -   | -   | -    | -    | Marble                 |
| सैंडस्टोन                | -   | -   | -    | -    | Sandstone              |
| सिलिका                   | -   | -   | -    | -    | Silica                 |
| सिलिमिनाइट               | 1   | 6   | 0.28 | 1.71 | Sillimanite            |
| स्टीआटाइट                | 1   | -   | 0.21 | -    | Steatite               |
| पत्थर                    | 14  | 9   | 1.67 | 1.07 | Stone                  |
| परमाणु खनिज              | 3   | -   | -    | -    | Atomic<br>Mineral      |
| गैर कोयला                | 51  | 48  | 0.23 | 0.22 | Non-Coal               |
| कोयला और<br>गैर-कोयला    | 145 | 326 | 0.26 | 0.58 | Coal & Non-<br>Coal    |

2017\*

|                   |    |     |       |      |                 |
|-------------------|----|-----|-------|------|-----------------|
| कोयला             | 61 | 188 | 01.18 | 0.55 | Coal            |
| गैर -कोयला<br>तेल | 1  | 14  | 0.04  | 0.49 | Non-Coal<br>Oil |

सारणी 4.2  
Table 4.2

| 1                                      | 2 | 3  | 4    | 5    | 1                                  |
|--|---|----|------|------|------------------------------------|
| एस्बैस्टस                              | 2 | -  | ..   | ..   | Asbestos                           |
| बाक्सआईट                               | 1 | 1  | 0.13 | 0.13 | Bauxite                            |
| चिनी मिट्टी,<br>मिट्टी, सफेद<br>मिट्टी | - | -  | -    | ..   | China Clay,<br>Clay, White<br>Clay |
| क्रोमाईट                               | 1 | 1  | 0.09 | 0.09 | Chromite                           |
| तांबा                                  | 0 | 2  | -    | 0.79 | Copper                             |
| डोलोमाइट                               | - | -  | -    | -    | Dolomite                           |
| गैलेना एवं<br>स्फैलेराइट               | 5 | 3  | 0.98 | 0.59 | Galena &<br>Sphalerite             |
| सोना                                   | - | 1  | ..   | 0.28 | Gold                               |
| ग्रेनाइट                               | 8 | 0  | 0.59 | -    | Granite                            |
| लोहा                                   | 4 | 11 | 0.08 | 0.21 | Iron                               |
| चूना पत्थर                             | 6 | 0  | 0.16 | -    | Limestone                          |
| मैगनेसाइट                              | - | -  | -    | -    | Magnesite                          |
| मैंगनीज़                               | 4 | 2  | 0.18 | 0.09 | Manganese                          |
| मारबल                                  | 7 | -  | 3.86 | -    | Marble                             |
| रेयोलाईट                               | 1 | 0  | ..   | -    | Rhyolite                           |
| सैंडस्टोन                              | - | -  | -    | -    | Sandstone                          |
| सिलिका                                 | - | -  | -    | -    | Silica                             |

4 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं  
अनुपस्थिति

4 ACCIDENTS, SAFETY  
AND ABSENTEEISM

सारणी 4.2  
Table 4.2

| 1                     | 2   | 3   | 4    | 5    | 1               |
|-----------------------|-----|-----|------|------|-----------------|
| सिलिमेनाइट            | 0   | 2   | -    | 0.57 | Sillimanite     |
| सटीआटाइट              | -   | -   | -    | -    | Steatite        |
| पत्थर                 | 26  | 6   | 3.10 | 0.72 | Stone           |
| परमाणु खनिज           | -   | -   | -    | -    | Atomic Mineral  |
| गैर कोयला             | 66  | 48  | 0.23 | 0.22 | Non-Coal        |
| कोयला और<br>गैर-कोयला | 127 | 231 | 0.21 | 0.39 | Coal & Non-Coal |

स्रोत : म०नि०खा०सु०  
Source : DGMS



4.3 बंदरगाहों में रिपोर्ट-योग्य दुर्घटनाएं  
4.3 Reportable Accidents in Ports

| बंदरगाह                | 2015-16       |                        | 2016-17       |                        | Port               |
|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
|                        | घातक<br>Fatal | अघातक<br>Non-<br>Fatal | घातक<br>Fatal | अघातक<br>Non-<br>Fatal |                    |
| मुम्बई                 | 3             | 30                     | 2             | 12                     | Mumbai             |
| जवाहर लाल<br>नेहरू पतन | 0             | 0                      | 1             | 1                      | J.N. Port          |
| काण्डला                | 2             | 4                      | 4             | 1                      | Kandla             |
| मोर्मुगोआ              | 2             | 7                      | 1             | 2                      | Mormugao           |
| कोलकाता                | 0             | 11                     | 2             | 5                      | Kolkata            |
| पारादीप                | 0             | 2                      | 0             | 2                      | Paradip            |
| विशाखापतनम             | 0             | 4                      | 0             | 0                      | Visakha-<br>patnam |
| चेन्नई                 | 1             | 2                      | 1             | 3                      | Chennai            |
| कोचीन                  | 0             | 2                      | 0             | 1                      | Cochin             |
| नया मैंगलौर            | 0             | 1                      | 0             | 2                      | New<br>Mangalore   |
| तूतीकोरन               | 0             | 4                      | 2             | 3                      | Tuticorin          |
| <b>योग</b>             | <b>8</b>      | <b>67</b>              | <b>13</b>     | <b>32</b>              | <b>Total</b>       |

स्रोत : मॉनिटोरिंग एवं प्रॉसेसिंग  
Source : DGFASLI

4 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं  
अनुपस्थिति

4 ACCIDENTS, SAFETY  
AND ABSENTEEISM

4.4 जलयानों पर रिपोर्ट-योग्य दुर्घटनाएं तथा आवृत्ति दर

4.4 Reportable Accidents on Board Ships and Frequency Rate

| बंदरगाह                | प्रतिवेद्य योग्य<br>दुर्घटनाएं<br>Reportable<br>Accidents |               | आवृत्ति दर<br>Frequency Rate |               | Port             |
|------------------------|---|---------------|------------------------------|---------------|------------------|
|                        | 2015-<br>2016   | 2016-<br>2017 | 2015-<br>2016                | 2016-<br>2017 |                  |
| मुम्बई                 | 15(1)   | 7             | 8.19                         | 4.55          | Mumbai           |
| जवाहर लाल<br>नेहरू पतन | 0   | 0             | 0.00                         | -             | J.N. Port        |
| काण्डला                | 1(1)  | 1(1)          | 0.41                         | 0.57          | Kandla           |
| मोर्मुगोआ              | 2(2)  | 1(1)          | 5.74                         | 2.56          | Mormugao         |
| कोलकाता                | 7   | 3(1)          | 5.49                         | 2.18          | Kolkata          |
| पारादीप                | 0   | 0             | 0.00                         | -             | Paradip          |
| विशाखापतनम             | 2   | 0             | 2.1                          | -             | Vishakapatnam    |
| चेन्नई                 | 2(1)  | 0             | 1.77                         | -             | Chennai          |
| कोचीन                  | 1   | 1             | 8.26                         | 7.70          | Cochin           |
| नया मैंगलौर            | 1   | 1             | 4.53                         | 3.92          | New<br>Mangalore |
| तूतीकोरन               | 0   | 0             | 0.00                         | -             | Tuticorin        |

स्रोत : मॉनिटिंग एंड रिकॉर्डिंग

Source : DGFASLI

कोष्ठकों में दिये गए आंकड़ें घातक क्षतियों को दर्शाते हैं और कुल दुर्घटनाओं की संख्या में शामिल हैं।

Figures in brackets indicate no. of fatal accidents and are included in total no. of accidents.

5.1(क) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के कार्य  
**5.1(a) Working of the Employees State Insurance Act**  
 सम्मिलित कारखानों एवं कर्मचारियों की संख्या  
**No. of Factories & Employees covered**  
 (31 मार्च को) (as on 31<sup>st</sup> March)

|  | 2016   | 2017   |  |
|--|--------|--------|--|
| केन्द्रों की संख्या                                      | 843    |        | + No. of Centres                                 |
| सम्मिलित कारखानों की संख्या                              | 783786 | 898138 | No. of Factories covered                         |
| सम्मिलित कारखानों में कर्मचारियों की संख्या ('000 में)   | 18921  | 29321  | No. of Employees in factories covered (in 000's) |
| बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या ('000 में)                  | 21362  | 31962  | No. of Insured persons (in 000's)                |
| पारिवारिक इकाइयों की संख्या (बीमाकृत व्यक्ति) ('000 में) | 21362  | 31962  | No. of Family Units (Insured Persons) (in 000's) |
| सम्मिलित लाभान्वितों की संख्या ('000 में)                | 82884  | 124016 | No. of beneficiaries covered (in 000's)          |

स्रोत: को रा० बी० नि०  
 Source : ESIC

+ गणना नहीं की जा रही है।  
 +Not compiled

## 5 सामाजिक सुरक्षा

## 5 SOCIAL SECURITY

5.1 (ख) कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय एवं उपस्थिति (31 मार्च को)  
5.1(b) ESI Dispensaries and Attendance (as on 31<sup>st</sup> March)

|                                | 2016    | 2017    |                            |
|--------------------------------|---------|---------|----------------------------|
| <b>औषधालयों की संख्या</b>      |         |         | <b>No. of Dispensaries</b> |
| पूर्णकालिक                     | 1416    | 1445    | Full Time                  |
| अंशकालिक                       | 17      | 10      | Part Time                  |
| चलते फिरते                     | 18      | 8       | Mobile                     |
| नियोजकों के उपयोग के लिये      | 16      | 26      | Employer's Utilisation     |
| <b>उपस्थिति</b>                |         |         | <b>Attendance</b>          |
| (क) संख्या (000 में)           |         |         | a) Number (in 000's)       |
| बीमाकृत व्यक्ति                | 20789   | 24008   | Insured Persons            |
| पारिवारिक सदस्य                | 22788   | 25886   | Family members             |
| (ख) प्रति हजार                 |         |         | b) Per thousand            |
| बीमाकृत व्यक्ति                | 997     | 901     | Insured Persons            |
| पारिवारिक सदस्य                | 1093    | 971     | Family members             |
| अस्पतालों में दाखिल किये मामले | 3541686 | 3221941 | Cases admitted in Hospital |
| <b>घर पर दौरा</b>              |         |         | <b>Home Visits</b>         |
| बीमाकृत व्यक्ति                | ..+     | ..+     | Insured Persons            |
| पारिवारिक सदस्य                | ..+     | ..+     | Family members             |

स्रोत : को रा० बी० नि०  
Source : ESIC

+ 2014 से अनुपलब्ध

+ Not available from 2014

5.1 (ग) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/उपगृहों/अन्य अस्पतालों में उपलब्ध शैयाओं की संख्या (31मार्च को )

**5.1(c) Number of Beds available in ESI Hospitals/ Annexes/ other Hospitals (as on 31<sup>st</sup> March)**

|  | 2016  | 2017  |                           |
|--|-------|-------|---------------------------|
| <b>कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में</b> |       |       | <b>In ESI Hospitals</b>   |
| सामान्य                                  | 16015 | 16451 | General                   |
| प्रसूति                                  | 2435  | 2315  | Maternity                 |
| तपेदिक                                   | 1013  | 999   | T.B.                      |
| <b>उपगृह</b>                             |       |       | <b>In Annexes</b>         |
| सामान्य                                  | 375   | 375   | General                   |
| प्रसूति                                  | 12    | 12    | Maternity                 |
| तपेदिक                                   | 147   | 135   | T.B.                      |
| <b>अन्य अस्पतालों में</b>                |       |       | <b>In Other Hospitals</b> |
| सामान्य                                  | 2006  | 1996  | General                   |
| प्रसूति                                  | 154   | 154   | Maternity                 |
| तपेदिक                                   | 447   | 447   | T.B.                      |

स्रोत : क० रा० बी० नि०  
Source : ESIC

5.1 (घ) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमारी एवं प्रसूति लाभ  
(31 मार्च को )5.1 (d) Sickness and Maternity Benefits under the ESI  
Scheme  
(as on 31<sup>st</sup> March)

|   | 2016    | 2017    |  |
|---|---------|---------|--|
| <b>बीमारी लाभ</b>   |         |         | <b>Sickness Benefit</b>                              |
| दी गई धन-राशि<br>(रुपये लाख में)                                | 25903   | 27521   | Amount paid<br>(Rs. in lakh)                         |
| औसतन दैनिक दर<br>(रुपये)  | 261.72  | 251.43  | Average daily rate<br>(Rs.)                          |
| <b>दीर्घकालीन लाभ</b>   |         |         | <b>Extended Benefit</b>                              |
| दी गई धन राशि<br>(रुपये लाख में)                                | 3653.84 | 3837.29 | Amount paid<br>(Rs. in lakh)                         |
| <b>प्रसूति लाभ</b>  |         |         | <b>Maternity Benefit</b>                             |
| प्रसवों की संख्या   | 31564   | 31365   | No. of<br>confinements                               |
| नियोजित प्रति 100<br>महिला कर्मचारियों<br>पर प्रसव दर           | 8.34    | 7.67    | Rate of<br>confinement per<br>100 women<br>employees |
| प्रसूति लाभ के<br>फलस्वरूप दी गई<br>धन राशि (रुपये<br>000' में) | 893562  | 907192  | Amount paid as<br>Maternity benefit<br>(Rs.in 000's) |
| प्रति प्रसव पर दी<br>गई औसत धनराशि<br>(रुपये)                   | 28310   | 28924   | Average amount<br>paid per<br>confinement (Rs.)      |

स्रोत : को रा० बी० नि०  
Source : ESIC

## 5.1 (ड) कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के अन्तर्गत अंगहानि एवं आश्रितों को लाभ (31 मार्च को)

5.1 (e) Disablement and Dependants Benefits under ESI Scheme (as on 31<sup>st</sup> March)

|  | 2016    | 2017    |   |
|--|---------|---------|---|
| अस्थायी विकलांगता लाभ के फलस्वरूप दी गई धन-राशि (रु '000' में) | 918842  | 987315  | Amount of temporary disablement benefit paid (Rs.in 000's)            |
| स्थायी विकलांगता के स्वीकृत मामलों की संख्या                   | 12331   | 11692   | No. of permanent disablement cases admitted                           |
| स्थायी विकलांगता लाभ का पंजीकृत मूल्य (रुपये 000' में)         | 2459821 | 257653  | Capitalised value of permanent disablement benefit (Rs.in 000's)      |
| मृत्यु मामलों की स्वीकृत संख्या                                | 1890    | 1796    | No. of death cases admitted   |
| स्वीकृत आश्रित लाभ दावों का पंजीकृत मूल्य (रुपये 000' में)     | 1940573 | 1976094 | Capitalised value of dependants benefit claims admitted (Rs.in 000's) |

स्रोत : को रा० बी० नि०  
Source : ESIC

## 5 सामाजिक सुरक्षा

## 5 SOCIAL SECURITY

5.1 (च) कर्मचारी राज्य बीमा निगम की आय एवं व्यय (31 मार्च को)  
5.1(f) Income and Expenditure of the ESI (as on 31<sup>st</sup> March)  
(रुपये लाख में) (Rs. in lakh)

|   | 2016     | 2017     |  |
|---|----------|----------|--|
| <b>आय</b>   |          |          | <b>Income</b>  |
| नियोजकों और कर्मचारियों का अंशदान   | 1145557  | 1363839  | Contribution from both employer's and employee's                                       |
| ब्याज एवं लाभांश  | 2807.60  | 2404.96  | Interest and dividends   |
| किराया  | 4939     | 5571     | Rent   |
| गुल्क व अर्थदण्ड  | 3376     | 3222     | Fee & Fine   |
| चिकित्सा शिक्षा   | 531.75   | 1432     | Medical Education  |
| विविध   | 2058     | 1849     | Miscellaneous  |
| <b>व्यय</b>   |          |          | <b>Expenditure</b>   |
| चिकित्सा लाभ  | 599567   | 612420   | Medical Benefit  |
| नकद लाभ   | 70398    | 151793   | Cash Benefit   |
| अन्य लाभ  | 251      | 245      | Other Benefits   |
| प्रशासनिक व्यय  | 139061   | 173204   | Administrative expenses  |
| अस्पतालों आदि के मूल्य ह्रास मरम्मत और अनुरक्षण के लिये व्यवस्था तथा आरक्षित निधि | 28326.48 | 13662.43 | Provision for depreciation of hospitals etc., repair and maintenance and reserve funds |

स्रोत : को री० बी० नि०  
Source : ESIC



5.2 (क) कर्मचारी भविष्य-निधि योजना के कार्य  
(परिधि 31 मार्च को)

5.2(a) Working of the Employees Provident Fund  
Scheme (Coverage as on 31<sup>st</sup> March)

|                             | 2015-16       | 2016-17        |   |
|-----------------------------|---------------|----------------|---|
| सम्मिलित<br>प्रतिष्ठान वर्ग |               |                | Classes of<br>Establishments<br>covered |
| छूट प्राप्त                 | 4365          | 4305           | Exempted                                |
| अमुक्त                      | 921932        | 1019883        | Unexempted                              |
| <b>योग</b>                  | <b>926297</b> | <b>1024188</b> | <b>Total</b>                            |

| सदस्यों की संख्या<br>(लाख में) |                |                | No. of Members<br>(in lakh) |
|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| छूट प्राप्त                    | 84.42          | 92.56          | Exempted                    |
| अमुक्त                         | 1629.72        | 1841.36        | Unexempted                  |
| <b>योग</b>                     | <b>1714.14</b> | <b>1933.92</b> | <b>Total</b>                |

स्रोत : को. एं. नि. सं.  
Source : E.P.F.O

5.2 (ख) कर्मचारी भविष्य-निधि योजना के अंशदाता एवं क्षेत्रवार परिधि  
(31 मार्च को)5.2(b) Region-wise coverage and subscribers of the  
Employees' Provident Fund Scheme (as on 31<sup>st</sup> March)

| क्षेत्र  | कारखाने /<br>प्रतिष्ठाने<br>Factories/<br>Establishments |             | सदस्य<br>(लाखों में)<br>Members<br>(in lakhs) |             | Region   |
|--|--|-------------|---|-------------|--|
|  | 2015-<br>-16   | 2016-<br>17 | 2015-<br>16                                   | 2016-<br>17 |  |
| 1  | 2  | 3           | 4   | 5           | 1  |
| अ०नि०<br>दीव समूह  | ..   | 776         | ..  | 0.35        | A & N Islands  |
| आन्ध्र<br>प्रदेश   | 36928  | 39524       | 32.63   | 37.55       | Andhra<br>Pradesh  |
| असम<br>(अरुणाचल<br>, मणिपुर,<br>मिजोरम,<br>नागालैंड,<br>सिक्किम,<br>त्रिपुरा,<br>मेघालय<br>सहित) | ..   | 15054       | ..  | 9.45        | Assam<br>(including<br>Arunachal,<br>Manipur,<br>Mizoram,<br>Nagaland,<br>Sikkim,<br>Tripura &<br>Meghalaya) |
| बिहार  | 11505  | 14542       | 10.39   | 12.36       | Bihar  |
| चण्डीगढ़   | ..   | 22321       | ..  | 31.60       | Chandigarh   |
| छत्तीसगढ़  | 12171  | 13962       | 13.30   | 15.47       | Chhattisgarh   |

सारणी 5.2 (ख)  
Table 5.2 (b)

| 1   | 2      | 3      | 4      | 5       | 1   |
|---|--------|--------|--------|---------|---|
| दिल्ली  | 58568  | 62930  | 139.73 | 155.47  | Delhi   |
| गोवा  | 4515   | 4828   | 11.89  | 13.17   | Goa   |
| ^गुजरात,<br>दादर<br>नगर<br>हवेली,<br>दमन एवं<br>दीयु सहित | 81605  | 88829^ | 134.20 | 152.60^ | ^Gujarat<br>including<br>Dadra &<br>Nagar Haveli,<br>Daman and<br>Diu |
| हरियाणा   | 44571  | 48686  | 123.92 | 140.42  | Haryana   |
| हिमाचल<br>प्रदेश  | 9960   | 13474  | 11.66  | 13.63   | Himachal<br>Pradesh   |
| झारखण्ड   | 16924  | 18624  | 18.12  | 19.98   | Jharkhand   |
| कर्नाटक   | 65551  | 73196  | 201.61 | 224.97  | Karnataka   |
| ^केरल<br>लक्षदीव<br>सहित                                  | 25728  | 27108^ | 26.36  | 29.74^  | ^Kerala<br>including<br>Laksha-<br>dweep                              |
| मध्य प्रदेश   | 31492  | 36499  | 38.39  | 44.04   | Madhya<br>Pradesh   |
| महाराष्ट्र  | 142910 | 159398 | 341.28 | 384.17  | Maharashtra   |
| ओडिशा   | 22383  | 25589  | 26.30  | 29.25   | Odisha  |

सारणी 5.2 (ख)  
Table 5.2 (b)

| 1                            | 2             | 3              | 4              | 5              | 1                                     |
|------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| पंजाब                        | 42539         | 22874          | 56.36          | 30.51          | Punjab                                |
| राजस्थान                     | 33194         | 37867          | 42.73          | 49.23          | Rajasthan                             |
| तमिलनाडु<br>पुडुचेरी<br>सहित | 104369        | 111768         | 210.13         | 236.53         | Tamil Nadu<br>including<br>puducherry |
| तेलंगाणा                     | 42666         | 46997          | 93.93          | 106.92         | Telangana                             |
| उत्तर प्रदेश                 | 64423         | 72344          | 72.43          | 83.49          | Uttar<br>Pradesh                      |
| उत्तराखण्ड                   | 8497          | 9897           | 22.74          | 27.15          | Uttarakhand                           |
| पश्चिम<br>बंगाल              | 52317         | 57101          | 77.37          | 85.86          | West Bengal                           |
| <b>योग</b>                   | <b>926297</b> | <b>1024188</b> | <b>1714.14</b> | <b>1933.92</b> | <b>Total</b>                          |

स्रोत : क० भ० नि० सं०  
Source : E.P.F.O

5.2 (ग) कर्मचारी भविष्य-निधि योजना के अन्तर्गत प्राप्त अंशदान  
( 31मार्च को )5.2(c) Contributions received under Employees'  
Provident Fund Scheme (as on 31<sup>st</sup> March)  
(रूपये करोड़ में) (Rs. in crore)

|  | 2015-16           | 2016-17          |  |
|--|-------------------|------------------|--|
| वर्ष के दौरान<br>प्राप्त कुल<br>अंशदान एवं<br>अन्य प्राप्तियां |                   |                  | <b>Total<br/>contribution<br/>and receipts<br/>during the year</b> |
| छूट-प्राप्त  | 19509.73          | 16446.53         | Exempted   |
| अमुक्त   | 70236.17          | 81289.37         | Unexempted   |
| <b>योग</b>   | <b>89745.90</b>   | <b>97735.90</b>  | <b>Total</b>   |
| आरोही योग-   |                   |                  | <b>Progressive<br/>Total</b>                                       |
| छूट-प्राप्त  | 217444.15         | 233890.68        | Exempted   |
| अमुक्त   | 460147.86£        | 541437.23        | Unexempted   |
| <b>योग</b>   | <b>677592.01£</b> | <b>775327.91</b> | <b>Total</b>   |

स्रोत : को भो नि० सं०  
Source : E.P.F.O

## 5.2 (घ) निधि निवेश और कर्मचारी भविष्य-निधि के सदस्यों को अनुमत ब्याज (31 मार्च को)

5.2(d) Investment of Funds and Interest allowed to the Employees' Provident Fund Members (as on 31<sup>st</sup> March)  
(रुपये करोड़ में) (Rs. in crore)

|   | 2015-16   | 2016-17   |   |
|---|-----------|-----------|---|
| <b>क शुद्ध निवेश</b>                    |           |           | <b>A Net Investment</b>                     |
| <b>1 छूट-प्राप्त प्रतिष्ठान</b>         |           |           | <b>1 Exempted Estts.</b>                    |
| वर्ष के दौरान                           | 63137.02  | 54589.71  | During the year                             |
| आरोही योग                               | 304433.94 | 359023.65 | Progressive Total                           |
| <b>2 अमुक्त प्रतिष्ठान</b>              |           |           | <b>2 Unexempted Estts.</b>                  |
| वर्ष के दौरान                           | 64481.85  | 71232.56  | During the year                             |
| आरोही योग                               | 443940.36 | 515172.92 | Progressive Total                           |
| <b>3 कुल निवेश -</b>                    |           |           | <b>3 Total Investment</b>                   |
| वर्ष के दौरान                           | 127618.87 | 125822.27 | During the year                             |
| आरोही योग                               | 748374.43 | 874196.70 | Progressive Total                           |
| <b>ख ब्याज की अनुमानित दर (प्रतिशत)</b> | 8.80      | 8.65      | <b>B Rate of Interest allowed (percent)</b> |

स्रोत : को नो नि० सं०  
Source : E.P.F.O

5.2 (इ) कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋण एवं अग्रिम राशियों सहित धन-वापसी  
**5.2(e) Refunds including Loans and Advances Granted under the Employees' Provident Fund Scheme**  
 (रूपये करोड़ में) (Rs. in crore)

|  | 2015-16         | 2016-17         |                                    |
|--|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| वृट्ट-प्राप्त प्रतिष्ठान वर्ष के दौरान | 17095.51        | 23946.27        | Exempted Estts. During the year    |
| अमुक्त प्रतिष्ठान वर्ष के दौरान        | 30008.21        | 32867.01        | Un-exempted Estts. During the year |
| कुल ऋण आदि वर्ष के दौरान               | <b>47103.72</b> | <b>56813.28</b> | Total Loans, etc. During the year  |

स्रोत : को भो नि० सं०  
 Source : E.P.F.O

## 5 सामाजिक सुरक्षा

## 5 SOCIAL SECURITY

5.2 (च) राज्यवार कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋण एवं अग्रिम राशियों सहित धन चापसी (31 मार्च को)

**5.2(f) State-wise Refunds including Loans and Advances Granted under the Employees' Provident Fund Scheme**  
(as on 31<sup>st</sup> March)

( रुपये करोड़ में ) (Rs.in crore)

| राज्य / क्षेत्र | 2015-16 | 2016-17 | State/Region     |
|-----------------|---------|---------|------------------|
| 1               | 2       | 3       | 1                |
| आन्ध्र प्रदेश   | 837.35  | 860.22  | Andhra Pradesh   |
| असम             | 222.33  | 203.69  | Assam            |
| बिहार           | 126.47  | 188.62  | Bihar            |
| छत्तीसगढ़       | 213.64  | 74.54   | Chhattisgarh     |
| दिल्ली          | 2300.50 | 2313.54 | Delhi            |
| गोवा            | 198.88  | 202.29  | Goa              |
| गुजरात          | 1706.95 | 1621.09 | Gujarat          |
| हरियाणा         | 1595.94 | 1668.95 | Haryana          |
| हिमाचल प्रदेश   | 208.25  | 239.72  | Himachal Pradesh |
| झारखण्ड         | 184.20  | 203.91  | Jharkhand        |
| कर्नाटक         | 2922.75 | 4407.68 | Karnataka        |
| केरल            | 1148.02 | 1247.49 | Kerala           |



सारणी 5.2 (च)  
Table 5.2(f)

| 1            | 2               | 3               | 1              |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
| मध्य प्रदेश  | 680.36          | 837.43          | Madhya Pradesh |
| महाराष्ट्र   | 7566.49         | 7920.23         | Maharashtra    |
| ओडिशा        | 414.23          | 495.26          | Odisha         |
| पंजाब        | 1117.65         | 1167.61         | Punjab         |
| राजस्थान     | 637.53          | 755.77          | Rajasthan      |
| तमिलनाडु     | 3288.94         | 3548.59         | Tamil Nadu     |
| तेलंगाना     | 1804.99         | 2127.47         | Telangana      |
| उत्तर प्रदेश | 1192.12         | 1289.28         | Uttar Pradesh  |
| उत्तराखण्ड   | 289.21          | 313.58          | Uttarakhand    |
| पश्चिम बंगाल | 1374.41         | 1180.06         | West Bengal    |
| <b>योग</b>   | <b>30031.22</b> | <b>32867.01</b> | <b>Total</b>   |

स्रोत : को भो नि० सं०  
Source : E.P.F.O

## 5 सामाजिक सुरक्षा

## 5 SOCIAL SECURITY

5.2(छ) राज्यवार कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत निर्णीत दावे और भुगतान की गई धनराशि (अमुक्त वर्ग)

5.2(g) State-wise Claims settled and Amount Paid under the Employees' Provident Fund Scheme (Unexempted Sector)

(31 मार्च को) (As on 31st March)

| राज्य / क्षेत्र | निर्णीत दावे<br>(000 में)<br>Claims settled<br>(in 000's) |         | दी गई धनराशि<br>(रुपए करोड़ में)<br>Amount Paid<br>(Rs.in crore) |         | State/ Region    |
|-----------------|---|---------|--|---------|------------------|
|                 | 2015-16   | 2016-17 | 2015-16  | 2016-17 |                  |
| 1               | 2   | 3       | 4  | 5       | 1                |
| आन्ध्र प्रदेश   | 192.72  | 184.79  | 530.63   | 939.23  | Andhra Pradesh   |
| असम(NER)        | 39.69   | 35.58   | 172.62   | 139.26  | Assam(NER)       |
| बिहार           | 37.02   | 41.72   | 191.32   | 239.89  | Bihar            |
| चण्डीगढ़        |   | 80.18   |  | 680.47  | Chandigarh       |
| छत्तीसगढ़       | 56.42   | 56.78   | 200.13   | 294.36  | Chhattisgarh     |
| दिल्ली          | 462.97  | 489.13  | 2380.33  | 3301.27 | Delhi            |
| गोवा            | 40.00   | 32.72   | 195.13   | 221.21  | Goa              |
| गुजरात          | 427.32  | 423.42  | 1723.04  | 2325.78 | Gujarat          |
| हरियाणा         | 484.41  | 505.49  | 1447.47  | 2170.12 | Haryana          |
| हिमाचल प्रदेश   | 53.38   | 54.28   | 212.73   | 288.42  | Himachal Pradesh |
| झारखण्ड         | 61.75   | 55.05   | 190.72   | 254.98  | Jharkhand        |

## 5 सामाजिक सुरक्षा

## 5 SOCIAL SECURITY

सारणी 5.2 (ख)  
Table 5.2(g)

| 1            | 2              | 3              | 4               | 5               | 1              |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| कर्नाटक      | 759.60         | 842.36         | 3443.41         | 2863.02         | Karnataka      |
| केरल         | 203.82         | 205.52         | 697.70          | 1368.19         | Kerala         |
| मध्य प्रदेश  | 175.93         | 175.57         | 645.04          | 998.03          | Madhya Pradesh |
| महाराष्ट्र   | 1409.80        | 1377.22        | 7573.51         | 9768.02         | Maharashtra    |
| ओडिशा        | 124.21         | 138.38         | 599.98          | 702.93          | Odisha         |
| पंजाब        | 248.00         | 146.38         | 998.81          | 583.69          | Punjab         |
| राजस्थान     | 157.28         | 170.92         | 648.71          | 962.80          | Rajasthan      |
| तमिलनाडु     | 806.19         | 858.43         | 3101.56         | 4212.25         | Tamil Nadu     |
| तेलंगाना     | 402.89         | 404.34         | 1647.15         | 2770.14         | Telangana      |
| उत्तर प्रदेश | 343.88         | 354.75         | 1187.33         | 1852.76         | Uttar Pradesh  |
| उत्तराखण्ड   | 95.05          | 86.86          | 232.97          | 343.63          | Uttarakhand    |
| पश्चिम बंगाल | 272.21         | 290.90         | 1498.82         | 1832.88         | West Bengal    |
| <b>योग</b>   | <b>6854.51</b> | <b>7010.74</b> | <b>29519.12</b> | <b>39113.33</b> | <b>Total</b>   |

स्रोत : को भो नि० सं०  
Source : E.P.F.O

5.2 (ज) कर्मचारी-भविष्य निधि योजना के अर्न्तगत प्रदान किया गया  
चापस न किये जाने वाला अग्रिम धन (अमुक्त वर्ग )

**5.2(h) Non-Refundable Advances granted under the  
Employees' Provident Fund Scheme (Un-exempted Sector)**

| प्रयोजन   | मामलों की संख्या<br>No. of Cases | राशी<br>Amount<br>( रु० लाख में )<br>(Rs. in Lakh) | Purpose  |
|---|----------------------------------|--|--|
| 1   | 2                                | 3  | 1  |
| <b>2015-16</b>  |                                  |  |  |
| 1 जीवन बीमा   | 27581                            | 1444.01  | 1 Life Insurance   |
| 2 आवास  | 201668                           | 411238.21  | 2 Housing  |
| 3 बीमारी  | 89565                            | 40726.59   | 3 Illness  |
| 4 अस्थायी बंदी  | 10737                            | 6032.5   | 4 Temporary Closure  |
| 5 लड़की की शादी और बच्चों की दसवीं के बाद शिक्षा      | 139474                           | 107814.82  | 5 Daughter's marriage and post matriculation education of children |
| 6 आपवादिक प्रकृति के कारण क्षतिग्रस्त सम्पत्ति        | 0                                | 0  | 6 Damaged property due to calamity of exceptional nature           |
| 7 कारखानों/प्रतिष्ठानों में विद्युत आपूर्ति में कटौती | 0                                | 0  | 7 Cut in supply of Electricity to the Factory/ Estts.              |
| 8 विकलांग सदस्यों को अग्रिम राशि की मंजूरी            | 0                                | 0  | 8 Grant of advance to members who are physically handicapped       |
| 9 अन्य  | 23558                            | 47645.2  | 9 Others   |
| <b>योग</b>  | <b>492583</b>                    | <b>614901.33</b>                                   | <b>Total</b>   |

सारणी 5.2 (ज)  
Table 5.2(h)

| 1   | 2             | 3                | 1  |
|---|---------------|------------------|--|
| <b>2016-17</b>  |               |                  |  |
| 1 जीवन बीमा   | 25173         | 1506.99          | 1 Life Insurance   |
| 2 आवास  | 217613        | 410368.11        | 2 Housing  |
| 3 बीमारी  | 94268         | 42182.86         | 3 Illness  |
| 4 अस्थायी बंदी  | 11198         | 8155.16          | 4 Temporary Closure  |
| 5 लड़की की शादी और बच्चों की दसवीं के बाद शिक्षा      | 126052        | 95676.32         | 5 Daughter's marriage and post matriculation education of children |
| 6 आपदादिक प्रकृति के कारण क्षतिग्रस्त सम्पत्ति        | 0             | 0                | 6 Damaged property due to calamity of exceptional nature           |
| 7 कारखानों/प्रतिष्ठानों में विद्युत आपूर्ति में कटौती | 0             | 0                | 7 Cut in supply of Electricity to the Factory/ Estts.              |
| 8 विकलांग सदस्यों को अग्रिम राशि की मंजूरी            | 0             | 0                | 8 Grant of advance to members who are physically handicapped       |
| 9 अन्य  | 19268         | 38309.23         | 9 Others   |
| <b>योग</b>  | <b>493572</b> | <b>596198.67</b> | <b>Total</b>   |

स्रोत : को नो नो सं  
Source : E.P.F.O

5.2 (झ) कर्मचारी-भविष्य निधि संगठन के अन्तर्गत आय और व्यय  
**5.2(i) Income and Expenditure under the Employees' Provident Fund Organization**  
 (रुपये करोड़ में) (Rs. in crore)

|  | 2015-16        | 2016-17        |  |
|--|----------------|----------------|--|
| <b>1 आय</b>  |                |                | <b>1 Income</b>  |
| क) प्रशासनिक प्रभार, निरीक्षण प्रभार और दण्डविषयक क्षतियां   | 3649.21        | 4058.71        | a) Administrative charges, Inspection charges & Penal damages                      |
| ख) निवेशों पर ब्याज  | 1207.71        | 1456.45        | b) Interest on investments   |
| ग) सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन, प्रशासन व्यय की प्रतिपूर्ति | ..             | ..             | c) Reimbursement towards Family Pension, Administration Expenses by the Government |
| घ) अन्य लेखाओं से प्राप्ति                                   | 35.21          | 125.4          | d) Receipt from other accounts   |
| ङ) विविध प्राप्तियां   | 16.37          | 17.98          | e) Misc. Receipt   |
| <b>कूल आय</b>  | <b>4908.50</b> | <b>5658.54</b> | <b>Total Income</b>  |
| <b>2 व्यय</b>  | <b>2080.67</b> | <b>3708.63</b> | <b>2 Expenditure</b>   |
| <b>3 अधिशेष</b>  | <b>2827.83</b> | <b>1949.91</b> | <b>3 Surplus</b>   |

स्रोत : को भो निो संो  
 Source : E.P.F.O

5.3 अन्नक खान श्रमिक कल्याण निधि के कार्य  
5.3 Working of the Mica Mines Labour Welfare Fund

|   | 2015-16                       | 2016-17 |  |
|---|-------------------------------|---------|--|
| निर्यात पर उपकर की दर (यथा-मूल्य प्रतिशत) | 4.5                           | 4.5     | Rate of cess on exports (percent ad valorem) |
|   | (रुपये लाख में) (Rs. in lakh) |         |  |
| आय  | 273.00                        | 0#      | Income                                       |
| व्यय                                      |                               |         | Expenditure                                  |
| क) स्वास्थ्य                              | 130.65                        | 195.78  | a) Health                                    |
| ख) शिक्षा                                 | 70.77                         | 83.26   | b) Education                                 |
| ग) आवास                                   | ..                            | ..      | c) Housing                                   |
| घ) जल प्रदाय                              | ..                            | ..      | d) Water supply                              |
| ङ) मनोरंजन                                | 4.42                          | 5.32    | e) Recreation                                |
| च) प्रशासन                                | 45.34                         | 54.81   | f) Administration                            |
| योग (क से च)                              | 251.18                        | 339.17  | Total (a to f)                               |
| शेष निधि                                  | 2793.00                       | 2453.83 | Balance in Fund                              |

स्रोत : म० नि० श्र० क०

Source : DGLW

# वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 15(106)-B@/2016 दिनांक 27-07-2016 के निर्देशानुसार वित्त अधिनियम 2016 की पंद्रवीं अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों/ प्रावधानों की निरस्तता द्वारा खनिज लोह/मैंगनीज अयस्क और चूना पत्थर एवं डोलोमाइट, अन्नक पर उपकर समाप्त कर दिया गया है।

# As per directions vide Om No 15(106)-B@/2016 dated 27-07-2016 of the Department of Economics Affairs, Ministry of Finance, ceases on Iron/Manganese Ore Chrome Ore and Limestone & Dolomite, Cine and Mica have been abolished by way of repeal of covering enactments/provisions as specified in the fifteenth schedule of the Finance Act 2016 with effect from 1<sup>st</sup> April 2016.

5.4 खनिज लोहा, मैंगनीज एवं क्रोम खान श्रमिक कल्याण निधि के कार्य  
5.4 Working of Iron, Manganese and Chrome Ore Mines  
Labour Welfare Fund

|  | 2015-16                       | 2016-17                  |   |
|--|-------------------------------|--------------------------|---|
| निर्यात पर उपकर की दर (रूपये प्रति मेट्रिक टन) | 1.00+<br>4.00++<br>6.00#      | 1.00+<br>4.00++<br>6.00# | Rate of cess on export (Rs. per metric tonne) |
|  | (रूपये लाख में) (Rs. in lakh) |                          |   |
| आय   | 1671.00                       | 0 #                      | Income  |
| व्यय-  |                               |                          | Expenditure                                   |
| (क) स्वास्थ्य                                  | 848.11                        | 948.64                   | a) Health                                     |
| (ख) शिक्षा                                     | 223.74                        | 174.12                   | b) Education                                  |
| (ग) आवास                                       | 19.92                         | 25.51                    | c) Housing                                    |
| (घ) जल प्रदाय                                  | 0                             | 0                        | d) Water supply                               |
| (ङ) मनोरंजन                                    | 26.50                         | 21.63                    | e) Recreation                                 |
| (च) प्रशासन                                    | 231.97                        | 293.30                   | f) Administration                             |
| योग ( क से च )                                 | 1350.24                       | 1466.20                  | Total ( a to f)                               |
| शेष निधि                                       | 19249.67                      | 12736.80                 | Balance in Fund                               |

स्रोत : म० नि० श्र० क०

Source : DGLW

+ अयस्क लोहा Iron Ore      ++ अयस्क मैंगनीज Manganese Ore  
# अयस्क क्रोम Chrome Ore

# वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 15(106)-B(2)/2016 दिनांक 27-07-2016 के निर्देशानुसार वित्त अधिनियम 2016 की पंद्रवीं अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों/ प्रावधानों की निरस्तता द्वारा खनिज लोहा/मैंगनीज अयस्क और चूना पत्थर एवं डोलोमाइट, अन्नक पर उपकर समाप्त कर दिया गया है।



# As per directions vide Om No 15(106)-B®/2016 dated 27-07-2016 of the Department of Economics Affairs, Ministry of Finance, ceases on Iron/Manganese Ore Chrome Ore and Limestone & Dolomite, Cine and Mica have been abolished by way of repeal of covering enactments/provisions as specified in the fifteenth schedule of the Finance Act 2016 with effect from 1<sup>st</sup> April 2016.

5.5 चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि के कार्य  
5.5 Working of the Limestone and Dolomite Mine  
Labour Welfare Fund

|   | 2015-16                       | 2016-17  |   |
|---|-------------------------------|----------|---|
| निर्यात पर उपकर की दर (रूपये प्रति मीट्रिक टन ) | 1.00                          | 1.00     | Rate of cess on export (Rs. per metric tonne) |
|   | (रूपये लाख में) (Rs. in lakh) |          |   |
| आय  | 1460.00                       | 0#       | Income  |
| व्यय  |                               |          | Expenditure                                   |
| क) स्वास्थ्य                                    | 739.33                        | 769.20   | a) Health                                     |
| ख) शिक्षा                                       | 23.47                         | 36.35    | b) Education                                  |
| ग) आवास   | 58.92                         | 45.03    | c) Housing                                    |
| घ) जल प्रदाय                                    | 0                             | 0        | d) Water supply                               |
| ङ) मनोरंजन                                      | 45.84                         | 38.78    | e) Recreation                                 |
| च) प्रशासन                                      | 373.06                        | 409.51   | f) Administration                             |
| योग (क से च)                                    | 1241.62                       | 1298.87  | Total (a to f)                                |
| शेष निधि  | 11866.00                      | 10167.13 | Balance in fund                               |

स्रोत : म० नि० श्र० क०

Source : DGLW

# वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 15(106)-B/2016 दिनांक 27-07-2016 के निर्देशानुसार वित्त अधिनियम 2016 की पंद्रवीं अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों/ प्रावधानों की निरस्तता द्वारा सैनिक लोह/मैंगनीज अयस्क और चूना पत्थर एवं डोलोमाइट, अन्नक पर उपकर समाप्त कर दिया गया है।

# As per directions vide Om No 15(106)-B/2016 dated 27-07-2016 of the Department of Economics Affairs, Ministry of Finance, ceases on Iron/Manganese Ore Chrome Ore and Limestone & Dolomite, Cine and Mica have been abolished by way of repeal of covering enactments/provisions as specified in the fifteenth schedule of the Finance Act 2016 with effect from 1<sup>st</sup> April 2016.

5.6 बीड़ी कर्मकार श्रम कल्याण निधि के कार्य  
5.6 Working of the Beedi Workers' Labour Welfare Fund

|                                  | 2015-16     | 2016-17  |                                       |
|----------------------------------|-------------|--|---------------------------------------|
| उपकर की दर<br>(रुपये प्रति हजार) | 5.00        | 5.00 upto<br>09/09/16<br>8.00 w.e.f.<br>30/09/16## | Rate of cess<br>(Rs. Per<br>thousand) |
| आय<br>(रुपये लाख में)            | 15871.00    | 14129.00   | Income                                |
| व्यय                             |             |  | Expenditure                           |
| क) स्वास्थ्य                     | 8647.11     | 9447.10  | a) Health                             |
| ख) शिक्षा                        | 8358.33     | 7779.68  | b) Education                          |
| ग) आवास                          | 1384.81     | 2044.12  | c) Housing                            |
| घ) जल प्रदाय                     | 0           | 0  | d) Water<br>supply                    |
| ङ) मनोरंजन                       | 15.41       | 9.72   | e) Recreation                         |
| च) प्रशासन                       | 1117.74     | 1362.25  | f) Adminis-<br>tration                |
| योग (क से च)                     | 19523.40    | 20642.87   | Total (a to f)                        |
| शेष निधि                         | (-)35880.00 | (-)38741.87  | Balance in<br>fund                    |

स्रोत : म० नि० श्र० क०  
Source : DGLW

## श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 30 सितम्बर 2016 के तहत बीड़ी पर उपकर 5 रुपये से बढ़ा कर 8 रुपये कर दिया गया है।

## Cess on Beedi has been enhanced from Rs 5.00 to Rs. 8.00 vide Ministry of Labour & Employment Notification dated 30<sup>th</sup> September 2016.

5.7 सिनेमा कर्मकार श्रम कल्याण निधि के कार्य  
5.7 Working of the Cine Workers Labour Welfare Fund

|                                     | 2015-16                       | 2016-17           |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| उपकर की दर (रूपये प्रति फीचर फिल्म) | 20000+<br>10000++             | 20000+<br>10000++ | Rate of cess (Rs. per feature film) |
|                                     | (रूपये लाख में) (Rs. in lakh) |                   |                                     |
| आय                                  | 173.00                        | 0 #               | Income                              |
| व्यय                                |                               |                   | Expenditure                         |
| क) स्वास्थ्य                        | 144.45                        | 204.53            | a) Health                           |
| ख) शिक्षा                           | 12.04                         | 23.99             | b) Education                        |
| ग) आवास                             | 0                             | 0                 | c) Housing                          |
| घ) जल प्रदाय                        | 0                             | 0                 | d) Water supply                     |
| ङ) मनोरंजन                          | 0                             | 0                 | e) Recreation                       |
| च) प्रशासन                          | 1.02                          | 1.09              | f) Administration                   |
| योग (क से च)                        | 157.51                        | 229.61            | Total ( a to f)                     |
| शेष निधि                            | 736.00                        | 506.39            | Balance in fund                     |

स्रोत : म० नि० अ० क०

Source : DGLW

+ हिन्दी एवं अंग्रेजी फीचर फिल्म + Hindi & English Feature Films

++ सभी अन्य भाषी फीचर फिल्म ++ All other language feature film

27-07-2016 के निर्देशानुसार वित्त अधिनियम 2016 की पंद्रवीं अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों/ प्रावधानों की निरस्तता द्वारा खनिज लोह/मेगनीज अयस्क और चूना पत्थर एवं जेलोमाइट, अन्नक पर उपकर समाप्त कर दिया गया है।

# As per directions vide Om No 15(106)-B®/2016 dated 27-07-2016 of the Department of Economics Affairs, Ministry of Finance, ceases on Iron/Manganese Ore Chrome Ore and Limestone & Dolomite, Cine and Mica have been abolished by way of repeal of covering enactments/provisions as specified in the fifteenth schedule of the Finance Act 2016 with effect from 1<sup>st</sup> April 2016.

## 5.8(क) कोयला खान भविष्य-निधि के कार्य ( 31 मार्च को )

5.8(a) Working of Coal Mines Provident Fund  
(as on 31<sup>st</sup> March)

|   | 2016      | 2017     |   |
|---|-----------|----------|---|
| सम्मिलित कोयला खाने और अनुषंगी संगठन (अवधि के अन्त में) | 893       | 900      | Coal Mines and ancillary organizations covered (at the end of the period) |
| सम्मिलित कर्मचारी (000 में )                            |           |          | Employees covered (in 000's)  |
| (क) पंजीकृत सदस्यता (अवधि के अन्त में)                  | 5061      | 5080     | a) Registered membership (at the end of period)                           |
| (ख) वर्ष के दौरान जीवन सदस्यता                          | 468       | 457      | b) Life membership during the year  |
| वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान (रुपये लाख में)            |           |          | Contributions received during the year (Rs. lakh)                         |
| क) अनिवार्य   | 480171.07 | 52236.66 | a) Compulsory   |
| ख) स्वैच्छिक  | 14621.84  | 15422.3  | b) Voluntary  |

स्रोत : को० खा० भ० नि० आ०  
Source : CMPFC

5.8(ख) कोयला खान भविष्य निधि के कार्य ( राज्यानुसार वितरण )  
**5.8(b) Working of Coal Mines Provident Fund**  
(State-wise Distribution)

| राज्य            | अवधि के दौरान सजीव सदस्यता |               | State           |
|------------------|----------------------------|---------------|-----------------|
|                  | Live membership during     |               |                 |
|                  | 2016                       | 2017          |                 |
| झारखण्ड          | 105587                     | 98604         | Jharkhand       |
| पश्चिम बंगाल     | 61939                      | 61946         | West Bengal     |
| मध्य प्रदेश      | 76718                      | 80574         | Madhya Pradesh  |
| छत्तीसगढ़        | 55267                      | 55857         | Chhattisgarh    |
| महाराष्ट्र       | 52745                      | 45694         | Maharashtra     |
| आंध्र प्रदेश     | 71997                      | 70299         | Andhra Pradesh  |
| असम              | 6261                       | 6136          | Assam           |
| जम्मू एवं कश्मीर | 1718                       | 1714          | Jammu & Kashmir |
| ओड़ीशा           | 34646                      | 36661         | Orissa          |
| दिल्ली           | 123                        | 112           | Delhi           |
| <b>योग</b>       | <b>467001</b>              | <b>457597</b> | <b>Total</b>    |

स्रोत : को० खा० भ० नि० आ०  
Source : CMPFC

5.8(ग) कोयला खान भविष्य-निधि के अन्तर्गत प्रदान किये गए ऋण  
और अग्रिम धन (31 मार्च को)

**5.8(c) Loans and advances granted under the Coal  
Mines Provident Fund Scheme (as on 31<sup>st</sup> March)**

|                                       | 2016   | 2017   |   |
|---------------------------------------|--------|--------|---|
| <b>विवाह अग्रिम</b>                   |        |        | <b>Marriage Advance</b>                     |
| (क)-संख्या                            | 6055   | 6129   | a) Number                                   |
| (ख)-धनराशि<br>(करोड़ रु में)          | 166.64 | 185.77 | b) Amount<br>(Rs.in crore)                  |
| <b>पश्चीय दसवीं पास शिक्षा अग्रिम</b> |        |        | <b>Post Matriculation Education Advance</b> |
| क)-संख्या                             | 915    | 736    | a) Number                                   |
| ख)-धनराशि<br>(करोड़ रु में)           | 10.76  | 9.81   | b) Amount<br>(Rs.in crore)                  |
| <b>गृह निर्माण अग्रिम</b>             |        |        | <b>House Building Advance</b>               |
| क)-संख्या                             | 7101   | 4485   | a) Number                                   |
| ख)-धनराशि<br>(करोड़ रु में)           | 371.64 | 275.47 | b) Amount<br>(Rs. in crore)                 |

स्रोत : को० खा० भ० नि० आ०

Source : CMPFC

## 5.8 (घ) कोयला खान भविष्य-निधि योजना के अन्तर्गत धन वापसी के दावे (31मार्च को)

5.8(d) Claims for Refunds under the Coal Mines Provident Fund Scheme (as on 31<sup>st</sup> March)

|   | 2016     | 2017     |                                   |
|---|----------|----------|-----------------------------------|
| प्राप्त दावों की संख्या                 | 32995    | 31061    | No of claims received             |
| अस्वीकृत दावों की संख्या                | 62       | 10       | No. of claims rejected/returned   |
| निर्णीत दावों की संख्या                 | 32936    | 31007    | No. of claims settled             |
| वापस की गई धन राशि<br>(रुपये करोड़ में) | 5593.94  | 6007.79  | Amount refunded<br>(Rs. in crore) |
| <b>आरोही योग</b>                        |          |          | <b>Progressive Total</b>          |
| निर्णीत दावे<br>(‘000 में)              | 1540     | 1571     | Claims settled<br>( 000’s )       |
| वापस की गई धनराशि<br>(रुपये करोड़ में)  | 47391.50 | 53399.29 | Amount refunded<br>(Rs. in Crore) |
| लम्बित दावे                             | 23       | 67       | Claims pending                    |

स्रोत : को० खा० भ० नि० आ०  
Source : CMPFC



5.8 (ड.) कोयला खान भविष्य-निधि योजना के अन्तर्गत आय एवं व्यय  
(31 मार्च को)5.8(e) Income and Expenditure under the Coal Mines  
Provident Fund Scheme (as on 31<sup>st</sup> March)  
(रुपये लाख में) (Rs. in lakhs)

|                    | 2016            | 2017            |                             |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>आय</b>          |                 |                 | <b>Income</b>               |
| प्रशासनिक प्रभार   | 16250.06        | 15367.56        | Administra-<br>tive charges |
| अन्य प्राप्तियाँ   | 21413.38        | 21596.18        | Other<br>receipts           |
| <b>योग</b>         | <b>37663.44</b> | <b>36963.74</b> | <b>Total</b>                |
| <b>व्यय</b>        | <b>9664.94</b>  | <b>13968.27</b> | <b>Expenditure</b>          |
| अधिशेष             | 27998.50        | 22995.47        | Surplus                     |
| <b>व्यय अनुपात</b> | <b>25.66</b>    | <b>37.79</b>    | <b>Expense ratio</b>        |

स्रोत : को० खा० भ० नि० आ०  
Source : CMPFC

5.8(च) पारिवारिक पेंशन निधि लाभ (31मार्च को)  
5.8(f) Family Pension Fund Benefits (as on 31<sup>st</sup> March)

|   | मामलों की संख्या<br>No. of Cases            |                            |   |                            |   |
|---|---|----------------------------|---|----------------------------|---|
|   | 2015-16<br>के<br>दौरान<br>During<br>2015-16 | 2016<br>तक<br>Upto<br>2016 | 2016-17<br>के<br>दौरान<br>During<br>2016-17 | 2017<br>तक<br>Upto<br>2017 |   |
| निर्णीत पारिवारिक पेंशन मामले                                 | 0   | 40776                      | 0   | 40776                      | Family pension cases settled                                  |
| परिवारिक पेंशन स्कीम के अन्तर्गत निपटाए गए अन्य लाभों के दावे | 0   | 104603                     | 0   | 104603                     | Claims for other benefits under Family Pension Scheme settled |

स्रोत : को०सा०भ०नि०आ०  
Source : CMPFC

1. नियोजन

1. Employment

**सारणी 1.1:** आंकड़े सभी कारखानों से सम्बन्धित हैं जो शक्ति प्रयोग के साथ 10 या अधिक कर्मकार एवं बिना शक्ति के प्रयोग से 20 या अधिक कर्मकार नियोजित करते हैं और वे प्रतिष्ठान जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 85 के अन्तर्गत कारखाना घोषित किया गया है।

**Table 1.1:** Statistics relate to all factories employing 10 or more workers with the aid of power and 20 or more workers without the aid of power and to the establishments declared as factories by State Governments under Section 85 of the Factories Act, 1948.

**सारणी 1.2:** प्रस्तुत आंकड़े राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदनों/विवरणियों पर आधारित हैं एवं बागान श्रमिकों का दैनिक औसत नियोजन दर्शाते हैं। आंकड़े केवल विवरणियां भेजने वाले बागानों/ईस्टेटों से सम्बन्धित हैं।

**Table 1.2 :** Statistics furnished are based on the annual reports/returns received from States/Union Territories under the Plantations Labour Act, 1951 and the figures indicate average daily employment in Plantations. The employment data relate only to the plantations/estates submitted returns.

**सारणी 1.3:** इस सारणी में विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत एकत्रित आंकड़े प्रस्तुत किये गए हैं। ये आंकड़े परिवर्ती अनुक्रिया के कारण अपूर्ण हैं व तुलनात्मक नहीं हैं। यह सूचना विभिन्न राज्य सरकारों से एकत्रित की गई है।

**Table 1.3 :** The data collected under the various Acts are given in this table. The figures are not complete or comparable over time due to varying response rates from primary units from year to year. The information is submitted by various State Governments.

**व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग- I )**  
**Explanatory Notes (Part- I)**

**सारणी 1.4 :** श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा वार्षिक आधार पर रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के संचालन का कार्य श्रम ब्यूरो को सौंपा गया। अब तक श्रम ब्यूरो द्वारा पांच वार्षिक रोजगार सर्वेक्षण आयोजित किये गए एवं रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया। श्रम शक्ति की भागीदारी दर, कार्यशील जनसंख्या दर, और बेरोजगारी की दर का आकलन सामान्य प्राचार्य स्थिति के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक की आयु वर्ग वाले व्यक्तियों के लिये सामान्य प्राचार्य स्थिति -दृष्टिकोण पर आधारित के लिए निकाली गई है।

**Table 1.4 :** The ministry of Labour & Employment entrusted the task of conducting employment Unemployment surveys on annual basis to Labour Bureau. So far five annual employment surveys have been conducted by Labour Bureau and reports thereon released. Estimation of Labour Force Participation rate, Worker population rate, and Unemployment Rate are derived for persons aged 15 years and above based on Usual Principal Status Approach.

**सारणी 1.5** श्रम ब्यूरो ने पहले चयनित श्रम गहन और निर्यात उन्मुख क्षेत्रों में त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण आयोजित किये थे। इन सर्वेक्षणों का प्रतिदर्श आकार 8 सेक्टरों में लगभग 2000 इकाइयों तक ही सीमित था जो परिधान सहित वस्त्र, धातु, ओटोमोबाइल, रत्न व आभूषण, परिवहन, आईटी/बीपीओ, चमड़ा और हथकरघा/पावरलूम क्षेत्रों में जनवरी 2009 से भारत में रोजगार पर आर्थिक मंदी के प्रभाव का आकलन करने के लिये किया गया। तब से श्रम ब्यूरो द्वारा ऐसे 28 सर्वेक्षण आयोजित किये जा चुके हैं और उनपर रिपोर्ट भी जारी की गई है। सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप पहले सर्वेक्षण (अक्टूबर , 2008 से दिसम्बर 2008) से लेकर 28वें सर्वेक्षण (अक्टूबर , 2015 से दिसम्बर 2015) तक चयनित सेक्टरों में कुल मिलाकर रोजगार 38.81 (व्यक्ति) है।

श्रम ब्यूरो द्वारा क्यूईएस की नई श्रृंखला (अप्रैल 2016 में) विस्तारित कवरेज को बढ़ाते हुए शुरू की गई। क्यूईएस की नई श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य गैर कृषि औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिये भारतीय अर्थव्यवस्था के आठ महत्वपूर्ण क्षेत्रों विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रेस्टोरेंट और आईटी/बीपीओ जिनमे 10 या उससे अधिक 11179 इकाइयों के प्रतिदर्श आकार के

**व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग- I )**

**Explanatory Notes (Part- I)**

साथे रोजगार के अनुमान प्रदान करना है तथा पिछली तिमाहियों में रोजगार की स्थिति के सापेक्ष परिवर्तन को मापना है। जनवर 2013 से अप्रैल 2014 के दौरान आयोजित 6वें वित्तीय जनगणना के अनुसार इन 8 सेक्टरों ने 10 से उससे अधिक श्रमिकों वाली इकाइयों में कुल रोजगार का लगभग 81% रोजगार का निर्माण किया। आज तक क्यूईएस से संबंधित 7 रिपोर्ट जारी की गई है।

**Table 1.5** Labour Bureau earlier conducted Quarterly Employment Surveys in the selected labour intensive and export-oriented sectors. The sample size of this survey was limited to around 2000 units in 8 sectors viz. textiles including apparels, metals, gems & jewellery, automobiles, transport, IT/BPO, leather and handloom/ power loom to assess the effect of economic slowdown on employment in India since January, 2009. So far, twenty eight such surveys have been conducted by Labour Bureau and reports thereon released. According to the survey results, over all estimated employment in all the selected sectors has experienced a net addition of 38.81 lakh (persons) stating from the first survey (October, 2008 to December, 2008) till 28<sup>th</sup> survey (Oct., 2015 to Dec., 2015)

Labour Bureau initiated Revamped QES in April, 2016 by extending scope and coverage with the objective to measure relative change in employment situation over successive quarters in sizeable segment of Non-farm Industrial economy covering 8 major sectors viz. Manufacturing, Construction, Trade, Transport, Education, Health, Accommodation & Restaurant and IT/BPO having 10 or more workers with sample size of 11179 units. These 8 sectors constitute around 81 percent of the total employment of units with 10 or more workers as per the 6<sup>th</sup> Economic Census, conducted during January, 2013 to April, 2015. Till date, seven reports pertaining to QES have been released.

**2. मजदूरी एवं उपाजन**

**2. Wages and Earnings**

**सारणी 2.1 और 2.2:** मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 उद्योगों में नियुक्त

**व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग- I )**  
**Explanatory Notes (Part- I)**

कर्मकारों का मजदूरी का भुगतान नियमित करने, उन्हें मजदूरी के भुगतान में देरी का कारण और गैर कानूनी कटौतियों या न्याय असंगत देरी को दूर करने के तीव्र और प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाया गया था। मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत 1982 में मजदूरी की उच्चतम सीमा 1,600/- रुपये निर्धारित की गई थी। यह सीमा दिनांक 9-11-2005 की अधिसूचना संख्या 1577 के तहत 6,500/- रु० प्रतिमाह तक बढ़ाई गई थी तथा दिनांक 8-8-2007 की अधिसूचना 1380 के तहत 10,000/- रु० प्रतिमाह तक बढ़ाई गई थी और अधिसूचना एस ओ 2260 (ई) दिनांक 11 सितम्बर 2012 के तहत 18000/- रुपये आगे बढ़ाई गई। 2013 व 2014 के आंकड़ें राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, 2008 के अनुसार संकलित किए गए हैं।

**Tables 2.1 & 2.2 :** The Payment of Wages Act, 1936 was enacted to regulate payment of wages to workers employed in industries and to ensure a speedy and effective remedy to them against illegal deductions and /or unjustified delay caused in paying wages to them. The wage ceiling under Payment of Wages Act, 1936 was fixed at Rs.1,600/- p.m. in 1982. This limit was enhanced to Rs. 6,500/-p.m.vide notification No 1577 dated 9.11.2005 and further enhanced to Rs 10,000/- p.m .vide Notification No.1380 dated 8.8.2007. The wage ceiling has further been enhanced to Rs 18000/- vide notification No SO 2260(E) dated 11<sup>th</sup> September, 2012. The figures for 2013 and 2014 has been compiled as per National Industrial Classification 2008 .

**सारणी 2.3:** न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 जहां श्रमिक शोषण हेतु अतिस्वेदनशील है, ऐसे रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण / नियतकालिक संशोधन के लिए सुविधा उपलब्ध कराता है। न्यूनतम मजदूरी पद्धति कर्मकारों के शोषण को दूर करने हेतु लाभकारी कार्य करती है, जहां अत्यधिक कम मजदूरी का भुगतान है और भिन्न भिन्न सामाजिक समूहों के निर्वाह स्तर में असमानताओं को कम करने में सहायता करती है। इससे न्यूनतम मजदूरी दरों में वैधानिकता के द्वारा संशोधित करती है। यह गरीबी कम करने में सहायता करती है और घोर परिश्रम वाले उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी उपाजकों की स्थिति में सुधार करती है।

**व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-I )**  
**Explanatory Notes (Part-I)**

**Table 2.3:** The Minimum Wages Act, 1948 provides for fixation/periodic revision of minimum wages in employments where labour is vulnerable to exploitation. The minimum wages system serves a useful purpose in preventing workers' exploitation in terms of payment of unduly low wage and helps in reducing inequalities in the standard of living of different social groups of workers by statutorily prescribing minimum wage rates. This helps in reducing poverty and improving the position of low paid wage earners in the sweated industries.

**सारणी 2.4:** कृषि और गैर-कृषि व्यवसायों के लिए औसत दैनिक मजदूरी दर-1974 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा स्थापित प्रामीण खुदरा कीमतों पर तकनीकी कार्य समूह की सिफारिशों के अनुसरण में, श्रम ब्यूरो 20 राज्यों में 66 एनएसएस क्षेत्रों में निर्धारित 600 प्रतिदर्श गांवों से राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के क्षेत्र संचालन प्रभाग द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर कृषि और गैर-कृषि व्यवसाय से संबन्धित औसत दैनिक मजदूरी दर डेटा का संकलन और रखरखाव कर रहा है। हालांकि ये मजदूरी दर आंकड़े 1986-87 के बाद से एकत्रित किये जा रहे हैं, लेकिन उनका नियमित संकलन और प्रसार मई, 1998 से प्रारंभ हुआ। अक्टूबर, 2013 तक ग्यारह कृषि और सात गैर-कृषि व्यवसायों के लिए औसत दैनिक मजदूरी दर आंकड़े (डेटा) एकत्र किये गये थे। हालांकि, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की सलाह पर सीएसओ द्वारा गठित कार्य समूह की सिफारिशों के बाद, मजदूरी दर डेटा अब 25 व्यवसायों (12 कृषि और 13 गैर-कृषि) के लिए एकत्र किया गया है। क्षेत्र से प्राप्त दैनिक मजदूरी दर डेटा पहले दिन के आठ कार्य घंटों के लिए सामान्यीकृत किया जाता है। इस सामान्य दैनिक मजदूरी दर का साधारण अंकगणितीय औसत 20 राज्यों में से प्रत्येक के लिए काम किया जाता है। सभी 20 राज्यों की मजदूरी दरों के कुल योग को उद्धरण (निवेदित) दरों की संख्या से विभाजित करके अखिल भारत स्तर पर औसत मजदूरी दरें प्राप्त की जाती हैं। उद्धरण की दरों में अन्तर के कारण विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों को भुगतान की गई मजदूरी में विसंगता से बचने हेतु ये औसत केवल उन व्यवसायों तक ही सीमित हैं जहाँ उद्धरण की दरें पाँच या अधिक हैं। इस प्रकार माहवार औसत दैनिक मजदूरी दर राज्य स्तर पर और अखिल भारत स्तर पर भी विभिन्न स्रोतों के माध्यम से नियमित रूप से उपयोगकर्ताओं को जारी की जाती है।

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (भाग- I )  
Explanatory Notes (Part- I)

**Table 2.4:** Average Daily Wage Rates for Agricultural and Non-agricultural occupations- In pursuance of the recommendations of the Technical Working Group on rural retail prices set up by the NSSO in 1974, Labour Bureau has been compiling and maintaining average daily wage rate data in respect of agricultural and non-agricultural occupations based on the data collected by the Field Operation Division of National Sample Survey Office (NSSO) from a fixed set of 600 sample villages spread over 66 NSS regions in 20 states. Though these wage rate data have been collected since 1986-87, their regular compilation and dissemination started w.e.f. May, 1998. The average daily wage rate data was collected for eleven agricultural and seven non-agricultural occupations till October, 2013. However, following the recommendations of the working group constituted by the CSO on advice of the National Statistical Commission (NSC), wage rate data is now being collected for 25 occupations (12 agricultural and 13 non-agricultural). The daily wage rate data received from the field are first normalized for eight working hours a day. The simple arithmetic average of these normalized daily wage rate is worked out for each of the 20 states. The average wage rate at all-India level are derived by dividing the sum total of wages of all the 20 states by the number of quotations. These average are restricted only to those occupations where the number of quotations are five or more in order to avoid the apparent inconsistency in wages paid to different categories of workers on account of differences in number of quotations. The month-wise average daily wage rates are thus worked out at State level and also at all-India level are released regularly to the users through various sources.

**3. मूल्य**

**3. Prices**

औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार 2001=100 पर जनवरी, 2006 सूचकांक से जारी किया गया, जिसने आधार 1982=100 पर पहली श्रंखलाओं का स्थान लिया। नई श्रंखलाओं में कई सुधार किए



व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग- I )

Explanatory Notes (Part- I)

गए, जैसे केन्द्रों की संख्या में 70 से 78 तक वृद्धि, बाजारों की संख्या में 226 से 289 तक वृद्धि तथा वस्तुओं में 328 से 392 तक वृद्धि। अन्य विवरण हेतु इंडियन लेबर जरनल के अप्रैल, 2006 के अंक का अवलोकन किया जाये।

**सारणी 3.1 (क)** औद्योगिक श्रमिकों के लिए 2001=100 आधार पर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वार्षिक औसत तथा मासिक अखिल भारतीय सामान्य और खाद्य सूचकांक चित्रित करती है। सारणी 3.1 (ख) केन्द्रवार वार्षिक औसत तथा 1982 और 2001 श्रृंखलाओं के बीच सभी केन्द्रों (सामान्य) के योजक घटक चित्रित करती है।

All-India Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers on base : 2001=100 was introduced with effect from January, 2006 index, which replaced the earlier series on base: 1982=100. In the new series, various improvements were incorporated such as increase in the number of centres from 70 to 78, increase in number of markets from 226 to 289 and increase in number of items from 328 to 392. For further details reference may be made to April, 2006 issue of the Indian Labour Journal.

**Table 3.1(a)** depicts annual average of All-India Consumer Price Index Numbers and month-wise All India General and Food index for Industrial Workers on base 2001=100. Tables 3.1 (b) depicts Centre-wise Annual Averages and Linking Factors of all centres (General) between 1982 and 2001 series.

**सारणी 3.2:** कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों हेतु 1986-87=100 आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को इस सारणी में प्रस्तुत किया गया है।

**Table 3.2 :** Consumer Price Index Numbers for Agricultural and Rural Labourers on base 1986-87=100 are presented in this table.

**4. व्यवसाय संघ**

**4. Trade Unions**

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग- I )  
Explanatory Notes (Part- I)

**सारणी 4.1 तथा 4.2:** ये आंकड़े व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत पंजीकृत एवं विवरणियां भेजने वाले व्यवसाय संघों के हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। वर्ष-प्रतिवर्ष परिवर्तित अनुक्रिया के कारण इन आंकड़ों की परिधि भी अपूर्ण है।

**Tables 4.1 & 4.2 :** The data refers to trade unions submitting returns and registered under the Trade Unions Act, 1926. The registration under the Act is not compulsory. The coverage of statistics is also incomplete due to varying response rate from year to year.

**5. औद्योगिक विवाद**

**5. Industrial Disputes**

**सारणी 5.1 से 5.10:** औद्योगिक विवादों के आंकड़े राजनीतिक अथवा सहानुभूतिपूर्ण हड़तालों को छोड़कर, कार्य स्थगन में परिणत विवादों से सम्बन्धित हैं जिनमें, 10 या अधिक कर्मकार अन्तर्ग्रस्त हुए हों।

**Tables 5.1 to 5.10 :** The figures on industrial disputes relate to disputes resulting in work-stoppages and involving 10 or more workers and are exclusive of political or sympathetic strikes.

**6. दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति**

**6. Accidents, Safety and Absenteeism**

**सारणी 6.1:** कारखानों में क्षतियों के आंकड़े दुर्घटनाओं में क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के हैं। औद्योगिक दुर्घटनाओं से होने वाली केवल वही क्षतियां अंकित की जाती हैं, जिनके कारण क्षतिग्रस्त व्यक्ति 48 घण्टे या इससे अधिक अवधि के लिए अपने काम पर उपस्थित न हो सकें। ये आंकड़े केवल विवरणियां भेजने वाले कारखानों के हैं।

**Table 6.1 :** Figures of injuries in factories relate to number of persons receiving injuries as a result of accidents in factories. Only those injuries resulting from industrial accidents by reasons due to which persons affected are prevented from attending to work for a period of 48 hours or more. The data relate to only factories submitting returns.

**व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग- I )**  
**Explanatory Notes (Part- I)**

**सारणी 6.2:** वार्षिक सर्वेक्षण उद्योग (एएसआई) सालाना सांख्यिकी अधिनियम, 2008 के तहत और 2011 में बनाए गए नियमों के तहत आयोजित किया जाता है और भारत में औद्योगिक सांख्यिकी का मुख्य स्रोत है। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (औद्योगिक सांख्यिकी विंग) (सीएसओ-आईएस विंग) एएसआई अनुसूची और श्रम ब्यूरो प्रक्रिया के भाग-1 के माध्यम से एकत्रित डेटा को संसाधित और प्रसारित करता है और भाग-1 और ब्लॉक-ए, बी और ई, और एएसआई अनुसूची भाग-2 के माध्यम से एकत्रित डेटा प्रसारित करता है। वार्षिक सर्वेक्षण उद्योग (श्रम भाग) को मुख्य उद्देश्य अनुपस्थिति पर व्यवस्थित डेटाबेस बनाने के लिए और {ए} श्रम कारोबार/आय/रोजगार उद्योग और विनिर्माण उद्योगों में श्रम लागत, और {बी} मजदूरी/वेतन जैसे श्रम लागत के विभिन्न घटकों का विश्लेषण करने के लिए बोनस/भविष्य निधि/विनिर्माण उद्योगों में कल्याण व्यय आदि है।

एएसआई का दायरा रक्षा मंत्रालय, तेल भंडारण और वितरण इकाइयों, रेस्तरां और कैफे ओर तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों के नियंत्रण में प्रतिष्ठानों को छोड़कर देश में सभी पंजीकृत विनिर्माण प्रतिष्ठानों तक बढ़ाया गया है, जो बिक्री या विनियम के लिए कुछ भी नहीं पैदा कर रहे हैं। उद्योग के वार्षिक सर्वेक्षण, 2013-14 का भौगोलिक कवरेज पूरे देश में बढ़ा दिया गया है। एएसआई का कवरेज इस प्रकार बढ़ाया गया है: {ए} कारखानों अधिनियम, 1948 की धारा 2 एम(i) और 2 एम(ii) के तहत पंजीकृत सभी कारखानों, जो बिजली का उपयोग करके प्रतिष्ठानों का उल्लेख करते हैं और 10 या अधिक श्रमिकों को नियोजित करते हैं और जो बिजली का उपयोग नहीं करते हैं और पिछले 12 महीनों के किसी भी दिन 20 या उससे अधिक श्रमिकों को रोजगार देना, और {बी} बीड़ी और सिगार इकाइयां बिजली का उपयोग करके 10 या अधिक श्रमिकों को रोजगार दे रही हैं और 20 या अधिक श्रमिकों को रोजगार का उपयोग नहीं कर रही हैं और सिगार श्रमिकों के तहत पंजीकृत हैं (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966।

**Table 6.2 :** The Annual survey of Industries (ASI) is conducted annually under the Collection of Statistics Act, 2008 and the Rules framed there under in 2011 and are the principal source of Industrial Statistics in India.

**व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग- I )**  
**Explanatory Notes (Part- I)**

The Central Statistics Office {Industrial Statistics Wing} {CSO-IS Wing} process and disseminate data collected through Part-I of ASI Schedule and Labour Bureau process and disseminate data collected through Block-A, B and E of Part-I and Part-II ASI Schedule. The Main objectives of the Annual Survey of Industries (Labour Part) are {a} to build a systematic database on Absenteeism; Labour Turnover; Earnings; Employment and Labour cost in Manufacturing Industries and {b} to analyse various components of Labour Costs such as Wage/Salary; bonus; Provident Funds; Welfare Expenses, etc. In manufacturing Industries.

The scope of the ASI is extended to all registered manufacturing establishments in the country except establishments under the control of the Defense Ministry, Oil storage and distribution units, restaurants and cafes and technical training institutions not producing anything for sale or exchange. The geographical coverage of the Annual Survey of Industries, 2013-14 has been extended to the entire country. The coverage of ASI is extended to: {a} all factories registered under sections 2m(i) and 2m(ii) of the Factories act, 1948 which refer to the establishments using power and employing 10 or more workers and those not using power and employing 20 or more workers on any day of the preceding 12 months, and {b} Bidi and cigar units employing 10 or more workers using power and employing 20 or more workers not using power and registered under the Bidi and Cigar Workers (Conditions of employment) act, 1966.

**7. सामाजिक सुरक्षा**

**7. Social Security**

**सारणी 7.1:** ये आंकड़े कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति क्षतियों से सम्बन्धित हैं। अधिसूचित रोजगारों में उन कर्मचारों की क्षतिपूर्ति की जाती है जिनकी दर्रटनाओं से मृत्यु हो गई हो या जो तीन दिन से अधिक के लिए असमर्थ हो गये हों। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में हुई क्षतियों के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत ही किया जाता है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत नहीं। इन आंकड़ों का भौगोलिक क्षेत्र प्रति वर्ष परिवर्तित होता रहा है। क्षतिपूर्ति की दरों में 18-01-2010

**व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग- I )**  
**Explanatory Notes (Part- I)**

से बढ़ोतरी की गई है।

**Table 7.1 :** Data relate to compensated injuries under the Employees' Compensation Act, 1923. Compensation is payable to workers in scheduled employments in respect of accidents resulting in death or disablement for more than 3 days. Compensation in case of injuries in establishments covered by the Employees' State Insurance Act is paid under that Act and not under the Employees' Compensation Act. The geographical coverage of data has varied from year to year. The rates of compensation have been enhanced with effect from 18-01-2010.

**सारणी 7.2:** ये आंकड़े मातृत्व हितलाभ अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली वार्षिक विवरणियों पर आधारित हैं। जो प्रतिष्ठान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के आवृत्त के अन्तर्गत आते हैं, उनमें प्रसूति लाभ का भुगतान इसी अधिनियम के अन्तर्गत किया जाता है न कि मातृत्व हितलाभ अधिनियम के अन्तर्गत। इन आंकड़ों का भौगोलिक क्षेत्र वर्ष प्रति वर्ष परिवर्तित होता रहा है।

**Table 7.2 :** Data are based on annual returns under the Maternity Benefits Act. In establishments covered by the ESI Act, the maternity benefit is paid under that act and not under the Maternity Benefits Act. The geographical coverage of the figures has varied from year to year.

**8. अन्तर्राष्ट्रीय तुलना**

**8. International Comparison**

**सारणी 8.1 से 8.5 :** इन सारणियों के आंकड़ें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की वेबसाइट से लिए गये हैं। पाठकों से निवेदन है कि परिसीमाओं, परिधि, सर्वेक्षण ढंग, वर्गीकरण एवं अन्य विवरण से सम्बन्धित टिप्पणियों के लिए आई०एल०ओ० की वेबसाइट (www.ilo.org) के प्रासंगिक खण्डों का अवलोकन करें।

**Tables 8.1 to 8.5 :** The data in these tables have been taken from the website of the International Labour Organisation. For notes regarding limitations, coverage, survey methods, classifications and other details, the readers are requested to refer to the relevant sections of the website of the International Labour Organisation (www.ilo.org).

**व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)**  
**Explanatory Notes (Part-II)**

**सारणी 1.1 से 1.2**

सारणी में प्रस्तुत आंकड़ें भारत के महापंजीयक के द्वारा प्रकाशित आंकड़ों पर आधारित हैं। 2011 जनगणना के अन्तर्गत 35 राज्य/ संघ शासित प्रदेश हैं। 2011 जनगणना के अनुसार 1 मार्च 2011, समय 0.00 को भारत की कुल जनसंख्या 1210.85 मिलियन है जिस में से 833.75 मिलियन ग्रामीण जनसंख्या तथा 377.11 मिलियन शहरी जनसंख्या है।

**Tables 1.1 to 1.2**

Data furnished in Tables are based on the figures released by the Registrar General of India, Census 2011 covered 35 States/Union Territories. As per Census 2011, the total population of India at 0.00 hours on 1st March, 2011 is 1210.85 million. Of this the rural population is 833.75 million and the urban population is 377.11

**सारणी 1.3**

**श्रम बल (लेबर फोर्स) :** श्रम बल के अन्तर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो 'कार्यरत'(या नियोजित) थे या 'काम की तलाश में या काम के लिए उपलब्ध'(या बेरोजगार) थे

**कामगार (या नियोजित) :** वे व्यक्ति कामगार माने गये जो किसी कार्यकलाप में लगे हो या जो किसी कार्यकलाप से सम्बद्ध होने के बावजूद रूग्णता, चोट या अन्य शारीरिक असमर्थता, खराब मौसम, उत्सव, सामाजिक या धार्मिक समारोह या अन्य आकस्मिक स्थिति जिसमें अस्थायी अनुपस्थिति आवश्यक हो, कारणों से अपने कार्य से अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहे हों। पारिवारिक कृषि या गैर-कृषि आर्थिक कार्यकलापों के संचालन में सहयोग करने वाले अवैतनिक पारिवारिक सदस्य को भी कामगार माना गया।

**काम की तलाश में या कार्य हेतु उपलब्ध (या बेरोजगार):** जो व्यक्ति काम की कमी के कारण किसी कार्य में नहीं लग पाए परन्तु वे या तो रोजगार कार्यालय, मध्यस्थ, मित्रों या संबंधियों के द्वारा या भावी नियोजक को आवेदन देकर कार्य की खोज करते रहे या कार्य की वर्तमान शर्तों एवं पारिश्रमिक पर कार्य करने को

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)  
Explanatory Notes (Part-II)

इच्छुक या उपलब्ध रहे हों।

**Table 1.3**

**Labour Force :** Persons who were either 'working' (or employed) or 'seeking or available for work' (or unemployed) constituted the labour force.

**Workers (or employed):** Persons who were engaged in any economic activity or who despite their attachment to economic activity, abstained from work for reason of illness, injury or other physical disability, bad weather, festivals, social or religious functions or other contingencies necessitating temporary absence from work, constituted workers. Unpaid household members who assisted in the operation of an economic activity in the household farm or non-farm activities were also considered as workers.

**Seeking or available for work (or unemployed):** Persons who, owing to lack of work, had not worked but either sought work through employment exchanges, intermediaries, friends or relatives or by making applications to prospective employers or expressed their willingness or availability for work under the prevailing conditions of work and remuneration.

**2. नियोजन**

**2. Employment**

**सारणी 2.1:** सार्वजनिक क्षेत्र के नियोजन में रेलों में नियोजन शामिल है, परन्तु विदेशों में स्थित भारतीय मिशनो में काम करने वाले व्यक्ति तथा अंशकालिक कर्मकार इसमें शामिल नहीं हैं। सूचना न भेजने वाले प्रतिष्ठानों के लिये भी अनुमान लगाये गये हैं।

**व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)**  
Explanatory Notes (Part-II)

**Table 2.1** : Employment in public sector includes employment in Railways but excludes the Indian Missions abroad and part-time workers. Estimates have also been made for defaulting establishments.

**सारणी 2.2:** ये आंकड़ें केवल खान अधिनियम, 1952 की परिधि के अन्तर्गत आने वाली खानों से संबंधित हैं। सामान्यतः ये आंकड़ें उन्हीं खानों से सम्बन्धित हैं जो अपनी वार्षिक विवरणियां भेजते हैं। नियोजित व्यक्तियों की संख्या एवं खानों तथा खदानों से सम्बन्धित अन्य विषयों की सूचना (विशेष तौर पर झूट प्राप्त विषयों को छोड़कर) खान अधिनियम, 1952 के नियम व विनियम के अन्तर्गत बनाये गए सांविधिक प्रावधानों के तहत खान सुरक्षा महानिदेशालय संग्रह करता है।

**Table 2.2** : The statistics relate only to mines covered under the Mines Act, 1952. The statistics generally relate to units furnishing their annual returns. Under the statutory provisions of the Mines act, 1952 and rules and regulations framed there under, the Directorate General of Mines Safety collects information regarding the number of persons employed and other matters relating to Mines and Quarries (except those especially exempted).

**सारणी 2.3** भारतीय रेलवे रोजगार में अनियत श्रमिकों के अतिरिक्त क्षेत्रीय रेलवे संरक्षण विशेष बल सहित उन सभी पदाधिकारियों को शामिल किया गया है जो प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को चालू लाईन पर सभी प्रकार के एवं क्षेत्रीय रेलवे के निर्माण कार्य में रेलवे बोर्ड के कार्यालयों में तथा इसके अन्य संलग्न एवं अधीनस्थ कार्यालयों में काम कर रहे थे।

डाक विभाग और दूर संचार विभाग के नियोजन आंकड़े उन राजपत्रित अराजपत्रित तथा अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों से सम्बन्धित हैं जो 31 मार्च को काम कर रहे थे।

बीमा में नियोजन के सम्बन्ध में भारतीय सामान्य बीमा सार्वजनिक क्षेत्र संघ तथा जीवन बीमा निगम के द्वारा सूचना प्रेषित की गई है।



**व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)**  
Explanatory Notes (Part-II)

बैंकों की सूचना अनुसूचित बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक में नियोजन से सम्बन्धित है।

**Table 2.3 :** Employment in Indian Railways includes all ranks as on 31st March each year on open line and construction on all zonal Railways and in the office of Railway Board and its attached and subordinate offices including Railway Protection Special Force but excluding casual labour.

Employment in Department of Posts and Telecommunication relates to gazetted, non-gazetted and extra Departmental Staff as on 31st March.

In respect of employment in Insurance the information has been furnished by the General Insurance Public Sector Association of India and Life Insurance Corporation.

The information on banks relates to employment on Scheduled Banks, Regional Rural Banks and Reserve Bank of India.

**सारणी 2.4 :** विभिन्न क्षेत्रों में नियोजन सूचकांकों के संकलन के लिए वांछित आंकड़े उपलब्ध न होने की स्थिति में यथासम्भव अनुमान लगाये गये हैं।

**Table 2.4 :** In compiling the indices of employment in different sectors, estimates for non-response have been made wherever possible.

**3. रोजगार सेवा एवं प्रशिक्षण**

**3. Employment Service and Training**

**सारणी 3.1. से 3.3 :** ये आंकड़े उन रोजगार कार्यालयों, विश्वविद्यालय रोजगार-सूचना ब्यूरो की सेवाओं पर आधारित हैं जिनकी स्थापना नौकरी की तलाश करने वाले व्यक्तियों के नाम पंजीकृत करने एवं उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए की गई है।

**व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)**  
**Explanatory Notes (Part-II)**

**Tables 3.1 to 3.3 :** Statistics are based on the working of Employment Exchanges, University Employment Information Bureaux set up for registering people who are seeking employment and securing employment for them.

**सारणी 3.4:** आंकड़े शिल्पकारों के प्रशिक्षण के लिए शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत महानिदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में उपलब्ध सूचना पर आधारित है। शिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत शिक्षुता प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

**Table 3.4 :** Statistics are based on information available in DGE&T for training craftsmen under the Craftsmen Training Scheme of the DGE&T, Ministry of Labour and Employment. Apprenticeship Training is also imparted under the Apprentices Act, 1961.

**सारणी 3.5:** महानिदेशालय कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान सुरक्षा अधिकारियों के लिए पांच श्रम संस्थानों में औद्योगिक सुरक्षा में एक वर्ष के डिप्लोमा कोर्स और चिकित्सा अधिकारियों के लिए एसोसिएट फेलो आफ इन्डस्ट्रीयल हैल्थ पर तीन महीने के पाठ्यक्रम का केन्द्रीय श्रम संस्थान, मुम्बई एवं क्षेत्रिय श्रम संस्थान फरीदाबाद में आयोजन करता है। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठानों के अनुरोध पर अपने विभिन्न विभागों एवं अन्य इकाइयों के द्वारा पांच श्रम संस्थानों और गोदी सुरक्षा निरीक्षणालयों में औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित करता है।

**Table 3.5 :** The Directorate General Factory Advice Service and Labour Institutes conduct one year Diploma Course in Industrial Safety at five Labour Institutes for Safety Officers and 3 months Certificate course of Associate Fellow of Industrial Health at Central Labour Institute, Mumbai and Regional Labour Institute, Faridabad for Medical Officers. Besides this, it also conducts regularly training programmes on Industrial Safety, Health and Environment through its various divisions

**व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)**  
**Explanatory Notes (Part-II)**

and other related disciplines at the five Labour Institutes and Dock Safety Inspectorates on requests from establishments.

**सारणी 3.6 :** दत्तोपन्त थेन्गाडी राष्ट्रीय केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा व विकास बोर्ड (भूतपूर्व सी० बी० डब्ल्यू ई) के पास क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय निदेशालयों का एक नेटवर्क है, जिसमें संगठित, असंगठित, ग्रामीण, लघुमान और अनौपचारिक क्षेत्रों के कर्मकारों के लिए यूनिट/ग्राम स्तर के कर्मकार शिक्षा हेतु कार्यक्रम किए जाते हैं।

भारतीय कर्मकार शिक्षा संस्थान, मुम्बई जो एक शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान है बोर्ड के अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम और राष्ट्रीय महासंघों पर कार्यक्रम संचालित करता है। यह बोर्ड ग्रामीण जागृति कैम्प भी संचालित करता है, जिनमें भूमिहीन श्रमिक, जनजाति श्रमिक इत्यादि भाग लेते हैं। पंजीकृत व्यावसाय संघों और अन्य संस्थानों हेतु उनके अपने कर्मकार कार्यक्रमों के लिए बोर्ड सहायक अनुदान भी प्रदान करता है। द००१००००००००० ने भी मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार डी०बी०टी० को 01/01/2015 से लागू कर दिया है। बोर्ड द्वारा संचालित श्रमिक शिक्षा योजना के लिए प्रतिदिन के अनुसार पूरा भत्ता डी०बी०टी० के माध्यम से लाभार्थियों (श्रमिक) को वितरित किया जाता है।

**Table 3.6 :** The Dattopant Thengadi National Board for Workers Education & Development (erstwhile CBWE) has a network of Regional and Sub-Regional Directorates to undertake Workers Education Programmes at regional and unit/village level for workers in the organised, unorganised, rural, small scale and informal sectors. The Indian Institute of Workers Education, Mumbai an apex-Training Institute conduct national level training programmes and National Federations besides the training programmes for the Board's officers / officials. The Board also conducts Rural Awareness Camps being attended by landless labour, tribal labour etc.

**व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)**  
**Explanatory Notes (Part-II)**

The Board provides grants in aid to registered Trade Unions and other institutions for conducting their own Worker's Programmes.

The DTNBWED has also implemented DBT w.e.f 1/1/2015 as per the directives of the Ministry . In accordance to the per diem allowance is disbursed to the beneficiaries (workers) completely through DBT for the workers educations scheme run by the Borad.

**4. दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति**

**4. Accidents, Safety and Absenteeism**

**सारणी 4.1:** रेलवे में होने वाली क्षतियों के आंकड़ों में भारतीय रेल कार्य से सम्बन्धित रेल-गाडियां एवं रेल-वाहनों के चलने के कारण और कर्मशालाओं में होने वाली क्षतियों की घटनाएं शामिल हैं। रेलवे कर्मचारी को उस समय क्षतिग्रस्त समझा जाता है, जब उसके कारण वह दुर्घटना होने के समय से अगले 48 घण्टों के दौरान काम पर आने में असमर्थ हो ।

**Table 4.1 :** The figures of injuries on Indian Railways are inclusive of those due to movement of trains and railway vehicles connected with railway working and in railway workshops. A railway employee is considered as injured when, because of that, he is prevented from attending to work during the next 48 hours after the occurrence of the accident.

**सारणी 4.2:** यह सारणी गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों और संचातको की संख्या दर्शाती है। गम्भीर शारीरिक क्षति को उसे माना जाता है जिसमें किसी भाग की स्थायी हानि अथवा शरीर के किसी खण्ड की या शरीर के किसी भाग अथवा खण्ड के उपयोग अथवा उसकी स्थायी क्षति या असमर्थता अथवा किसी हड्डी का टूटना अथवा हड्डियों के एक या अधिक जोड़ों या हाथ या पैर की उंगलियों के पोरों की हड्डियों का टूटना अथवा सर्व सम्पन्न समग्र रूप की संभाव्यता में सम्मिलित होंगे। संचातिक दुर्घटना वह होती है जिनमें कम से कम एक मृत्यु (संचातिकता) शामिल हो ।

**व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)**  
Explanatory Notes (Part-II)

**Table 4.2 :** This table presents number of fatalities and number of persons seriously injured. A serious injury is taken as one which involves or in all probability will involve, the permanent loss of any part or section of a body or the use of any part or section of a body, or the permanent loss of or incapacity or the fracture of any bone or one or more joints of bones or any phalanges of hand or foot. Fatal accidents are those in which at least one death (fatality) is involved.

**सारणी 4.3 और 4.4:** डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विनियम, 1990 के विनियम, 91 के अनुसार 'प्रतिवेदन' योग्य दुर्घटना डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत वह है जिसमें या तो डॉक कर्मकार की मृत्यु हो जाए अथवा दुर्घटना से अगले 48 घण्टों के लिए वह अपने रोजगार का कार्य करने योग्य न रहे और जिसके लिए डॉक कर्मकारों के नियोजकों के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भर कर निरीक्षक को नोटिस दिया जाना है।

यह अधिनियम और विनियम भारत के सभी मुख्य पत्तनों जैसे मुम्बई, कोलकाता, कोचीन, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, कांडला, इन्नौर, चैन्नई, मोरमुगाओ, न्यू मेंगलौर, पारादीप, तूतीकोरन और विशाखापटनम पर लागू होते हैं और ये श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के महानिदेशालय, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान के द्वारा ग्यारह पत्तनों पर स्थापित डॉक सुरक्षा निरीक्षणालयों के माध्यम से प्रशासित किए जाते हैं। महा निदेशक डॉक सुरक्षा निरीक्षणालयों के मुख्य निरीक्षक भी हैं।

इन्नौर निरीक्षणालय अभी स्थापित नहीं हुआ है। तथापि इन्नौर पत्तन के प्रवर्तन का संचालन डॉक सुरक्षा निरीक्षणालय, चैन्नई से किया जा रहा है।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)  
Explanatory Notes (Part-II)

**Tables 4.3 & 4.4** : A 'reportable' accident according to Regulation 91 of the Dock Workers' (Safety, Health & Welfare) Regulation, 1990 framed under the Dock Workers (Safety, Health & Welfare) Act, 1986, is one which either causes loss of life to a dock worker or disables him from work on which he is employed for more than 48 hours following the accident and for which notice is to be given to the inspector in a prescribed form by the employers of the dock workers.

These Acts and the Regulations apply to all major ports of India i.e. Mumbai, Kolkata, Cochin, Jawaharlal Nehru Port, Kandla, Ennore, Chennai, Mormugao, New Mangalore, Paradip, Tuticorin and Vishakapatanam and are administered by the Directorate General Factory Advice Service & Labour Institutes, Ministry of Labour and Employment, Government of India through the Inspectorates Dock Safety set up at the eleven major ports. The Director General DGFASLI is also the Chief Inspector of Dock Safety.

The Inspectorate at Ennore is yet to be set up. However, the enforcement at Ennore port is administered by Inspectorates Dock Safety, Chennai.

5. सामाजिक सुरक्षा

**5. Social Security**

**सारणी 5.1:** कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 शक्ति से चलने वाले उन गैर-मौसमी कारखानों, जिन में 10 या अधिक कर्मचारी और शक्ति से न चलने वाले उन कारखानों जिनमें 20 या अधिक कर्मचारी नियुक्त है, में लागू होता है।

**व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)**  
**Explanatory Notes (Part-II)**

अधिनियम में एक योग्य व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत 'उपयुक्त सरकार' अधिनियम की व्यवस्था अन्य श्रेणियों की संस्थापनाओं-औद्योगिक, व्यापारिक, कृषिय एवं अन्य हेतु भी विस्तृत कर सकती है। इन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत बहुत सी राज्य सरकारों ने इस अधिनियम की व्यवस्थाओं को संस्थापनाओं की नई श्रेणियों, दुकानों, होटलों, रेस्तराओं, सिनेमा तथा थिएटरों, सड़क मोटर परिवहन उद्यमों और समाचार पत्र संस्थापनाओं, जिनमें 10 नियोजित अथवा अधिक कर्मकार हैं, में लागू किया गया है।

ई० एस० आई० स्कीम को शैक्षणिक संस्थाओं में भी लागू किया गया है एवं कुछ राज्यों द्वारा इससे संबंधित विज्ञप्तियां भी जारी की हैं। उन कारखानों/संस्थापनाओं के कर्मकार जिनकी मजदूरी 15,000 रु प्रतिमाह (01-05-2010 से प्रभावी) से अधिक नहीं हैं, उन्हें इस अधिनियम के अन्तर्गत शामिल किया गया है। तथापि मजदूरी की सीमा को 15000/- से 21000/- दिनांक 01-01-2017 से लागू कर दी गई है।

**Table 5.1:** The Employees' State Insurance Act, 1948 applies to non-seasonal power using factories employing 10 or more persons and non-power using factories employing 20 or more coverable employees for wages.

The Act contains an enabling provision under which the 'appropriate government' is empowered to extend the provisions of the Act to other classes of establishments – industrial, commercial, agricultural or otherwise. Under these provisions most of the State Govts. have extended the provisions of the Act to new classes of establishments namely shops, hotels, restaurants, cinemas including preview theatres, road motor transport undertakings and newspaper establishments employing 10 or more coverable employees.

**व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)**  
**Explanatory Notes (Part-II)**

The ESI Scheme has also been extended to Educational institutions and some of the States have already issued the notification in this regard. The employees of these factories/ establishments whose wages do not exceed Rs. 15,000 per month (w.e.f. 01-05-2010) are covered under the Act. Further the proposal for increasing the wage ceiling from Rs 15000/- to Rs 21000/- has been implemented w.e.f. 01-01-2017

**सारणी 5.2 :** कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दुनिया का एक सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा प्रदाता है और कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 को प्रशासित करता है। यह अधिनियम 20 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले परिभाषित वर्ग के उद्योगों पर लागू होता है। इंडीएफओ द्वारा तीन योजनायें कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन और कर्मचारी जमा से जुड़ी बीमा चलाई जा रही हैं। इस के अर्न्तगत आने वाले प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों को 15,000 रुपये प्रति माह (01-09-2014 से ) तक मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं के लिये कानून के तहत दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक हैं। भविष्य निधि परिभाषित योगदान योजना पर आधारित है जहां कर्मचारी एवं नियोक्ता दोनों अनिवार्य रूप से अपने अंश योगदान करते हैं।

परिभाषित योगदान और परिभाषित लाभ का एक मिश्रण पेंशन योजना बनाता है। कर्मचारियों को इस योजना के लिए योगदान करने की जरूरत नहीं है। बीमा योजना एक जमा से जुड़ी योजना है जो कि कर्मचारियों से किसी भी योगदान के बिना 6,00,000 रुपये (24-05-2016 से ) तक का लाभ प्रदान करता है।



**व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)**  
Explanatory Notes (Part-II)

**Table 5.2 :** The Employee's Provident Fund Organisation is one of the world's largest social security providers and administers the Employee's Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1952. The Act applies to defined class of industries employing 20 or more employees. Three schemes run by EPFO are Employees' Provident Fund Scheme, Employees Pension, and Employee Deposit linked insurance. The covered establishments are required to statutorily comply in respect of all their employees drawing wages up to Rs 15,000 per month (w.e.f. 01-09-2014). Provident fund is based on defined contribution scheme where both the employees and the employer contribute their mandate share.

A mix of defined contribution and defined benefit forms the pension scheme. The employees do not have to contribute to this scheme. Insurance scheme is a deposit linked scheme that provides for benefits up to Rs 6,00,000/- w.e.f. 24-05-2016 without any contribution from employees.

**सारणी 5.3 से 5.7 :** अभ्रक, लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, चूनापत्थर और डोलोमाइट खानों, बीड़ी और सिनेमा उद्योगों में नियोजित कर्मकारों के लिए कल्याण सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु श्रम कल्याण निधियां सृजित की गई है। उत्पादन अथवा खपत अथवा खनिजों के निर्यात, रुपक फिल्मों के उत्पादन और निर्मित बीड़ियों पर उपकर की उगाही के द्वारा निधियां सृजित की गई है। 1-4-2016 से खान एवं सिनेमा उद्योगों पर उपस्कर समाप्त कर दिया गया है।

**Tables 5.3 to 5.7 :** Labour Welfare funds are created to provide welfare facilities to the workers employed in Mica, Iron Ore, Manganese Ore, Chrome Ore, Limestone and Dolomite mines, Beedi and Cine Industry.

The funds have been created by levy of cess on production or consumption or export of the minerals, production of feature films and manufactured beedis. Since 01-04-2016, cess on the mines and cine industry were abolished.

**व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)**  
**Explanatory Notes (Part-II)**

**सारणी 5.8 :** कोयला खानों या उनसे संबद्ध कार्य में प्रत्यक्ष रूप में या ठेकेदारों द्वारा नियोजित प्रत्येक कर्मचारी के लिए चाहे उसकी मजदूरी की प्रमात्रा कुछ भी हो, कोयला खान भविष्य निधि का सदस्य बनाना आवश्यक है, यदि उसने कोयला खान में नियोजित होने की तारीख से 30 दिन की उपस्थिति पूरी कर ली हो। अनिवार्य अंशदान की दर कुल परिलब्धियों का 12 प्रतिशत है। कर्मचारियों के अनिवार्य अंशदान की कुल राशि के बराबर अंशदान देना नियोजकों के लिए भी आवश्यक है। यदि सदस्य चाहें तो वे अनिवार्य अंशदान के अतिरिक्त स्वैच्छिक अंशदान के रूप में अधिकतम 12 प्रतिशत का और अधिक अंशदान कर सकते हैं।

कोयला खान पारिवारिक पेंशन स्कीम 1971 का परिचालन बन्द हो गया है और इसकी जगह नई कोयला खान पेंशन स्कीम 1998 को 31 मार्च, 1998 से लागू कर दिया गया है।

**Table 5.8 :** Every employee in or connection with Coal Mines, whether employed directly or through contractors, is required to become a member of the Coal Mines Provident Fund Scheme on putting 30 days regular attendance from the date he is employed in a Coal Mine irrespective of the quantum of his wages. The rate of compulsory contribution is 12% of the total emoluments. Employers are required to contribute an amount equal to the compulsory contribution of the employees. Members, if so desire, may make further contributions maximum of 12% as voluntary contribution in addition to the compulsory contributions.

The Coal Mines Family Pension Scheme, 1971 has ceased to operate and has been replaced by the new Coal Mines Pension Scheme, 1998 which has come into force with effect from the 31<sup>st</sup> day of March, 1998.

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008) (3 अंक स्तर तक)  
National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level)

| सारणीय वर्गीकरण एवं<br>श्रेणी                                   | वर्गीकरण<br>Classification   |
|---|--|
| Tabulation Category<br>and Division                             |  |
| 1   | 2  |
| <b>क A कृषि, वन विद्या तथा मछली पकड़ना</b>                      | <b>Agriculture, forestry and fishing</b>                           |
| 01 फसल तथा पशु उत्पादन, आखेट तथा संबंधित सेवा क्रियाकलाप        | Crop and animal production, hunting and related service activities |
| 011 गैर बारहमासी फसलों की पैदावार                               | Growing of non-perennial crops                                     |
| 012 बारहमासी फसलों की पैदावार                                   | Growing of perennial crops   |
| 013 पौध प्रवर्धन  | Plant propagation  |
| 014 पशु उत्पादन   | Animal Production  |
| 015 मिश्रित खेती  | Mixed farming  |
| 016 कृषि तथा फसल कटाई के बाद के कार्यकलापों की सहायक गतिविधियाँ | Support activities to agriculture and post-harvest crop activities |
| 017 आखेट, ट्रैपिंग संबंधित गतिविधियाँ                           | Hunting, trapping and related service activities                   |
| 02 वन विद्या तथा लॉगिंग   | Forestry and logging   |
| 021 सिलवीकलचर और अन्य वानिकी गतिविधियाँ                         | Silviculture and other forest activities                           |
| 022 लकड़ी काटना   | Logging  |
| 023 गैर लकड़ी वन उत्पादों को इकट्ठा करना                        | Gathering of non-wood forest products                              |
| 024 वानिकी के लिए सहायक सेवाएँ                                  | Support services to forestry                                       |
| 03 मछली पकड़ना तथा जल संवर्धन                                   | Fishing and Aquaculture  |
| 031 मछली पकड़ना   | Fishing  |
| 032 जलकृषि  | Aquaculture  |
| <b>ख B खनन तथा उत्खनन</b>                                       | <b>Mining and quarrying</b>  |
| 05 कोयला तथा लिग्नाइट खनन                                       | Mining of coal and lignite   |

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008) (3 अंक स्तर तक)  
National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level)

| 1          | 2   |   |
|------------|---|---|
| 051        | पत्थर के कोयले का खनन                                       | Mining of Hard coal   |
| 052        | लिग्नाइट खनन  | Mining of lignite   |
| 06         | कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस निकालना                           | Extraction of crude petroleum and natural gas               |
| 061        | कच्चे तेल का अवतरण  | Extraction of crude petroleum                               |
| 062        | प्राकृतिक गैस का अवतरण                                      | Extraction of natural gas                                   |
| 07         | धातु अयस्कों का खनन   | Mining of metal ores  |
| 071        | लौह अयस्कों का खनन  | Mining of iron ores   |
| 072        | गैर लौह धातु अयस्कों का खनन                                 | Mining of non-ferrous metal ores                            |
| 08         | अन्य खनन एवं उत्खनन   | Other mining and quarrying                                  |
| 081        | पत्थर, रेत और मिट्टी का उत्खनन                              | Quarrying of stone, sand and clay                           |
| 089        | खनन एवं उत्खनन क०औ०व०न०                                     | Mining and quarrying n.e.c.                                 |
| 09         | खनन सहायक सेवा क्रियाकलाप                                   | Mining support service activities                           |
| 091        | पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के खनन के लिए सहायक गतिविधियाँ | Support activities for petroleum and natural gas mining     |
| 099        | अन्य खनन एवं उत्खनन के लिए सहायक गतिविधियाँ                 | Support activities for other mining and quarrying           |
| <b>ग C</b> | <b>विनिर्माण</b>  | <b>Manufacturing</b>  |
| 10         | खाद्य उत्पाद विनिर्माण                                      | Manufacture of food products                                |
| 101        | मांस का परिरक्षण एवं संसाधन                                 | Processing and preserving of meat                           |
| 102        | मछली, कसटेशियनस व मौलस्क का परिरक्षण एवं संसाधन             | Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs |
| 103        | फल एवं सब्जियों का संसाधन एवं परिरक्षण                      | Processing and preserving of fruit and vegetables           |
| 104        | वसा तथा सब्जियों व पशु तेल का विनिर्माण                     | Manufacture of vegetable and animal oils and fats           |

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008) ( 3 अंक स्तर तक)  
National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level)

| 1   | 2   |
|-----|---|
| 105 | दुग्ध उत्पादों का विनिर्माण<br>Manufacture of dairy products  |
| 106 | अनाज स्टार्च एवं स्टार्च संबंधी विनिर्माण<br>Manufacture of grain mill products, starches and starch products |
| 107 | अन्य खाद्य पदार्थ विनिर्माण<br>Manufacture of other food products   |
| 108 | तैयार पशु आहार का विनिर्माण<br>Manufacture of prepared animal feeds   |
| 11  | पेय पदार्थ विनिर्माण<br>Manufacture of beverages  |
| 110 | पेय पदार्थ उत्पादन<br>Manufacture of beverages  |
| 12  | तम्बाकू उत्पाद विनिर्माण<br>Manufacture of tobacco products   |
| 120 | तम्बाकू उत्पादों का उत्पादन<br>Manufacture of tobacco products  |
| 13  | वस्त्र विनिर्माण<br>Manufacture of textiles   |
| 131 | बुनाई कताई एवं कपड़ा तैयार करना<br>Spinning, weaving and finishing of textiles                                |
| 139 | अन्य कपड़ा विनिर्माण<br>Manufacture of other textiles   |
| 14  | परिधान विनिर्माण<br>Manufacture of wearing apparel  |
| 141 | फर परिधान छोड़कर अन्य परिधान विनिर्माण<br>Manufacture of wearing apparel, except fur apparel                  |
| 142 | फर से बने उत्पादों का विनिर्माण<br>Manufacture of articles of fur   |
| 143 | बुनाई व क्रोशिए से बने परिधानों का विनिर्माण<br>Manufacture of knitted and crocheted apparel                  |
| 15  | चमड़ा तथा संबंधित उत्पाद विनिर्माण<br>Manufacture of leather and related products                             |

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008) ( 3 अंक स्तर तक)  
National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level)

| 1   | 2   |  |
|-----|---|--|
| 151 | चमड़ा टैनिंग तथा ड्रेसिंग व चमड़ा परिधान, हैंडबैग जीनसाजी तथा साज आदि का विनिर्माण                          | Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddlery and harness; dressing and dyeing of fur          |
| 152 | जूतों का विनिर्माण  | Manufacture of footwear  |
| 16  | फर्नीचर को छोड़कर लकड़ी तथा कार्क उत्पादों का विनिर्माण स्ट्रॉ की वस्तुओं तथा प्लेटिंग सामग्री का विनिर्माण | Manufacture of wood and products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials |
| 161 | आरा मिल व लकड़ी को रंदा मारना   | Saw milling and planning of wood   |
| 162 | लकड़ी के उत्पाद कार्क, स्ट्रॉ और पट्टिका सामग्री का विनिर्माण   | Manufacture of products of wood, cork, straw and plaiting materials  |
| 17  | कागज तथा कागज उत्पाद विनिर्माण  | Manufacture of paper and paper products  |
| 170 | कागज तथा कागज से बने विनिर्माण  | Manufacture of paper and paper products  |
| 18  | अभिलिखित मीडिया मुद्रण एवं पुनरुत्पादन  | Printing and reproduction of recorded media  |
| 181 | छपाई तथा छपाई संबंधित अन्य गतिविधियां   | Printing and service activities related to printing  |
| 182 | रिकार्डिड मीडिया का पुनः विनिर्माण  | Reproduction of recorded media   |
| 19  | कोक तथा परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद विनिर्माण  | Manufacture of coke and refined petroleum products   |
| 191 | कोके ओवन उत्पादों का विनिर्माण  | Manufacture of coke oven products  |

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008) (3 अंक स्तर तक)  
National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level)

| 1   | 2  |   |
|-----|--|---|
| 192 | परिष्कृत पेट्रोलियम विनिर्माण  | Manufacture of refined petroleum products   |
| 20  | रसायन तथा रसायनिक उत्पाद विनिर्माण   | Manufacture of chemicals and chemical products  |
| 201 | मूल रासायन उत्पादन, उर्वरक एवं नाइट्रोजन मिश्रण, प्लास्टिक तथा रासायनिक रबर का मूल रूप में विनिर्माण | Manufacture of basic chemicals, fertilizer and nitrogen compounds, plastics and synthetic rubber in primary forms |
| 202 | अन्य रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण  | Manufacture of other chemical products  |
| 203 | मानव निर्मित रेशों का विनिर्माण  | Manufacture of man-made fibres  |
| 21  | औषध, औषधीय रसायन तथा वनस्पतिक उत्पाद विनिर्माण   | Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products   |
| 210 | औषध, औषधीय रसायन तथा वनस्पतिक उत्पाद विनिर्माण   | Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products   |
| 22  | रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद विनिर्माण  | Manufacture of rubber and plastics products   |
| 221 | रबड़ निर्मित वस्तुओं का विनिर्माण  | Manufacture of rubber products  |
| 222 | प्लास्टिक निर्मित वस्तुओं का विनिर्माण   | Manufacture of plastics products  |
| 23  | अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद विनिर्माण  | Manufacture of other non-metallic mineral products  |
| 231 | शीशा एवं शीशा निर्मित वस्तुओं का विनिर्माण   | Manufacture of glass and glass products   |
| 239 | अन्य गैर धातु खनिजों का उत्पादन क०औ०व०न०   | Manufacture of non-metallic mineral products n.e.c.   |
| 24  | मूल धातु विनिर्माण   | Manufacture of basic metals   |

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008) ( 3 अंक स्तर तक)  
National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level)

| 1   | 2  |   |
|-----|--|---|
| 241 | मूल लोहा एवं स्टील का विनिर्माण  | Manufacture of basic iron and steel   |
| 242 | मूल बहुमूल्य तथा गैर लौह धातुओं का विनिर्माण                                     | Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals                              |
| 243 | धातुओं की ढलाई   | Casting of metals   |
| 25  | मशीनरी तथा उपकरणों को छोड़कर फैब्रिकेटेड धातु उत्पाद विनिर्माण                   | Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment                |
| 251 | ढांचागत धातु उत्पाद, टैंक, हौज तथा भाप जेनरेटर का विनिर्माण                      | Manufacture of structural metal products, tanks, reservoirs and steam generators        |
| 252 | हथियार एवं गोला बारुद का विनिर्माण   | Manufacture of weapons and ammunition   |
| 259 | अन्य फैब्रिकेटेड धातु विनिर्माण तथा संबंधित सेवा गतिविधियां                      | Manufacture of other fabricated metal products; metalworking service activities         |
| 26  | कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक तथा ऑप्टिकल उत्पाद विनिर्माण                              | Manufacture of computer, electronic and optical products                                |
| 261 | इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों का विनिर्माण  | Manufacture of electronic components  |
| 262 | कम्प्यूटर एवं संबंधित यंत्रों का विनिर्माण                                       | Manufacture of computers and peripheral equipment                                       |
| 263 | दूरसंचार यंत्रों का उत्पादन  | Manufacture of communication equipment  |
| 264 | उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक का उत्पादन   | Manufacture of consumer electronics   |
| 265 | घड़ियां तथा दीवार घड़ियां, माप, परिक्षण, संचालन एवं नियन्त्रण उपकरण का विनिर्माण | Manufacture of measuring, testing, navigating and control equipment; watches and clocks |



राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008) (3 अंक स्तर तक)  
National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level)

| 1   | 2  |   |
|-----|--|---|
| 266 | प्रदीप्त, विद्युत औषधिय तथा विद्युत आरोग्यकर यंत्रों का विनिर्माण                        | Manufacture of irradiation, electro medical and electrotherapeutic equipment                                |
| 267 | दृष्टि यंत्रों एवं उपकरण का विनिर्माण  | Manufacture of optical instruments and equipment  |
| 268 | चुम्बकीय एवं दृष्टि संबंधी मिडिया का विनिर्माण   | Manufacture of magnetic and optical media   |
| 27  | विद्युत उपकरण विनिर्माण  | Manufacture of electrical equipment   |
| 271 | बिजली की मोटरें, जनरेटरों तथा ट्रांसफार्मरों बिजली वितरण व नियंत्रण यंत्रों का विनिर्माण | Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus |
| 272 | बैटरी सैल तथा संचायक का विनिर्माण  | Manufacture of batteries and accumulators   |
| 273 | विजली के तार तथा तार यन्त्र का विनिर्माण   | Manufacture of wiring and wiring devices  |
| 274 | विद्युत रोशनी संबंधित यंत्रों का विनिर्माण   | Manufacture of electric lighting equipment  |
| 275 | घरेलू यंत्र विनिर्माण  | Manufacture of domestic appliances  |
| 279 | अन्य विद्युत उपकरणों का विनिर्माण  | Manufacture of other electrical equipment   |
| 28  | मशीनरी तथा उपकरण विनिर्माण क०औ०व०न०  | Manufacture of machinery and equipment n.e.c.   |
| 281 | सामान्य प्रयोजन मशीनरी का विनिर्माण  | Manufacture of general purpose machinery  |
| 282 | विशेष प्रयोजन मशीनरी का विनिर्माण  | Manufacture of special-purpose machinery  |

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008) ( 3 अंक स्तर तक)  
National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level)

| 1   | 2  |   |
|-----|--|---|
| 29  | मोटर वाहन, ट्रेलर तथा सैमी ट्रेलर विनिर्माण                                      | Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers                                       |
| 291 | मोटर वाहन विनिर्माण  | Manufacture of motor vehicles   |
| 292 | मोटर वाहनों की बाडी ;कोच कार्यद्ध का विनिर्माण ट्रेलर व सैमी ट्रेलर का विनिर्माण | Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles; manufacture of trailers and semi-trailers |
| 293 | मोटर वाहनों के कलपुर्जों का विनिर्माण  | Manufacture of parts and accessories for motor vehicles   |
| 30  | अन्य परिवहन उपकरण विनिर्माण  | Manufacture of other transport equipment  |
| 301 | समुद्री जहाजों व नावों का विनिर्माण  | Building of ships and boats   |
| 302 | रेलवे लोकोमोटिव एवं रोलिंग स्टॉक विनिर्माण                                       | Manufacture of railway locomotives and rolling stock  |
| 303 | हवाई जहाज व अंतरिक्ष यानों का एवं संबंधित मशीनरी का विनिर्माण                    | Manufacture of air and spacecraft and related machinery   |
| 304 | हथियार और गोलाबारूद का विनिर्माण   | Manufacture of weapons and ammunition   |
| 309 | यातायात संबंधी उपकरणों का विनिर्माण क०औ०व०न०                                     | Manufacture of transport equipment n.e.c.   |
| 31  | फर्नीचर विनिर्माण  | Manufacture of furniture  |
| 310 | फर्नीचर विनिर्माण  | Manufacture of furniture  |
| 32  | अन्य विनिर्माण   | Other manufacturing   |
| 321 | आभूषण, बिज्यूटरी तथा संबंधित वस्तुओं का विनिर्माण                                | Manufacture of jewellery, bijouterie and related articles                                       |
| 322 | वाद्ययंत्रों का विनिर्माण  | Manufacture of musical instruments  |
| 323 | खेलकूद संबंधी सामान का विनिर्माण   | Manufacture of sports goods   |

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008) ( 3 अंक स्तर तक)  
National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level)

| 1          | 2  |  |
|------------|--|--|
| 324        | खिलौना एवं खेलों का विनिर्माण  | Manufacture of games and toys  |
| 325        | आयुर्विज्ञान एवं दन्त चिकित्सा औजारों का विनिर्माण एवं आपूर्ति       | Manufacture of medical and dental instruments and supplies                 |
| 329        | अन्य विनिर्माण क०औ०व०न०  | Other manufacturing n.e.c.   |
| 33         | मशीनरी तथा उपकरणों की मरम्मत तथा स्थापना                             | Repair and installation of machinery and equipment                         |
| 331        | फैब्रिकेटेड धातु उत्पादों, मशीनरी तथा उपकरण की मरम्मत                | Repair of fabricated metal products, machinery and equipment               |
| 332        | औद्योगिक मशीनरी एवं उपकरणों की स्थापना                               | Installation of industrial machinery and equipment                         |
| <b>घ D</b> | <b>विद्युत, गैस, भाप तथा वातानुकूलन आपूर्ति</b>                      | <b>Electricity, gas, steam and air conditioning supply</b>                 |
| 35         | विद्युत, गैस, भाप तथा वातानुकूलन आपूर्ति                             | Electricity, gas, steam and air conditioning supply                        |
| 351        | विद्युत शक्ति उत्पादन, संचारण तथा वितरण                              | Electric power generation, transmission and distribution                   |
| 352        | घरेलू फार्म द्वारा गैस निर्माण, गैसीय ईंधन का वितरण                  | Manufacture of gas; distribution of gaseous fuels through mains            |
| 353        | भाप तथा वातानुकूलन आपूर्ति   | Steam and air conditioning supply  |
| <b>ङ E</b> | <b>जल आपूर्ति मल जल निकासी, अपशिष्ट प्रबन्धन तथा उपाय गतिविधियां</b> | <b>Water supply; sewerage, waste management and remediation activities</b> |
| 36         | जल संग्रहण, अभिक्रिया तथा आपूर्ति                                    | Water collection, treatment and supply                                     |
| 360        | जल संग्रहण, उचपार तथा वितरण  | Water collection, treatment and supply                                     |
| 37         | मल निकासी  | Sewerage   |

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008) ( 3 अंक स्तर तक)  
National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level)

| 1          | 2   |
|------------|---|
| 370        | मल निकासी<br>Sewerage   |
| 38         | अपशिष्ट संग्रहण, अभिक्रिया तथा निपटान कार्य ; सामग्री की पुनः प्राप्ति<br>Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery |
| 381        | अपशिष्ट संग्रह<br>Waste collection  |
| 382        | अपशिष्ट उपचार और निपटान<br>Waste treatment and disposal   |
| 383        | सामग्री वसूली<br>Materials recovery   |
| 39         | उपाय गतिविधियां तथा अन्य अपशिष्ट प्रबन्धन सेवाएं<br>Remediation activities and other waste management services                                    |
| 390        | उपचार गतिविधियां तथा अन्य अपशिष्ट प्रबंधन सेवायें<br>Remediation activities and other waste management services                                   |
| <b>च F</b> | <b>निर्माण</b><br><b>Construction</b>   |
| 41         | भवन निर्माण<br>Construction of buildings  |
| 410        | भवनों का निर्माण<br>Construction of buildings   |
| 42         | सिविल इंजीनियरिंग<br>Civil engineering  |
| 421        | रेलवे एवं सड़कों का निर्माण<br>Construction of roads and railways   |
| 422        | उपयोगी परियोजनाओं का निर्माण<br>Construction of utility projects  |
| 429        | अन्य सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं का विनिर्माण<br>Construction of other civil engineering projects  |
| 43         | विशेषीकृत निर्माण गतिविधियां<br>Specialized construction activities   |
| 431        | विध्वंस और सार्ट की तैयारी<br>Demolition and site preparation   |
| 432        | बिजली पाइपलाइन और अन्य निर्माण स्थापना गतिविधियां<br>Electrical, plumbing and other construction installation activities                          |
| 433        | भवनों को पुरा करना एवं परिष्करण करना<br>Building completion and finishing   |

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008) ( 3 अंक स्तर तक)  
National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level)

| 1          | 2  |
|------------|--|
| 439        | अन्य विशेषीकृत निर्माण गतिविधियां<br>Other specialized construction activities   |
| <b>छ G</b> | <b>थोक तथा खुदरा व्यापार मोटर वाहनों तथा मोटर साइकिलों की मरम्मत</b><br><b>Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles</b>                  |
| 45         | थोक तथा खुदरा व्यापार एवं मोटर वाहनों तथा मोटर साइकिलों की मरम्मत<br>Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles                         |
| 451        | मोटर वाहनों की बिक्री<br>Sale of motor vehicles  |
| 452        | मोटर वाहनों का रखरखाव एवं मरम्मत<br>Maintenance and repair of motor vehicles   |
| 453        | मोटर वाहन कल पुर्जे एवं अतिरिक्त सामान की बिक्री<br>Sale of motor vehicle parts and accessories  |
| 454        | मोटर साइकिल एवं संबंधित कल पुर्जे तथा अतिरिक्त सामानों की मरम्मत, रख रखाव एवं बिक्री<br>Sale maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories |
| 46         | मोटर वाहनों तथा मोटर साइकिलों को छोड़कर थोक व्यापार<br>Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles   |
| 461        | अनुबंध या शुल्क के आधार पर थोक बिक्री<br>Wholesale on a fee or contract basis  |
| 462        | कृषिगत कच्चेमाल एवं जीवित पशुओं की थोक बिक्री<br>Wholesale of agricultural raw material and live animals   |
| 463        | खाद्य पेय एवं तम्बाकू की थोक बिक्री<br>Wholesale of food, beverages and tobacco  |
| 464        | घरेलु सामान की थोक बिक्री<br>Wholesale of household goods  |
| 465        | मशीनरी , उपकरण और आपूर्ति की थोक बिक्री<br>Wholesale of machinery, equipment and supplies  |
| 466        | अन्य विशेषीकृत थोक बिक्री<br>Other specialized wholesale   |

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008) ( 3 अंक स्तर तक)  
National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level)

| 1          | 2   |   |
|------------|---|---|
| 469        | गैर विशेषीकृत थोक व्यापार   | Non specialized wholesale trade   |
| 47         | मोटरवाहनों तथा मोटर साइकिलों को छोड़कर खुदरा व्यापार                  | Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles                        |
| 471        | गैर विशेषीकृत दुकानों में खुदरा बिक्री                                | Retail sale in non specialized stores   |
| 472        | विशेषीकृत दुकानों में खाद्य, पेय एवं तम्बाकू की बिक्री                | Retail sale of food, beverages and tobacco in specialized stores              |
| 473        | विशेषीकृत दुकानों में मोटर वाहन ईंधन की खुदरा बिक्री                  | Retail sale of automotive fuel in specialized stores                          |
| 474        | विशेषीकृत दुकानों में सूचना एवं संचार उपकरणों की खुदरा बिक्री         | Retail sale of information and communication equipments in specialized stores |
| 475        | विशेषीकृत दुकानों में अन्य पारिवारिक उपकरणों की खुदरा बिक्री          | Retail sale of other household equipment in specialized stores                |
| 476        | विशेषीकृत दुकानों में सांस्कृतिक एवं मनोरंजन के सामान की खुदरा बिक्री | Retail sale of cultural and recreation goods in specialized stores            |
| 477        | विशेषीकृत दुकानों में अन्य सामान की खुदरा बिक्री                      | Retail sale of other goods in specialized stores                              |
| 478        | स्टालों एवं बाजार के माध्यम से खुदरा बिक्री                           | Retail sale via stalls and markets  |
| 479        | भण्डारों, स्टालों अथवा बाजारों में न किया गया खुदरा व्यापार           | Retail trade not in stores, stalls or markets                                 |
| <b>ज H</b> | <b>यातायात तथा भंडारण</b>   | <b>Transportation and storage</b>   |
| 49         | थल परिवहन तथा नल तन्त्र परिवहन  | Land transport and transport via pipelines                                    |
| 491        | रेल के माध्यम से परिवहन   | Transport via railways  |
| 492        | अन्य भूमि परिवहन  | Other land transport  |

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008) (3 अंक स्तर तक)  
National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level)

| 1          | 2  |
|------------|--|
| 493        | नल तंत्र परिवहन<br>Transport via pipeline  |
| 50         | जल परिवहन<br>Water transport   |
| 501        | समुद्र और तटीय जल परिवहन<br>Sea and coastal water transport  |
| 502        | अन्तर्देशीय जल परिवहन<br>Inland water transport  |
| 51         | वायु परिवहन<br>Air transport   |
| 511        | यात्री हवाई परिवहन<br>Passenger air transport  |
| 512        | भाडा हवाई परिवहन<br>Freight air transport  |
| 52         | परिवहन हेतु गोदाम तथा सहायक गतिविधियां<br>Warehousing and support activities for transportation                      |
| 521        | माल भंडारण एवं संग्रहण<br>Warehousing and storage  |
| 522        | यातायात सहायक गतिविधियां<br>Support activities for transportation  |
| 53         | डाक तथा कोरियर क्रियाकलाप<br>Postal and courier activities   |
| 531        | डाक गतिविधियां<br>Postal activities  |
| 532        | कोरियर गतिविधियां<br>Courier activities  |
| <b>झ 1</b> | <b>आवास तथा खाद्य सेवा गतिविधियां<br/>Accommodation and Food service activities</b>                                  |
| 55         | आवास<br>Accommodation  |
| 551        | अल्पकालिक आवास गतिविधियां<br>Short term accommodation activities   |
| 552        | कैम्पिंग मैदान, मनोरंजन वाहक पार्क एवं ट्रेलर पार्क<br>Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks |
| 559        | अन्य आवास<br>Other accommodation   |
| 56         | खाद्य तथा पेय पदार्थ सेवा गतिविधियां<br>Food and beverage service activities   |
| 561        | रेस्तरां और मोबाईल भोजन सेवा गतिविधियां<br>Restaurants and mobile food service activities                            |

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008) (3 अंक स्तर तक)  
National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level)

| 1          | 2   |  |
|------------|---|--|
| 562        | इवेंट खानपान एवं अन्य खाद्य सेवा गतिविधियां   | Event catering and other food service activities   |
| 563        | पेय सेवा गतिविधियां   | Beverage serving activities  |
| <b>ज J</b> | <b>सूचना तथा संचार</b>  | <b>Information and communication</b>   |
| 58         | प्रकाशन गतिविधियां  | Publishing activities  |
| 581        | पुस्तकों पत्रिकाओं के प्रकाशन एवं अन्य प्रकाशन गतिविधियां                                     | Publishing of books, periodicals and other publishing activities   |
| 582        | सॉफ्टवेयर प्रकाशन   | Software publishing  |
| 59         | चलचित्र, दृश्य तथा टेलीविज़न कार्यक्रम उत्पादन, आवाज़ रिकार्डिंग तथा संगीत प्रकाशन गतिविधियां | Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities |
| 591        | चलचित्र, विडियो एवं टीवी कार्यक्रम गतिविधियां   | Motion picture, video and television programme activities  |
| 592        | ध्वनि रिकार्डिंग और संगीत प्रकाशन गतिविधियां  | Sound recording and music publishing activities  |
| 60         | प्रोग्रामिंग तथा प्रसार क्रियाकलाप  | Programming and Broadcasting activities  |
| 601        | आकाशवाणी प्रसारण  | Radio broadcasting   |
| 602        | टीवी प्रोग्राम एवं प्रसारण गतिविधियां   | Television programming and broadcasting activities   |
| 61         | दूरसंचार  | Telecommunications   |
| 611        | तारयुक्त दूरसंचार गतिविधियां  | Wired telecommunications activities  |
| 612        | बेतार दूरसंचार गतिविधियां   | Wireless telecommunications activities   |
| 613        | उपग्रह दूरसंचार गतिविधियां  | Satellite telecommunication activities   |



राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008) (3 अंक स्तर तक)  
National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level)

| 1          | 2   |
|------------|---|
| 619        | अन्य दूरसंचार गतिविधियां<br>Other telecommunications activities   |
| 62         | कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सलाहकारी और संबंधित गतिविधियां<br>Computer programming, consultancy and related activities                                   |
| 620        | कम्प्युटर प्रोग्रामिंग, सलाह-कारी और संबंधित गतिविधियां<br>Computer programming, consultancy and related activities                                 |
| 63         | सूचना सेवा गतिविधियां<br>Information service activities   |
| 631        | आंकड़े प्रक्रिया, होस्टिंग एवं संबंधित गतिविधियां, वेब पोर्टल<br>Data processing, hosting and related activities; web portals                       |
| 639        | अन्य सूचना सेवा गतिविधियां<br>Other information service activities  |
| <b>ट K</b> | <b>वित्तीय तथा बीमा गतिविधियां</b><br><b>Financial and insurance activities</b>   |
| 64         | बीमा तथा पेंशन निधिकरण को छोड़कर वित्तीय तथा सेवा गतिविधियां<br>Financial service activities, except insurance and pension funding                  |
| 641        | मौद्रिक मध्यस्थता<br>Monetary intermediation  |
| 642        | होल्डिंग कम्पनी की गतिविधियां<br>Activities of holding companies  |
| 643        | ट्रस्ट फंड और अन्य वित्तीय वाहन<br>Trusts, funds and other financial vehicles   |
| 649        | बीमा एवं पेंशन फंड के अतिरिक्त अन्य वित्तीय सेवा गतिविधियां<br>Other financial service activities, except insurance and pension funding activities  |
| 65         | आवश्यक सामाजिक सुरक्षा को छोड़कर बीमा, पुनः बीमा तथा पेंशन निधिकरण<br>Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security |
| 651        | बीमा<br>Insurance   |
| 652        | पुनः बीमा<br>Reinsurance  |
| 653        | पेंशन वित्त पोषण<br>Pension funding   |

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008) ( 3 अंक स्तर तक)  
National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level)

| 1          | 2   |
|------------|---|
| 66         | अन्य वित्तीय क्रियाकलाप<br>Other financial activities   |
| 661        | बीमा एवं पेन्शन के वित्तपोषण के अतिरिक्त वित्तीय सेवा की सहायक गतिविधियां<br>Activities auxiliary to financial service activities, except insurance and pension funding |
| 662        | बीमा एवं पेन्शन के वित्त पोषण लिये सहायक गतिविधियां<br>Activities auxiliary to insurance and pension funding  |
| 663        | कोष प्रबंध कार्यकलाप<br>Fund Management Activities  |
| <b>उ L</b> | <b>स्थावर सम्पदा गतिविधियां</b><br><b>Real estate activities</b>  |
| 68         | स्थावर सम्पदा गतिविधियां<br>Real estate activities  |
| 681        | स्वयं की या पट्टे पर संपत्ति के साथ अचल/वास्तविक संपत्ति की गतिविधियां<br>Real estate activities with own or leased property  |
| 682        | शुल्क या अनुबन्ध के आधार पर स्थावर संपदा गतिविधियां<br>Real estate activities on a fee or contract basis  |
| <b>इ M</b> | <b>व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी गतिविधियां</b><br><b>Professional, scientific and technical activities</b>  |
| 69         | कानूनी तथा लेखा गतिविधियां<br>Legal and accounting activities   |
| 691        | कानूनी गतिविधियां<br>Legal activities   |
| 692        | लेखा, बहीखाता एवं लेखा परीक्षा गतिविधियां, कर परामर्श<br>Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy   |
| 70         | मुख्यालय के क्रियाकलाप प्रबंधन परामर्श गतिविधियां<br>Activities of head offices; management consultancy activities  |
| 701        | मुख्य कार्यालय की गतिविधियां<br>Activities of head offices  |
| 702        | प्रबंधन परामर्श गतिविधियां<br>Management consultancy activities   |

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008) (3 अंक स्तर तक)  
National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level)

| 1   | 2  |
|-----|--|
| 71  | वास्तुशिल्प तथा अभियंत्रिकी क्रियाकलाप, तकनीकी जांच तथा विश्लेषण<br>Architecture and engineering activities; technical testing and analysis    |
| 711 | वास्तुशिल्प एवं अभियंत्रिक गतिविधियां और संबंधित तकनीकी परामर्श<br>Architectural and engineering activities and related technical consultancy  |
| 712 | तकनीकी जांच एवं विश्लेषण<br>Technical testing and analysis   |
| 72  | वैज्ञानिक अनुसंधान तथा प्रगति<br>Scientific research and development   |
| 721 | प्राकृतिक विज्ञान एवं अभियंत्रिक पर अनुसंधान और प्रयोगात्मक विकास<br>Research and experimental development on natural sciences and engineering |
| 722 | सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी पर अनुसंधान एवं प्रयोगात्मक विकास<br>Research and experimental development on social sciences and humanities       |
| 73  | विज्ञापन तथा बाजार अनुसंधान<br>Advertising and market research   |
| 731 | विज्ञापन<br>Advertising  |
| 732 | बाजार अनुसंधान एवं जनमत मतदान<br>Market research and public opinion polling  |
| 74  | अन्य व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी गतिविधियां<br>Other professional, scientific and technical activities                                    |
| 741 | विशेष डिजाइन गतिविधियां<br>Specialized design activities   |
| 742 | छायाचित्र गतिविधियां<br>Photographic activities  |
| 749 | अन्य व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी गतिविधियां क०औ०व०न०<br>Other professional, scientific and technical activities n.e.c.                    |
| 75  | पशु चिकित्सा गतिविधियां<br>Veterinary activities   |
| 750 | पशु चिकित्सा गतिविधियां<br>Veterinary activities   |

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008) ( 3 अंक स्तर तक)  
National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level)

| 1   | 2   |
|-----|---|
| ड N | प्रशासनिक तथा सहायक सेवा गतिविधियां                               |
| 77  | किराये तथा लीज संबंधी गतिविधियां                                  |
| 771 | मोटर वाहनों को किराये एवं पटटे पर देना                            |
| 772 | निजी व घरेलू वस्तुओं को किराये एवं पटटे पर देना                   |
| 773 | अन्य मशीनरी, उपकरणों एवं मुर्त वस्तुओं को किराये एवं पटटे पर देना |
| 774 | गैर वित्तीय अमूर्त वस्तुओं को पटटे पर देना                        |
| 78  | रोज़गार गतिविधियां  |
| 781 | रोज़गार स्थापन एजेंसियों के क्रियाकलाप                            |
| 782 | अस्थायी रोज़गार एजेंसी के क्रियाकलाप                              |
| 783 | मानव संसाधन प्रावधान और मानव संसाधन कार्यों का प्रबंधन            |
| 79  | पर्यटन एजेंसी, टूर ऑपरेटर तथा अन्य आरक्षण सेवा गतिविधियां         |
| 791 | ट्रैवल एजेंसी और टूर ओपरेटर गतिविधियां                            |
| 799 | अन्य आरक्षण सेवा क्रियाकलाप                                       |
| 80  | सुरक्षा तथा जाँच गतिविधियां                                       |
| 801 | निजी सुरक्षा गतिविधियां   |

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008) (3 अंक स्तर तक)  
National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level)

| 1          | 2  |   |
|------------|--|---|
| 802        | सुरक्षा व्यवस्था सेवा गतिविधियां                                     | Security systems service activities   |
| 803        | जांच गतिविधियां  | Investigation activities  |
| 81         | भवन तथा भूदृश्य क्रियाकलाप सेवाएं                                    | Services to buildings and landscape activities                                  |
| 811        | संयुक्त सुविधा सहायक गतिविधियां                                      | Combined facilities support activities  |
| 812        | सफाई गतिविधियां  | Cleaning activities   |
| 813        | परिदृश्य देखभाल एवं रख रखाव सेवा गतिविधियां                          | Landscape care and maintenance service activities                               |
| 82         | कार्यालय प्रशासनिक, कार्यालय सहायक तथा अन्य व्यापार सहायक क्रियाकलाप | Office administrative, office support and other business support activities     |
| 821        | कार्यालय प्रशासनिक एवं सहायक गतिविधियां                              | Office administrative and support activities                                    |
| 822        | काल सैन्टर गतिविधियां  | Activities of call centres  |
| 823        | सम्मेलन एवं व्यापार प्रदर्शनी संगठन                                  | Organisation of conventions and trade shows                                     |
| 829        | व्यवसाय सहायक सेवा गतिविधियां<br>क० औ० व० न०                         | Business support service activities<br>n.e.c.                                   |
| <b>ण 0</b> | <b>लोक प्रशासन तथा रक्षा आवश्यक सामाजिक सुरक्षा</b>                  | <b>Public administration and defence; compulsory social security</b>            |
| 84         | लोक प्रशासन तथा रक्षा आवश्यक सामाजिक सुरक्षा                         | Public administration and defence; compulsory social security                   |
| 841        | समुदाय की आर्थिक एवं सामाजिक नीति एवं राज्य का प्रशासन               | Administration of the State and the economic and social policy of the community |

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008) (3 अंक स्तर तक)  
National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level)

| 1          | 2  |
|------------|--|
| 842        | पूर्ण रूप में समुदाय की सेवा का प्रावधान<br>Provision of services to the community as a whole  |
| 843        | अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा गतिविधियां<br>Compulsory social security activities   |
| <b>त P</b> | <b>शिक्षा</b><br><b>Education</b>  |
| 85         | शिक्षा<br>Education  |
| 851        | प्राथमिक शिक्षा<br>Primary education   |
| 852        | माध्यमिक शिक्षा<br>Secondary education   |
| 853        | उच्च शिक्षा<br>Higher education  |
| 854        | अन्य शिक्षा<br>Other education   |
| 855        | शैक्षिक सहायक गतिविधियां<br>Educational support services   |
| <b>थ Q</b> | <b>मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य</b><br><b>Human health and social work activities</b>  |
| 86         | मानव स्वास्थ्य गतिविधियां<br>Human health activities   |
| 861        | अस्पताल गतिविधियां<br>Hospital activities  |
| 862        | चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा अभ्यास गतिविधियां<br>Medical and dental practice activities  |
| 869        | अन्य मानव स्वास्थ्य गतिविधियां<br>Other human health activities  |
| 87         | आवासीय देखरेख गतिविधियां<br>Residential care activities  |
| 871        | नर्सिंग देखभाल सुविधाएं<br>Nursing care facilities   |
| 872        | मानसिक मंदता, मानसिक स्वास्थ्य और द्रव्यों के सेवन के लिये आवासीय देखरेख गतिविधियां<br>Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse |
| 873        | बुजुर्गों एवं विकलांगों के लिए आवासीय देखभाल गतिविधियां<br>Residential care activities for the elderly and disabled  |
| 879        | अन्य आवासिय देखभाल कार्यकलाप क० औ० व० न०<br>Other residential care activities<br>n.e.c.  |

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008) ( 3 अंक स्तर तक)  
National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level)

| 1          | 2   |
|------------|---|
| 88         | गैर आवासीय सामाजिक कार्य गतिविधियां<br>Social work activities without accommodation   |
| 881        | बुजुर्ग एवं विकलांगों के लिए आवास के बिना सामाजिक कार्य गतिविधियां<br>Social work activities without accommodation for the elderly and disabled |
| 889        | बिना आवास के अन्य सामाजिक कार्य गतिविधियां क०औ०व०न०<br>Other social work activities without accommodation n.e.c.                                |
| <b>द R</b> | <b>कला, आमोद तथा प्रमोद<br/>Arts, entertainment and recreation</b>  |
| 90         | सर्जनात्मक, कलाएं तथा मनोरंजन गतिविधियां<br>Creative, arts and entertainment activities   |
| 900        | रचनात्मक कला और मनोरंजन गतिविधियां<br>Creative, arts and entertainment activities   |
| 91         | पुस्तकालय, अभिलेख, संग्रहालय तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां<br>Libraries, archives, museums and other cultural activities                       |
| 910        | पुस्तकालय, आरकाईव, संग्रहालय एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां<br>Libraries, archives, museums and other cultural activities                       |
| 92         | जुआ तथा पणन (बाजी लगाने संबंधी) गतिविधियां<br>Gambling and betting activities   |
| 920        | जुआ और सट्टेबाजी गतिविधियां<br>Gambling and betting activities  |
| 93         | खेलकूद क्रियाकलाप तथा आमोद एवं प्रमोद गतिविधियां<br>Sports activities and amusement and recreation activities                                   |
| 931        | खेलों की गतिविधियां<br>Sports activities  |
| 932        | अन्य आमोद एवं प्रमोद गतिविधियां<br>Other amusement and recreation activities  |
| <b>घ S</b> | <b>अन्य सेवा गतिविधियां<br/>Other service activities</b>  |
| 94         | सदस्य संगठनों के क्रियाकलाप<br>Activities of membership organizations   |

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008) (3 अंक स्तर तक)  
National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level)

| 1          | 2  |   |
|------------|--|---|
| 941        | व्यापार, नियोक्ता एवं वृत्तिक संगठनों की सदस्यता की गतिविधियां   | Activities of business, employers and professional membership organizations   |
| 942        | व्यापार संगठनों की गतिविधियां  | Activities of trade unions  |
| 949        | अन्य सदस्यता संगठनों की गतिविधियां   | Activities of other membership organizations  |
| 95         | कम्प्यूटर तथा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक वस्तुओं की मरम्मत  | Repair of computers and personal and household goods  |
| 951        | कम्प्यूटर एवं संचार उपकरण की मरम्मत  | Repair of computers and communication equipment   |
| 952        | निजी व्यक्तिगत और घरेलू सामान की मरम्मत  | Repair of personal and household goods  |
| 96         | अन्य व्यक्तिगत सेवा गतिविधियां   | Other personal service activities   |
| 960        | अन्य व्यक्तिगत सेवा गतिविधियां   | Other personal service activities   |
| <b>न T</b> | <b>नियोक्ताओं के रूप में परिवारों के क्रियाकलाप परिवारों के स्व प्रयोग हेतु गैर विभेदकारी वस्तुओं- तथा सेवाओं के उत्पादन संबंधी क्रियाकलाप</b> | <b>Activities of households as employers; undifferentiated goods- and services producing activities of households for own use</b> |
| 97         | घरेलू कर्मिकों के नियोक्ताओं के रूप में परिवारों के क्रियाकलाप   | Activities of households as employers of domestic personnel   |
| 970        | घरेलू कर्मियों के नियोक्ताओं के रूप में परिवारों की गतिविधियां   | Activities of households as employers of domestic personnel   |
| 98         | निजी परिवारों के स्वयं के उपभोग के लिए गैर विभेदकारी माल एवं सेवा उत्पादक गतिविधियां   | Undifferentiated goods and services producing activities of private households for own use  |
| 981        | निजी परिवारों के स्वयं के उपभोग के लिए गैर विभेदकारी माल उत्पादक गतिविधियां  | Undifferentiated goods-producing activities of private households for own use   |



राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008) (3 अंक स्तर तक)  
National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level)

| 1          | 2  |   |
|------------|--|---|
| 982        | निजी परिवारों के स्वयं के उपभोग के लिए गैर विभेदकारी सेवा उत्पादक गतिविधियां | Undifferentiated service-producing activities of private households for own use |
| <b>प U</b> | <b>बहिःक्षेत्रीय संगठनों तथा निकायों की गतिविधियां</b>                       | <b>Activities of extraterritorial organizations and bodies</b>                  |
| 99         | बहिःक्षेत्रीय संगठनों तथा निकायों की गतिविधियां                              | Activities of extraterritorial organizations and bodies                         |
| 990        | बहिःक्षेत्रीय संगठनों और निकायों की गतिविधियां                               | Activities of extraterritorial organizations and bodies                         |
|            |  | स्त्रोत : के० सां० का०<br>Source : C.S.O  |

क०औ०व०न० - कहीं और वर्गीकृत नहीं  
n. e. c. - Not elsewhere classified

अनुबन्ध-ख  
Annexure-B

प्रकाशन में सहयोग देने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची  
List of Officers/Officials associated with the publication

| सर्वश्री / S/Shri                     |  |
|---------------------------------------|--|
| अमित वर्मा<br>Amit Verma              | संयुक्त निदेशक<br>Joint Director           |
| ओंकार नाथ मिश्र<br>Onkar Nath Mishra  | अन्वेषक श्रेणी-I<br>Investigator Grade- I  |
| रवि सूद<br>Ravi Sood                  | अन्वेषक श्रेणी-II<br>Investigator Grade-II |
| नीरज सिंह<br>Niraj Singh              | अन्वेषक श्रेणी-II<br>Investigator Grade-II |
| राज कुमार<br>Raj Kumar                | अन्वेषक श्रेणी-II<br>Investigator Grade-II |
| रणजीत कुमार<br>Ranjeet Kumar          | अन्वेषक श्रेणी-II<br>Investigator Grade-II |
| गौरव कुमार सिंह<br>Gaurav Kumar Singh | अन्वेषक श्रेणी-II<br>Investigator Grade-II |

© भारत सरकार  
© Government of India  
नियंत्रक प्रकाशन  
Controller of Publication

पी डी एल बी-163.2017 (द्विभाषी)  
PDLB - 163.2017 (Bilingual)  
125 – 2019 (डी एस के-III)  
125 – 2019 ( DSK-III)

मुल्य : 170.00  
Price : 170.00

2019  
नियंत्रक प्रकाशन, सिविल लाइन्स, दिल्ली के लिए  
मुद्रण इकाई, श्रम ब्यूरो शिमला 171 004 के द्वारा मुद्रित  
Printed by Printing Unit, Labour Bureau, Shimla 171004  
For Controller of Publications, Civil Lines, Delhi